खण्ड-335, अंक-3
शुक्रवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1900
(8 दिसम्बर, 1978 ई0)

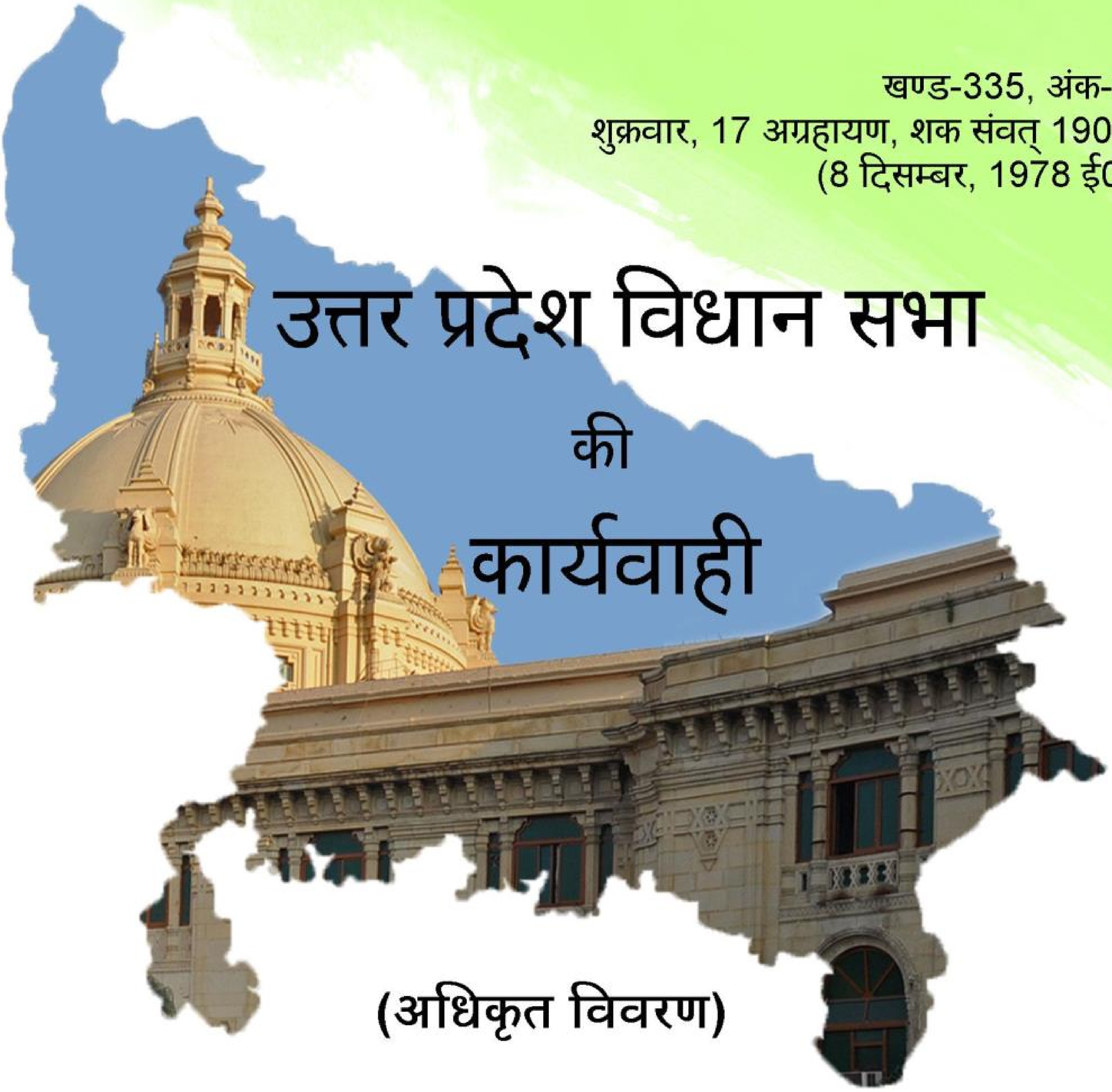

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३०९-३१२
प्रश्नोत्तर	३१३-३७३
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	३७३-३७४
छठी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा की सदस्यों को जानकारी दिलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ..	३७४-३७६
सदन के संज्ञान में लाई जाने वाली सूचनाओं का उत्तर दिलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७७
छठी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की सदस्यों को जानकारी दिलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३७७-३८२
तहसील महमूदाबाद, सीतापुर में शारदा सहायक नहर के बायें किनारे पर दलदल पैदा हो जाने से वहां के निवासियों के सामने गम्भीर संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८३
सुभाषनगर, इलाहाबाद में शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर आजाद व भगत सिंह की तस्वीरों को असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़े जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८३
अलीगढ़ की खैर सीमा में यमुना नदी के कटान से कतिपय ग्रामों की जमीन हरियाणा में चले जाने से किसानों के सामने उत्पन्न परिस्थितियों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८४
दिल्ली में लगे नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज के मेले में उत्तर प्रदेश के पैवेलियन पर स्वीकृत से अधिक व्यय किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८४
वाराणसी में आरक्षण विरोधियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति नष्ट किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८४
प्रदेश में धान के क्रय केन्द्रों में वृद्धि करने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८५
मेरठ में श्री जगत सिंह के यहां पड़ी डकैती की घटना की जांच तथा श्री सोहनवीर सिंह तोमर सदस्य विधान सभा की सुरक्षा की मांग	३८५-३९५
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	३९५-३९६
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	३९६

विषय	पृष्ठ संख्या
(स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचनाएं एवं शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखे गये) ..	३९६
सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, श्री मुहम्मद मसूद खां के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	३९६-३९७
स्वतन्त्र भारत के सम्पादक के विरुद्ध हसीना डाकू के बध सम्बन्धी समाचार के विषय में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	३९७-३९८
दैनिक स्वतन्त्र भारत के विरुद्ध श्री संगम लाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..	३९८
स्वतन्त्र भारत में छपे विद्युत् मन्त्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही के कार्टून के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	३९९
हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विद्युत् मंत्री के वक्तव्य पर उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	३९९-४००
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४००-४०१
फैजाबाद के जलालपुर थाने के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	४०१-४०७
विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	४०७-४०९
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	४०९-४१३
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक १९७८ (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	४१३-४६१
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	४६१-४६२
श्री गुरुदत्त सोलंकी द्वारा जनता पार्टी से कथित त्याग-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी ..	४६२
प्रदेश में खड़े गन्ने की पेराई की समस्या तथा उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा ..	४६२-४८४
नत्थियां ..	४८५-४८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक ८ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३३८

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खां, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इस्माइल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कल्लन सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरू प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह सेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री

चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदीलाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल, "निर्भय" श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय राम, श्री
जय शंकर पान्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी०पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेत राम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान, श्री (उर्फ बल्ले भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धूराम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री

अध्यक्ष प्रदेश सभा

ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल रामप्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मुन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमान यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पान्डेय, श्री
रामपति, श्री

राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल विपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--विद्युत् मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री सन्त बक्श रावत, सदस्य विधान सभा

की सुरक्षा संबंधी पत्र

**१—श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या मुख्य मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता के इस आशय के पत्र गत दो मासों में प्राप्त हुए हैं कि उनको अपनी जान का खतरा है इस कारण उनको सुरक्षा प्रदान कर अपराधी तत्वों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो वे पत्र क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मुख्य मन्त्री जी को प्रेषित माननीय सदस्य के पत्र दिनांक ४-१०-७८ तथा २५-१०-७८ प्राप्त हुए थे जिनमें माननीय सदस्य ने श्री राम चन्द्र पुत्र श्री राम नारायन से अपनी जान का खतरा होने की आशंका होने की बात कही थी।

इस संबंध में अब तक कृत कार्यवाही का विवरण† संलग्न है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, कृत कार्यवाही का विवरण भी पढ़वा दें।

श्री राम सिंह—

श्री राम चन्द्र की बन्दूक के लाइसेंस को निलम्बित कराने के संदर्भ में कार्यवाही की जा रही है।

(२) श्री राम चन्द्र और उनके पक्ष के लोगों के विरुद्ध १०७/११६ दं० प्र० सं० की कार्यवाही की जा रही है।

(३) माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष को आदेश दिये गये हैं तथा

(४) माननीय सदस्य की सुरक्षा हेतु एक अंगरक्षक की नियुक्ति के आदेश भी शासन द्वारा दिनांक १९-११-७८ को जारी कर दिये गये हैं।

श्री सन्त बक्श रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे आवेदन पत्र दिनांक ७-१०-७८ में गोपनीय जांच के आदेश दिये गये थे यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है और क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों ?

---

†सदन में पढ़ दिया गया इसलिए छापा नहीं गया।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, श्री रावत का उपर्युक्त पत्र जिसका उन्होंने जिक्र किया है उसमें एक राम नारायण और केसव नेता दो व्यक्ति हैं। उनका आरोप है कि उनके विरुद्ध जो दूध बेचने का काम करते हैं, उनमें इस बात का विवाद है कि अमुक व्यक्ति से जब दूध खरीदते ह, तो छोटे बर्तन से खरीदते हैं और मेरे से बड़ बर्तन से खरीदते हैं। उस विवाद पर वहां झगड़ा था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद वहां के सब-इंस्पेक्टर श्री नसीरुल्ला खां ने जांच की। माननीय सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हुए उसके बाद थानाध्यक्ष से जांच करवाई, उस पर भी संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद इंस्पेक्टर वर्मा को जांच करने के लिए दिया, उस पर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर गये और उन्होंने तथ्यों का निरीक्षण किया। चूंकि मांग यह थी कि यह कागनिजिबल आफेन्स है उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और श्री राम चन्द्र को गिरफ्तार करने के आदेश दिये और तब उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई है।

श्री सन्त बक्श रावत—

जो माननीय मन्त्री जी को सूचना प्राप्त हुई है वह बिल्कुल भ्रामक है। मान्यवर, क्या गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि मैंने अपने आवेदन पत्र में निवेदन किया था कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण मैं कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या उसे हटाया गया या नहीं?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह आखरी कार्यवाही है अगर इससे संतुष्ट हो जायेंगे तो उसे हटा देंगे।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं गृह मंत्री जी से पुन: जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा जब वह असंतुष्ट हैं, उसके बावजूद थानाध्यक्ष को क्यों नहीं हटाया गया? बार-बार कहने के पश्चात भी दो महीने हो गये अभी तक लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, का जवाब आता है। मुझे ऐसा लगता है यह व्यवस्था करते करते कहीं ऐसा न हो कि एक और शोक प्रस्ताव हमें पारित करना पड़े। थानाध्यक्ष को क्यों नहीं हटाया गया?

श्री राम सिंह—

किसी भी आर्म लाइसेंस को कैंसिल करने से पहले नियमों में जो प्राविधान है, उसके अनुसार लाइसेंसधारी को नोटिस देना पड़ता है कि आपके विरुद्ध यह-यह चार्ज हैं और इतने दिन में इसका उत्तर दे दीजिये। उनका उत्तर आ जाने पर अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं, और संतुष्ट होते है, तो नहीं करते हैं। जो प्रश्न का दूसरा भाग है कि थानाध्यक्ष को क्यों नहीं हटाया गया, तो इस जांच से सम्बन्धित चार सब इंस्पेक्टर हैं, चारों को हटाने की बात हो तो चारों को हटा दूं और उस थानाध्यक्ष को हटाने की बात हो तो उसको हटा दूं।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

जब माननीय सदस्य ने यह आवेदन-पत्र लिखकर दिया कि उनकी जान को खतरा है, तो क्या उनके प्राण का महत्व समझ कर वर्तमान थानाध्यक्ष को हटाने की आप अभी घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका तो अभी उत्तर दिया गया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अभी मन्त्री जी ने कहा कि पहले जो नसीरुल्ला खां, इंचार्ज व वर्मा ने जांच की उससे विधायक सन्तुष्ट नहीं हुए, तो फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच की, जिससे विधायक सन्तुष्ट हुए, तो इसको देखते हुए कि यह सभी व्यक्ति गलत कार्यवाही के लिए दोषी हैं और गलत व्यक्ति से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको निलम्बित करने की कृपा करेंगे ? उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

मैंने निवेदन किया कि यह जांच चलते चलते चौथे सब-इंस्पेक्टर के पास पहुंची है । अभी मैंने यह नहीं कहा कि आखिरवाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जांच की फाइंडिंग्स क्या हैं, बल्कि उसने यह कहा कि यह कागनिजिबेल आफेंस है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की कार्यवाही होनी चाहिये, तो अब वह अमल में लाई जा चुकी है और तफ्तीश जारी है । मैंने यह कहा कि इसमें ४ व्यक्ति शामिल हैं, थानाध्यक्ष का हटाना जरूरी हो तो उनको हटा दिया जाय और जरूरी न समझा जाय तो चारों को हटा दिया जाय ।

(प्रश्न संख्या दो लेने पर व्यवधान,)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

इस पर आप आधे घंटे की चर्चा रखें, यह एक विधायक की जान का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये । (व्यवधान) मैं प्रश्नों के घंटे को समाप्त कर दूंगा, यदि इस प्रकार की बातें होंगी ।

श्री सन्त बक्श रावत--

मेरी जान का खतरा है और मन्त्री जी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है...

श्री अध्यक्ष--

उत्तर हो चुका है । बार-बार इस पर प्रश्न नहीं होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब इधर का कोई आदमी कोई बात कहता है तो आप उसे निकाल देते हैं और जब उधर का कोई व्यक्ति कहता है तो आप सुनते चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

पांचजन्य में पुलिस विद्रोह संबंधी प्रकाशित समाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

**२--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २ जुलाई से ८ जुलाई, १९७८ के पांचजन्य के अंक में प्रकाशित पुलिस सम्बन्धी लेख की प्रति के साथ प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र जुलाई, १९७८ में मुख्य मन्त्री को मिला था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करके उक्त अंक में प्रकाशित समाचार की जांच के फलस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आए ? यदि जांच नहीं कराई गयी, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां। प्रश्नकर्ता का दिनांक ११ जुलाई, १९७८ का पत्र "पांचजन्य" के दिनांक २ जुलाई से ८ जुलाई, १९७८ के अंक के साथ जिसके मुख्य पृष्ठ पर "उत्तर प्रदेश में पुलिस विद्रोह का आसार" विषयक लेख छपा था, प्राप्त हुआ। उक्त अंक में प्रकाशित समाचार की छान-बीन के फलस्वरूप यह पाया गया कि हजरतगंज, लखनऊ के चौराहे पर लाल बत्ती की परवाह किये बिना पुलिस उपाधीक्षक की गाड़ी निकाल ले जाने के अतिरिक्त इसमें उल्लिखित शेष आरोप तथा अनियमितताएं भ्रामक एवं निराधार है। इस समाचार में कोई तथ्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विद्रोह के आसार हैं। पुलिस फोर्स के अनुशासन और मनोबल पर निरन्तर दृष्टि रखी जा रही है और अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस फोर्स का अनुशासन और मनोबल सन्तोषजनक है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यह छान बीन किस अधिकारी ने किन-किन शिकायतों के बारे में किया और जो जांच रिपोर्ट है क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राम सिंह--

पांचजन्य अखबार के साथ माननीय तिवारी जी का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमे १० आरोप थे। विस्तृत आख्या है अगर आप कहें तो रख दूं।

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में बता दीजिए।

श्री राम सिंह--

पहला आरोप एक वर्ष में ४५ बार पुलिस ने गोली चलाई। सरकारी सूचना के अनुसार १८ स्थानों पर गोली चलायी गयी। दूसरा आरोप यह था कि श्री

लाल सिंह वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक अस्वस्थ हैं और कार्य सुचारूरूप से संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है वह स्वस्थ हैं और कार्य कर रहे हैं। तीसरा आरोप बाहरी हस्तक्षेप के कारण तीन महीनों से मेरठ परिक्षेत्र में कोई पुलिस उप महानिरीक्षक तैनात नहीं था। वहां पर डी० आई० जी० पोस्टेड हैं। चौथा आरोप यह था कि पुलिस महानिरीक्षक के समधी श्री दिग्विजय सिंह की जब पदोन्नति पुलिस उपाधीक्षक के पद पर हुई तो उन्हें सामान्य नियमों के अनुसार पहले सी० आई० डी० अथवा विजिलेंस में नियुक्त नहीं किया गया बल्कि सिविल पुलिस में नियुक्त किया गया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस निरीक्षक की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति होने पर उन अधिकारी को अनिवार्य रूप से सी० आई० डी० अथवा विजीलेंस में तैनात किया जाय। सिविल पुलिस में भी प्रमोशन किया जा सकता है। पांचवा आरोप यह है कि राज्य के गृह मंत्री जी अभी पिछले दिनों लखनऊ के हजरतगंज बाजार में लालबत्ती के हरे होने की प्रतीक्षा करते हुए रुके थे–कि उनकी बगल से एक पुलिस जीप लाल बत्ती की परवाह किए बिना चली गई जिस पर एक पुलिस उपाधीक्षक बैठे थे। गृह मन्त्री जी ने ड्राइवर को निलम्बित करा दिया व उक्त उपाधीक्षक से केवल जवाब तलब किया। जांच की गयी और वह सही पायी गयी और उनको चेतावनी दे दी गई है। छठा आरोप यह है कि एक बार जब मुख्य मंत्री जी राजकीय हेलीकोप्टर से उतरे तो उनके पश्चात् एक पुलिस उप धीक्षक के परिवार ने हेलीकाप्टर पर बैठ कर लखनऊ दर्शन किया। इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी और हेलीकाप्टर के प्रभारी अधिकारी कैप्टन टिक्कू से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को निराधार बताया। ७वां आरोप यह है कि पदोन्नति के मामले में पक्षपात किया गया और कुछ ऐसे सब–इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर बनाया गया जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित थी ऐसे बहुत से सब–इंस्पेक्टर जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं है, को पदोन्नति नहीं दी गयी। यह भी कहा गया कि पदोन्नति एक जाति विशेष को दी गयी। जहां तक एक जाति विशेष के सब–इंस्पेक्टरों को पदोन्नति देने का प्रश्न है, १९७७ में चुने गये सब–इंस्पेक्टरों में से ५२ ब्राह्मण, २३ पिछड़े वर्ग के, २८ ठाकुर, २० अनुसूचित जाति, २४ क्षत्रिय, २३ जाट, १९ राजपूत व ४ अन्य जाति के सब–इस्पेक्टर हैं। ८वां आरोप यह है कि समाचार पत्र में यह भी आरोप है कि नियुक्ति में पक्षपात तथा एक वर्ग विशेष के लोगों को पी० ए० सी०, सी० आई० डी०, सतर्कता विभाग से निकालकर सिविल पुलिस में तैनात किया गया।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष––

सुखपाल जी आप शान्त रहिये।

श्री सुखपाल पाण्डेय––

आप मजबूर होइये। आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं।

श्री राम सिंह––

एक आरोप यह था कि खेलकूद प्रतियोगिता में जो इनाम बांटे गये उसम भेदभाव बरता गया, जांच से यह आरोप भी सही नहीं पाया गया। आखरी आरोप यह था कि पुलिस में विद्रोह के आसार हैं, यह बात भी गलत है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

यह जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इसमें एक आरोप जो डिप्टी एस० पी०, हजरतगंज के खिलाफ था उसकी जांच तो डी० आई० जी० से करायी, अन्य आरोप अधिकतर आई० जी० के खिलाफ थे, उसके बारे में उनसे ही पूंछताछ की गयी और जो जवाब उनका आया उसके आधार पर यहां मैंने उत्तर दिया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जिस समाचार पत्र ने यह भ्रामक समाचार छापा क्या उस समाचार पत्र के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह--

यह प्रश्न तो मान्यवर उठता नहीं इससे . . .

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने उस प्रश्न की इजाजत दे दी है तो आप यह नहीं कह सकते कि उठता नहीं है ।

श्री राम सिंह--

इस पर मान्यवर, विचार कर लेंगे अगर कोई जुर्म बनता होगा तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

इंस्पेक्टर्स का जो चुनाव हुआ है उसमें मुसलमान कितने हैं और क्या हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लास का कोटा पूरा हो गया है ?

श्री राम सिंह--

१९७७-७८ में ५४२ ऐसे सब-इंस्पेक्टर्स का चुनाव हुआ था । इनकी लिस्ट एस० पीज और डी० आई० जी० ने हैड क्वार्टर पर भेजी थी । इसमें इस पोस्ट के लिए जो शर्तें थीं उनमे यह भी था कि १० वर्ष का कम से कम सेवा काल हो, ३ वर्ष तक किसी स्टेशन का चार्ज होल्ड किया हो, चरित्र पंजिका अच्छी रही हो आदि तो इन शर्तों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पूरे नहीं उतरते थे । बाद में नियमों को रिलेक्स करना पड़ा । लिस्ट में ६४ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम आए थे । २० अनुसूचित जाति के लोगो का चुनाव हुआ । मुसलमानों के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं होता, जो ४ अन्य हैं इनमें वे हो सकते हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रेन्ज में डी० आई० जी० कितने अर्से तक पोस्टेड नहीं रहे और न रहने का कारण क्या रहा ?

श्री राम सिंह—

वहां के बारे में यह शिकायत थी कि वहां कोई जाने को तैयार नहीं है, अब जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर देने के लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने उत्तर में बताया है कि लाल सिंह वर्मा पूर्णतः स्वस्थ हैं। क्या उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया था कि नहीं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर उन्हें स्वस्थ बताया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

यह हठधर्मी नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

श्री सुखपाल पाण्डेय सदन छोड़ें

श्री सुखपाल पाण्डेय—

छोड़ दिया। आपको भी छोड़ना पड़ेगा।

(श्री सुखपाल पाण्डेय सदन छोड़कर चले गए।)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में वहीं उनकी पोस्टिंग होती है, जहां वह जाने को तैयार होते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आपको अनुमति नहीं दी जा रही है।

राजस्व परिषद् को समाप्त किए जाने पर विचार

**३—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार ने प्रशासनिक संघटन राजस्व परिषद् को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लागू करने और न्यायिक शाखा का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो यह कब से नई व्यवस्था लागू होगी और इसकी रूपरेखा क्या होगी ?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

विधान सभा की प्राक्कलन समिति १९७६-७७ ने शासन से आग्रह किया है कि राजस्व परिषद् को समाप्त कर दिया जाय। इस संस्तुति पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि प्राक्कलन समिति ने परिषद् समाप्त करने के लिए जो संस्तुति की है, उसमें परिषद् समाप्त करने के कारणों का भी उल्लेख किया है और वैकल्पिक व्यवस्था का भी सुझाव दिया है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, प्राक्कलन समिति की संस्तुति यह थी कि—

(क) राजस्व परिषद् की प्रशासनिक शाखा को समाप्त कर दिया जाय और उसके वर्तमान कार्य को शासन के राजस्व विभाग तथा मंडलायुक्तों को सौंप दिया जाय।

(ख) राजस्व परिषद् की न्यायिक शाखा का वर्तमान स्वरूप समाप्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर माल न्यायाधिकरण की प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर बेंच स्थापित कर दी जाय और इस न्यायाधिकरण में लम्बी-लम्बी वेतन पाने वाले आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० अधिकारियों की नियुक्ति न करके ऐसे लोगों की नियुक्ति की जावे जिन्हें न्याय प्रशासन का अनुभव हो या ऐसे अनुभवी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जावे जिनको माल सम्बन्धी मुकदमों का अनुभव हो।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, शासन ने किन-किन संस्तुतियों पर विचार कर लिया है और किन पर बाकी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह संस्तुति जब से प्राप्त हुई हैं, बराबर विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में एक गैरसरकारी प्रस्ताव भी कल्पनाथ सिंह जी का पेश हुआ था, उसमें जो समिति है, उसमें विचार करके उत्तर दे दिया गया था कि सिद्धान्तः इसको हम स्वीकार करते हैं और इस पर पूर्णतः बिचार हो रहा है।

श्री कृष्ण स्वरूप--

मान्यवर, जो संस्तुति है; इसको सिद्धान्ततः माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और राजस्व परिषद् को समाप्त करने के लिए फाइनल निर्णय कब तक कर लेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

संस्तुति को पूर्णतः नहीं स्वीकार किया है, जब तक मंत्रि परिषद् का निर्णय नहीं हो जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य राज्यों में कौन सी व्यवस्था है, जहां पर राजस्व परिषद् नहीं हैं ? क्या माननीय मंत्री जी को ऐसा ज्ञान है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

किन-किन प्रांतों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसकी सूचना मंगाई जा रही है, अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

जो संस्तुतियां आई हैं उनमें से किन-किन संस्तुतियों के ऊपर मन्त्री जी स्वतः संतुष्ट हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, व्यक्तिगत प्रश्न तो है नहीं इस पर पूरा शासन बिचार कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

शासन के प्रतिनिधि तो आप भी हैं । आपका मत क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जब मैंने उत्तर दिया था माननीय कल्पनाथ सिंह जी के गैर सरकारी प्रस्ताव पर तो उसमें मेरा मत निहित था कि सिद्धांततः हम इसको स्वीकार करते हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जब प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन आया उसके बाद मंत्रि परिषद् ने इस सम्बन्ध में कोई उप समिति बनायी और उस उप समिति की कई बार बैठक हुयी ? तो उसकी कितनी बैठकें हुयीं और क्या बिचार हुआ, बताया जाय ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, १९७१-७२ में प्राक्कलन समिति की संस्तुति आयी थी । उस पर पिछले शासन ने बिचार किया था और एक उप समिति इस सम्बन्ध में बनायी गयी

थी। उसने विचार करके अपने विवरण के साथ संस्तुति मंत्रि परिषद् के सामने पेश की। पेश होने पर यह प्रस्ताव हुआ कि तत्समय के राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री जी से बातें करें तब प्रश्न लाया जाय। उनकी बात मुख्य मंत्री जी से हुयी और यह उत्तर दे दिया गया कि इससे शासन सहमत नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

प्रदेश के तहसीलदारों की अदालतों में अनिर्णीत मुकदमें

*१--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून संशोधन अध्यादेश २७ जनवरी, १९७७ की धारा ५८ के तहत प्रदेश की तहसीलदार की अदालत में विचाराधीन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १३४ के अन्तर्गत विचाराधीन कितने मामले अनिर्णीत अवस्था में दफ्तर दाखिल कर दिए गए और इस प्रकार के प्राविधान के परिणामस्वरूप कितने हस्तान्तरण के मामले प्रभावित हुए हैं? कृपया यह भी बतावें कि इस प्राविधान से प्रभावित हस्तान्तरण के मामलों के लिए सरकार क्या कर रही है? यदि नहीं कर रही है, तो क्यों?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७७ (जिसे बाद में अधिनियम संख्या ८, १९७७ के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया) की धारा ५८ के तहत प्रदेश के तहसीलदारों की अदालतों में कुल २८,२३९ अनिर्णीत मामले दाखिल दफ्तर किए गए जिनमें ९,१०० हस्तान्तरण के मामले थे।

दिनांक २८-१-१९७७ के उक्त अध्यादेश द्वारा समस्त सीरदारों (ग्राम सभा की भूमि के सीरदारों को छोड़ कर) को बिना मालगुजारी का दसगुना जमा कराये संक्रमणीय (हस्तान्तरण) के अधिकार वाले भूमिधर बना दिया गया तथा यह भी प्राविधान किया गया कि इस तिथि को भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिए जो मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे वे अबेट हो जायेंगे तथा भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिए जमा की गई धनराशि की वापसी कर दी जायगी। अतः इस प्रकार के मामलों में और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। जैसा उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग २८ हजार मुकदमें दाखिल दफ्तर हैं। उनमें से ९ हजार हस्तान्तरण के हैं। मंत्री जी ने यह नहीं देखा कि जो मुकदमे अबेट कर दिए हैं और काश्तकारों ने भूमिधरी दाखिल करके बैनामा के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं उन मामलों में क्या हुआ, २८-१--७७ को जब भूमिधर मान लिया गया, तो उससे पहले जिन्होंने भूमिधरी दाखिल किया है, उन किसानों के बारे में मंत्री जी का क्या निर्णय है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिन लोगों ने १०. गुना जमा करके भूमिधरी हासिल की थी और उस संबंध में जो विवाद थे, चूंकि भूमिधरी का अधिकार दे दिए गए हैं, इसलिए अवेट हो गये। लेकिन जिन्होंने बेनामा कराया उनको अधिकार प्राप्त हुआ यह निर्णय अदालतों के द्वारा होगा।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो भूमिधरी दाखिल हुई है, तो कितना रुपया सरकार को वापस करना पड़ेगा और अगर भूमिधरी का अधिकार दे दिया जाता है, तो क्या नुकसान होगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न जरा फिर कर दें।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न है कि क्या नुकसान होगा अगर भूमिधरी का अधिकार उनको दे दिया जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

अधिकार तो मान्यवर, भूमिधरी के सब को दे दिए गए हैं, उसमें नुकसान का क्या प्रश्न है।

श्री मित्रसेन—

मेरा प्रश्न यह है कि २८-१-७७ को जब समस्त काश्तकारों को भूमिधर माना गया, उसके पूर्व जिन लोगों ने अपनी जमीन का बयनामा किया उनको भूमिधर बनने में सरकार को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, रुपया वापस कर दिया जाय यह बात निश्चित् है लेकिन कितना वापस करना पड़ेगा इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

गोंडा जिले के संग्रह अमीनों की अनुमोदित सूची के अतिरिक्त की गयी नियुक्ति

*२—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोंडा में माह मई, १९७५ में संग्रह अमीनों के अभ्यर्थियों की अनुमोदित सूची तैयार करायी गई थी ? यदि हां, तो सूची का मुख्य आधार क्या था ? क्या इसमें तहसील उतरौला के किसी अभ्यर्थी का नाम छूट गया था ? यदि हां, तो क्या उस अभ्यर्थी का नाम अनुमोदित सूची में अंकित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। यह सूची कुल सेवा अवधि के आधार पर बनायी गई थी। तहसील उतरौला के सर्वश्री कन्द कुमार तथा राम सागर के नाम इस सूची में अंकित होने से छूट गये थे जिन्हें बाद में जांचोपरांत सम्मिलित कर लिया गया है।

*३--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री को यह भी जानकारी है कि जो सन् १९७५ में भी कुछ अमीनों की अनुमोदित सूची बनायी गई थी इसके अतिरिक्त भी कुछ अभ्यर्थी कार्यरत ह ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

वर्ष १९७५ में जो अनुमोदित सूची बनायी गई थी उसके अतिरिक्त तहसील बलरामपुर में दो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को रख लिया गया था क्योंकि उनका निर्धारित प्रतिशत पूरा नहीं था तथा एक मृत कर्मचारी के आश्रित को वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत रख लिया गया था। इसके अतिरिक्त तहसील सदर में भी एक व्यक्ति सूची के बाहर से एक अल्प रिक्ति में कार्य हित में इस शर्त के साथ रख लिया गया था कि अनुमोदित सूची का अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उसे हटा दिया जायगा।

ओला एवं अतिवृष्टि से रबी फसल को क्षति

*४--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या सरकार बताएगी कि राज्य में ओला और अतिवृष्टि से वर्ष १९७८ में रबी की फसल को गहरी क्षति पहुंची है जिससे किसानों के सामने अन्न और चारा की विषम स्थिति पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो इस संकट के निवारणार्थ सरकार की योजना क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

वर्ष १९७८ में प्रदेश में ओला एवं अतिवृष्टि से रबी की फसलों को ५ प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक की क्षति पहुंची परन्तु जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार किसानों के समक्ष अन्न व चारे की कोई विषम स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाई क्योंकि यह क्षति किसी जिले में सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में न होकर केवल कुछ क्षेत्र में ही सीमित रही तथा अन्न या चारे की कमी की पूर्ति पास-पड़ोस के अप्रभावित गांवों और बाजारों से आसानी से हो गई। इसके अतिरिक्त निःशुल्क सहायता के पात्र व्यक्तियों में अहेतुक सहायता के रूप में वितरण हेतु १० हजार मीट्रिक टन गेहूं भी जिलाधिकारियों की मांग पर शासन द्वारा आवंटित किया गया।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जनपदों में ५० प्रतिशत से अधिक गतवर्ष रबी का नुकसान हुआ है, वहां पर लगान माफी के लिये सरकार ने कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो कब और कहां ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, रबी की फसल में ५० प्रतिशत से अधिक जहां नुकसान हुआ है, वहां लगान माफ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये थे और जहां से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं वहां किया जा रहा है । कितने गांवों में यह है उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन जनपद हैं जिनमें गतवर्ष रबी की फसल का नुकसान हुआ है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, प्रभावित जिलों के नाम निम्नलिखित हैं :--

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, झांसी, ललितपुर, जालौन, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, आजमगढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी-गढ़वाल, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी आदि जिले हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात के लिये पुनर्विचार करेंगे कि ५० प्रतिशत जो क्षति हुई है, उसमें मुआवजा देने के निर्णय करने की जो परम्परा और निर्देश है उसके हिसाब से टोटल उस गांव के रकबे को लिया जाता है जैसे यदि किसी व्यक्ति के १० एकड़ का नुकसान हुआ है और उस गांव का रकबा १,००० एकड़ है, तो उस व्यक्ति को इस नियम के अनुसार एक प्रतिशत नुकसान नहीं माना जायेगा । तो क्या इस सम्बन्ध में मंत्री जी इस नियम में संशोधन करके जो वास्तव में नुकसान हुआ है उसके हिसाब से वास्तविक मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो नियम हैं उसके अनुसार निर्णय किया जा रहा है । अभी पूरे गांव के नुकसान पर ही सहायता आधारित की जाती है । प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान देखकर लगान माफ करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या इस नियम को परिवर्तित करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ऐसा कोई अभी विचार नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अहेतुक अनुदान जो २०० रुपये देते हैं यह पुराना रेट है, तो क्या इसको बदलने का आपका कोई इरादा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

अहेतुक अनुदान अलग-अलग है । सौ से दो सौ रुपये ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया है, मथुरा जिले का नाम दिया है, ओला वृष्टि की बात कही है, इस के लिए उन को धन्यवाद.... ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप प्रश्न कीजिए ।

श्री लक्खी सिंह--

मैं बता रहा हूं, भाषण नहीं दूंगा । लेकिन श्रीमन्, मेरी बात को सत्य माने कि मेरे क्षेत्र में और मथुरा जनपद के छाता तहसील में इतना नुकसान हुआ है, कई गांवों में बरबादी हुई है आप के पास सूचना होगी । मैंने लिख कर भी दिया है लेकिन उन को कोई सहायता नहीं मिली और अभी तक तकाजा हो रहा है । क्या इसकी कोई जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप इस का उत्तर इस प्रकार दीजिए कि जिन गांवों का जिक्र माननीय लक्खी सिंह जी ने किया है, जो क्षतिग्रस्त हुये हैं, उन्हें सहायता देने पर विचार करेंगे ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जिन गांवों में ५० प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है अगर वहां सहायता नहीं प्राप्त हुई है तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन गांवों की फेहरिस्त मुझे दे दें, मैं सहायता पहुंचा दूंगा । यदि नहीं पहुंचा सका, तो दोषी अधिकारियों को दंड दिया जायगा ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अतिवृष्टि के के अन्तर्गत नदी के कटाव के कारण जो फसल नष्ट हो जाती है वह भी शामिल है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जो गांव अतिवृष्टि के कारण कट गये हैं वे निश्चित रूप से सम्मिलित है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न है चारे के सम्बन्ध में, गल्ले के सम्बन्ध में । गल्ले के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि १० हजार टन जिलाधिकारियों को दे दिया गया । चारे के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं बताया । क्या यह बात सही है कि चारे के सम्बन्ध में जिलाधीशों ने मांग की थी ? राज्य सरकार ने यह कह कर नहीं दिया कि इस की फैमिन कोड में आज्ञा नहीं है और वह उसे परिवर्तित नहीं कर सकती । पिछली सरकार ने इसी फैमिन कोड में रिलेक्सेशन करके चारा दिया था और इस सरकार ने नहीं दिया, क्या यह सही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, किसी जिलाधिकारी ने ऐसी मांग नहीं की कि वहां चारा पहुंचाया जाय । अहेतुक चारा देने का कोई प्राविधान नहीं है । चारा खरीद कर दिया जा सकता है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

फैमिन कोड में इसका प्राविजन है । कम से कम एक जिलाधिकारी ने आज्ञा मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट चारा खरीदने के लिए अधिकृत है और उन्होंने आज्ञा मांगी और शासन ने नहीं दी ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

ऐसा कोई जिला मेरी जानकारी में नहीं है ।

[शुक्रवार, [illegible], १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

जिला कोषागार के कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार का अवकाश

---

*१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में जिला कोषागारों में सेवारत कर्मचारियों को सेकेन्ड सैटर्डे तथा स्थानीय अवकाश (लोकल हाली-डे) की छुट्टियां नहीं मिलती तथा अवकाश काल का अतिरिक्त भत्ता भी नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो उक्त अवकाश तिथियों में विशेष भत्ते की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब से ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां । प्रदेश के कोषागार में सेवारत कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के स्थान पर प्रत्येक माह के प्रथम तथा तृतीय शनिवार को आधे दिन की छुट्टी देय है । जिलों में स्थानीय अवकाश जिलाधिकारी द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में स्वीकृत किये जाते हैं जबकि कोषागारों में सार्वजनिक अवकाश निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं । यद्यपि कोषागारों में स्थानीय अवकाश देय नहीं है किन्तु बैंकों की अर्द्धवार्षिक व वार्षिक लेखा बन्दी के उपलक्ष में दिनांक ३० जून व ३१ दिसम्बर को छुट्टी, जो अन्य

राजकीय कार्यालयों में देय नहीं है, कोषागार कर्मचारियों को ही अनुमन्य है। अतः कोषागार कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार तथा स्थानीय अवकाश काल का अतिरिक्त भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, ये जो कोषागार के कर्मचारी हैं, इनका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है, तो क्या इनको कोई ओवर टाइम दिया जाता है या नहीं ? दूसरा प्रश्न है कि ३१ दिसम्बर और ३० जून को छुट्टी स्टेट बैंक में होती है। स्टेट बैंक से सम्बन्धित हो इनकी सेवाओं को आंका है तो क्या जो सुविधायें स्टेट बैंक के कर्मचारियों को प्राप्त हैं, क्या वे सुविधायें कोषागार के कर्मचारियों को भी दी जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

छुट्टी के बारे में तो उन्होंने बता दिया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, ३१ दिसम्बर और ३० जून की छुट्टी और कर्मचारियों को नहीं दी जाती लेकिन इन कर्मचारियों को दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह छुट्टी ही दी जाती है या स्टेट बैंक के कर्मचारियों को जो और छुट्टियां और सुविधायें मिलती हैं, वे भी इनको दी जाती हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जो कोषागार के कर्मचारी हैं, उनको वे सभी सुविधायें दी जाती हैं और छुट्टियां दी जाती हैं जो अन्य कर्मचारियों को दी जाती हैं। लेकिन चूंकि इनका काम बैंकों से होता है इसलिये ३१ दिसम्बर और ३० जून को छुट्टी कर दी गयी है ताकि जिस दिन बैंक बंद रहे उस दिन ये बंद रहे और जिस दिन बैंक खुला रहे, उस दिन ये भी खुले रहें। लेकिन अन्य छुट्टियां देने से इनको नुकसान होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, छुट्टियां ही केवल दी जाती हैं या भत्ते भी दिये जाते हैं ? और ओवर टाइम भी देते हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या उनको ओवरटाइम दिया जाता है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, कोषागार कर्मचारी राज्य कर्मचारी माने जाते हैं। राज्य कर्मचारियों को जो सुविधायें हैं, उनको दी जाती हैं। सुविधा की दृष्टि से यह अतिरिक्त सुविधा उनको दी गयी है। अगर कामर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक होते तो बैंक कर्मचारियों के अनुसार सारी बातें उन पर भी लागू होती, लेकिन उससे उनके नुकसान का अंदेशा है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, उनको राजकीय कर्मचारियों के श्रेणी में माना जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छुट्टियों के अलावा, अन्य सुविधायें और पेंशन आदि भी उन्हीं के मुताबिक दी जाती है कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह तो पहले ही कह दिया है । इनको राज्य कर्मचारियों की पूरी सुविधायें दी जाती हैं और जो अन्य छुट्टियां हैं—जैसे शनिवार को छुट्टी है—इसमें राज्य कर्मचारियों को एक शनिवार की पूरी छुट्टी दी जाती है लेकिन इनको दो शनिवार की आधी छुट्टी दी जाती है और ३० जून और ३१ दिसम्बर को अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाती है जो अन्य कर्मचारियों को नहीं दी जाती ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला बाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनको कब से सरकारी कर्मचारी माना गया है और क्या उनको पेंशन की भी सुविधा दी गयी है कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

इनको राज्य कर्मचारियों की सभी सुविधायें प्राप्त हैं । आप शायद इनके बारे में बात कर रहे हैं जो कोषागार के पहले के कर्मचारी थे और जिनको ये सुविधायें प्राप्त नहीं थीं । लेकिन अब उनको भी राजकीय कर्मचारी मान लिया गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा प्रश्न है कि क्या उनको भी पेंशन की सुविधा दी जायेगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि उनको राजकीय कर्मचारी मान लिया गया है । फिर अनुपूरक प्रश्न कर रहा हूं कि क्या उनको पेंशन की सुविधा दी गयी है कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि इनको वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो अन्य राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हैं । यह इनके दिमाग में पुरानी कल्पना है कि जो पुरानी सुविधायें थीं वे मिल रही हैं कि नहीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं स्पष्ट कह रहा हूं मान्यवर, इसमें माननीय वित्त मंत्री जी थोड़ा अस्पष्ट रूप से जवाब दे रहे हैं । क्या पेन्शन की सुविधा दी गई कि नहीं ? क्या इनको भी पेन्शन की सुविधा है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या अन्य कर्मचारियों के समान जिनको आप राज्य कर्मचारी मानते हैं उनको भी यह पेन्शन की सुविधा है या नहीं, यह माननीय सदस्य का प्रश्न है ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार के कर्मचारी थे। जो पहले से स्टेट इम्प्लाइज की तरह कोषागार में काम करते थे उनको यह सुविधायें प्राप्त हैं और जिनको बाद में सरकारी कर्मचारी मान लिया गया और जो पुराने कर्मचारी थे उनमें थोड़ा विभेद है। उन पर चूंकि पुराने नियमों की सुविधा लागू रखी गई है, इसलिए जो नए कर्मचारी हैं वह पुराने कर्मचारियों में शामिल नहीं हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

नए कर्मचारी तो बाद में आए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह विदित होता है कि दो प्रकार के कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी ऐसे हैं जो राज्य सरकार की सेवा में माने जाते हैं और दूसरे राज्य कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, तो क्या जो दोनों अलग-अलग वर्ग के हैं, उनको एक करके समान सुविधायें देने पर विचार करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने कहा कि जो कोषागार कर्मचारी पहले सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते थे, उनको भी सरकारी कर्मचारी मान लिया गया हाईकोर्ट के फैसले के बाद और उनको वह सभी सुविधायें दी गई हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती थीं। पेन्शन के मामले में उन पर चूंकि ग्रेचयुटी के दूसरे नियम थे इसलिए इतना ही दोनों में फर्क है।

मुरादाबाद जिले के ग्राम घीमरी में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

*२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री को यह मालूम है कि ग्राम प्रधान, घीमरी, तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाने व खती करवाने के सम्बन्ध में पहले से अनधिकृत कब्जे करा दिए गए हैं ? इस विषय में जिलाधिकारियों को कई शिकायती प्रार्थना-पत्र भी जनता की तरफ से १९७७-७८ में भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम घीमरी, तहसील व जिला मुरादाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर प्रधान द्वारा अनाधिकृत कब्जे तथा मकान बनवाने सम्बन्धी आरोप जांच से निराधार पाए गए और उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा नहीं पाया गया जिस भूमि पर मकान बन रहे हैं वह भूमि ग्राम समाज की नहीं है बल्कि सम्बन्धि व्यक्तियों की बताई गई है।

अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए वर्ष १९७७-७८ में तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। उनकी जांच में कोई अनधिकृत कब्जे नहीं पाए गए।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस ग्राम में आबादी की जमीन और जो जोत की जमीन है उसको, ग्राम समाज को उसका गैर कानूनी कब्जा देखने के लिए सन १९७३ में श्री राम कृष्ण द्विवेदी, जो उस समय राजस्व के डिप्टी मिनिस्टर थे, वे स्वयं गए थे और उन्होंने वहीं आदेश दिया था कि यह गैर कानूनी कब्जे समाप्त किए जायें और उसके बाद भी फिर जो हमारी नाटिल समिति थी उसके सेकेटरी श्री आनन्दी भाई थे, स्वयं गए जिसके साथ में मैं भी था, तहसीलदार भी थे और जिला परिषद् के अध्यक्ष श्री नौबत राम शर्मा, श्री महीलाल, जो इस समय लोक सभा के मेम्बर हैं, भी थे और उस वक्त भी जो ९० बीघा जमीन गैर कानूनी ढंग से कब्जे में थी जो प्रधान और उस वक्त के हाकिम परगना के साथ मिल करके ली गई थी उसे खाली करा लिया गया। आश्वासन वहीं तहसीलदार ने दिया था कि एक हफ्ते के अन्दर हम इसको हटाकर कर देंगे। यदि आपकी जानकारी में नहीं है तो क्या इसकी जानकारी करके उचित आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जो तथ्य माननीय सदस्य ने कहा है उसकी सूचना मुझे इस समय नहीं है लेकिन आपने जानकारी दी है उसको देखकर मैं अवश्य, अगर आवश्यकता होगी तो, करूंगा।

*३--श्री श्रीनारायण--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण

*४--श्री कौशल किशोर (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी मामले निर्णीत करते समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नतियों में १८ प्रतिशत तथा २ प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने सम्बन्धी शासनादेशों का बिल्कुल ही पालन नहीं हो रहा है जबकि वित्त मंत्रालय के अधीन ही बिक्रीकर अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी मामलों में कुछ सीमा तक इन शासनादेशों का पालन हो रहा है ? यदि हां, तो एक ही मन्त्रालय में यह दोहरी नीति अपनाए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री मधुकर दिघे--

जी नहीं, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति सम्बन्धी मामले निर्णीत करते समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों को प्रोन्नतियों में निर्धारित आरक्षण प्रदान किए जाने सम्बन्धी शासनादेशों के अनुपालन का यथोचित ध्यान रखा जा रहा है और तदनुसार पद आरक्षित हैं।

अल्मोड़ा जिले के केन्द्रीय, विकास खंड गरुड़ व बैजनाथ में कल्याण विस्तार परियोजना खोलने की मांग

*५--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ५ अप्रैल एवं ७ अगस्त, १९७८ को जो प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा कल्याण विस्तार परियोजना समिति, केन्द्र विकास खंड, गरुड़, बैजनाथ, जिला अल्मोड़ा में खोलने हेतु माननीय मुख्य मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री को दिए गए थे उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और इस योजना के कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

जी हां ।

७ अगस्त, १९७८ का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ । इस सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्य को अपने पत्र दिनांक १३ नवम्बर, १९७८ द्वारा सूचित कर दिया था कि प्रश्नगत कल्याण विस्तार परियोजना खोलने पर होने वाले व्यय का २/३ अंश केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा तथा १/३ अंश राज्य सरकार द्वारा । सीमान्त जिलों में इस प्रकार की परियोजना खोलने के लिये पहले केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्वीकृति अपेक्षित है । केन्द्रीय बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर विचार करना सम्भव होगा ।

*६--श्री रियासत हुसेन--

[१ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

तहसील बदायूं के कतिपय ग्रामों का गंगा नदी से कटान

*७--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं तहसील की गंगा की बाढ़ से कितने ग्राम इस वर्ष कट गए हैं एवं उनके निवासियों को अन्यत्र बसाने की शासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ? यदि हां, तो किस ग्राम को किस स्थान पर बसाने की योजना है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला बदायूं की तहसील बदायूं के एक ग्राम इन्द्राई के ४ मजरे पचौरी नगला तोलिया नगला, बैरी नगला तथा नगला गंगी सिंह के क्षेत्र इस वर्ष बाढ़ में गंगा की कटान से प्रभावित हुए हैं जिसके कारण इन मजरों के क्रमशः ५०, १५, ३५ तथा ६ घर कट गए हैं । बाढ़ के दौरान परिवारों को बाढ़ चौकी भूड़ा भदरौल, जो कि इसी प्रभावित ग्राम की न्याय पंचायत है व निकटतम स्थान है, में आश्रय दिया गया । ग्राम इन्द्राई के मजरे पचौरी नगला, तोलिया नगला व बरी नगला के परिवारों के बसान के लिए भूड़ा भदरौल गांव सभा की भूमि, जो उपयुक्त पाई गई, प्रभावित परिवारों को आवंटित की गयी । बाढ़ के दौरान पीड़ित परिवार इसी ग्राम में शरण लिए रहे परन्तु बाढ़ में सभी लोग इस आवंटित भूमि को छोड़ कर अन्य स्थानों पर चले गए हैं । नगला गंगी सिंह के प्रभावित परिवारों को आवास के लिए भूमि देने का जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था किन्तु

प्रभावित परिवार विकल्प स्वरूप दी जाने वाली भूमि पर बसने को तैयार नहीं हुए। बाढ़ की अवधि में ये व्यक्ति भी ग्राम भूड़ा भदरौला में निवास करते रहे परन्तु बाढ़ के बाद ये अपने पुराने आवास स्थानों पर वापस चले गए। उनके लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नही हो पा रही है।

श्री कृष्ण स्वरूप --

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम भूड़ा भदरौल मे जो भूमि आवंटित करने की बात कहीं गयी है, यह ग्राम भी स्वयं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है और पानी भरा रहता है और यह भूमि बिना इन परिवारों की सहमति के उनको आवंटित की गयी जो उन्हें स्वीकार नहीं थी। अब यह लोग बेघरबार हो गए हैं तो क्या इन परिवारों को किसी अन्य ग्राम सभा में जहां पर ग्राम समाज को भूमि उपलब्ध हो, आवंटित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं कि जहां भी इस प्रकार की बात होगी उसमें गांव सभा या सीलिंग की जो भूमि प्राप्त हो, उसे अर्जित करके ऐसे लोगों को भूमि दी जाय। शासन को यह जानकारी है कि वे लोग अपने गांव वापस चले गए। अगर ऐसी बात नहीं है, तो इस प्रकार की भूमि उपलब्ध होगी तो उसके सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि क्या इन परिवार के लोगों ने मुना खेड़ा और कछला आदि गांवों जो सीलिंग से भूमि बची है, उसके आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उनको उक्त भूमि आवंटित कर दी जायेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मुझे ऐसे किसी भी प्रार्थना-पत्र की सूचना नहीं है कि इन लोगों ने किसी भूमि विशेष के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। अगर उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया है, तो छानबीन करके उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे लोगों को बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण करके उन्हें बसा दिया जायगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपके आश्वासन के बावजूद भी जिलाधिकारी और परगना अधिकारी चूंकि आपके नियंत्रण में नहीं हैं, आपके निर्देशों की उपेक्षा करते हैं और उनको बसाने में कठिनाई पैदा करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है। अगर ऐसी कोई बात है, तो आप शिकायत कीजिए। यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*८--श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव)--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार फर्म तथा सोसायटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विरुद्ध इस आशय के लिखित शिकायती प्रार्थना-पत्र कई माननीय सदस्यों (श्री सुल्तान सिंह तथा अन्य) द्वारा जुलाई, १९७८ में दिए गए कि कार्यालय में रजिस्ट्रार जनता से मिलने से इंकार करते हैं तथा जिनसे मिलते भी हैं उनसे अभद्र व्यवहार भी करते हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी तथा रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

श्री सुन्दर लाल--

किसके द्वारा जांच कराई गयी ?

श्री मधुकर दिघे--

इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कराई गयी । इसमें जो उनके खिलाफ शिकायत थी वह यह थी कि अभद्र व्यवहार करते थे । इसमें दो बातें मैं एड कर देना चाहता हूं । यह बहुत अच्छे अधिकारी हैं । उन्होंने पिछले ७, ८ साल में जितना काम पेंडिंग था, उसको नवम्बर तक समाप्त कर दिया और अब अपटुडेट काम शुरू हो गया । दूसरे उनका दफ्तर हलवासिया मार्केट में था, वहां अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये प्रापर जगह नहीं होती थी लिहाजा दफ्तर का तबादला कर दिया गया । कभी-कभी आदमी घर से आता है, बीबी से कुछ झगड़ा हो जाता है । वैसे वह बहुत अच्छे आदमी हैं । वैसे उनको बता दिया गया है कि अच्छा व्यवहार करना भी जरूरी है ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या उस अधिकारी की बीबी से सम्पर्क स्थापित करके ऐसा प्रबन्ध मन्त्री महोदय ने कर दिया है कि आगे इस अधिकारी का संतुलन खराब न हो ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कर ही दिया है ।

बहराइच जिले के श्री लक्ष्मी नारायन पान्डेय, ग्राम सभा मनोहरापुर का शिकायती प्रार्थना-पत्र

*९--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मन्त्री को जून व जुलाई, १९७८ में बहराइच जिले के कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री लक्ष्मी नरायन पान्डेय,

ग्राम सभा मनोहरापुर बहराइच द्वारा की गई शिकायत पर श्रीमान चकबन्दी उप संचालक द्वारा पूर्ण जांच रिपोर्ट तलब करके माननीय मन्त्री द्वारा स्वयमेव अपेक्षार्थ के सम्बन्ध में रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी और प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट पर क्या-क्या कार्यवाही हुई और क्या आदेश पारित हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

जैसा उत्तर में बताया गया है कि कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो किस प्रकार का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जून, जुलाई, ७८ में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । १३-१०-७८ को श्री कमला प्रसाद जी का एक पत्र प्राप्त हुआ था । उससे अगर उनका मतलब है तो उस सम्बन्ध में सूचना दी जा सकती है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मेरा मतलब उसी पत्र से है । मैं जानना चाहता हूं कि जो बातें उसमें अंकित थी, उनके सम्बन्ध में जांच की गयी या नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

इस पत्र की जांच पूरी तरह से की गयी और जो अनियमितताएं तथा दोषी लोग पाये गये उन पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है यह उत्तर आया है । आरोप सिद्ध भी पाये गये । डिप्टी डायरेक्टर गोंडा (चकबन्दी) ने जांच की अधिकारी जिसके विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी कार्यवाही, दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उस अधिकारी के विरुद्ध न्यायिक कार्य में अनियमितताएं किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें थीं और कुछ पट्टे गलत तरीके से किये जाने की शिकायत थी । इसमें जांच कराई गयी और अनियमितताएं पाई गयी, लेकिन संस्तुति यह की गयी कि वह जो न्यायिक कार्य कर रहे हैं वे समाप्त हो जायं और जो पट्टे विचाराधीन हैं, उन पर भी कार्यवाही समाप्त हो जाय और जब तक अन्तिम निर्णय अदालत से न हो जाय, तब तक वैभाविक कार्यवाही करना उचित न होगा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

जो मामले न्यायिक कार्य से सम्बन्धित नहीं हैं, उन आरोपों के सम्बन्ध में उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

दो ही प्रकार की अनियमितताएं पाई गई कुछ न्यायिक कार्य में अनियमितताएं थीं और कुछ पट्टे गलत किये थे, जिन पर कार्यवाही मंडलायुक्त के यहां चल रही है । इसलिये उन पर कार्यवाही समाप्त होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने गांव में १९७२ के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुए हैं और कितने लोगों को भौमिक अधिकार दिये गये हैं । क्या उनके अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, यह जो ११७ गांव हैं, इनमें से ५१ गांवों के भू-अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं जिन ६६ गांवों के भू-अभिलेख तैयार नहीं किये जा सके हैं उसमें १ से ८ तक के गांव घारघूरा प्रथा के अनुसार बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश में शामिल हुए हैं और ९ से ६६ तक उत्तर प्रदेश एवं बिहार सीमा अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में अंतरित हुए हैं । इन गांव की खसरा खतौनी बिहार में थी, वहां से पूरे रिकार्ड नहीं प्राप्त हो रहे हैं । इसलिए रिकार्ड आपरेशन के द्वारा जो वहां के कृषक हैं, उनके अधिकार का निर्णय कर दिया जायेगा और कहा गया है कि कागजात तैयार कर लिये जायं ।

*१०--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

निबन्धन विभाग के निरीक्षकों का नियमित चयन

*११--मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि निबन्धन विभाग में निरीक्षक के पद पर नियमित चयन हेतु मन्त्री महोदय ने गत मार्च, १९७८ में उत्तर प्रदेश उप निबन्धक, संघ के अधिवेशन में ३० जून, १९७८ निश्चित की थी ? क्या उपरोक्त पदों पर चयन हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक चयन होने की सम्भावना है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (संस्थागत वित्त मन्त्री)--

३ मार्च, १९७८ को उत्तर प्रदेश उप निबंधक के अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये मैंने निबन्धन विभाग में निरीक्षकों के पद पर नियमित चयन हेतु

३० जून, १९७८ की तारीख निश्चित नहीं की थी, (क्योंकि यह तारीख तो लोक सेवा आयोग द्वारा ही निश्चित होती है), इतना अवश्य कहा था कि उक्त नियमित चुनाव ३० जून, १९७८ तक कराने का प्रयास किया जायगा। उपरोक्त नियमित चयन अभी तक नहीं हो सका है। इस नियमित चयन हेतु संदर्भ लोक सेवा आयोग को भेजने के लिये नियमों एवं आदेशों के अनुसार वांछित सामग्री एकत्र की जा रही है। सम्पूर्ण सामग्री एकत्र होने पर लोक सेवा आयोग को उक्त नियमित चयन प्राथमिकता के आधार पर करवाने हेतु संदर्भ भेज दिया जायगा। नियमित चयन हेतु तिथि लोक सेवा आयोग ही निर्धारित करेंगे।

*१२—श्री भगवती चरण 'निर्मोही'—

[३२ शुक्रवार के लिए स्थगित।]

बलिया जिले के कतिपय ग्रामों में भौमिक अधिकार सम्बन्धी अभिलेख कार्य

*१३—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बलिया जनपद में वर्ष १९७२ में कई गांवों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, १९५१ लागू कर दिया है किन्तु ऐसे गांव में भौमिक अधिकार सम्बन्धी खतौनी खसरा उपरोक्त ऐक्ट के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों और कब तक तैयार कर दिए जायेंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वर्ष १९७२ में जनपद बलिया के ११७ ग्रामों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१) का प्रसार किया गया था। इन ११७ में से ५१ ग्रामों के अभिलेख बनाये जा चुके हैं और अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत शेष ६६ ग्रामों में अभिलेख बनाने का कार्य प्रगति पर है जिसे पूर्ण होने में एक वर्ष लगने की सम्भावना है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, इसमें नियम ४९ की चर्चा की मांग करता हूं क्योंकि राजस्व मंत्री जी ने पूर्ण जानकारी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें।

गोरखपुर जिले के ग्राम जगदीशपुर में चकबन्दी एवं हरिजन आबादी हेतु भूमि का आरक्षण

*१४—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव के अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर में चकबन्दी के दौरान हरिजन आबादी के लिए खेत नं० ९४/२-११/डि० ९५/२-१४ डि०, ९७/२-२ डि०, ९३/२-९ डि०, ९२/२-१ डि०, ९०-२ डि०, ९१-१ डि०, कुल सम्पूर्ण रकबा ४३ डि० सुरक्षित करने का निर्णय ए० सी० ओ०, चकबन्दी ने २१ जनवरी, १९७६ को कर दिया था और उसका अन्तिम निर्णय भी हो चुका था? यदि हां तो क्या उप संचालक, चकबन्दी, गोरखपुर द्वारा दिनांक २६ जुलाई, १९७७ को हरिजन आबादी की भूमि में अचानक संशोधन कर दिया गया है और आबादी के लिए गांव से दूर तथा पानी के भराव वाली नीची जमीन निर्धारित की गयी है? क्या इस सम्बन्ध

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री रामसजीवन]

में हरिजनों ने दिनांक ७ नवम्बर, १९७७ को जो चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र देकर पूर्व निर्धारित आबादी की जमीन की मांग की है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव के अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर में चकबन्दी के दौरान सहायक चकबन्दी अधिकारी के दिनांक २१ जनवरी, १९७६ के निर्णय द्वारा कुल २७ डि० भूमि हरिजन आबादी के लिए आरक्षित की गई थी न कि ४३ डि० भूमि । इसके पश्चात् सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्तर पर इसे बढ़ाकर ३७ डि० कर दिया गया और अन्ततः उप संचालक चकबन्दी के दिनांक २६ जुलाई, १९७७ के निर्णय के आधार पर हरिजन आबादी के लिए ३९ डि० भूमि आरक्षित की गई । यह कहना ठीक नहीं है कि उप संचालक चकबन्दी द्वारा किए गये संशोधन से हरिजन आबादी के लिए गांव से दूर तथा पानी के भराव वाली नीची जमीन आरक्षित की गई है ।

इस सम्बन्ध में कतिपय हरिजनों द्वारा दिनांक ७ नवम्बर, १९७७ को चकबन्दी आयुक्त को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर भी जिले में जांच कराई गई । जांच से यह विदित हुआ कि उप संचालक चकबन्दी द्वारा किया गया संशोधन न्याय संगत है ।

वाराणसी जिले के ग्राम कोंहासी से चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१५--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २९ जुलाई, १९७७ को गांव प्रधान, कोंहासी, परगना कटेहर, जिला वाराणसी तथा अन्य काश्तकारों ने श्रीमान् कमिश्नर, मन्डल वाराणसी को शिकायती-पत्र ए० सी० ओ० श्री सभाजीत सिंह, सी० ओ०, श्री भृगुनारायण, श्री बाबूलाल वर्मा कानूनगो तथा श्री नन्दूराम लेखपाल चकबन्दी के खिलाफ दिया था ? उस पर कमिश्नर, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या १९६९ (१९७६-७९) रा० स०, दिनांक २४ अगस्त, १९७७ के द्वारा जिलाधीश, वाराणसी को लिखा था कि उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में शीघ्र जांच कराकर अवश्य कार्यवाही करें ? इस पर कोई कार्यवाही न होने पर पुनः ग्राम प्रधान ने कमिश्नर, वाराणसी को ८ फरवरी, १९७८ को प्रार्थना-पत्र दिया और कमिश्नर, वाराणसी ने अपने पत्र सं० २०-२(१९७६-७९) न्या० स० दिनांक, फरवरी १८, १९७८ द्वारा पुनः जिलाधीश, वाराणसी को मूल प्रार्थना-पत्र संलग्न करके कार्यवाही करने का आदेश दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । कथित शिकायती-पत्र की जांच तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ने करके अपनी आख्या जिलाधिकारी को २३ सितम्बर, १९७७ को भेजी थी । इस जांच आख्या में उल्लेख किया गया था कि चकों की निशानदेही की जा चुकी है और उससे फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा । गांव के खातेदारों ने ६९ चक अपीलें बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में दायर की थीं, जिनका

निपटारा बन्दोबस्त अधिकारी ने गांव में जाकर मौका देखकर १९ अप्रैल, १९७८ को कर दिया है । यदि अपीलों में दिए गए आदेश से कोई खातेदार क्षुब्ध हैं तो वह नियमानुसार चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी दायर कर सकता है । न्यायिक रूप से तय किए गए मामलों में प्रशासकीय हस्तक्षेप सम्भव नहीं है ।

*१६--श्री फजलुर्रहमान अंसारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में रजिस्ट्री तथा ट्रेजरी विभाग खोले जाने की मांग

*१७--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में रजिस्ट्री तथा ट्रेजरी विभाग खोलने के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह दोनों विभाग कब तक खुल जायेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जी हां । निश्चित तिथि का बताना सम्भव नहीं है ।

नैनीताल जिले में बादल फटने से मृत्यु एवं सहायता की मांग

*१८--श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार को मालूम है कि जुलाई, १९७८ के प्रथम सप्ताह में नैनीताल जनपद में बादल फटने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो कितने लोगों की मृत्यु हुई और उनके आश्रितों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जुलाई, १९७८ के प्रथम सप्ताह में नैनीताल जिले की तहसील गदरपुर में दिनांक ६-७-७८ को बादल फटने से केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी । मृतक के आश्रितों को कोई सहायता नहीं दी गई, क्योंकि न तो वे नियमानुसार सहायता के पात्र थे और न ही उन्होंने सहायता के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया ।

अभिलेखागार, माल,चकबन्दी विभाग, फतेहपुर में ग्राम मलवां की बदली गयी मिसिल

*१९--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अभिलेखागार, माल (चकबन्दी विभाग), जनपद फतेहपुर में जाल-साजी करके ग्राम मलवां की मिसिल मय फैसले के बदल दी गई, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी को २९ अगस्त, १९७७ को तथा राजस्व मन्त्री को ३ जुलाई, १९७८ को की गयी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करके उक्त मिसिल को ठीक किया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२०--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

[३रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़ जिले के कतिपय ग्रामों का घाघरा नदी से कटाव एवं अभिलेख क्रिया और ग्राम समाज के खाते में अंकित की गयी काश्तकारों की भूमि

*२१--श्री रामजनम (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुला चक्की हाजीपुर, गांगेपुर, परतिया, देवारा खास राजा देवारा इस्माइलपुर देवारा उर्दिहा, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की जो जमीनें घाघरा के कटाव के बाद पड़ती हैं, उसके बारे में ग्रामवासियों के हितों की रक्षा हेतु कोई जांच १९७५ से चल रही है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां, किन्तु जांच केवल ग्राम देवरा महुला से ही सम्बन्धित है । अभिलेख क्रियाओं के दौरान नदी के कटान से भूमि कट जाने पर जिन खातेदारों का नाम खाते से खारिज कर दिया गया था, उसे खातेदारों की जोत में अंकित करने की कार्यवाही की जा रही है । जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिए गए हैं । ग्राम गांगेपुर के अतिरिक्त देवारा महुला, देवारा खास राजा एवं चक्की हाजीपुर के संदर्भ राजस्व परिषद् को भेजने हेतु तैयार हो चुके हैं ।

*२२--श्री राम जनम--

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन नदी कटाव के बाद पुनः पटकर तैयार होती है, उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कानून बनाया है, जिसके आधार पर ग्रामवासियों को कटी जमीन ग्राम समाज के खाते में कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त गांव के कटाव के बाद पड़ी जमीन क्यों ग्राम समाज के खाते में गयी ? क्या सरकार दोषी अधिकारी को दन्डित करने की कृपा करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी नहीं । सरकार ने ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया है । नदी के कटान अथवा बालू पड़ जाने पर भी जोत खातेदार के नाम ही अंकित रहेगी । पिछले पंचसाला बन्दोबस्त में नदी से कटी भूमि को खाते से खारिज कर देने के लिए दोषी अधिकारी से विरुद्ध जांच चल रही है ।

बहराइच जिले के संग्रह अमीनों के स्थायीकरण की मांग

*२३--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिले की चारों तहसीलों में नियुक्त ८५ संग्रह अमीन सन् १९६२ से अब तक अस्थायी तौर पर लगातार

सेवारत हैं, परन्तु उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फिरोजाबाद के राजकीय अनुमोदित विद्यालय में गबन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*२४--श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में राजकीय अनुमोदित विद्यालय (गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड स्कूल) में वर्ष १९७७-७८ में कितने बच्चे थे, उनके रख-रखाव, खाने और कपड़ों पर कुल कितना व्यय गत वर्ष में हुआ ? क्या इस विद्यालय में गबन, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें सरकार को गत वर्ष में मिली ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

राजकीय अनुमोदित विद्यालय, फिरोजाबाद जिला आगरा में वर्ष १९७७-७८ में औसतन १८३ बच्चे प्रति माह रहे हैं । गत वर्ष इन बच्चों के रख-रखाव, खाने और कपड़ों पर १,५३,८८४.०३ रु० व्यय हुआ । इस विद्यालय में गबन, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें मिली थी । इन शिकायतों की जांच करके उक्त विद्यालय के भंडार लिपिक को आरोप-पत्र दिया गया है तथा उन्हें स्थानान्तरित भी कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त विद्यालय के तत्कालीन अधीक्षक तथा रसोइये को भी स्थानान्तरित कर दिया गया है । जांच जारी है ।

बिक्री-कर के स्थान पर विचाराधीन वैकल्पिक व्यवस्था

*२५--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन बिक्री-कर के स्थान पर किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से लागू हो जायेगी तथा वह व्यवस्था क्या है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

बिक्री-कर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इसमें अन्तर्ग्रस्त विभिन्न पहलुओं के कारण यह कहना सम्भव नहीं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी तथा कब से लागू की जा सकेगी ।

बांदा के ग्राम अमवा के श्री मेडवा का सीलिंग सम्बन्धी-पत्र

*२६--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेडवा पुत्र बिन्दा, निवासी ग्राम अमवा, तहसील बबेरू, जिला बांदा ने राजस्व मन्त्री को ८ फरवरी, १९७६ व ८ मार्च, १९७८ व १७ नवम्बर, १९७६ व ५ मार्च, १९७७ व २४ अप्रैल, १९७७ व ३ सितम्बर, १९७७ को तथा मुख्य मन्त्री को १९ अप्रैल, १९७६ व १७ नवम्बर, १९७६

[श्री राम सजीवन—]

व २ मार्च, १९७७ व २१ अप्रैल, १९७७ व २८ फरवरी, १९७७ को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की थी कि अमवा गांव के गया प्रसाद व राम सजीवन पुत्रगण रामगोपाल ने धांधली और अवैधानिक तरीके से ग्राम अमवा व बिसन्डा में सीलिंग कानून से फालतू घोषित करीब ७८ एकड़ जमीनें बचा ली है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मेडवा पुत्र बिन्दा का २०-२-७७ दिनांकित पत्र अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, लखनऊ को सम्बोधित तथा दूसरा पत्र २३-४-७७ राजस्व मन्त्री जी को सम्बोधित तथा तीसरा पत्र दिनांकित १८-३-७८ जो मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित था, केवल शासन को प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र सीलिंग वादों से सम्बन्धित है, जिसमें ८० एकड़ भूमि का मसला निहित है । उक्त मामले में सक्षम न्यायालयों द्वारा विचार किया जा चुका है । नियत प्राधिकारी तथा जिला जज के निर्णय के विरुद्ध शासन ने ऐसा कोई सार नहीं पाया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दायर की जाती ।

*२७—श्री ऊदल—

३रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

मुरादाबाद जिले के ग्राम दौलतपुर व अजमतपुर के बाढ़ पीड़ितों को भूमि का आवंटन

*२८—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर व अजमतपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद के २९ बाढ़ पीड़ित परिवारों को अभी तक नहीं बसाया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ? उन लोगों ने पिछले २ वर्ष से अपने को बसाने के लिये कई प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम दौलतपुर व अजमतपुर के सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को स्थायी रूप से उसी ग्राम में बसाने के लिए सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि उपलब्ध करा दी गई है ।

बाढ़ से प्रभावित व परिवारों ने पहली बार दिनांक २७ जुलाई, १९७७ को अन्य जगह बसाये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था । जिस पर तत्काल जांच कराकर प्रभावित परिवारों को पहले उत्तर प्रदेश एक्यूजीशन आफ प्रापर्टी (फन्ड रिलीफ) ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत ६ मास के लिए अस्थाई रूप से भूमि अर्जित करके बसाया गया बाद में इन बाढ़ पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र पर स्थायी रूप से बसाने के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की गई और उसी ग्राम में सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि इन परिवारों को स्थाई रूप से बसाने हेतु दे दी गई है । इस प्रकार इस समस्या का स्थायी तौर पर अब समाधान हो गया है ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले के ग्राम सेमरी के हरिजनों को भूमि का पट्टा

१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले में विकास खण्ड, गरौठा के अन्तर्गत ग्राम सेमरी में पट्टे सन् १३७७ फसली में हरिजनों के लिए किए गये ? यदि हां, तो अभी तक उनमें कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया तथा क्या इसी गांव में सार्वजनिक देव स्थानों के भी पट्टे किये गये हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सन् १३७७ फसली में ग्राम सेमरी में कुल २७ पट्टे हरिजनों को स्वीकृत किये गये थे। इनमें से १६ पट्टे सीरदारी के तथा ११ पट्टे आसामी के थे सीरदारी के १६ पट्टों में से केवल ६ पट्टे ही पट्टेदारों द्वारा तस्दीक कराये गये। इसी प्रकार आसामी के ११ पट्टों में से ९ पट्टों की तस्दीक कराई गई। शेष ६ व्यक्तियों (सीरदारी के ७ तथा आसामी के २) द्वारा अपने पट्टों की तस्दीक समय के अन्दर नहीं करायी गई, और इस प्रकार वे अपने अधिकारों से वंचित रहे। ऐसे समस्त पट्टेदारों, जिन्होंने अपने पट्टे समय के अन्दर तस्दीक करा लिए थे, उनको उसी समय स्थल पर पट्टे वाली भूमि का अध्यासन दे दिया गया था। पट्टों की तस्दीक के पश्चात् इनमें से केवल ४ पट्टेदारों द्वारा तहसील में प्रार्थना-पत्र देकर अपना दाखिल खारिज कराया, तत्पश्चात् गांव में चकबन्दी क्रियायें प्रारम्भ हो गई तथा भू-अभिलेख चकबन्दी विभाग को हस्तान्तरित हो गए। तस्दीक शुदा पट्टेदारों में से ९ व्यक्तियों ने चकों के पुष्टिकरण के पश्चात् अपने नाम दर्ज कराने के प्रार्थना-पत्र दिए और अत्यधिक विलम्बित होने के बावजूद चकबन्दी अधिकारी ने इन्हें स्वीकार करके पट्टेदारों के नाम अंकित करने के आदेश दे दिए हैं किन्तु इस ग्राम की निगरानियों का निर्णय न होने के कारण अभी तक इन व्यक्तियों को चक प्रदिष्ट नहीं दिये जा सके हैं। निगरानियों के निर्णय के पश्चात् उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा ४८(३) के अन्तर्गत सन्दर्भ बनाकर इन ९ व्यक्तियों को चक प्रदिष्ट करके उन्हें कब्जा दिलाया जा सकेगा।

इसी ग्राम का गाटा संख्या १०२७ बंजर में अंकित था अस्तु इसमें से ०·५० डि० का पट्टा एक व्यक्ति श्री रतीराम तनय गोका हरिजन को कर दिया गया था। अब मौके पर इस स्थान पर छोटा सा चबूतरा बनाकर इसे देव स्थान में परिवर्तित कर दिया गया है।

नायब तहसीलदार, श्री राम विभूति राम, जिला लखीमपुर का बकाया वेतन

२—श्री छोटे लाल 'निर्भय' (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार, श्री राम विभूति राम, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर (जो जिला सीतापुर से अभी आये हैं) का बकाया वेतन माह अगस्त, सन् १९७२ तक माह जुलाई से माह सितम्बर, १९७७ तक का जिला सीतापुर से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और इनकी सेवा पुस्तिका भी उसी जिले से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके

फलस्वरूप उनका इंक्रीमेंट (बढ़ोत्तरी वेतन) भी रुका हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री राम विभूति राम, नायब तहसीलदार का सीतापुर जिले में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात ५ अगस्त, १९७२ से ३१ अगस्त, १९७२ तक तथा माह जुलाई, १९७७ के वेतन का भुगतान जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा किया जा चुका है ।

उनका स्थानान्तरण जुलाई, १९७७ में खीरी जिले को हो गया था । स्थानान्तरण के पश्चात् उन्होंने २५ जुलाई, १९७७ से अवकाश का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, सीतापुर को प्रस्तुत किया था जो उनके स्थानान्तरण के तैनाती के जिला खीरी को भेज दिये गये थे । चूंकि इन्होंने खीरी जिले में ३ अक्तूबर, १९७७ को कार्यभार ग्रहण किया था, अस्तु यह विवादास्पद था कि उन्हें अगस्त, १९७७ से सितम्बर, १९७७ तक की अवधि में किस जिले में माना जाय । इस कारण इस अवधि के वेतन का भुगतान नहीं हो सका । जिलाधिकारी, खीरी को निदेशित कर दिया गया है कि उन्हें उनके देय अवकाश के वेतन का भुगतान जिला खीरी से कराया जाय ।

श्री राम विभूति राम, नायब तहसीलदार की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने हेतु सेवा पुस्तिका की उपलब्धता के लिए आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

देवरिया जिले के ग्राम सेमरा में अग्निकाण्ड

३—श्री श्री नारायण (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड नौरंगिया के सेमरा गांव में भीषण आगजनी से १८ अप्रैल, १९७८ को कितने घर जले ? किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता गृह निर्माण एवं पुनर्वास हेतु दिया एवं कितनी तकावी दी गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी नहीं । जिला देवरिया के विकास खंड नौरंगिया के ग्राम सेमरा में दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ को अग्निकांड की कोई घटना नहीं हुई, वरन् दिनांक १७ अप्रैल, १९७८ को अग्निकांड की एक घटना अवश्य हुई थी, जिसमें ७४ परिवारों के घर जल गए थे । इनमें से संलग्न सूची के अनुसार अहेतुक सहायता के लिए ५५ पात्र परिवार को ५० रु० अहेतुक सहायता प्रति परिवार दी गई । शेष १९ परिवार एक एकड़ से ऊपर के काश्तकार थे, इसलिए वह आहेतुक सहायता के पात्र नहीं थे । उन्हें तकावी लेने हेतु सूचित किया गया था किन्तु उनमें से किसी ने तकावी हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया । अतः किसी को तकावी नहीं दी जा सकी ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८५ पर) ।

देवरिया जिले के ग्राम शाहपुर व विन्ध्याचलपुर का गंडक नदी से कटाव और किया गया राहत कार्य

४—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बड़ गण्डक नदी की धारा में विकास खण्ड खड्डा के ग्राम शापुहर और विन्ध्याचलपुर के

विलीन हो जाने पर उन लोगों के जिनके घर नदी की धारा में बह गए हैं बसाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? बाढ़ पीड़ितों के लिए कौन-कौन से राहत कार्य हो रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ग्राम शाहपुर और बिन्ध्याचलपुर, जो बड़ी गंडक नदी के कटान से प्रभावित हुए हैं, के उन लोगों जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं रही, को ग्राम लक्ष्मीपुर की बंजर भूमि पर बसा दिया गया है।

बाढ़ पीड़ितों को दैनिक उपयोग की वस्तुयें, खाद्य सामग्री तथा नकद अहेतुक सहायता बाढ़ के दौरान दी गई तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई इसके अतिरिक्त उनके लिए निम्न राहत कार्य भी किये गये हैं :

१--जिन खातेदारों की फसल को ५० प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है उनके सभी कृषि देयों की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये गये हैं तथा जिन कृषकों की फसल को ७५ प्रतिशत से अधिक हानि हुई है उनके लगान माफी की घोषणा की जा चुकी है।

२--कक्षा ७ से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक जिन छात्रों के अभिभावकों जिनकी जोतों को बाढ़ से ५० प्रतिशत से अधिक हानि हुई है, से उनकी ट्यूशन फीस की वसूली तत्काल स्थगित करने के आदेश दिये गये हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में रबी की बोवाई हेतु लघु तथा सीमांत कृषकों को बीज तथा खाद के लिए अनुदान देने के आदेश भी दिये गए हैं।

५--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कौन से गांव बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं और उनके बचाव की क्या व्यवस्था की जा रही है और कौन-कौन से राहत कार्य किए जा रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

देवरिया जिले में विचाराधीन हरिजन हास्टल का निर्माण और विद्यालयों में हरिजन छात्रावास का निर्माण

६--श्री श्रीनारायण--

क्या हरिजन व समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में इस वर्ष कोई हरिजन हास्टल बनवाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह कितने लागत का बनेगा और उसमें कितने छात्र रह सकेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

देवरिया जिले में हरिजन हास्टल का निर्माण विचाराधीन है।

७—श्री श्रीनारायण—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में सन् १९६० ई० से जून १९७८ ई० तक किन-किन विद्यालयों को हरिजन छात्रों के आवास निर्माण हेतु कितना-कितना रुपया दिया गया और कहां-कहां भवन बने हैं और इस समय उनका उपयोग किस रूप में हो रहा है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

देवरिया जिले में सन् १९६० से जून १९७८ तक निम्नलिखित विद्यालयों को हरिजन छात्रों के आवास निर्माण हेतु दस-दस हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये गये :—

(१) श्री गांधी इन्टर कालेज, हाटा ।
(२) बुद्ध इन्टर कालेज, कुशीनगर ।
(३) श्री नेत इन्टर कालेज, इन्द्रपुर ।
(४) इन्टर कालेज, पिन्डी ।
(५) इन्टर कालेज, मुनियारी ।
(६) डी० एन० इन्टर कालेज, रुद्रपुर ।
(७) इन्टर कालेज, मझगांवा ।
(८) मदन मो० मा० इन्टर कालेज, भाटपार रानी ।
(९) इन्टर कालेज, कन्हाली ।

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्मित कराए गए हरिजन छात्रावासों में से उपरोक्त नं० १ तथा २ को छोड़कर जिनमें कुछ छात्र रहते हैं, शेष छात्रावासों का उपयोग कक्षा के रूप में किया जाता है ।

बस्ती जिले के ग्राम मैनिहवा व बारिकवार के भूमिहीनों के लिये भूमि आवंटन की मांग

८—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की तहसील, डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम मैनिहवा तथा बारिकवार में माह मई, जून, १९७८ में कृषि योग्य बंजर भूमि गरीब भूमिहीनों को पट्टे पर आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो पट्टा किन-किन व्यक्तियों को दिया गया और इसके पूर्व इस जमीन को पट्टे पर न उठाये जाने का क्या कारण था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी नहीं, बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम मैनिहवा बारिकवार में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा कृषि योग्य भूमि को आवंटित करने का प्रस्ताव नियमानुकूल न होने के कारण परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया । अतः किसी भी व्यक्ति को भूमि पट्टे पर उठाई नहीं जा सकी है ।

सीतापुर के ग्राम परसदा के श्री छंगा लाल का कुर्क अमीन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

९--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छंगा लाल, ग्राम परसदा, तहसील सीतापुर, जिला सीतापुर दिनांक ४ अगस्त, १९७७, १६ अगस्त, १९७७, ८ सितम्बर, १९७७ तथा ७ दिसम्बर, १९७७ को विजय पाल सिंह कुर्क अमीन द्वारा प्राइमरी पाठशाला, परसदा के छात्रों को टोका लगाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । शिकायती पत्र दिनांक ४-८-७७, १६-८-७७ तथा ८-९-७७ प्राप्त हुये, जिनकी जांच परगना अधिकारी, सीतापुर द्वारा की गई और आरोप सही नहीं पाये गये ।

१०--श्री राजनाथ सिंह--

[२रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

११--श्री श्रीनारायण--

[८-५-७८ को शून्य प्रहर के अन्तर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध हो जाने के कारण निरस्त ।]

हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद द्वारा विमुक्त जाति, मोमिन अन्सारी जाति के छात्रों को दी गई छात्र-वृत्ति

१२--श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९७७-७८ में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के यहां कक्षा ११ व १२ विमुक्त जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने प्रार्थना पत्र-प्राप्त हुए थे और क्या इस प्रकार के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में वर्ष १९७७-७८ में विमुक्त जाति के कक्षा ११ व १२ के क्रमशः १२ व २ (कुल-१४) आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी । कक्षा-११ के ५ छात्रों को तथा कक्षा १२ के २ छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी । उनमें से ४ छात्रों को अनावर्तक सहायता स्वीकृत की गयी । एक छात्र का प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होने के कारण तथा शेष २ छात्रों को धनाभाव के कारण छात्रवृत्ति या अनावर्तक सहायता नहीं दी जा सकी ।

१३--श्री हरी राम वर्मा--

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में वर्ष १९७७-७८ में

कक्षा ११ व १२ के अन्सार मोमिन के कितने छात्रों ने छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे ? उनमें से कितने प्रथम-श्रेणी के छात्र थे ? क्या प्रथम श्रेणी के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वर्ष १९७७-७८ में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी फैजाबाद के कार्यालय में मोमिन अंसार के कक्षा ११ एवं १२ के छात्रों के क्रमशः ३४ तथा ९ (कुल ४३, प्रार्थना-पत्र) प्राप्त हुए थे जिनमें से कक्षा ११ के ८ तथा १२ के दो प्रथम श्रेणी के थे । कक्षा ११ के सभी प्रथम श्रेणी के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी परन्तु कक्षा १२ में कक्षा ११ के परिणाम के आधार पर नवीन छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की प्रणाली न होने के कारण कक्षा १२ के दो प्रथम श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद द्वारा विमुक्त जाति के स्नातक छात्रों को दी गयी छात्र-वृत्ति

१४—श्री हरीराम वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में वर्ष १९७७-७८ में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के यहां स्नातक कक्षाओं के विमुक्त जाति के छात्रों, छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ? कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति हुई ? छात्रवृत्ति स्वीकृति का मापदण्ड क्या था ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में विमुक्त जाति के स्नातक कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु कुल १० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से एक छात्र को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी ।

छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का मापदंड अभिभावक की मासिक आय तथा छात्र की योग्यता है ।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, रामपुर को दी गयी कथित जीप

१५—श्री हरीराम वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), रामपुर को सन् १९७३ में नई जीप खरीद कर दी गई थी ? यदि हां, तो जीप का नम्बर क्या है ? यह जीप १९७३ से मार्च, १९७८ तक किन-किन अधिकारियों के पास रही तथा इस समय किसके पास है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रामपुर को कोई नई जीप १९७३ में खरीद कर नहीं दी गयी थी ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

सुल्तानपुर जिले की तहसील कादीपुर में चकबन्दी

१६—श्री हरिराम वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर में कितने गांवों की चकबन्दी जनवरी, १९७२ से ३१ मार्च, १९७७ तक पूरी हो चुकी है ? क्या इन गांवों में ऐसे भी गांव हैं जिनकी चकबन्दी वास्तव में नहीं हुई है और अभिलेखों में उन गांवों को चकबन्दी हुआ दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो उन गांवों की संख्या तथा नाम क्या है ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कुल १२४ ग्रामों की चकबन्दी हो चुकी है । ऐसे कोई गांव नहीं हैं जिनकी चकबन्दी वास्तव में न हुई हो और अभिलेखों में उन्हें चकबन्दी हुआ दर्ज किया गया हो ।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों का विचाराधीन नया वेतनमान

१७—श्री प्रताप सिंह पुण्डवान (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण सलाहकारी बोर्ड, ६—पंडित नगर, लखनऊ के अधीनस्थ ग्राम स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को अगस्त, १९७२ से स्वीकृत नया वेतनमान अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों का वेतन ५—५ महीने तक रोक दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आंध्र तथा अन्य प्रान्तों की भांति इस विभाग को भी केन्द्र के परामर्श से स्वयं संभालने के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अधीनस्थ ग्राम स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को नया वेतनमान दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है । इन कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान विलम्ब से होने का यह कारण है कि प्रदेशीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड से गत वर्षों में स्वीकृत अनुदान के सम्परीक्षित लेखे तथा उपभोग प्रमाण—पत्र शासन को समय से प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं जिस कारण अनुदान स्वीकृत होने में विलम्ब होता है । इन परियोजनाओं को विभाग द्वारा संभाले जाने के बारे में केन्द्र सरकार की संस्तुति पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री ए० एन० त्रिपाठी, बिक्री—कर अधिकारी, आगरा के विरुद्ध शिकायती—पत्र

१८—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा) तथा श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम मोहन लाल सक्सेना, एडवोकेट के साथ बिक्री—कर अधिकारी श्री ए० एन० त्रिपाठी ने अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार किया था ? क्या इस आशय का शिकायती पत्र

डिप्टी कमिश्नर, आगरा को तथा एफीडेविट सहायक आयुक्त (शासकीय), बिक्री-कर को क्रमशः दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को एवं ११ सितम्बर, १९७८ को दिया गया था उसमें क्या हुआ और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को एक वाद की सुनवाई के सम्बन्ध में श्री ए० एन० त्रिपाठी, बिक्रीकर अधिकारी तथा श्री सक्सेना में कुछ कहा सुनी हो गयी जिसकी शिकायत उपायुक्त को प्राप्त हुई । शिकायत की जांच आगरा के सहायक आयुक्त (शासकीय) क्षेत्र (ख) से करायी गई । जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि बिक्रीकर अधिकारी, श्री ए० एन० त्रिपाठी तथा एडवोकेट श्री राम मोहन लाल सक्सेना के बीच कुछ कहा-सुनी अवश्य हुई परन्तु दोनों पक्षों के आपसी विचार विमर्श के बाद मतभेद समाप्त हो गया था । श्री त्रिपाठ के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया, परन्तु श्री त्रिपाठी को आगरा से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश में बकाया बिक्री-कर

१९--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९७८ तक बिक्री-कर का कितना धन बकाया है एवं न्यायालयों के द्वारा कितने धन की वसूली रोकी गयी है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

दिनांक १ सितम्बर १९७८ को ७६.९१ करोड़ रुपये बिक्री-कर की धनराशि बकाया है जिसमें से १३.२१ करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा स्थगित है ।

हरदोई जिले की थवई (राजगीर) जाति की श्रेणी

२०--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में मल्लांवा सांडी, शाहाबाद, पिन्हानी, गोपामऊ जगहों पर थेवई अथवा राजगीर नाम से पुकारे जाने वाले जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं ? यदि हां, तो इस जाति के लोग उच्च जाति, पिछड़ी जाति अथवा अनुसूचित जाति में से किस श्रेणी के अन्तर्गत गिने जाते हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां ;

मल्लावा, सांड़ी तथा गोपामऊ में 'थेवई' अथवा राजगीर नाम से पुकारे जाने वाले जाति के लोग रहते हैं किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार शाहाबाद और पिहानी जगहों पर उक्त जाति की संख्या शून्य है । यह लोग अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

बिलग्राम तहसील, जिला हरदोई के अन्तर्गत उपल वृष्टि

२१—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत कछन्दऊ, मल्लावां एवं बिलग्राम परगनों में गत फरवरी-मार्च, १९७८ में उपलवृष्टि से कितने गांव प्रभावित हुए और प्रभावित हुए गांवों को क्या सुविधायें दी गयीं ? क्या यह सही है कि उक्त तहसील के ही कटियारी परगने के प्रभावित लोगों को राहत अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो उक्त परगनों में राहत अनुदान की धनराशि किस प्रकार रही ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गत फरवरी एवं मार्च, १९७८ में उपल वृष्टि से हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत मल्लावां परगना के १२ ग्राम एवं बिलग्राम परगना के ११ ग्राम प्रभावित हुये जिनमें फसलों को ५० प्रतिशत से अधिक क्षति हुई परन्तु उक्त तहसील के कछन्दऊ एवं कटियारी परगनों में उपल वृष्टि से ऐसा कोई भी ग्राम प्रभावित नहीं हुआ जिसमें फसलों को ५० प्रतिशत से अधिक क्षति हुई हो। अतः उक्त दोनों परगनों में नियमानुसार कोई सहायता देने की आवश्यकता नहीं पाई गयी। उपल वृष्टि से प्रभावित ग्रामों में कृषकों को राहत देने के लिये अगली फसल (३१ मार्च, १९७८) तक के लिये समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी थी तथा वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के आदेश दिये गये।

परगना मल्लावां में उपल वृष्टि से प्रभावित ४२ व्यक्तियों को कुल १,१३१ रु० अहेतुक सहायता २३ व्यक्तियों को कुल १,२०० रु० गृह अनुदान १९४ व्यक्तियों को कुल १९,४०० रु० तकावी तथा २७१ व्यक्तियों को १,०४०.६० कुन्तल गेहूं वितरित किया गया।

परगना बिलग्राम में उपल वृष्टि से प्रभावित ३० व्यक्तियों को कुल १,२०५ रु० अहेतुक सहायता, १९ व्यक्तियों को ९५० रु० गृह अनुदान, २५१ व्यक्तियों को कुल २५,१०० रु० तकावी तथा २५१ व्यक्तियों को ९४०.३० कुन्तल गेहूं वितरित किया गया।

हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र में भूमि के पट्टे की लिस्ट की मांग

२२—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र दिनांक ३० मार्च, १९७८ को जिलाधिकारी, हमीरपुर को हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के पट्टों की लिस्ट प्राप्त करने से सम्बन्धित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के ग्राम सोहासाजुनूबी में भूमि अवंटन की मांग

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के ग्राम सोहासाजुनूबी में जो सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य जमीन ग्राम समाज की

पड़ी हुई हैं और जिन पर बड़े-बड़े लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया है, को खाली कराकर अब तक कितने हरिजनों व भूमिहीनों में बांटी गई है ? यदि नहीं बांटी गयी है, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के ग्राम सोहास जनूबी में केवल ४१ बीघा ८ बिस्वा १३ धूर बंजर और २८ बीघा, १० बिस्वा ८ धूर नवीन परती भूमि कृषि हेतु पट्टे पर उठाने के लिये उपलब्ध है। इस भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है उक्त भूमि को पट्टे पर उठाने का भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने के कारण आवंटन नहीं हो सका।

हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला, भटनी, भवानी भटनी, जिला देवरिया के अध्यापकों की मांग

२४--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७८ के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त संस्था को आवर्तक सूची में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

विभागीय अनावर्तक अनुदान पर चलने वाली समस्त संस्थाओं को आवर्तक सूची पर लाए जाने का प्रश्न अभी भी विचारधीन है।

श्री राम कृष्ण शुक्ल, चकबन्दी कर्ता, जिला गोंडा के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

२५--श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि श्री राम कृष्ण शुक्ल, भूतपूर्व चकबन्दी कर्ता, करनपुर (बभनान), जनपद गोंडा के विरुद्ध हजारों रुपयों के रिश्वत खोरी के आरोप पर उप संचालक, चकबन्दी, गोंडा ने जांच की थी और दिनांक १८ अगस्त, १९७७ व ३ सितम्बर, १९७७ के क्रमों में जिला अधिकारी, गोंडा के उक्त चकबन्दीकर्ता को उस क्षेत्र से हटाने के लिए लिखा था और बाद में दिनांक २० सितम्बर, १९७७ को उसके विरुद्ध जांच करके निलम्बित करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी नहीं। श्री राम कृष्ण शुक्ल, चकबन्दीकर्ता के विरुद्ध हजारों रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप पर उप संचालक, गोंडा ने जांच नहीं की थी। दिनांक १८ अगस्त, १९७७ एवं ३ सितम्बर, १९७७ को अपनी आख्या में उप संचालक, चकबन्दी ने जिलाधिकारी से यह संस्तुति अवश्य की थी कि श्री राम कृष्ण शुक्ल का स्थानान्तरण दूसरी इकाई में कर दिया जाय। २० सितम्बर, १९७७ को उप संचालक चकबन्दी ने अपने अधीनस्त बन्दोबस्त अधिकारी को पत्र लिख कर श्री शुक्ल के विरुद्ध जांच करके वैभागिक कार्यवाही करने का आदेश दिया था और उसी पत्र में उनका स्थानान्तरण अन्तिम अभिलेख कार्यालय, गोंडा में करने का उल्लेख था। इसी पत्र के पृष्ठांकन में उन्होंने जिलाधिकारी से श्री शुक्ल को निलम्बित करने की संस्तुति की थी।

श्री शुक्ल को आरोप पत्र दे कर उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है और उनका स्थानान्तरण गोंडा से सुल्तानपुर जिले को कर दिया है ।

तहसील डुमरियागंज के परगनाधिकारी के न्यायालय में लम्बित मुकदमें

२६--श्री राम आसरे (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के परगना अधिकारी के न्यायालय में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिसमें ३ माह से अधिक हो रहा है और फैसला नहीं सुनाया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के परगनाधिकारी के न्यायालय में १२ मुकदमें ऐसे हैं जिनमें ३ माह से अधिक हो गया है और अभी फैसला नहीं हुआ है ।

२७--श्री राम आसरे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगनाधिकारी, डुमरियागंज, जिला बस्ती के न्यायालय में कितने मुकदमें ऐसे हैं, जिसमें ६ माह से अधिक हो रहा है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

परगनाधिकारी, डुमरियागंज जिला बस्ती के न्यायालय में कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें ६ माह से अधिक हो रहा है, कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

प्रयाग संगम में शंकर विमान मन्दिर का निर्माण

२८--श्री अठई राम--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग में संगम के निकट जगत गुरू श्री शंकराचार्य की स्मृति में शंकर विमान मन्दिर का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना धन दिया जा चुका है तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा तथा इस मन्दिर के निर्माण में कुल कितना खर्च होगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां ।

इस निर्माण कार्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई भी धन नहीं दिया गया है । श्री आदि शंकर विमान मंडप समिति, त्रिवेणी संगम, प्रयाग द्वारा निर्माण सम्बन्धी प्राप्त विवरण के अनुसार मन्दिर निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिस पर ११ लाख रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है । मन्दिर के निर्माण का कार्य जनता के दान पर आधारित है, अतः इसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय बताना संभव नहीं है । मन्दिर के निर्माण में कुल २२ लाख रुपये व्यय होने की योजना है ।

प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त कतिपय जिलों में भू-राजस्व से छूट की मांग

२९--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७८ में आई हुई अभूतपूर्व बाढ़ से जिन कृषकों की ५० प्रतिशत से अधिक खरीफ फसलों की क्षति हुई है उन्हें

भू-राजस्व में नियमानुसार छूट दिए जाने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो उन्नाव, बहराइच, गोन्डा, बस्ती, देवरिया जिले में अलग-अलग किन-किन तहसीलों में भू-राजस्व में छूट दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पड़ताल कराकर क्षति का मूल्यांकन किया जाता है और तहसील स्तर से रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाती है, जिलाधिकारी तहसीलों के प्रस्तावों को संकलित कराकर जिले की रिपोर्ट तैयार करके छूट का प्रस्ताव मंडलायुक्त को भेजते हैं। मंडलायुक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति राजस्व परिषद को भेजते हैं और राजस्व परिषद् अपनी संस्तुति के साथ उसे शासन को भेजते हैं। तभी छूट के प्रस्ताव पर शासन द्वारा यथोचित आदेश दिये जाते हैं। प्रश्न में उल्लिखित जिलों से अभी तक भू-राजस्व में छूट के प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुये हैं, इसलिये भू-राजस्व में छूट दिये जाने के आदेश नहीं दिये जा सके हैं छूट के प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त होने पर उन पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

बाराबंकी जिले के ग्राम करोरा की मुसम्मात मेड़ा की भूमि पर कब्जा

३०—श्री मोहम्मद शमीम अन्सारी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि मृतक मुसम्मात मेड़ा, ग्राम करोरा, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी की भूमि पर उनके किन-किन वारिसान का कब्जा हुआ और सरकार की ओर से दिनांक ५ जनवरी, १९७१ को कोई इन्द्राजात या बटवारे के आदेश पारित हो चुके हैं ? यदि हां, तो उस आदेश का पालन अधिकारियों ने क्यों नहीं किया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मृतक मुसम्मात मेड़ा ग्राम करौरा, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी की भूमि पर उनके वारिसान सर्वश्री श्रीराम, गजराज व गौरी शंकर पुत्र हुबलाल निवासी ग्राम करोरा का कब्जा हुआ। ५ जनवरी, १९७१ को बंटवारे के सम्बन्ध में पारित आदेशों का पालन हो चुका है।

३१—श्री पूरन चन्द्र—

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद जिले के नायब तहसीलदार श्री रामजी लाल मिश्रा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

३२—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद तहसील कन्नौज के नायब तहसीलदार (श्री राम जी लाल मिश्रा) के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माह अक्तूबर, १९७७ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित किया गया प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माह अक्तूबर, १९७७ में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित किया गया शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री रामजी लाल मिश्र के विरुद्ध शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

विधायक के दो पत्र दिनांक २६-९-७७ २६-९-७७ के प्राप्त हुये । एक पत्र के साथ श्री बालक राम तिवारी, निवासी बंसपुर पट्टी, पोस्ट मानिकापुर, जिला फर्रुखाबाद का पत्र जो नायब तहसीलदार श्री राजी लाल मिश्र के विरुद्ध था प्राप्त हुआ, जिसमें श्री बालक राम तिवारी ने इस बात का उल्लेख किया था कि उनके चचाजात भाई के लड़कों ने उनके खिलाफ नायब तहसीलदार कन्नौज को एक रिपोर्ट दी कि सार्वजनिक देवी जी के चबूतरे पर वह कब्जा किये हुये हैं जबकि वह किसी भी चबूतरे पर कब्जा नहीं किये हुये हैं और नायब तहसीलदार ने उनसे कहा कि यदि वह उन्हें पैसा देंगे तो वह उनका कार्य ठीक कर देंगे । यह शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को जांच आख्या हेतु भेजा गया था और जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि शिकायत निराधार है, उसमें कोई बल नहीं है और इसमें किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । विधायक के दूसरे पत्र दिनांक २६-९-७७ के साथ शिकायती पत्र संलग्नक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ था । विधायक से दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ तथा २७ जून, ७८ के पत्र द्वारा निवेदन किया गया था कि वह कृपया शिकायत पत्र की प्रतिलिपि भेज दें जिससे उपयुक्त कार्यवाही की जा सके । विधायक ने शिकायती पत्र की प्रतिलिपि अभी तक नहीं भेजी और इसलिये इसमें अग्रिम अन्य कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

बहराइच जिले की कतिपय ग्राम सभा में भूमि का पट्टा

३३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि ग्राम सभा बेंचुआ बिलास, कट-कुंइयां व विशुनापुर लोहटी, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला बहराइच में तीन सौ एकड़ से ऊपर गांव समाज की भूमि के एक सौ पचास सीरदारी पट्टे (भूमिहीनों) फरवरी, १९७६ में दिए गए परन्तु एस० डी० ओ०, भिनगा की स्वीकृति न होने से अभी तक उन्हें कब्जा व दखल नहीं दिलाया गया है । यदि हां, तो स्वीकृति न देने व कब्जा दखल न दिलाए जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी और कब तक पट्टेदारों को कब्जा दखल दिया जायेगा यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम चंगईपुर के ग्राम समाज की भूमि का आवंटन तथा भूमि पर अनधिकृत कब्जा

३४—श्री राम जनम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चंगईपुर, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के ग्राम समाज के खाते में १३६३ फसली में कितने एकड़ जमीन थी । इस समय कितने एकड़ उसके खाते में हैं और कितने एकड़ जमीन आवंटित हुई है तथा कितने एकड़ ग्राम प्रधान एवं उसके परिवार का औरतों के नाम ग्राम समाज के खाते से निकाल कर की गयी है और कैसे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम चंगईपुर, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में गांव सभा के खाते में १३६३ फसली में २०६ एकड़ ११३ कड़ी भूमि अंकित थी । इसमें ११७ एकड़ ८९४ कड़ी भूमि ग्राम सभा द्वारा आवंटित कर दी गई तथा ३६ एकड़

३३४ कड़ी धारा २२९--बी० के वादों में विभिन्न काश्तकारों के नाम सीरदारी अंकित करने के आदेश हो गये। इस समय ३४ एकड़ २९३ कड़ी भूमि ग्राम समाज के खाते में अंकित है और शेष १७ एकड़ ५९२ कड़ी भूमि विभिन्न कृषकों के खातों में अवैधानिक रूप से सम्मिलित कर दी गई है। संक्षेप में ब्यौरा इस प्रकार है ---

	एकड़	कड़ी	ब्यौरा
(१)	११७	८९४	आवंटित की गई।
(२)	३६	३३४	धारा २२९-बी के वादों में काश्तकारों की सीरदारी घोषित हो गई
(३)	१७	५९२	कृषकों के खाते मे अनियमित रूप से अंकित हो गई
(४)	३४	२९४	वर्तमान समय में ग्राम-समाज के खाते में अंकित है
योग ..	२०६	११३	

इसमें से ग्राम प्रधान के खाते में १०० कड़ी भूमि अवैधानिक रूप से अंकित कर दी गई है तथा ६ एकड़ ०४० कड़ी भूमि उनके परिवार की औरतों के नाम अंकित हुई है जिस पर पहले एक अन्य काश्तकार श्री मूलचन्द ने धारा २२९-बी० का वाद दायर करके अपने नाम दर्ज करा लिया था और बाद में ग्राम प्रधान की बहू (पतोहू) के नाम ५ एकड़ ०४० कड़ी का बैनामा कर दिया जिसका दाखिल खारिज परगनाधिकारी के आदेश, दिनांक २५-५-६८ द्वारा कर दिया गया। बाद में खतौनी १३७८.८० फसली में भूमि का क्षेत्रफल ५.०४० एकड़ से बढ़ा कर गलत ढंग से ६.०४० एकड़ कर दिया गया है।

३५--क्या सरकार ने ग्राम समाज की जमीन को वापस उसके खाते में लाने की अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उक्त ग्राम अभी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। अतः गांव समाज की १७ एकड़ ५९२ कड़ी भूमि को, जो विभिन्न कृषकों के नाम गलत ढंग से अंकित हो गई हैं, गांव सभा के खाते में अंकित कराने की कार्यवाही हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को संदर्भित किया गया है। धारा २२९-बी के बाद के निर्णय के आधार पर श्री मूलचन्द के नाम दर्ज की गई ७ एकड़ भूमि से सम्बन्धित मामला अपील में आयुक्त गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। १७.५९२ एकड़ ग्राम समाज की भूमि जो बिना किसी आदेश के विभिन्न व्यक्तियों के खाते में दर्ज कर दी गई है, उसके नियमीकरण की कार्यवाही चकबन्दी विभाग में की जा रही है।

मेरठ व गाजियाबाद जिलों में हरिजनों को भूमि का आवंटन एवं कब्जा

३६—श्री मन्जूर अहमद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९७७ से २५ सितम्बर, १९७८ तक मेरठ व गाजियाबाद जनपद के अलग-अलग तहसीलों में भूमिहीन हरिजनों को मिले पट्टों का शक्तिशाली काश्तकारों द्वारा कब्जा करने के विषय पर प्रश्नकर्ता के पत्रों के साथ कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद मेरठ में जुलाई, १९७७ से २५-९-१९७८ तक प्रश्नकर्ता का एक पत्र श्री सुखे उर्फ अजीज पुत्र बसीर निवासी नगला चांद, तहसील मवाना के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जांच के उपरान्त आरोप निराधार पाया गया। प्रार्थी ने कुछ भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था जिसके लिए बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

जनपद गाजियाबाद में जुलाई १९७७ से २५-९-१९७८ तक तहसील गढ़मुक्तेश्वर में केवल ५ शिकायतें ग्राम इनायतपुर के हरिजनों की प्राप्त हुई थीं जिन्हें मौके पर दिनांक २८-८-७७ को कब्जा दिला दिया गया।

ग्राम समाज की सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के अनियमित पट्टा से सम्बन्धित आदेश

३७—श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने कोई ऐसा आदेश प्रत्येक जिले में इस आशय का भेजा है कि जो जमीनों के पट्टे भूमिहीनों को दिए गए थे और उनको निरस्त कराने के जो मुकदमें चल रहे हैं वह स्थगित किए जायं ? क्या यह सही है कि शासन भूमि वितरण की कोई नई योजना बना रहा है ? यदि हां तो वह क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वर्ष १९७५ में भूमि आवंटन अभियान में गलती से कर दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के अनियमित सीलिंग पट्टों को निरस्त करने के बजाय यदि प्रश्नगत भूमि का सार्वजनिक उपयोग हेतु तत्काल आवश्यकता न हो तो ऐसी भूमि के आवंटियों को अस्थायी रूप से आसामी के अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने तक शासनादेश संख्या-३१०८/१-२—४१५-७८, दिनांक १८ अगस्त, १९७८ में समस्त जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजे गये हैं कि वे न्यायालयों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ (४) के अन्तर्गत लम्बित सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के अनियमित पट्टों के सम्बन्ध में गांव सभा की ओर से प्रार्थना-पत्र दिला कर २-३ माह की तारीख ले लें ताकि इस मसले पर शासन निर्णय लेकर मुकदमों में अग्रिम पैरवी हेतु निर्देश दे सके।

जहां तक भूमि वितरण की नई योजना का प्रश्न है, फिलहाल ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

गोंडा जिले में सीलिंग से निकली भूमि का आवंटन

३८—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट में किन-किन जमींदारों की अतिरिक्त भूमि घोषित की

गयी है तथा उनकी बची हुई जमीनों को सरकार ने भूमिहीनों में वितरण करने के लिए क्या किया है ? क्या यह भी सही है कि इन जमींदारों की बहुत सी बेनामी जमीनें भी हैं ? यदि हां, तो सरकार इन जमीनों के वितरण के लिए क्या कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मंगलदेव विशारद जांच समिति के प्रतिवेदन में जिला गोंडा के सर्वश्री राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह, मनकापुर, महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह, बलरामपुर, राय साहब फार्म, दीक्षित फार्म, लोनिया फार्म, मनकापुर फार्म तथा चीनी मिल नवाबगंज के फार्मों का उल्लेख है ।

मनकापुर फार्म, बलरामपुर फार्म, लोनिया फार्म तथा राय साहब फार्म से सम्बन्धित मामले अभी विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं । दीक्षित फार्म कुल की ८४.३१५ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई जिस पर कब्जा लेकर ४१.८८५ एकड़ भूमि नियमानुसार भूमिहीनों में आवंटित कर दी गई । शेष भूमि कृषि अयोग्य है, अतः इसके आबंटन का प्रश्न नहीं उठता । चीनी मिल नवाबगंज की कुल ७८३.५२ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी, जिसमें से ७३२.५० एकड़ भूमि कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद को हस्तान्तरित कर दी है एवं ४८.७९ एकड़ का बन्दोबस्त कर दिया गया है तथा शेष २.२३ एकड़ भूमि आबादी है ।

राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह की अतिरिक्त घोषित ५८९.२५० एकड़ भूमि का कब्जा लेकर ५५७.५२ एकड़ भूमि नियमानुसार आवंटित कर दिया गया है । ३१.७३ एकड़ भूमि अकृष्य है तथा इनकी शेष भूमि के सम्बन्ध में अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है । कुंवर आनन्द सिंह, मनकापुर की २७०.९० एकड़ भूमि पर कब्जा लेकर १८८.९८ एकड़ भूमि का बन्दोबस्त कर दिया गया है । २१.९२ एकड़ भूमि कृषि के अयोग्य है तथा शेष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । सभी खातेदारों की कोई भूमि बेनामी नहीं है ।

वाराणसी जिले के ग्राम तेवर में चकबन्दी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

३९—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव तेवर, परगना सुल्तानपुर, जिला वाराणसी की चकबन्दी के खिलाफ उस गांव के ८० फीसदी किसानों ने विरोध किया है और पचासों प्रार्थना-पत्र माननीय माल मन्त्री, कमिश्नर, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश, जिलाधीश, वाराणसी उप निदेशक, चकबन्दी वाराणसी को पिछले दो वर्षों में, अगस्त, १९७८ तक दिए हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और प्रश्नकर्ता ने भी ७ सितम्बर, १९७८ को एक पत्र माननीय माल मंत्री जी को सभी प्रार्थना-पत्रों की लिस्ट के साथ दिया है कि उक्त गांव तेवर की चकबन्दी रद्द करके पुनः कराई जाय ? क्या यह सत्य है कि गांव के किनारे की जमीन बड़े काश्तकारों को और नाद-नदी के किनारे मेड़बन्दी की जमीन गरीब किसानों को दे दी गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम तेवर, परगना कटेहर, जिला वाराणसी की चकबन्दी के खिलाफ प्रार्थना-पत्र गांव की जनता की ओर से, गांव के प्रधान की ओर से, श्री कैलाशपति तिवारी, जो अपने को भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति, तेवर का अध्यक्ष बताते हैं, की ओर से तथा माननीय सदस्य की ओर से प्राप्त हुए हैं । इन प्रार्थना-पत्रों पर पहले

उप संचालक, चकबन्दी से जांच करायी गई और इसके बाद संयुक्त संचालक, चकबन्दी से दुबारा जांच कराई गई, जिनकी आख्या चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हो चुकी है। जो त्रुटियां चक आवन्टन में प्रकाश में आई हैं, उनका निराकरण न्यायिक रूप से सम्बधित व्यक्तियों द्वारा दायर की गई निगरानियों या बन्दोबस्त अधिकारी से प्राप्त सम्बन्धों की सुनवाई के बाद ही किया जायगा और इस बात का निर्णय भी निगरानी के दौरान ही न्यायिक रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा कि चकबन्दी सम्बन्धी अब तक की गई कार्यवाही को किस सीमा तक रद्द करना आवश्यक है।

सामान्यतया यह सत्य नहीं है कि गांव के किनारे बड़े-बड़े कृषकों को और नदी के किनारे गरीब किसानों को भूमि दी गई है, पर चक आवंटन में कुछ अनियमिततायें प्रकाश में अवश्य आई हैं, जिनके लिए दोषी चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

आगरा जिले की तहसील फिरोजाबाद में जमुना नदी की बाढ़ से भूमि पर बालू का जमाव

४०—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में कितने गांव जमुना नदी की बाढ़ में सितम्बर, १९७८ में नष्ट हुए और उनमें से कितने गांवों की कृषि की उपजाऊ भूमि पर जमुना नदी ने बालू (रेत) की १५-१६ फिट मोटी तह जमा की जिससे खेती सदैव के लिए बर्बाद हुई? क्या सरकार ने इस बालू को हटा कर खेती की भूमि को निकालने के लिए कोई योजना बनाई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उन्हें वन विभाग से बंजर भूमि लेकर खेती के लिए देगी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद में माह सितम्बर, १९७८ में आई जमुना नदी की बाढ़ से १३ गांव नष्ट हुए जिनमें से १२ ग्रामों की १,३१२ हेक्टेयर भूमि पर एक फिट से ८ फिट मोटी बालू की तह जमा हो गयी है परन्तु वर्तमान दशा में भी कहीं-कहीं जायद फसल उगाई जा सकती है।

ऐसी कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है। अभी भूमि संरक्षण विभाग से उक्त भूमि का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जहां तक वन भूमि देने का प्रश्न है अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

आगरा जिले में जमुना की बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्राम

४१—श्री रघुवर दयाल शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में इस वर्ष आई जमुना नदी की बाढ़ से कितने गांव बर्बाद हुए? क्या इन बर्बाद हुए गांवों को आबादी हेतु भूमि आवंटित की गयी? यदि हां, तो वह प्रति परिवार कितनी है? क्या पुनर्वास भत्ता दिया गया था और बाढ़ में घिरे लोगों को क्या सहायता दी गयी? क्या कोई जन हानि हुई? यदि हां, तो उसकी संख्या क्या है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस वर्ष आगरा जनपद में यमुना नदी की बाढ़ से १४९ गांव प्रभावित हुए जिनमें से ३८ ग्राम पूर्णतः बर्बाद हुए इन बर्बाद हुए ग्रामों को आबादी हेतु अभी कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है और न ही कोई पुर्नवास भत्ता दिया गया है। बाढ़ से घिरे हुए लोगों को तात्कालिक सहायता के लिये सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा उनमें से अहेतुक सहायता के लिये पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान, खाद्य सामग्री आदि दी गई। इस बाढ़ से पांच व्यक्तियों की जीवन हानि हुई।

आगरा जिले में बकाया बिक्री-कर

४२—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा जिला व शहर में कितने दुकानदारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों पर एक लाख रुपया से अधिक धनराशि बिक्री-कर के रूप में बकाया है? क्या सरकार बकाया बिक्री-कर की वसूली के सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

आगरा जिले में ३५ व्यापारियों पर एक लाख रुपये से अधिक बिक्रीकर बकाया है जिसमें से ३० व्यापारी आगरा शहर के हैं।

जी हां। वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण *संलग्न है।

४३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[३ रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के स्थायीकरण का मांग

४४—रघुबर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन सहायक मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के हरिजन समाज कल्याण विभाग में क्या अब भी राजपत्रित अधिकारी तदर्थ नियुक्तियों (एडहाक बेसिस) के आधार पर गत ८-१० वर्षों से सेवारत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनका नियमितिकरण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां।

नियमितिकरण के लिए सेवा नियमावली तैयार की जा रही है।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कर्मचारियों में हरिजनों एवं पिछड़ी जाति का कोटा

४५—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन सहायक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में क्या अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों

*छापा नहीं गया।

में हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कोटा को पूरा किया गया है ? यदि हां, तो हरिजनों व पिछड़ी जातियों का उक्त नियुक्तियों में क्या प्रतिशत है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में हरिजनों का आरक्षित कोटा पूरा कर लिया है परन्तु पिछड़े वर्गों का आरक्षित कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है ।

निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के क्रमशः ६६ प्रतिशत व ७७ प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के क्रमशः शून्य तथा ६ प्रतिशत व्यक्ति हैं ।

बैकवर्ड जातियों का सूची सम्बन्धी शासनादेश

४६--श्री मुहम्मद रफी खां---

क्या हरिजन सहायक मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी० ओ० संख्या १३१४/XX/IV/७८१-१९५८, दिनांक १९ सितम्बर, १९५८ बैकवर्ड जातियों से सम्बन्धित निकाला गया था ? इसे सदन के पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पर अमल-दरामद प्रदेश के किन डिवीजनों में हो रहा है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां,

शासनादेश संख्या १३१४/छब्बीस-७८१-१९५८, दिनांक १७ सितम्बर, १९५८ सदन के पटल पर रख दिया गया है । इस पर अमलदरामद प्रदेश के सभी डिवीजनों में हो रहा है ।

४७--श्री मुहम्मद रफी खां

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह १ जनवरी, १९५५ से लेकर ३० जून, १९७८ तक उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेज की परिभाषा में कितने जी० ओ० निकाल चुकी है ? और अब वह प्रदेश में हिन्दुओं और मुसलमानों की किन-किन जातियों को बैकवर्ड मानती है ? क्या सरकार उपरोक्त सारे जी० ओ० सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

दिनांक १ जनवरी, १९५५ से लेकर ३० जून, १९७८ तक राज्य सरकार ने बैकवर्ड क्लासेज की परिभाषा में कोई शासकीय आदेश नहीं किया है । अतः उनको सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता । इस समय प्रदेश में संलग्न सूची के अनुसार हिन्दू और मुसलमान जातियों को बैकवर्ड माना जाता है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४८ पर)

बहराइच जिले के ओला पीड़ित गांवों में गेहूं का आवंटन

४८--श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिला में ओला पीड़ित गांवों में मुफ्त गेहूं का वितरण जून, १९७८ में किया गया और सिरसिया ब्लाक में

१९ जून, १९७८ को जिलाधीश, जिला विकास अधिकारी एवं कृषि अधिकारी बहराइच मे गेहूं के स्थान पर ब्लाक में बीज वाला धान वितरण करते हुए पकड़ा और दोनों स्टाक सील किए ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। जिला बहराइच में ओला पीड़ित व्यक्तियों को जून, १९७८ में गेहूं का मुफ्त वितरण किया गया परन्तु यह बात सत्य नहीं है कि सिरसिया ब्लाक में गेहूं के स्थान पर बीज वाला धान वितरित करते हुए किसी को पकड़ा गया और स्टाक सील किया गया। बल्कि परगनाधिकारी भिनगा ने वितरण केन्द्रों का निरीक्षण एवं जांच करते समय निम्नलिखित कर्मचारियों को साढ़े सात-सात किलो गेहूं कम वितरित करते हुए पकड़ा जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

१--श्री अब्दुल हाशिम, सुपरवाइजर कानूनगो, तुलसीपुर।

२--श्री बालदेव लाल, सुपरवाइजर कानूनगो, लछमनपुर।

३--श्री अयोध्या प्रसाद, लेखपाल।

४--श्री हरबक्श सिंह, लेखपाल।

५--श्री रामफल, लेखपाल।

६--श्री राधेश्याम, लेखपाल।

७--श्री रघुनाथ प्रसाद, लेखपाल।

८--श्री हरी शंकर, लेखपाल।

इनके अतिरिक्त ब्लाक के निम्नलिखित कर्मचारी एवं अधिकारी भी इसी आरोप के सम्बन्ध में निलम्बित किये गये हैं :--

१--श्री श्याम लाल सिंह, सहायक विकास अधिकारी।

२--श्री भोलानाथ, सिंह, सहायक विकास अधिकारी।

४--श्री भगवान दास कुरील, सहायक कृषि अधिकारी।

४--श्री रामसुध कोल, पंचायत सेवक।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

४९--क्या यह सही है कि ओला पीड़ित गांवों के अतिरिक्त भी गेहूं जिला बहराइच में बांटा गया ? यदि हां, तो ओला पीड़ित गांव कौन हैं और गेहूं किन-किन गांवों में बांटा गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। ओला पीड़ित गांव के अतिरिक्त बाढ़ से प्रभावित उन ग्रामों में भी जहां विगत बाढ़ से फसलों को ५० प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी, अहेतुक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को गेहूं का वितरण किया गया। ओला प्रभावित ग्रामों तथा अन्य ग्रामों जहां गेहूं का वितरण किया गया है, की तहसीलवार सूची* संलग्न है।

---

*छापी नहीं गयी।

सीतापुर जिले के ग्राम सरांय माट की चकबन्दी

५०—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री को इसकी जानकारी है कि वर्ष १९७४ में जिला अधिकारी, सीतापुर को यह सूचना ग्राम सरांय माट, परगना रायकोट, जिला सीतापुर के काश्तकारों द्वारा मिली कि उक्त ग्राम में चकबन्दी के अन्तिम नक्शे में घोर अनियमितताएं हुई हैं तथा डी० एम० की जांच पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सीतापुर ने जिला अधिकारी, सीतापुर को सम्बोधित अपने पत्र संख्या १६२९ पै० का (भूचित्र) दिनांक ८-९ अगस्त, १९७४ में यह स्वीकार किया कि भूलेखों में अशुद्धियां हैं ? यदि हां, तो अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, अशुद्धियों को दूर करने के उद्देश्य से इस गांव को वर्ष १९७९-८० में दुबारा चकबन्दी कराये जाने वाले ग्रामों में सम्मिलित कर लेने के आदेश चकबन्दी आयुक्त को दे दिये गये हैं ।

देवरिया जिले के तहसीलदार, सदर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

५१—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि २५ सितम्बर, १९७८ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा भेजा गया देवरिया जनपद के तहसीलदार सदर के विरुद्ध एवं जनपद की समस्यायों के समाधान हेतु कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां । शासन द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार के स्थानान्तरण के आदेश दे दिए गये हैं । जांच कराने पर तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए । अन्य जो सुझाव नीति विषयक हैं, उन पर शासन की नीति के अनुसार कार्यवाही हो रही है ।

५२—श्री रवीन्द्र सिंह—

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

५३—श्री श्रीनारायण

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

५४—श्री रवीन्द्र सिंह

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

बहराइच जिले की तहसील भिनगा के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड

५५—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि तहसील भिनगा, जिला बहराइच में मार्च, १९७८ से अब तक किन-किन गांवों में कब कब अग्निकाण्ड से कितने-कितने घर जले और किन-किन प्रकार की क्षति हुई ? यदि हां, तो अग्नि पीड़ितों को

कब कब किस किस प्रकार की सहायता व सुविधा कहां कहां से दी गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

जिला बहराइच की तहसील भिनगा में मार्च, १९७८ से २८ अगस्त, १९७८ तक अग्निकाण्ड से ५४ ग्राम प्रभावित हुए जिसके फलस्वरूप इन ग्रामों में ५१७ मकान जले, ४ खलिहानों, १६ पशु तथा घरेलू समान को क्षति पहुंची ।

इन अग्निकाण्डों से फसल की हुई क्षति का अनुमानित मूल्यांकन ४.४५ लाख रु० है ।

अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों में अहेतुक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को रु० ९,१०३ की धनराशि वितरित की गई तथा ९०० रु० शारदा सहायता के रूप में वितरित किया गया । अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को किसी अन्य संस्था द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई ।

अग्निकाण्डों की घटनाओं की तिथि प्रभावित गांव तथा सहित स्वरूप दी गई धनराशि का विवरण †संलग्न है ।

पिथौरागढ़ जिले के लिए पटवारियों की मांग

५९--श्री नारायण सिंह भैसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ से जिला प्रशासन ने कितने पटवारियों की मांग इस वर्ष शासन से की जिससे कि कार्य सुचारु रूप से चल सके ? मांग की पूर्ति कब तक की जायगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

जनपद पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से तो नहीं किन्तु राजस्व परिषद्, उ० प्र० से जनपद पिथौरागढ़ के लिए पटवारियों के ५९ अतिरिक्त पदों की मांग की गयी है । यह पद आयोजनेतर पक्ष के हैं और शासन की नीति आयोजनेतर पक्ष के व्यय में मितव्ययता बरतने की है । इन पदों के सृजन का मामला विचाराधीन है । वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर इन पदों के सृजन के आदेश प्रसारित कर दिए जायेंगे ।

'तरुण भारत' में संस्थागत वित्त निदेशालय के विज्ञापन का प्रकाशन

५७--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि संस्थागत वित्त का उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान के सिलसिले में लखनऊ से प्रकाशित सांध्य हिन्दी दैनिक "तरुण भारत" ने १५ जुलाई, १९७८ को ६ पृष्ठीय परिशिष्टांक का प्रकाशन किया है ? यदि हां तो, उक्त परिशिष्टांक के प्रकाशन में संस्थागत वित्त विभाग एवं उससे सम्बन्धित अन्य शाखाओं से कितने रुपयों का भुगतान किया गया अथवा भुगतान किए जाने की सम्भावना है ? क्या यह भी सही है कि परिशिष्टांक सम्बन्धी सामग्री किसी अन्य प्रमुख समाचार पत्रों को न देकर सिर्फ "तरुण भारत" को ही दी गयी है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

जी हां । परिशिष्टांक के प्रकाशन के लिए संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है और न ही किया जाना है । यह परिशिष्टांक 'तरुण भारत' द्वारा स्वतः ही प्रकाशित किया गया था । निदेशालय द्वारा १/४ पृष्ठ का विज्ञापन उक्त परिशिष्टांक में दिया गया था, जिसका अनुमानित मूल्य केवल ५०० रु० था । किसी अन्य समाचार पत्र ने राज्य स्तरीय संस्थागत वित्त सलाहकार समिति की बैठक के अवसर पर परिशिष्टांक निकालने एवं उसके लिए विज्ञापन प्राप्त करने की इच्छा नहीं प्रकट की थी ।

बांदा जिले में सीलिंग से निकली भूमि का आवंटन

५८---श्री राम सजीवन---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत सन् १७४९ में बांदा जिले में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी थी और घोषित भूमि पर सरकार को अभी तक कब्जा मिला है ? जितनी भूमि पर सरकार को कब्जा मिला है क्या वह सभी जमीन भूमिहीनों में आवंटित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा भक्त सिंह---

बांदा जिले में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष १९७४ में ४६२.२० एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी एवं समस्त अतिरिक्त घोषित भूमि पर कब्जा भी प्राप्त हो गया है ।

कब्जे में प्राप्त ४६४.२० एकड़ भूमि में से ३८२.६३ एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है । शेष ८१.५७ एकड़ भूमि में से ४०.५७ एकड़ भूमि कृषि के लिए अयोग्य है तथा ४१ एकड़ भूमि के आवंटन पर विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश हैं, इसलिए आवंटित नहीं की जा सकी ।

उपनिबंधक कार्यालय, बांदा के लिपिकों के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा

५९---श्री राम सजीवन---

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की तहसील के कार्यालय उप निबन्धक बांदा (रजिस्ट्री) में कार्यरत दो अस्थायी निबन्धन लिपिकों के विरुद्ध सन् १९६५ में जालसाजी व धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय दण्ड विधान की धारा १२०बी/४६६/४६७ के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके गिरफ्तार किया गया था और जिला सत्र न्यायालय बांदा द्वारा ४-४ वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई थी तथा १२ फरवरी, सन् १९६८ से उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उन्हें १ मार्च, सन् १९७८ से पुनः नौकरी में लिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

सन् १९६५ में कार्यालय उप निबन्धक बांदा में हुए कथित जालसाजी के आरोप के संबन्ध में कार्यरत दो अस्थायी निबन्धन लिपिकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा १२० बी/४६६/४६७, के अन्तर्गत मुकदमा सत्र न्यायालय बांदा में चलाया गया तथा यह लिपिक गिरफ्तार भी किए गए थे । सत्र न्यायालय बांदा द्वारा इन लिपिकों को ४-४ वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी । किन्तु इन दोनों लिपिकों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दायर कर दी थी जो

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--]

वर्ष १९७७ में स्वीकार कर ली गई तथा प्रश्नगत दोनों ही लिपिक सम्मानपूर्वक बरी कर दिये गये। तत्पश्चात इन दोनों लिपिकों को सेवा में पुनः स्थापित किया गया है। इन लिपिकों की सेवायें समाप्त नहीं की गई थीं बल्कि इन्हें निलम्बित किया गया था।

६०--श्री राम सजीवन--

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

देवरिया जिले के ग्रामसभा विशूनपुरा रामधाम के बुद्धू बरई के मकान में अग्निकाण्ड

६१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि पडरौना तहसील (देवरिया) के अन्तर्गत पडरौना विकास खण्ड के ग्राम सभा विशूनपुरा रामधाम में १३ मार्च, १९७८ को हुए भीषण अग्निकाण्ड में बुद्धू बरई की एक बैल तथा एक गाभिन गाय जल कर मर गयी? यदि हां, तो अग्नि पीड़ित निरीह किसान को कितना मुआवजा अथवा अनुदान दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। पड़रौना तहसील के अन्तर्गत पड़रौना विकास खंड के ग्राम सभा विशूनपुरा रामधाम में दिनांक १३-३-७८ को घटित अग्निकांड में बुद्धू बरई की एक गाय तथा एक बैल जल कर मर गए। बुद्धू बरई को कोई मुआविजा अथवा अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास एक एकड़ से अधिक भूमि है और तत्कालीन नियमों के अनुसार वह अहेतुक सहायता के पात्र नहीं पाए गए।

देवरिया के पडरौना तहसील, में अग्निकाण्ड की घटना

६२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पडरौना तहसील, देवरिया में १९७८ में अक्तूबर तक अग्निकांड से कितने ग्राम प्रभावित हुए, कुल कितने घर जले तथा कुल कितनी सहायता दी गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह--

पडरौना तहसील में वर्ष १९७८ में १-१-७८ से १-१०-७८ तक कुल २१७ ग्राम अग्निकांड से प्रभावित हुए थे। अग्निकांडों से कुल ११६२ घर जले तथा प्रभावित परिवारों में से अहेतुक सहायता के पात्र व्यक्तियों को कुल ४५,६३० रु० अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया।

बदायूं जिले में बाढ़

६३--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन ने बदायूं जनपद को इस वर्ष की बाढ़ विभीषिका से निपटने हेतु कितने परिवारों को आर्थिक सहायता दी एवं कितने परिवारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान दिए गए तथा बदायूं जनपद में

कितने गांव किस किस तहसील में नष्ट हो गए तथा उनको बसाने हेतु सरकार क्या योजना एवं प्रबन्ध कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला बदायूं में इस वर्ष बाढ़ की विभीषिका से निपटने हेतु १२,७४७ परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई तथा ९,१३३ परिवारों को भवन निर्माण अनुदान दिया गया ।

बदायूं जिले की तहसील बदायूं के १२० गांव, तहसील सहसवान के २३५ गांव, तहसील गुन्नौर के २२३ गांव तथा तहसील दातागंज के ३३१ गांव बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए । तहसील बदायूं में १०६ परिवारों को, जिनके घर गंगा के कटान से गिर गए थे, को ग्राम भूड़ा भदरौल के लिए आवास स्थल आवंटित किए गए थे किन्तु वह लोग वहां रहना पसन्द नहीं करते । अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को भी ऊंचे स्थान पर छप्पर आदि डालकर बसा दिया गया है ।

६४--श्री देव बहादुर सिंह--

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

६५--श्री राम सजीवन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

६६--श्री राम सजीवन--

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में नहर निर्माण से प्रभावित किसान

६७--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार प्रदेश में चल रहे नहर निर्माणों से प्रभावित जनपदों के ग्रामों में किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से फिर चकबन्दी कराकर कटौती से नहर की भूमि अर्जित कर छोटे-छोटे कमजोर काश्तकारों को नहर में गयी भूमि वापस करने तथा चक निर्माण कराकर उन्हें बेकारी से मुक्त कराने का फैसला लिया है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

भविष्य में बड़ी नहरों या सड़कों के लिये भूमि अध्याप्त करने का प्रभाव गांव के अधिकांश चकदारों पर डालने के उद्देश्य से कानून बनाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

आजमगढ़ जिले के श्री चन्द्रशेखर दास महन्त की सीलिंग की भूमि के विरुद्ध शिकायती-पत्र

६८--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गांव सभा केशवपुर, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधान आदि गांव वासियों ने दिनांक ११ अगस्त, १९७७ को रजिस्ट्री नम्बर १२५ माननीय राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ व माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ रजिस्ट्री नं० १२६ द्वारा तथा माह सितम्बर,

[श्री दया राम भास्कर--]

१९७७ के अप्रैल सप्ताह में गांव वासियों के प्रार्थना-पत्र श्री मंगलदेव विशारद, एम० पी० ने अपने डी० ओ० लेटर के साथ माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को श्री चन्द्रशेखर दास महन्त ग्रामवासी के विरुद्ध सरकार को धोखा देकर सीलिंग से जमीन बचाने एवं सीलिंग की घोषणा के बाद भी अवैध तरीके से जमीन बैनामा करने और चकबन्दी में समझौता के माध्यम से जमीन अन्य लोगों को ट्रान्सफर कराये जाने के बारे में आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? श्री चन्द्रशेखर दास महन्त, ग्राम केशवपुर, परगना अटरौलिया, तहसील फूलपुर, आजमगढ़ के विरुद्ध जांच कर न्याय हेतु उक्त गांव के निवासियों के प्रार्थना-पत्र सहित दिया है ? यदि हां, तो उस पर किन-किन अधिकारियों ने कब-कब जांच की और वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित श्री मंगलदेव विशारद, एम० पी० के डी० ओ० पत्र दिनांक २२-९-७७ के साथ प्रश्नगत ग्राम के प्रधान श्री पल्टूराम का प्रार्थना-पत्र दिनांक २२-९-७७ प्राप्त हुआ था । जिसमें श्री चन्द्रशेखर दास महन्त के विरुद्ध पुनः सीलिंग की नोटिस जारी करने के लिये निवेदन किया गया था क्योंकि बहुत सी भूमि सम्मिलित करने से रह गई थी । उक्त मामले की जांच जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार से करायी गई । जांच में यह पाया गया कि श्री दास के विरुद्ध सीलिंग का मुकदमा नियत प्राधिकारी के न्यायालय में चल चुका है जिसमें प्रश्नगत भूमि का सिंचित अर्थ में १८·१७१ एकड़ धार्मिक ट्रस्ट १-५-१९५९ के पूर्व की संपत्ति मान कर सीलिंग अधिनियम की धारा-६ के अन्तर्गत दिनांक ३०-१०-७४ को सीलिंग से मुक्त कर दिया गया था । जांच में यह भी पाया गया कि १४.७७१ एकड़ सिंचित अर्थ में १३·९३९ एकड़ भूमि सीलिंग मुकदमें में शामिल नहीं की गई थी, जिसके लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री चन्द्रशेखर दास के नाम उनकी भूमि में उक्त १३·९३९ एकड़ (सिंचित अर्थ में) जोड़ देने पर भी नियमानुसार श्री दास के विरुद्ध पुनः नोटिस जारी किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि वह १८·०३८ एकड़ की सीलिंग सीमा से कम है ।

उक्त मामले की जांच पर्यवेक्षक कानूनगोयान ने दिनांक १६-३-७८ व २५-९-७८ को तथा नायब तहसीलदार ने ३०-११-७७ को किया ।

देवरिया जिले की गंडक नदी से शिकारमाही की व्यवस्था ग्राम सभाओं को दिये जाने की मांग

६९--श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत महाल नदी गन्डक, जो सलेमपुर तहसील में फैली हुई है, के घाटों में शिकारामाही की व्यवस्था उनके समीप के ग्राम सभाओं के अधीन करने की योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे उन बाढ़ग्रस्त ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी नहीं । ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

मुरादाबाद जिले के एस० टी० ओ० के विरुद्ध शिकायती-पत्र

७०--श्री करन सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक २२ अगस्त, १९७७ का प्रार्थना-पत्र श्री राम औतार, श्री ज्योति प्रसाद तथा श्री मोती लाल, ब्रह्म बाजार, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद द्वारा दिया गया, उनको प्राप्त हुआ था जो एस० टी० ओ० चन्दौसी के विरुद्ध था ? यदि हां, तो आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जी हां । शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई । जांच से आरोप निराधार पाये गये अतएव मामला निक्षेप कर दिया गया ।

७१--श्री करन सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बलिया जिले में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

७२--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के कई गांवों में वर्ष १९७८ तक जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, १९५१ लागू नहीं किए गए है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में और क्यों तथा उक्त अधिनियम ऐसे गांवों में कब तक लागू कर दिए जायेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१) के अन्तर्गत आने वाले समस्त गांवों में उक्त अधिनियम लागू किया जा चुका है ।

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत सूखे का प्रभाव

७३--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार को मालूम है कि जनपद देवरिया में जून तथा जुलाई, १९७८ में सूखा पड़ गया था ? यदि हां, तो उससे कितनी धनराशि की क्षति फसल बर्बाद होने से हुई और राहत के रूप में सरकार ने कौन-कौन सी कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला देवरिया की तहसील पडरौना हाटा व देवरिया में सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । केवल तहसील सलेमपुर में जुलाई मास में वर्षा अपेक्षाकृत कम होने से विभिन्न फसलों में १० प्रतिशत से २० प्रतिशत क्षति का अनुमान किया गया । अगस्त १९७८ में संतोषजनक वर्षा होने के कारण स्थिति में सुधार हो गया और किसी राहत कार्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

ग्राम सभा पकड़ी चौबे तथा नई करही, जिला गोरखपुर में हरिजन आबादी की भूमि

७४--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा पकड़ी चौबे, ब्लाक सिसवां, जनपद गोरखपुर में हरिजन आबादी के लिए जमीन छोड़ी गई है और क्या हरिजनों के नाम फर्जी आवंटन दिखाया गया है ? क्या इस आबादी की जमीन में हरिजनों को बसाने के बजाय गन्ने की खेती की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ग्राम सभा पकड़ी चौबे तथा नई करही, तहसील महराजगंज में चकबन्दी के अन्तर्गत हरिजन आबादी हेतु १.३१ एकड़ भूमि छोड़ी गई थी इसमें से ०.५२ एकड़ भूमि गांव सभा के २६ पात्र व्यक्तियों को आवंटित करके कब्जा दिला दिया गया था। इसमें कोई फर्जी आवंटन नहीं किया गया।

उक्त आवंटित भूमि पर आवंटियों द्वारा भवन न बनाने के कारण ०.१० एकड़ भूमि पर उक्त ग्राम के श्री विरेन्दर चौबे द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके गन्ना बो लिया गया था। सूचना मिलते ही तहसील अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थित होकर गन्ना कटवा दिया गया और सीमांकन कराकर आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया। उक्त भूमि मौके पर अब भी खाली पड़ी है और आवंटियों के कब्जे में है।

ग्राम एन्दलपुर, जिला फैजाबाद में शारदा सहायक नहर हेतु भूमि का अधिग्रहण

७५--श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता द्वारा सन् १९७८ में इस सम्बन्ध में पत्र दिया गया था कि जनपद फैजाबाद में ग्राम एन्दलपुर, परगना सुरहुरपुर, तहसील अकबरपुर में शारदा सहायक नहर निर्माण में ली गयी भूमि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत सामान्य कटौती से की जायेगी ? यदि हां, तो क्या आदेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक जारी किया जायेगा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

माननीय विधायक द्वारा भेजा गया पत्र यहां नहीं प्राप्त हुआ है। वैसे बड़ी बड़ी नहरों या सड़कों के लिये भूमि अध्याप्त करने का प्रभाव गांव के अधिकांश चकदारों पर डालने के उद्देश्य से कानून बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

निघासन तहसील, जिला लखीमपुर खीरी में सीलिंग की भूमि और अनुसूचित जाति तथा जनजाति की भूमि का आवंटन

७६--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर खीरी जनपद की निघासन तहसील के अन्तर्गत वर्ष १९७६ से अब तक कितनी भूमि सीलिंग से प्राप्त हुई है और कितने मामले शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

लखीमपुर खीरी जनपद की निघासन तहसील के अन्तर्गत वर्ष १९७६ से अब तक ६,९९७·२५३ एकड़ भूमि सीलिंग से प्राप्त हुई तथा कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

७७--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि निघासन तहसील में किन-किन को कितनी-कितनी भूमि वर्ष १९७६ से अब तक पट्टा पर दी गयी और उस पर कितने लोगों को कब्जा दिला दिया गया है कितने अभी शेष हैं और कब तक कब्जा दिला दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

निघासन तहसील में १-१-७६ से ३०-११-७८ तक अनुसूचित जाति/जनजाति के २,७०७ भूमिहीन खेतिहर मजदूर १,०७५ तथा ३-१/८ से कम जोत के खातेदार ४४० व्यक्तियों को क्रमशः ६,७७४·२६६ एकड़, २,१४५·२९१ एकड़, तथा ७०४·९२५ एकड़ भूमि आवंटित की गई । सभी आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है ।

महमूदाबाद में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा खोले जाने की मांग

७८---श्री राम नरायन वर्मा--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया की शाखा तहसील महमूदाबाद मुख्यालय पर खोलने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को वर्ष १९७७-७८ में कितने बार पत्र लिखे गए ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

वर्ष १९७७-७८ में तहसील महमूदाबाद के मुख्यालय पर स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा खोले जाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कोई पत्र नहीं लिखा गया क्योंकि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने यह सूचित किया है कि उन्होंने उक्त स्थान पर शाखा खोलने के लिय रिजर्व बैंक को आवेदन-पत्र भेज दिया है ।

७९--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

[अतारांकित प्रश्न संख्या १८ की पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मथुरा जिले के ग्राम कचनरू तथा गुबरौली के श्री इन्द्रजीत सिंह की सीलिंग की भूमि की जांच सम्बन्धी-पत्र

८०--श्री हुकुम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, मथुरा (श्री सतीश कुमार) ने दिनांक १२ जनवरी, १९७८ को सर्वोच्च प्राथमिकता की एक जांच के लिए पत्र परगनाधीश, सादाबाद को लिखा जिसमें यह भी अंकित किया था कि भा० दं० सं० की धारा १९२, १९३ व २१८ के अन्तर्गत लेखपाल व सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट अंकित की जाय और निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की जाय जिससे कि वह अपने

पद का प्रभाव बनाकर साक्ष्य को समाप्त न कर सकें ? यदि हां, तो क्या परगनाधीश, सादाबाद ने प्रथम सूचना थाने पर अंकित कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी नहीं, बल्कि ग्राम कचनरू और गुखरौली के खातेदार श्री इन्द्रजीत सिंह की भूमि को सीलिंग से बचाने के उद्देश्य से प्रपत्र-५ तैयार न करने तथा भू-अभिलेखों में परिवर्तन करने की या अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री आर० के० नैय्यर प्रभारी अधिकारी सीलिंग द्वारा दिनांक २८-१-७८ को एक पत्र परगनाधिकारी सादाबाद को लिखा गया था, जिसमें दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा १९३/२१८ के अधीन कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी थी । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है, उसके परिणामस्वरूप यदि आवश्यक हुआ तो आगे मुकदमा चलाने की कार्यवाही की जायेगी ।

बलिया तथा देवरिया जिलों में बाढ़ से मृतकों की संख्या

८१--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया एवं बलिया में वर्ष १९७८ में बाढ़ से कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितनी धनराशि की फसल बर्बाद हुई और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने में सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

वर्ष १९७८ की बाढ़ से जनपद देवरिया तथा बलिया में क्रमशः २ तथा ४५ व्यक्तियों की जीवन हानि हुई तथा फसलों की अनुमानित क्षति क्रमशः २·७३ करोड़ रु० व ७·७८ करोड़ रु० है ।

जनपद देवरिया को दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को सहायतार्थ शासन द्वारा ३·०१ लाख रु० अहेतुक सहायता मद में ४·५० लाख रु० भवन निर्माण मद में तथा ३·९० लाख० रु० विशेष सहायता मद में आवंटित किए गए हैं । प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु राहत कार्य चलाने के लिए ४ लाख रु० टेस्ट वर्क के मद में भी आवंटित किये गये । इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री सहायता कोष से प्राप्त धनराशि से मुख्य मंत्री जी द्वारा १·२० लाख रु० की धनराशि आवंटित की गई ।

जनपद बलिया में दैवी आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने हेतु ८·२५ लाख रु० अहेतुक सहायता मद में २६·०५ लाख रु० भवन निर्माण अनुदान मद में, तथा ९·३० लाख रु० विशेष सहायता मद में आवंटित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री सहायता कोष से प्राप्त धनराशि से मुख्य मंत्री जी द्वारा १·२० लाख रु० की धनराशि इस जनपद को आवंटित की गई है ।

उक्त धनराशि के आवंटन के अतिरिक्त दैवी आपदाओं से पीड़ितों को सहायतार्थ निःशुल्क वितरण हेतु २,२०० मीट्रिक टन गेहूं जनपद देवरिया को तथा २,१५० मीट्रिक टन गेहूं जनपद बलिया को शासन द्वारा आवंटित किया गया है । बाढ़ से प्रभावित सभी जिलों, जिनमें यह दोनों जिले भी सम्मिलित हैं,

में जिन काश्तकारों की फसलों को ५० प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है उनके समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। जिन कृषकों की खरीफ की फसल की क्षति ७५ प्रतिशत या उससे अधिक है उनका लगान माफ करने की घोषणा कर दी गई है। कक्षा ७ से विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों के अभिभावकों जिनकी खरीफ फसल की क्षति ५० प्रतिशत से अधिक हुई है, से शिक्षा शुल्क की वसूली भी स्थगित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमांत कृषकों को रबी में गेहूं की बुआई के लिए खाद तथा बीज रियायती दरों पर उपलब्ध किए जा रहे हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है जिसकी सूचना मैंने आपकी सेवा में रखी...

श्री अध्यक्ष--

मैंने वह देख लिया है इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्णय किया है उस पर आप परोक्ष रूप से आपत्ति कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने जो आपको दिया है, सुन लें मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता। इस तरह से कहीं अन्त नहीं होगा। आप मेरे कक्ष में आकर बात कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे निवेदन किया कि आपने जो मुझको प्रस्ताव दिया उसको मैंने अस्वीकार किया है। उस व्यवस्था पर आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे

[श्री अध्यक्ष--]

हैं। श्री देव बहादुर सिंह ने एक सूचना दी है उस पर चर्चा होगी उस पर जितने प्रश्न आपके हैं वह सब उसमें होंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा आप मेरे निर्णय पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आप पुनर्विचार कर लें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मेरा प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम ३२ की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे लिख कर दीजियेगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

आप सुन लें। मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ३२ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। उसमें स्पष्ट है कि हमको प्रश्नों के उत्तर की सूचना सेशन शुरू होने से एक दिन पूर्व मिल जानी चाहिये। श्रीमन् बार-बार कहने पर भी तमाम लापरवाही सरकार की ओर से आपके कार्यालय में प्रश्न के उत्तर देर से मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि उन प्रश्नों का उत्तर जब सेशन शुरू होने जा रहा हो सुबह ही प्राप्त होता है। ऐसी दशा में अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि या तो नियम में परिवर्तन कर दें या गवर्नमेंट को निर्देश दें कि प्रश्नों का उत्तर एक दिन पहले हम लोगों को मिल जाया करे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गनेशी लाल ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह सही है कि एक दिन पहले प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों को चले जाने चाहिए। मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर अब एक दिन पहले प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे तो हम उसे कार्यसूची में नहीं रखेंगे।

६ठी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की सदस्यों को जानकारी दिलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैंने आपसे आज्ञा चाही है एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने की। वह यह है कि पिछले सत्र में २३-८-७८ को सत्र से १० दिन पहले मैंने एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य-स्थगन की सूचना दी थी, वह यह थी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में माननीय सदस्यों के संज्ञान में बात ली जाए कि इस बारे में सरकार क्या कर रही है। आपने उसको अस्वीकार कर दिया, किन्तु अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया था कि मंत्रि परिषद् इसकी रूपरेखा फौरन माननीय सदस्यों को जानकारी हेतु दे और वह उनके विचारों से लाभान्वित हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक बराबर रेडियो पर और समाचार-पत्रों में उसके बारे में आ रहा है, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में कोई बात नहीं आई है और न लाई गई है। तो आप बतायें कि जब आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? किस तरह से आपके निर्देशों का अब पालन हो? और हम क्या करें?

श्री अध्यक्ष--

यह बात ठीक है, मैंने चाहा था कि छठवीं प्रायोजना का प्रारूप माननीय सदस्यों को वितरित किया जाए और सदन में उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए रखा जाए, ताकि सरकार उसमें उनके मुताबिक संशोधन कर सके। मैंने पहले कहा था कि यदि यह प्रारूप तैयार हो तो उसको माननीय सदस्यों को दे दिया जाए और इस प्रकार की परिपाटी रही है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन करने में एक ही कठिनाई है, जो प्रारूप है उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आपने स्वयं अखबारों में और दूसरी जगह पढ़ा होगा कि एन० डी० सी० की मीटिंग होना अभी बाकी है, प्रारूप पर राज्य सरकार व प्लानिंग कमीशन में विचार चल रहा है। यहां पर भी जो राज्य का प्लानिंग बोर्ड है उसमें भी विचार चल रहा है। जब उस पर अन्तिम निर्णय हो जाएगा, तो यहां वितरित हो सकेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

अंतिम के पहले उसे यहां दें, जो प्रस्तावित है, उसे दें।

*श्री मैनेजर सिंह--

आप भी इसके महत्व को स्वीकार करेंगे कि जो प्रारूप तैयार किया गया है और जिन मुद्दों के आधार पर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता की मांग कर रही है, उसको माननीय सदस्यों को वितरित किया जाना चाहिये। माननीय मंत्रियों से अधिक योग्य नहीं हैं तो कुछ तो योग्य होंगे ही उनके बहुमूल्य विचारों से शासन के हाथ मजबूत होंगे। जहां अधिकारियों को बांटा गया है, विधायकों को देने में क्या आपत्ति है? आप इसको दिलवायें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में बहुत बार, आपकी मौजूदगी में भी, प्लानिंग के प्रारूप पर दो-दो, तीन-तीन दिन की चर्चा हुई है सम्पूर्णानन्द और चन्द्रभानु गुप्त जी के जमाने में भी हुई है। उससे सरकार को मदद मिलती है योजना को बदलने में भी और भारत सरकार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल--]

सहायता लेने में भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे। जब फाइनलाईज हो जाएगा, तो उस पर बहस करने से क्या फायदा होगा ?

इसलिए स्वीकृत होने से पहले उसका प्रारूप माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, ऐसा है कि प्रायः संसद में ऐसी पद्धति है, यहां पर भी रही है कि जब वह प्रारूप तैयार हो जाता है तब उस पर बहस होती है। उसमें सरकार विचार करके अन्तिम रूप देती है। तब प्लानिंग कमीशन भी विचार करता है। आपको कोई कठिनाई है प्रारूप सदस्यों को देने के लिए ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा, कि फाइनलाइज हो जायगा तब देंगे। मैंने यह कहा कि जब प्रारूप यहां तैयार हो जायगा, उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन विभाग जब प्रारूप तैयार कर लेता है और उस पर नियोजन समिति विचार कर लेती है, प्लानिंग बोर्ड विचार कर लेता है तब वह प्रारूप आगे चलता है।

श्री अध्यक्ष--

तो आप यह कहिए कि आपका कोई प्रारूप ....

श्री श्यामधर मिश्र--

हर विभाग का प्रस्ताव रेडियो में कैसे आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

आप का कोई प्रारूप तैयार नहीं है।

श्री मधुकर दिघे--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

फिर कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, ड्राफ्ट प्लान ही तैयार नहीं है, तो जैसा माननीय मिश्र जी ने सवाल उठाया, सारी चीजें, हर डिपार्टमेंट की अलग-अलग, अगले फाइव इयर प्लान में क्या करने जा रहे हैं किस तरह से रेडियो में आ रहा है और अखबारों में छप रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

उसका मतलब यह है कि अलग-अलग विचार विभाग के हो रहे हैं। ड्राफ्ट प्लान बनता है। जब सब विभाग अपना-अपना संकलन करके रख दें। इस पर मैं फिर आप से विचार करके बतलाऊंगा।

सदन के संज्ञान में लायी जाने वाली सूचनाओं का उत्तर दिलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नेमीसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मैं आप से व्यवस्था चाहूंगा कि इस शून्य प्रहर में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आती हैं। हो सकता है कि एक प्रकार की दो आदमियों की सूचनाएं आएं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिनको चाहे मंत्री को लिखें चाहे सम्बन्धित विभाग को लिखें, वह बात जनता की यहां पर रख नहीं पाते हैं। आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था रखी जा सके जिससे सम्बन्धित विभाग या पूरा सदन अवगत हो सके उन भावनाओं से और उसका उत्तर मिल सके जिससे माननीय सदस्य जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ में ध्यान आकर्षण का अधिकार है। नियम ५२, नियम ५३, नियम ५६, में, फिर संकल्प के द्वारा प्रश्न ला सकते हैं। यह नियम ३०१ की नयी सुविधा दी गयी है कि जिनको और तरीकों से नहीं ला सकते, उनको सदन के सामने, जिनको ५ या ६ तक अध्यक्ष इजाजत दें, पढ़ कर सुना दें। कल सब नेताओं से मिल करके हमने यह निर्णय किया है कि इस प्रकार की सूचनाओं का अन्तरिम उत्तर एक सप्ताह में और अन्तिम उत्तर एक महीने के अन्दर देना है। उनकी एक प्रतिलिपि अध्यक्ष के कार्यालय में, एक संसदीय कार्यालय में और एक सम्बन्धित सदस्य को दी जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि, हम इस बात पर विचार करेंगे प्रत्येक सदस्य को हमें उनकी प्रतियां देने में क्या कठिनाई है और अगर दूसरे लिए सम्भव हुआ तो वह प्रतियां सब को दे देंगे।

श्री नेमीसिंह चौहान--

इस तरह के कई बार आदेश दिये जा चुके हैं सम्बन्धित मंत्रियों को लेकिन उनका पालन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष--

अब बहस नहीं कल मीटिंग हुई थी।

६ठी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की सदस्यों को जानकारी दिलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमगत)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य वाराणसी, श्यामधर मिश्र ने जो प्रश्न उठाया है वह महत्व का है इस माने में कि प्रदेश की सारी योजना इस पर निर्भर करती है कि सही योजना बनती है या नहीं। आज ही रेडियो में माननीय उद्योग मंत्री रामप्रकाश जी ने एक वक्तव्य दिया है कि अगली पंच वर्षीय योजना में, ७५ लाख रोजगार दिये जायंगे। आज ही आया है। मैंने खुद सुना है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नेता विरोधी दल मेरे मित्र हैं, कल से मैं देख रहा हूं कि वह क्रान्तिकारी नियमावली अपना रहे हैं। माननीय श्यामधर जी ने प्रश्न उपस्थित किया और काफी चर्चा करने के बाद आपने व्यवस्था दे दी कि प्रारूप तैयार हो जायेगा तो वह दे दिया जायेगा, लेकिन तिवारी जी ने इसको फिर से प्रारम्भ कर दिया। मान्यवर, यह किस आधार पर और किस नियम के आधार पर उप प्रश्न की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं जानता था कि किसलिए तिवारी जी खड़े हुए हैं। इसलिए मैंने बुलाया। आप देर से आये और इसको श्यामधर जी ने उपस्थित किया। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि प्रारूप तैयार नहीं है और जब तैयार हो जायेगा तो वह सदस्यों को देंगे। इस पर कई सदस्यों ने आपत्ति की तो मैंने यह कहा कि इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री और नियोजन मंत्री से बात करूंगा कि प्रारूप देने में क्या कठिनाई है। मैंने यह निर्णय कर दिया। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अगर प्रारूप तैयार है तो वह माननीय सदस्यों में वितरित कर दिया जाये, यह व्यवस्था मैंने कर दी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह जो माननीय सदस्य ने कहा वह कोई व्यवस्था नहीं थी। रूलिंग तब होती है जब कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर होता है, तब व्यवस्था देने की बात होती है।

श्री अध्यक्ष---

प्वाइन्ट आफ आर्डर ही था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो बात कही गयी, इस पर यह अंतिम नहीं था। उसी प्रसंग में मैं कह रहा हूं। अगर कोई महत्वपूर्ण बात नेता विरोधी दल भी नहीं कह सकता है तो उसके बैठने का क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष--

आप अपने विचार व्यक्त करें जब कार्य क्रम में कोई प्रसंग हो। आप देर से आये और माननीय श्यामधर ने यह कहा और मैंने उसे समाप्त कर दिया। बार-बार इजाजत नहीं दी जा सकती है, इसलिए व्यवस्था का प्रश्न ठीक उठाया गया है। इस पर अब कोई विवाद नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं नियोजन मंत्री रहा हूं। चौथी योजना बनाने में मेरा योगदान रहा है। अब उसके सम्बन्ध में बात आयी तो मैं कहना चाहता हूं। रेडियो पर निकलता है कि ७५ लाख रोजगार देंगे, आज रेडियो में है। अगर प्रारूप न होता तो आल इन्डिया रेडियो...

श्री अध्यक्ष--

आप फिर उसी बात पर आ गये । मैंने इसे समाप्त कर दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप इतने टेक्निकल मत होइये ।

श्री अध्यक्ष--

आप नेता सदन रह चुके हैं । आप नियमों को जानते हैं और बिना नियमों के बोल रहे हैं । मैं इन पर अनुमति नहीं देता हूं । आप लिखकर दे दें, मैं राम प्रकाश जी से पूछूंगा कि जो वक्तव्य दिया है....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने मुझे पहले लिखकर दिया है । आप नियमावली पढ़ें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या इस सदन में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है जब तक कि लिख कर न दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष--

जो कार्यक्रम चल रहा हो या तो उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है या एक कार्यक्रम के बाद जो दूसरा आने वाला हो और उसमें कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा हो तब उठाया जा सकता है । इस समय किस बात पर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपने छठी योजना के बारे में माननीय श्यामधर जी का प्रश्न स्वीकार किया, मैं उसी विषय में अपना दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । अभी हमारे सामने छठी योजना का कोई प्रारूप नहीं है । तो क्या यह औचित्य का प्रश्न नहीं है कि माननीय उद्योग मंत्री जी, इस सदन के चलते हुये, ऑल इन्डिया रेडियो से यह घोषणा करें कि अगले ५ वर्षों में यू० पी० में ७५ लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा । अगर यह सही है तो उसका प्रारूप सदन में हमारे सामने आना चाहिये और उसकी घोषणा पहले सदन में माननीय मंत्री जी को करनी चाहिये क्योंकि सदन चल रहा है और आज ही ऑल इन्डिया रेडियो से उसकी घोषणा हुई है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपकी तो इस सम्बन्ध में अनेकों रूलिंग्स हो चुकी हैं कि जब सदन चल रहा हो तो इस प्रकार की नीति सम्बन्धी घोषणायें पहले सदन में होनी चाहिये। इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

माननीय नेता बिरोधी दल, ने जो प्रश्न मान्यवर उठाया गया है वह औचित्य का प्रश्न है। इतनी महत्वपूर्ण घोषणा पहले सदन मे होनी चाहिये थी। यह अनुचित है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

सदन में कई बार यह व्यवस्था की जा चुकी है कि जब सदन चल रहा हो तो ऐसी नीति सम्बन्धी घोषणायें पहले सदन में ही होनी चाहिये। इसमें किन्ही नियमों का तो उल्लंघन नहीं है, लेकिन यह औचित्य का प्रश्न अवश्य है क्योंकि हर दिन के कार्यक्रम में यह रहता है "...मंत्रियों के वक्तव्य यदि कोई हो..." तो उस अवसर पर वे यहां वक्तव्य दे सकते हैं। जब सदन चल रहा हो तो मंत्रियों का यह कर्त्तव्य है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणायें जैसे कि यह थी कि अगले ५ सालों में ७५ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा, पहले सदन में होनी चाहिये थी। यह अवश्य औचित्य का प्रश्न है। मैंने पहले भी इस ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है और अपनी व्यवस्था दी है।

उद्योगमंत्री (श्री राम प्रकाश)--

श्रीमन्, ४ तारीख को दिल्ली में औद्योगिक मेले में जो यू० पी० का पैवेलियन था वहां प्रेस वाले इकट्ठा हुए थे, उनके समक्ष ४ तारीख को मैंने यह बताया था कि हमारे प्रदेश में ३ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें रोजगार दिया जाना है, जो बेरोजगार हैं और मैंने अपने अनुमान से यह बताया था कि उद्योगों को कम से कम २० प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिये। तो उस दिन मैंने यह कहा था कि ७५ लख लोगों को इंडस्ट्रीज के माध्यम से रोजगार मिल जाय इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। उस दिन सदन था नहीं। जो बात मैंने कही है, वह अपने विभाग के द्वारा क्या करना चाहता हूं, वही मैंने कहा है। हमारा क्या संकल्प हैं और क्या हम करना चाहते हैं, बहुत पहले से यह संकल्प है कि अनइम्प्लायमेन्ट दूर होना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बिना प्रारूप के यह कहां तक सही है, अगर छठीं योजना का कोई प्रारूप नहीं है, तो बिना प्लान के कहां से ७५ लाख को रोजगार दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपका अनुभव है, आप स्पीकर हैं। आपको तो उधर बैठना चाहिये था।

श्री ऊदल--

माननीय उद्योग मन्त्री जी ने यह कहा कि ४ तारीख को दिल्ली में हमने यह बात प्रेस वालों से कही और उसी के साथ-साथ एक ऐसी बात कह दी कि यह सदन जो है बैठा नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया। मेरी जानकारी है कि २१ तारीख को माननीय राज्यपाल जी का आदेश सदन को आहूत करने के लिए हो गया था, २८ तारीख को हम लोगों को मिल गया। जब सदन आहूत हो गया, तो उसका ख्याल करना चाहिए। यह माननीय सदन की अवमानना भी है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें। जब माननीय राज्यपाल जी ने सदन को आहूत कर दिया और नोटिस सब को मिल गई, तो ऐसा स्टेटमेन्ट सदन में आना चाहिये कि नहीं और माननीय मन्त्री जी को नीति सम्बन्धी वक्तव्य रेडियो वगैरह में देना चाहिए कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ऐसा आपने सुना किसी गवर्नमेन्ट को कहते हुए।

श्री अध्यक्ष--

२६ तारीख को सप्लीमेन्ट्री बजट होगा, तब बोलियेगा।

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़)--

ससपन्डी जब आपने करवायी, उस समय कोई प्रारूप तैयार था ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, इनको बैठाइये।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोयी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मुझे अत्यन्त खेद है, आप निर्दलीय पार्टी के नेता हैं, थोड़ा गम्भीरता से काम लीजिए?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, आप कभी-कभी इतनी गम्भीरता से काम लेते हैं कि कभी-कभी भ्रम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

आप इतने मेरे निकट हैं कि दृष्टि का दोष हो सकता है। जो ऊदल जी ने कहा, आज तक ऐसी कोई व्यवस्था किसी अध्यक्ष की नहीं है कि अगर सदन नहीं हो रहा हो और आहूत करने की नोटिस मिल गई हो, तो मन्त्री किसी प्रकार का नीति सम्बन्धी वक्तव्य न दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अब तक तो नहीं थी, अब आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में जो आज तक की व्यवस्थायें हैं, उसमें परिवर्तन करने के लिए मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आप एक बात सुन लें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

[***]

श्री अध्यक्ष--

माननीय आरिफ ने जो कहा है, यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

[***]

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न नियम विरुद्ध है, यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आल इंडिया रेडियो ने यह कहा कि दिया जायगा । ३ करोड़ का २० परसेंट ७५ लाख नहीं होता है ।

एक सदस्य--

हमारे मन्त्री लोग पुरानी सरकार की तरह नहीं हैं । वह साफ-साफ कहना चाहते हैं और सफेद झूठ बोलते थे और चाहते हैं कि यह लोग भी सफेद झूठ बोलें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कहो हापुड़ को सुनो पापड़ को । मैं मन्त्री जी की मदद कर रहा हूं ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

तहसील महमूदाबाद, सीतापुर में शारदा सहायक नहर के बायें किनारे दलदल पैदा हो जाने से वहां के निवासियों के सामने गम्भीर संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम नारायण वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस अविलंबनीय लोक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे तहसील महमूदाबाद के अनेकों परिवार भुखमरी के शिकार होने जा रहे हैं।

शारदा सहायक नहर के किनारे बायें ओर दलदल पैदा हो जाने के कारण सैकड़ों गांवों में हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो गई है। नहर के किनारे बसे हुए मुसैदाबाद नामक गांव के तीस घर जमीन में धंसकर नष्ट हो चुके हैं। अनेकों जानवर जमीन में धंसकर मर चुके हैं। दलदल पैदा हो जाने के कारण हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई है। कोई भी व्यक्ति दलदल में जाने का साहस नहीं करता है। अतः पूरे क्षेत्र में भुखमरी जैसी गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। न लोगों के खाने का ठिकाना है न रहने का। दलदल से प्रभावित गांवों के व्यक्ति किस समय जमीन में धंसकर मर जांय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण समस्या को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर अपेक्षा करता हूं कि प्रभावित लोगों को जीवन रक्षा हेतु कोई ठोस कदम उठाकर सम्भव सहायता कराने की व्यवस्था करे।

सुभाषनगर, इलाहाबाद में शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर आजाद व भगत सिंह की तस्वीरों को असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़े जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार दिनांक ३१ अक्तूबर १ नवम्बर, १९७८ को अर्धरात्रि में सुभाषनगर, इलाहाबाद में शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह की तस्वीरों को कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ा तथा आग लगाकर जला दिया, जिससे वहां की जनता में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता में अपने राष्ट्रीय महापुरुषों की तस्वीरों को अवमानना के कारण गम्भीर असन्तोष फैला हुआ है। इलाहाबाद पुलिस प्रशासन...

श्री अध्यक्ष---

मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है आप आखिरी अंश पढ़ें।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित---

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने का आदेश करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलीगढ़ के खैर सीमा में यमुना नदी के कटान से कतिपय ग्रामों की जमीन हरियाना में चले जाने से किसानों के सामने उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिला अलीगढ़ क्षेत्र खैर की सीमा हरियाना राज्य से मिलती है, मध्य में यमुना नदी है, यमुना नदी ने खैर क्षेत्र के तीन गांव महौवलीपुर, समसपुर तथा धारागढ़ी काट दिए हैं, जिससे पूरी आबादी तथा जोतने की जमीन का क्षेत्र हरियाना की तरफ चला गया है । अब ये किसान लोग साधन हीन हालत में उसी जमीन पर झोपड़ी डाले हुए पड़े हुए हैं न तो उनकी हरियाना सरकार ही मदद करती है और न उत्तर प्रदेश की सरकार ही । हमारी आपसे प्रार्थना है कि उन लोगों को वहीं बसाया जाय, जोतने के लिए जमीन दी जाय । जमीन बंजर पड़ी है । क्षेत्र किसी सरकार का रहे, वे लोग उसी सरकार को लगान दें और उसी प्रदेश के नागरिक रहें । वे लोग सहमत हैं ।

दिल्ली में लगे नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज के मेले में उत्तर प्रदेश के पवेलियन पर स्वीकृति से अधिक व्यय किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

माननीय, अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियमावली ३०१ के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज का फेयर प्रगति मैदान दिल्ली में लगा है, उसमें उत्तर प्रदेश के पेवेलियन पर २३ लाख रुपया खर्च किया गया है जबकि उसके लिये केवल ११लाख रुपये ही स्वीकृत थे । यह काम वास्तव में बिना किसी टेन्डर के अखबारों में प्रकाशित किये बिना किया गया है ।

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस अपव्यय की जांच कराकर इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कष्ट करेंगे ।

वाराणसी में आरक्षण विरोधियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति नष्ट किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में निम्न तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं :--

मान्यवर, वाराणसी में कल, परसों आरक्षण विरोधियों ने ९ बसें जलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया और लगभग २ लाख रुपये की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई तथा आकाशवाणी की एक जीप जला दी, इसके साथ ही अब तक ६० आरक्षण विरोधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में धान के क्रय केन्द्रों में वृद्धि करने की मांग के विषय को नियम ३०१ ३८५ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

प्रदेश में धान के क्रय केन्द्रों में वृद्धि करने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में धान के क्रय केन्द्रों को समुचित रूप से न चलाने के कारण किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न है। धान के क्रय के केन्द्रों के अभाव में व्यापारी मनमाने भाव पर धान खरीद रहे हैं तथा जो थोड़े से धान के क्रय केन्द्र खोले गए हैं उन पर भी धान की बहुत कम खरीद की जा रही है तथा किसानों को परेशान किया जा रहा है। वस्तुतः किसान मजबूर होकर अपना धान सस्ते रेट पर बेच रहे हैं। इससे किसानों की क्रय शक्ति का ह्रास होने के साथ ही चोर बाजारी को बढ़ावा मिल रहा है।

इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश में ब्लाक स्तर पर धान के क्रय केन्द्र तत्काल चालू किए जायं।

मेरठ में श्री जगत सिंह के यहां पड़ी डकैती की घटना की जांच तथा श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य विधान सभा की सुरक्षा की मांग

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके समक्ष एक घटना रखना चाहता हूं, जिससे मेरा सम्बन्ध है। दिसम्बर, १९७८ को मेरठ में मेरे साथी श्री जगत सिंह, एडवोकेट के वहां डकैती पड़ी और उसकी सूचना मेरे छोटे भाई, जो ए० डी० जे० सी० हैं, ने लालकुर्ती थाने पर दरोगा को दिया। मैं वहां मौजूद नहीं था। दरोगा से मेरे भाई ने कहा कि श्री जगत सिंह के घर में डकैती पड़ रही है और आप चले जायं, जिस थाने पर सूचना दी गई, वहां का दरोगा बेस्ट इंवेस्टीगेटर का प्राइज लेकर यहां से गये हैं, दरोगा ने उस पर कहा कि मुझे मालूम है कि वहां डकैती पड़ रही है, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे भाई ने उनसे यह भी कहा कि डकैतों ने मुहल्ले वालों के घरों में ताला लगा दिया है और एडवोकेट के घर का सारा सामान सड़क पर निकाल कर डाल दिया है। उन का घर गिरा दिया था और सारा सामान सड़क पर डाल दिया। जब कुछ चारा नहीं रहा, तो मेरे भाई मेरे साथी नरेन्द्र सिंह, एम० एल० ए०, छपरौली, उनके पास गये। और नरेन्द्र सिंह जी खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारे साथी हैं, यहां पर डाका पड़ रहा है, पुलिस जाने को तैयार नहीं है, तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नरेन्द्र सिंह जी के कहने पर मौके पर गए। सिटी मैजिस्ट्रेट तथा एस० पी० सिटी भी मौके पर गये। सारे मुहल्ले के लोगों ने उन्हें बताया अभियुक्त के मकान की तलाशी ले लीजिए। उन लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, रिपोर्ट दर्ज कीजिए बाद में देखेंगे। उनके सामने मकान गिरा हुआ था। उनके सामने सारे मुहल्ले के लोगों ने बताया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, मैं जब यहां से गया तो मैं जिलाधीश से मिला और कहा कि यह घटना जब हम लोगों के साथी के साथ घटित हो सकती है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे रह सकता है? उन्होंने कहा कि व्यवस्था करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह नियम ३०१ का प्रश्न है या...

श्री अध्यक्ष--

यह मैंने पहले भी कहा है, जब माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमको धमकी दी गई गोली मार देंगे, तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

एक सूची बना लीजिए एक-एक सदस्य की कि कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्हें गोली की धमकी दी गयी और कितने शेष रह गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जैसे-जैसे आते रहेंगे, विचार होता रहेगा ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैं देव बहादुर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मैं इस घटना को लाचार हो कर सदन के सामने बता रहा हूं । कल मुख्य मन्त्री जी से चर्चा की थी । मान्यवर, उसके बाद मैं यहां आया । तीन दिन तक प्रतीक्षा की कि कोई कार्यवाही हो जाय, किसी से बात न करनी पड़े । कल एक साथी आये, उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने डाका डाला, वह हमारे यहां ए० डी० एम० सिरोही के कोई रिस्तेदार हैं । यहां के एस० पी० यहां पर मौजूद हैं । जिलाधीश के पास जाने से पहले मैंने उनसे कहा कि यदि आपको दिक्कत हो तो मैं मुख्य मन्त्री से कह सकता हूं, होम मिनिस्टर से कह सकता हूं । उन्होंने कहा कि आप चिन्ता मत करिये, इस में कार्यवाही होगी । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस पर कुछ नहीं किया गया । मैं इस घटना का बैक ग्राउन्ड बताता हूं । मकान मालिक संतोष सिरोही है । मकान का सारा सामान एक जगह रखा हुआ है । डाकू सामान वापस करने के लिए तैयार नहीं हैं । उन्होंने कहा कि जो मकान को खाली करा देंगे तो दस हजार रुपये का डकैती का माल दे देंगे नहीं तो तोमर साहब को भी गोली मार दी जायगी (शेम-शेम की आवाजें) मैं सदन के सामने कम से कम गलत चर्चा या गलत आरोप लगाना नहीं चाहता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कर ली जाय और जांच करने के बाद यदि मैं गलत पाया गया तो मैं सदन को छोड़ दूंगा, त्याग-पत्र दे दूंगा । मैं सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं । इस बात की जांच करा ली जाय कि पचास आदमियों ने डकैती डाली, इस बात की जांच करा ली जाय कि जब मेरा छोटा भाई पुलिस के पास गया और रिपोर्ट की कि डकैती डाली जा रही है तो दरोगा मौके पर नहीं गए, इस बात की जांच करा ली जाय कि नरेन्द्र जी के कहने पर सिटी मैजिस्ट्रेट और वहां के एस० पी० सिटी मौके पर गये तो सारे मुहल्ले के लोगों ने कहा कि नहीं । इन सब बातों की जांच करा ली जाय कि ये सही हैं या नहीं । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यदि इनमें जरा भी झोठ होगा तो मैं सदन छोड़ दूंगा । मान्यवर, मुलजिम वहां के ए० डी० एम० के रिस्तेदार हैं या नहीं, इसकी जांच की जाय और उन को गिरफ्तार किया जाय । यह घटना मैं लाचार होकर सदन के सामने रख रहा हूं ।

(श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग क्या चाहते हैं. . . (व्यवधान) . . . यह तो अनुचित है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, एक सदस्य ने अपनी बात कही . . . .

(व्यवधान)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

यही मेरा कहना था ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं गृह मन्त्री जी को सुनना चाहता हूं । कृपया आप लोग शान्त रहें और शोर न करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, केवल एक-एक मिनट हम लोगों को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार से नहीं । जिसको अपनी सुरक्षा का खतरा था, उसको इजाजत दे दिया । अब इस पर विवाद नहीं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, विवाद नहीं सुझाव की बात है ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

केवल सुझाव देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप लोग ३/४ माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये । सिर्फ नेगी जी को इजाजत देता हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने सूचना दी कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है । उनको कुछ लोगों ने इसके लिए धमकी दी । अभी दो माननीय सदस्यों की हत्या भी हो चुकी है । उसमें से केवल यही नहीं कि उनकी हत्या हो गयी बल्कि माननीय शिवराज सिंह जी ने माननीय मुख्य मन्त्री जी को पत्र भी चार महीने पहले लिखा था कि उनके जान का खतरा है । लेकिन मुख्य मन्त्री जी खामोश रहे । इसी तरह से माननीय प्यारे लाल जी का मामला था । उनसे भी खामोश रहे । कल इस पर सदन में चर्चा हुई । कानपुर के विधायक ने चार पत्र मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि उनकी जान खतरे में है । माननीय उदित नरायन शर्मा जी इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और मन्त्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]--

मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा । लेकिन चार महीने बाद भी मुख्य मन्त्री जी ने उनका कोई जवाब भी नहीं दिया । वह शासक दल के विधायक हैं । मुख्य मन्त्री जी से मिल चुके हैं । गृह मन्त्री जी से मिल चुके हैं । लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आज तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की ।

तो मान्यवर, यह तो शासक दल के विधायकों के साथ हो रहा है । खुदा न करे, मुझे कहीं से कुछ थ्रेट मिला, तो मेरे ख्याल से, यहां तो कुछ होगा नहीं । अभी भगवती सिंह जी का विशेषाधिकार का प्रश्न है । यदि उसमें मौका देंगे तो कहूंगा । मान्यवर, माननीय सदस्यों की सुरक्षा के प्रति अब इस सरकार का कोई प्रबन्ध नहीं है । ला एन्ड आर्डर की क्या स्थिति है, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन जब माननीय सदस्यों पर और वह भी शासक दल के सदस्यों पर इस तरह का हमला हो रहा है तो यह बड़े शर्म की बात है । खेद है कि मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी बैठ-बैठ देख रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं । यह तरीका नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

जब हम लोगों की मौत हो जायेगी, तब तरीका को लेकर क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री रियासत हुसैन--

केवल आधा मिनट हमको दे दें ।

श्री श्याम धर मिश्र--

आध-आध मिनट में हम लोग कह लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं । मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री श्याम धर मिश्र--

अब आप खड़े हैं, तो हम बैठे जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस तरह से इजाजत नहीं देता ।

श्री श्याम धर मिश्र--

[***]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । आप जो कुछ कह रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री श्याम धर मिश्र--

न हो । यह तो हम लोगों को कत्ल कराना हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । मैं बिल्कुल इजाजत नहीं देता ।

श्री श्याम धर मिश्र--

सरकार आज हत्यारी हो रही है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, अब आप ही हम लोगों के रक्षक हैं । बिना आपके अब हम लोगों की रक्षा नहीं होगी । यह सरकार हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकती ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मुख्य मंत्री जी को आप बुलवायें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर कई एम० एल० ए० सरकार को लिख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है । अब आप ही हम लोगों के रक्षक हैं । आप इसकी कोई व्यवस्था करें । आप देखें कि हम लोगों की रक्षा कैसे हो ? अब हम इन पर विश्वास नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष--

अब और नहीं...

एक सदस्य--

जब बाराबंकी में एक विधायक जिन्दा जला दिया गया था तो आवाज नहीं की ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत रहें । किसी भी प्रश्न को उपस्थित करने का आखिर कोई ढंग होता है ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री श्याम धर मिश्र--

जब हम लोग मर जायेंगे तो ढंग को लेकर क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप जिन्दा है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

लेकिन मर जायेंगे तो क्या स्वर्ग में कहेंगे ? क्या स्वर्ग की लोक सभा और विधान सभा में कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से चिल्ला कर कम से कम आप जैसे एक शिष्ट सदस्य का प्रहार नहीं करना चाहिये । आप बैठ जाइये । यह आपका प्रहार अत्यन्त आपत्तिजनक है । माननीय सदस्य को मैंने एक अवसर दिया कि वे सदन के संज्ञान में वह तथ्य लायें । सदन के संज्ञान में वह लाए तो आपके चिल्लाने से तो कोई इसकी व्यवस्था नहीं होगी । मैंने गृह मंत्री जी को बुलाया कि माननीय सदस्य की शिकायत पर क्या आप कार्यवाही कर रहे हैं ? जब भी मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात आई, मैंने मुख्य मंत्री जी को निर्देश दिया कि माननीय सदस्यों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाए ।

*श्री राम सिंह (गृह मन्त्री)---

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय तोमर जी ने जिस दुखद घटना का यहां जिक्र किया है और जिस तरह के तथ्य उन्होंने यहां प्रस्तुत किये हैं, मैं उन्हें सौ फीसदी सही मानता हूं । दुर्भाग्य मेरा यह है कि इस घटना की जानकारी यद्यपि तोमर जी कल और परसों हम लोगों से बराबर मिलते रहे लेकिन इत्तफाक से वे मुझे इसकी जानकारी न दे सके । तो उस घटना के तथ्यों को सही मानकर और जो विवरण उनके पास होगा वह मैं उनसे ले लूंगा और उस पर भी पूर्ण रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने के बाद जिस दिन सदन खुलेगा उस दिन सारी बातें सदन के सामने रखूंगा । जिस तरह की घटना जानकारी में आई है, अगर अधिकारियों ने वास्तव में इस तरह की बात की है तो मैं हर सम्भव कोशिश करूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन हो ।

श्री राम आसरे वर्मा--

लेकिन उनके खिलाफ जांच कौन करेगा ?

(बिजली चली गई)

(शेम-शेम के नारे लगाये गये)

श्री देव बहादुर सिंह--

जब तक बिजली नहीं है तब तक विद्युत् मंत्री बोलें ।

श्री अध्यक्ष--

१५ मिनट के लिए सदन स्थगित किया जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर सदन की कार्यवाही बिजली के अभाव में स्थगित की गयी । सदन की कार्यवाही १ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

(संस्थागत वित्त मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मेरी बात रह गयी थी । मैं यह कह रहा था कि उस सिलसिले में चाहे पुलिस के अधिकारी हों चाहे पुलिस के दूसरे मातहत अधिकारी हों । अभी मैंने माननीय तोमर जी से बात-चीत किया है । उनका मेरठ के जिलाधिकारी के ऊपर पूरा विश्वास है । मैं उनसे दो दिन के भीतर जांच कराकर अपनी संस्तुति भेजने के लिए आदेश दूंगा और वे जिस ऐक्शन की सिफारिश करेंगे वह ऐक्शन लूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, उस वक्त में जनरल बात कहना चाहता था लेकिन आपने आज्ञा नहीं दिया । सदन में अंधेरा हो गया और आप उठ गये ।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि ऐसा लगा कि आपकी बात सही नहीं है । इसलिए सदन में अंधेरा हो गया ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आप सही कह रहे हैं । मैं तो साधारण सी बात कह रहा हूं । दो दिन से यह सदन चल रहा है । तीन-चार सदस्यों के बारे में बराबर यहां उठ रहा है और नोटिसें आ रही हैं कि कत्ल होगा । भगवती सिंह जी यहां बैठे हैं । हामिद रजा साहब बैठे हैं । इन लोगों ने मुख्य मंत्री जी को दो-चार पत्र भी लिखे । लेकिन बावजूद मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखने के मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो माननीय सदस्य चाहेंगे सेक्योरिटी देंगे । भगवती सिंह ने चाहा तो सितम्बर में उनको १५ दिन के लिए सेक्योरिटी दी गयी उसके बाद वापस ले लिया गया । तो हम लोग किस तरह से अपनी रक्षा करें ? मुख्य मंत्री के अलावा आप हमारे रक्षक हैं । इस गम्भीर मामले पर बहस होनी चाहिए । जैसा हमने कहा क्या हम लोग इस सभा को स्वर्ग या नरक में ले चलेंगे । मान्यवर, आपको तो स्वर्ग ही मिलेगा, हो सकता है हम लोगों को नरक मिले । हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए । शतरुद्र प्रकाश जी आपका तो कत्ल होगा नहीं क्योंकि आप भदोही नहीं वाराणसी के हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

हम कत्ल के लिए आपकी तरह रिरियायेंगे नहीं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मेरा कहना यह है कि इन गुण्डों को कन्ट्रोल करने के लिए गुण्डा ऐक्ट लागू किया जाय । हम लोग इससे बहुत पीड़ित हैं और उधर के लोग भी पीड़ित हैं । आप हमारे रक्षक हैं । इसलिए हमें आपकी सहायता मिलनी चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रियासत हुसेन--

मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि यहां पर हम सब जितने भी लोग बैठे हैं सार्वजनिक जीवन की रोजाना की जो भी समस्यायें हैं उसमें दखल देना ही पड़ता है। अफसोस की बात तो यह है कि जो बात माननीय सोहनवीर जी ने कही वह चाहे मुकदमा चल रहा हो या मकान का झगड़ा हो, इतना लाइटली कह देना कि सोहनवीर सिंह आयेंगे तो उन्हें गोली मार दी जायेगी इस प्रकार की घटनाएं बराबर हो रही हैं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि इस वक्त के हालात को देखकर मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि मौजूदा सरकार बिलकुल नाकाबिल साबित हुई है। चाहे आप शैडो दे दें या बन्दूकधारी लगा दें। मैं आपसे सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि इस माननीय सदन के सदस्यों की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आप लें। क्या तरीका निकलेगा। मुख्य मंत्री से बैठकर बातचीत करें और आप घोषणा कर दें कि यह तरीका अपनाया है और हम जिम्मेदार हैं माननीय सदन के सदस्यों की सुरक्षा के लिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अभी तक जनता पार्टी के विधायकों की जान को ही खतरा पहुंचा है, विपक्ष के एक भी सदस्य की सुरक्षा का सवाल पैदा नहीं हुआ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय सदस्य ने एक लांछन लगा दिया। मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गयी। हम लोग कुछ कहते नहीं हैं। जब जनता पार्टी वालों की कोई नहीं सुनता तो हमारी कौन सुनेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

सब लोग बोल लेते हैं। मुझे इजाजत नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष--

आपके साथ कोई घटना घटी हो तो इजाजत ले लीजिये। तब अपनी बात कहिये।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

कई बार लिखकर दिया गया, मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री से भी मिले लेकिन किसी ने नहीं सुना। आप कहते हैं कि मुझ से इजाजत ले लेते। कम से कम मौका तो दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह जी ने एक प्रस्ताव पेश कर दिया। मैंने निर्देश भी दिया है। रियासत हुसैन साहब कहते हैं कि सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। अब अगर आपको सरकार में विश्वास नहीं है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइये या फिर तीन साल तक प्रतीक्षा कीजिये।

श्री देव बहादुर सिंह--

तब तक कोई नहीं बचेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

उसके लिये बलिदान भी करना पड़ सकता है। आज तीन बजे मैंने नेताओं की मीटिंग बुलाई है। अलीगढ़ के साम्प्रदायिक प्रश्न पर कब बहस हो इस प्रश्न को वहां लिया जायगा। आये दिन जो यह प्रश्न आता है कि सदस्यों की जान को खतरा है दो सदस्य मारे गये कल अग्निहोत्री जी ने चर्चा की और आज सोहन वीर सिंह जी ने चर्चा की जो आपकी भावनायें हैं, क्षोभ है वह सदन में पूरी तरह से व्यक्त हो गया है तो तीन बजे मैं स्वयं मुख्य मंत्री जी से तथा अन्य नेता भी होंगे उनसे इस प्रश्न पर बातचीत करूंगा कि स्थिति में कैसे सुधार हो? अगर सदस्यों का जीवन सुरक्षित नहीं है तो वह स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात भी नहीं कह सकते। तो उस मीटिंग में इसका प्रयास किया जायगा कि कैसे इसकी व्यवस्था हो।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

सदस्यों से आप यह कहिये कि वे अपनी आदतें भी बदलें जिनके कारण उन पर हमला होता है। वे अच्छे नागरिक बन कर चलें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। गनेशी लाल जी ने जो कहा है वह पूरे हाउस का अपमान है। श्री गनेशी लाल चौधरी ने कहा कि अपनी आदतें बदलें। इसका मतलब है कि हम सब लोगों की आदतें खराब हैं।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि हाउस के किसी भी माननीय सदस्य की आदत गलत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। मैं कार्यवाही देख लूंगा अगर कोई भी आपत्तिजनक शब्द होगा तो उसको निकाल दूंगा।

*श्री राम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय तोमर जी के विषय पर आपसे निवेदन कर दिया। अब मैं आपके माध्यम से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं इसलिए नहीं कि कोई भावावेश में आकर बात कह रहा हूं बल्कि बराबर दो तीन रोज से इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि मुझे ख्याल था कि जब श्री देव बहादुर सिंह जी के प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसमें मौका मिलेगा अपनी बात कहने का और मेरे लिए मुमकिन होगा पिछली घटनाओं का भी कुछ उल्लेख कर पाऊं क्योंकि जिस तरह से घटनाओं की चर्चा हुई है वह गंभीर हैं उन पर सबको चिंतित होना स्वाभाविक है। घटनायें आज नई हुई हों ऐसी बात नहीं है। इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजनारायण मिश्रा का कत्ल हुआ था वह आपकी सरकार में हुआ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह--

पहले कोई बात हुई इसलिए अब भी होगी यह कोई तर्क नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

उसी प्रकार अब आप कत्ल कराना चाहते हैं ।

श्री राम सिंह--

मैं उसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सुन लीजिये, जरा रुकिये ।

(व्यवधान)

आप लोग शांत रहें । यह कोई तर्क नहीं है । यह सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि न केवल विधायकों की बल्कि सभी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करे

श्री राम सिंह--

मैं उन घटनाओं का जिक्र नहीं करता ।

श्री श्यामधर मिश्र--

कांग्रेस खराब थी इसलिए गई ।

श्री राम सिंह--

जिस किसी भी माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित, अपने से सम्बन्धित या अपने कार्यकर्त्ताओं से सम्बन्धित इस प्रकार की आशंका हो तो वह कृपा कर मुझे लिख कर दे दें या जबानी बता दें ।

(व्यवधान)

हाउस में चर्चा होती है तो वह बात मेरे सामने आ जाती है । इस तरह की कोई घटना हो तो मुझे बतायें ।

श्री मुकन्दी सिंह (जिला बिजनौर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो मिनट का समय चाहता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं और सारे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरा १६ साल का लड़का सतीश कुमार पहली अक्तूबर से लापता है । मैं इसकी सूचना शासन को और गृह मन्त्री को दे चुका हूं । आज दो महीने ८ दिन हो गये उसका पता नहीं मैं बहुत ही नत मस्तक आपसे कहना चाहता हूं अगर विधायक के बच्चे का पता न चले तो वह आदमी जो थाने की दीवार तक भी नहीं जा सकता है उसका क्या होगा ? मेरा अपना ३०, ३५ साल का जीवन संघर्ष में गुजरा है । मेरा बच्चा नहीं मिल पा रहा है मुझे शासन से यकीन भी नहीं है कि मेरे बच्चे का पता लगा पायेगा । मेरे क्षेत्र का कोई आदमी या कोई बहिन कुछ कार्य के लिए मेरे पास आती है कि मेरे साथ गुंडा गर्दी हुई है तो लोग उससे कहते हैं कि वह अपने बच्चे का जब पता नहीं लगा पा रहे हैं तो तुम्हारी रक्षा क्या

करेंगे ? मान्यवर, सारे भवन में आज इस बात की चर्चा हो रही है और बड़ा रोष है । मेरे बच्चे का पुलिस दो महीने ८ दिन से कोई पता नहीं लगा सकी है तो इस तरह से एक विषम वातावरण यहां हो रहा है । मैं गृह मंत्री से त्याग-पत्र की मांग करता हूं । जनता विधायक होने के नाते बड़े सम्मान से यह बात मैंने कही है । थाने में एम० एल० ए० की बात नहीं सुनी जाती है । इस तरह की भावना बढ़ती चली जा रही है । किसी भी थाने में सम्मानपूर्वक बात नहीं सुनी जाती है । मेरा विनम्र निवेदन है कि गृह मंत्री की यह असफलता है वह त्याग-पत्र दे । अगर विधायकों का रोष इस प्रकार रहा तो उपद्रव ही होगा ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब कोई विवाद नहीं ।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मैंने जो दिया था, काशीपुर में जो दो मर्डर हुए थे, उनके बारे में मन्त्री जी ने कहा था कि उसके खिलाफ जांच कराने के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी । किन्तु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसमें तफतीश को बदल दिया गया और वह आज तक वहीं मौजूद है ।

(व्यवधान)

यह सदन कैसे चलेगा ? जब आपका ऐलान हो जाए और उस पर कार्यवाही न हो ? इस शासन का रिकार्ड इतना गन्दा हो चुका है, जितना ३० साल के शासन में नहीं मिलता है । उन्हें शासन पर लगे बदनुमा दागों को धो देना चाहिए और अपना इस्तीफा दे देना चाहिये ।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष में कुछ सदस्यों द्वारा खड़े होकर झड़प करने पर)

श्री अध्यक्ष--

हरी सिंह जी, यह अत्यन्त अशोभनीय और लज्जा की बात है । आप लोग इस सदन की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार से व्यवहार करें, जैसे बाहर व्यवहार करते हों, तो यह उचित कतई नहीं है । आप तो हरी सिंह जी पुराने सदस्य हैं । थोड़ी, कम से कम आपको शिष्टता से काम लेना चाहिए, यह अत्यन्त अनुचित और अशोभनीय है ।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-२ की विज्ञप्ति**

*संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-२ की दिनांक १५ नवम्बर, १९७८ के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस० टी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**छापी नहीं गयी ।

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]--

२-५९९ ८/दस--३(२७)-७७-उ०प्र०अधि० १५-४८-आदेश-७८, दिनांक १५ नवम्बर, १९७८ को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-घ की उपधारा (८) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की अधिसूचना**

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की दिनांक २८ अक्तूबर, १९७८ के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना सं० एस० टी० २-७०८७/दस--३(१)-७५-ऐक्ट-७४/५६-नियम-७८, दिनांक २८ अक्तूबर, १९७८ को केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचनायें एवं शुद्धि-पत्र

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की--

(१) अधिसूचना सं० एस० आर०-१०७५/दस--५००(५९)-७८, दिनांक २५ मार्च, १९७८ ;

(२) अधिसूचना संख्या एस०आर०-१४२७/दस--५२५(३)-७५, दिनांक ३० अप्रैल, १९७७ की शुद्धि-पत्र सं० एस० आर०-२२२३/दस--५२५(३)-७५, दिनांक ३० नवम्बर, १९७७ सहित ;

(३) अधिसूचना सं० एस० आर०-१२५९/दस--५५०(१७)-७२, दिनांक ३१ मई, १९७७ को शुद्धि-पत्र सं० एस०आर०-२५६२/दस--५५०(१७)-७२, दिनांक ९ दिसम्बर, १९७७ सहित ;

(४) अधिसूचना सं० एस० आर०-१८५०/दस--५००(१)-७५, दिनांक २४ जून, १९७६ को शुद्धि-पत्र सं० एस०आर०-३६८४/दस--५००(१)-७५, दिनांक २४ नवम्बर, १९७८ सहित तथा ;

(५) अधिसूचना सं० एस० आर०-३७१६/दस--५०१(१५)-६३, दिनांक २० दिसम्बर, १९७६ को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री मुहम्मद मसूद के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा के पिछले सत्र में अभिसूचित कुछ ऐसे विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान के प्रश्न उस सत्र की समाप्ति के समय लम्बित थे, जिन पर

**छापी नहीं गयी ।

मेरा निर्णय अपेक्षित था। इनमें से पांच प्रश्नों पर मैंने निर्णय ले लिया है, जिनके विषय में मैं सदन को सूचित कर रहा हूं:—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय श्री तिवारी का शिकायत थी कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उनके २३ अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की नीयत से गलत दिया था। श्री तिवारी ने दिनांक २३ अगस्त, १९७३ को यह प्रश्न पूछा था कि "क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जिला अस्पताल में स्थित कोरोनरी इंटेन्सिव यूनिट का भवन पूरा होने के बावजूद अभी तक स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?" माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने इसके उत्तर में यह कहा था कि "भवन निर्माण तथा बिजली फिटिंग आदि का कार्य ३१ जुलाई, १९७८ को पूरा हो गया है। बिजली का कनेक्शन शीघ्र मिलने वाला है। इसके बाद भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इस कार्य में विलम्ब नहीं हुआ है अतः किसी के दोषी होने तथा उसे दंड देने का प्रश्न नहीं उठता।" उससे पूर्व श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने २९ मार्च, १९७८ को भी इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था। उसके अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय तथा माननीय श्री तिवारी के बार बार कार्य पूरा करने के प्रश्न पर बल दिये जाने पर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने यह कहा था कि "कार्य मार्च, १९७८ तक पूरा कर देंगे, अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं ?" इस सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के लिखित स्पष्टीकरण से विदित होता है कि दिनांक २३ अगस्त, १९७८ को श्री तिवारी के उक्त प्रश्न के उत्तर में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं किया था। इसके अतिरिक्त श्री तिवारी की सूचना में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उक्त मंत्री, श्री मुहम्मद मसूद खां, ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिए कोई असत्य कथन किया था। अतः मैंने इस प्रश्न को अग्राह्य कर दिया है।

स्वतन्त्र भारत के सम्पादक के विरुद्ध हसीना डाकू वध सम्बन्धी समाचार के विषय में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष —

श्री देव कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा, ने 'स्वतन्त्र भारत' के सम्पादक के विरुद्ध दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना इस आधार पर दी थी कि उक्त समाचार-पत्र के अंक में 'हसीना डाकू वध कांड पर वक्तव्य देने का निर्देश' शीर्षक से जो समाचार छपा है उसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा शासन को वक्तव्य देने हेतु निर्देश दिये जाने का असत्य समाचार छपा है और उसके अतिरिक्त श्री देव बहादुर सिंह का नाम भी गलत छापा गया है और यह लिखा गया है कि इन्दिरा कांग्रेस के श्री देव बहादुर आजाद और श्री रणजीत सिंह जूदेव द्वारा इस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया गया था जब कि श्री देवबहादुर सिंह का कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं था।

[श्री अध्यक्ष]

इस सम्बन्ध में 'स्वतन्त्र भारत' के सम्पादक से स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ के स्वतन्त्र भारत के पृष्ठ ३ पर 'हसीना डकू वध कांड पर वक्तव्य देने का निर्देश', शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार एक संवाद एजेन्सी द्वारा प्रेषित समाचार के आधार पर छापा गया था। इस सम्बन्ध में दिनांक ३० अगस्त, १९७८ के कार्यवृत्त को देखने से यह विदित होता है कि यद्यपि उपर्युक्त विषय पर नियम ५६ की २ सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी मैंने यह निर्देश दिया था कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो जावे। इस प्रकार 'स्वतन्त्र भारत' के दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ के अंक में छपा यह समाचार सारतः सही था कि मैंने उक्त विषय पर सरकार को वक्तव्य देने का निर्देश दिया था।

जहां तक श्री देव बहादुर सिंह का नाम गलत छापे जाने और उनके द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के समाचार का प्रश्न है उसके विषय में 'स्वतन्त्र भारत' के २ सितम्बर, १९७८ के अंक की जो कतरन भेजी गयी उससे विदित होता है कि भूल सुधार करते हुए इस आशय का समाचार छापा जा चुका है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव वास्तव में श्री देव कुमार यादव का था।

इससे स्पष्ट है कि स्वतन्त्र भारत में जानबूझकर सदन की कार्यवाही का गलत प्रतिवेदन नहीं छापा गया था और जो भूल हुई थी उसका सुधार उक्त समाचार पत्र के दिनांक २ सितम्बर, १९७८ के अंक में कर दिया गया है। अतः मैंने विशेषाधिकार के इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी है।

दैनिक स्वतन्त्र भारत के विरुद्ध श्री संगम लाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री संगम लाल शुक्ल, सदस्य विधान सभा, ने दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को हिन्दी दैनिक 'स्वतन्त्र भारत' के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना इस आधार पर दी थी कि दिनांक ३० अगस्त, १९७८ को श्री गुलाब सेहरा के प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था जिस पर कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी। उक्त आपत्ति पर मैंने व्यवस्था देते हुए कहा था कि कार्यवाही देखूंगा और इसे निकाल दूंगा, किन्तु ३१ अगस्त १९७८ के 'स्वतन्त्र भारत' के अंक में यह प्रकाशित किया गया कि श्री संगम लाल ने उक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए कुछ ऐसे वाक्य कहे जिन्हें उन्हीं के दल के विधायकों की आपत्ति के कारण सदन की कार्यवाही से निकालना पड़ा। माननीय सदस्य का कहना है कि वास्तविकता यह नहीं थी और 'स्वतंत्र भारत' ने जानबूझकर सदन की कार्यवाही का गलत ढंग से प्रकाशन किया जिससे सदन का अवमान हुआ।

इस सम्बन्ध में 'स्वतन्त्र भारत' के सम्पादक से स्पष्टीकरण मांगा गया था 'स्वतन्त्र भारत' के सम्पादक ने अपने ६ सितम्बर, १९७८ के उत्तर में कहा है कि उन्होंने दिनांक २ सितम्बर, १९७८ के अंक में २ समाचारों के सम्बन्ध में अपेक्षित स्पष्टीकरण छाप दिए हैं और उक्त स्पष्टीकरण की कतरन भी संलग्न की है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शोरगुल में अध्यक्ष के वाक्य के पूर्व अंश सुनाई न देने से यह गलती हो गयी। इस प्रकार इस मामले में जानबूझकर सदन की कार्यवाही को गलत ढंग से प्रकाशित करने के आधार पर सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता। अतः मैंने इस प्रश्न को अग्राह्य कर दिया है।

स्वतन्त्र भारत में विद्युत् मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही के छपे कार्टून के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री श्यामधर मिश्र तथा देव बहादुर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को 'स्वतन्त्र भारत' के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना इस आधार पर दी थी कि ४ सितम्बर, १९७८ के स्वतन्त्र भारत के पृष्ठ ४ पर एक कार्टून और उसके नीचे कविता की दो पंक्तियां छापा कर उन्होंने विद्युत् मंत्री श्री शाही का उपहास किया था। संदर्भित कार्टून तथा उसके नीचे लिखी पंक्तियों से श्री शाही पर व्यंग किया गया था परन्तु इसके द्वारा श्री शाही द्वारा विधान सभा में किए गये किसी कार्य अथवा भाषण की आलोचना व्यक्त हुई प्रतीत नहीं होती और कार्टून के सम्बन्ध में अवधान मानने की प्रथा भी यहां नहीं रही है। इसके अतिरिक्त श्री शाही विधान परिषद् के सदस्य हैं और उनके सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न विधान परिषद् में ही उठाया जा सकता है। अतः मैंने विशेषाधिकार के इस प्रश्न को अग्राह्य कर दिया है।

(व्यवधान)

हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दिये गये विद्युत् मंत्री के वक्तव्य पर उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

हिन्डालको कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विद्युत् मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही द्वारा राज्य मंत्रिमंडल के तीन अन्य मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों के विपरीत बयान दिये जाने तथा इस प्रकार सदन तथा मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व का कथित विरोध किये जाने के आधार पर सर्वश्री श्यामधर मिश्र तथा देव बहादुर सिंह ने दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ को श्री शाही के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी थी। उनके अनुसार माननीय विद्युत् मंत्री ने ३१ अक्तूबर, १९७७ को यह वक्तव्य दिया था कि केन्द्र से हिन्डालको को अर्जित करने के लिये कहा गया है। माननीय विद्युत् मंत्री का यह बयान माननीय सदस्यों के कथनानुसार दिनांक ३१ मई, १९७८ के 'पायनियर' में छपा था परन्तु प्रश्नगत सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ३१ अक्तूबर, १९७७ को दिये गये वक्तव्य का समाचार सात महीने के पश्चात् ३१ मई, १९७८ के समाचार-पत्र में क्यों प्रकाशित हुआ। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। सूचना में यह भी दोषारोपण नहीं किया गया है कि माननीय विद्युत् मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने हेतु कोई गलत बयानी की है जिसके आधार पर वे विशेषाधिकार की अवहेलना के दोषी हैं। आरोप केवल यह है कि श्री शाही ने मंत्रि परिषद् के संयुक्त उत्तरदायित्व की अवहेलना की है। (व्यवधान) संयुक्त उत्तरदायित्व की अवहेलना के सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। इसके लिये मौलिक प्रस्ताव लाया

[श्री अध्यक्ष]

जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय शाही विधान परिषद् के सदस्य हैं, इसलिये उनके विरुद्ध विधान परिषद् में ही विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अपमान का प्रश्न उठाया जा सकता है, विधान सभा में नहीं। अतः उक्त कारणों से मैंने इस प्रश्न को भी उठाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आपने हमको सुना भी नहीं, नियमावली में जब कि यह है कि आप हमें सुनेंगे। आप सुनते तो हम साबित कर देते कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सुनना आवश्यक नहीं है। नियमावली में यह भी लिखा है कि अध्यक्ष के निर्णय के बाद कोई आपत्ति नहीं करना चाहिये।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद एक सूचना माननीय हरि केवल प्रसाद की है। श्री हरिकेवल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है।

माननीय सदस्य की शिकायत है कि उन्होंने गोरखपुर मंडल के जनपदों में महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था न होने सम्बन्धी पत्र माननीय मुख्य मंत्री एवं शिक्षा सचिव को १९ जुलाई, १९७८ को लिखा था जिसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने उन्हें ७ अगस्त, १९७८ को दिया कि कार्यवाही हेतु सचिव, शिक्षा को निदेश दे रहा हूं। परन्तु शिक्षा मंत्री ने ६ दिसम्बर, १९७८ की कार्य सूची के नत्थी 'ग' के अतारांकित प्रश्न संख्या २२, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या उक्त आशय का कोई पत्र किसी जन प्रतिनिधि माननीय मुख्य मंत्री तथा शासन को १६ जुलाई, १९७८ को मिला है, के उत्तर में कहा "जी नहीं।"

माननीय श्री हरिकेवल प्रसाद का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया, तथ्यों को छिपाया और इस प्रकार विशेषाधिकार की अवहेलना की।

इस सूचना में माननीय श्री हरिकेवल प्रसाद ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र और उक्त प्रश्नोत्तर को संलग्न करने की बात कही है किन्तु अपनी सूचना के साथ कोई भी संलग्नक प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में नियम ६४ के के अन्तर्गत यह सूचना अग्राह्य है।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

न्यिवर, माननीय मंत्री जी के पत्र की प्रतिलिपि जो मुझे प्राप्त हुआ

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था, मूल रूप में वह पत्र मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और जो उत्तर मुझे मिला था कि जो नहीं, प्रश्न नहीं उठता, दोनों को मैंने आपके सामने भेज दिया है ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि आपका कोई इस आशय का पत्र ही नहीं प्राप्त हुआ और मुख्य मंत्री जी का पत्र मुझे ७ अगस्त को प्राप्त हुआ है और उसमें साफ लिखा है कि शिक्षा निदेशक को कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट कर रहा हूं और शिक्षा मंत्री मुझसे कहते हैं कि इस आशय का कोई पत्र ही नहीं प्राप्त हुआ । ये इनकार किये हैं, तो मान्यवर, यह तो जानबूझ कर किसी भी जनप्रतिनिधि का पत्र अगर शासन में प्राप्त होता है, हम चिट्ठी लिखते हैं, कार्यवाही के लिए, जनता की भावनाओं को साकार करने के लिए और मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दे दिये हैं और सम्बन्धित मंत्री कहते हैं कि कोई पत्र ही नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका पत्र मैंने अभी देखा है । और वह पत्र जो आपने दिया है, जब मैंने इसका निर्णय किया था, तब संलग्न नहीं था । यह अभी जब यहां पर बैठा था, तब आकर दिया है । तो अब इस पत्र को देखने के बाद और माननीय शिक्षा मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगने के बाद मैं अपनी व्यवस्था दूंगा ।

फैजाबाद के जलालपुर थाने के थाना इंचार्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा, श्री दीप नारायण पाण्डेय, श्री श्याम धर मिश्र, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने फैजाबाद जनपद के जलालपुर थाने के इंचार्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आप से निवेदन है कि भगवती प्रसाद सिंह जी को सुन लें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैंने इसी विषय के संदर्भ में २९ अक्तूबर, १९७८ को जनता पार्टी के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, पुलिस की साठ-गांठ से, जिसकी सूचना मैंने लोक महत्व के विषय में मान्यवर, आपको दिया और इसकी शिकायत गृह मंत्री, गृह सचिव और मुख्य मंत्री और आपको मैंने दर्जनों बार दिया और मान्यवर, जब मेरे क्षेत्र में आप गये, मैंने दिया, दो बार इसकी सूचना मैंने जीरो आवर में दी, आपने अमान्य कर दिया । तीसरी बार मैंने दिया, उसको भी स्वीकार नहीं किया गया । मैंने गृह मंत्री को सर्किट हाउस, फैजाबाद में स्पष्ट सारी बातें बताया, उन्होंने ऐडमिट किया । [***] १५ सितम्बर की रात को ९ बजे हमारे यहां पानी का संकट था, हमारे जलालपुर नगर में, १० दिन से पानी नहीं था, जिलाधीश को मैं फोन करके उत्तर ही रहा था, हमारे जनता पार्टी के माननीय

नोट --[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

विधायक जो यहां पर बैठे हुए हैं, [* * *]

मान्यवर, १५ सितम्बर को जैसे ही मैं उस दूकान से उतरा मेरे ऊपर गालीगलौज देते हुए हमला किया गया। मान्यवर, तुरन्त मैं पुलिस स्टेशन गया। वहां जाकर थानेदार से कहा, उन्होंने कहा, चलिये मैं देखता हूं। मान्यवर, मैं उनके साथ जैसे ही उस दुकान पर गया वहां [***] मेरे ऊपर जूतों और डंडों से हमला कर दिया। थानेदार मौजूद थे। उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी पर दरोगा और पुलिस के अन्य लोग आये और फिर मुझे भी थाने अरेस्ट करके ले गये और तीन आदमियों को और ले गये। मुझे थाने में रखा मेरे साथियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया कि इनसे मिलाई नहीं हो सकती। अन्य लोगों के पास हजारों की तादाद में भीड़ लगी रही। मैंने कहा कि चालान कर दीजिये। उन्होंने कहा कि मैं ८ बजे सुबह बजे चालान करूंगा। ९ बजे तक मुझे दातून नहीं दी गयी, पानी तक से वंचित किया गया। ४ बजे डी० वाई० एस० पी० और एस० डी० एम० आये, वह कहते हैं आप अरेस्ट नहीं है।

मान्यवर, इसकी सूचना मैंने आपको स्वयं २९-३० अक्तूबर को दिया। २०-२१ अक्तूबर को अखिलम्बनाथ लोकमहत्व प्रश्न के रूप में दिया। मुख्य मंत्री को पत्र लिखा, खुद ६ सितम्बर, ८ सितम्बर को मिला और कहा कि मेरे ऊपर दुर्घटना होने वाली है। मान्यवर, एक दल ऐसा है जो यह करा रहा है। मान्यवर, मैं आपको न्यायिक मानता हूं, निष्पक्ष मानता हूं, गार्जियन मानता हूं। आप मेरे गार्जियन हैं अपने दिल की टटोलिये। मान्यवर, आप मेरे क्षेत्र में पधारे थे। माननीय तिवारी जी मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं। आप गुंडों के साथ उचित कार्यवाही नहीं कर सके हैं। जो हिस्ट्रीशीटर हैं वह जनता पार्टी में हैं उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कराया, यह अच्छी बात नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि सूचना नहीं दी जाती है। बड़े दुख की बात है मैंने गृह मंत्री से इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में मिलकर सूचना दी। मैं स्वयं लखनऊ आया। मैंने आपको लिखित दिया लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। क्या मेरे मरने के बाद जब मैं नर्क में जाऊंगा, क्या आप वहां नर्क में सुरक्षा करने जायेंगे, गृह मंत्री भी नर्क में जायेंगे देखने। मान्यवर, मैं अकेला अपनी पार्टी का सदस्य हूं। मान्यवर, इसलिये मेरे साथ दुर्व्यवहार जनता पार्टी के लोगों से करा रहे हैं। पुलिस की जीती जागती मिसाल यह है।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त कीजिये, आपकी बात हो चुकी। आप यह विशेषाधिकार पर कह रहे हैं।

(शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

नोट :--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के प्रश्न की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, नियम ३०० के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, व्यवस्था के बारे में सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये अपनी जगह पर । व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न कीजियेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । मैं कभी अनुशासनहीनता का व्यवहार नहीं करता लेकिन मान्यवर, सारी मान्यताओं को आप तोड़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । इस प्रश्न पर मैं निर्णय नहीं कर रहा हूं । शिकायत यह है कि इनकी गिरफ्तारी की सूचना यहां पर नहीं दी गयी । यह सदन का अपमान है । मैंने इस प्रश्न की जानकारी के लिये गृह मंत्री के पास आज ही भेजा है । तो इस सम्बन्ध में जब उनकी सूचना आयेगी उसके बाद ही मैं कोई निर्णय दूंगा । इस प्रकार से बार-बार कहना और इस प्रश्न को लेकर सदन की कार्यवाही न चलने देना यह ठीक नहीं है जबकि मैं आज इस प्रश्न को नहीं ले रहा हूं । जो अन्य प्रश्न विशेषाधिकार के प्राप्त हुये हैं उनको मैं अगले दिन लूंगा ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री भगवती प्रसाद सिंह ने एक भाषण दिया, उन पर जो हुआ उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है और उनकी हिफाजत हो, यह ठीक है । उन्होंने भाषण के दौरान यह कहा कि आप, अध्यक्ष, विधान सभा, जब वहां गये तो [**] के वहां खाना खाया । उत्तर प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष [**] के वहां खाना खाये, यह आरोप है जो कि उचित नहीं है । इसलिये इसको सदन की कार्यवाही के निकाल देना चाहिये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस पीठ से व्यवस्था दिया है कि इस आदरणीय सदन में आक्षेप और आरोपपूर्ण कथन यहां नहीं किये जायेंगे । अनेक सूचनाओं को आप संशोधन कर देते हैं और उनको मानते हैं । तो जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, जनता पार्टी के [**] ने ऐसा कराया, तो यह कथन असंसदीय, घोर आपत्तिजनक और आक्षेपपूर्ण है । जो श्री शतरुद्ध प्रकाश ने कहा वह ठीक कहा कि यह आपके ऊपर स्पष्ट आक्षेप है । इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

चाहता हूं कि क्या यह कथन इस कार्यवाही के अंग बने रहेंगे या यह आक्षेपात्मक और आरोपात्मक कथन इस कार्यवाही से निकालने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जो आपत्तिजनक शब्द हैं उनको कार्यवाही देखने के बाद मैं निकाल दूंगा। श्री भगवती प्रसाद सिंह जब बोलते हैं तो वह आवेश में आकर बोल जाते हैं और कहते हैं कि वह अकेले सदस्य हैं। इसलिये इस प्रश्न को मैं नहीं ले रहा हूं और श्री शत्रुघ्न प्रकाश तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है तो मैं कार्यवाही देखकर जो असंसदीय और आपत्तिजनक शब्द हैं उनको निकाल दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं, मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने जो कहा कि कार्यवाही देखने के बाद असंसदीय कथन कार्यवाही से निकाल देंगे। लेकिन मान्यवर, यह घटना आपके सम्मुख और सदन में घटी है, सब लोगों ने सुन है और आपका ध्यान भी गया है। तो कार्यवाही देखने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। इसलिये निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके, जो वक्तव्य दिया है, उसको आक्षेपात्मक समझकर निकाल दें।

श्री अध्यक्ष--

मुझको फिर भी देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आपत्तिजनक है और उसके बाद ही असंसदीय बातों को निकाल दूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, पहली बात यह कि कहां तक असंसदीय शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया यह देखना आपका दायित्व है और यह भी देखना दायित्व है कि इस प्रकार मेम्बरों पर कीचड़ न उछाला जाय। अपने निर्देशों की अवहेलना करके जो लोग अपनी बात सदन में उठाते हैं क्या उन को आप इस तरह की छूट देंगे कि जो बात वह कहना चाहें वह कहें और उसके बाद व्यवस्था होगी कि कार्यवाही देखने के बाद असंसदीय शब्दों को निकाल देंगे। मान्यवर, दूसरी बात मुझ पर व्यक्तिगत उन्होंने आक्षेप लगाए हैं। इसलिये मुझको व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष --

स्पष्टीकरण के लिये मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। कोई भी सदस्य जिसके बारे में आक्षेप है वह सदन में स्पष्टीकरण दे सकता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय भगवती प्रसाद सिंह ने अपने भाषण में कहा कि मेरे पाले हुये गुन्डों द्वारा उन पर हमला हुआ, मेरी शह है। तो मैं चुनौती देना चाहता हूं सदन के सामने माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी को कि सदन के जिस व्यक्ति में उनका विश्वास हो उसको मान लें और वह वहां जाकर जांच कर आवें और अगर वह यह रिपोर्ट देते हैं कि कोई घटना उनके साथ हुई और मेरा उसमें कोई हाथ था तो जो भी सजा

सदन वेगा में उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा । मैं इससे भी आगे जाकर कहना चाहूंगा कि इस सदन के बाहर भी अगर वह अपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को यह जांच सौंपना चाहें और वह अपनी रिपोर्ट आपके समक्ष भेज देगा तो भी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा । लेकिन मान्यवर, एक स्थिति है । माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी के प्रति कुछ शिकायतें थीं । जनता पार्टी ने उनके चरित्र के बारे में, उनके आचरण के बारे में, कारनामों के बारे में लिखकर आप को दिया था । यह भी शिकायत की गयी थी कि जिस घर में माननीय विधायक जो जलालपुर में रुकते हैं [**] में अपनी बात....

श्री अध्यक्ष--

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी....(व्यवधान) आप लोग बैठें । रवीन्द्रनाथ तिवारी जी आप कृपया उसका जिक्र न कीजिए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, केवल आपकी स्मरण शक्ति को रिफ्रेश कर रहा था कि जब आप जलालपुर गये थे तो मेरे निमन्त्रण पर आप नहीं गये थे । इसे माननीय सदस्य भी जानते हैं । एक सन्यासी के विशेष आयोजन पर आप बुलाये गये थे । आप इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष हैं और इस नाते हम लोग जहां भी आप जाते हैं अपने जिलों में शिष्टाचारवश आपका सत्कार करते हैं । इस नाते अगर वहां मैं रहा तो उसको माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं आपका पालतू हूं, आप मुझे बढ़ावा देते हैं इन हरकतों के लिए या मैं मुख्य मंत्री जी का पालतू हूं । सारा सदन जानता है कि मुख्य मंत्री जी का मैं कैसा और कितना पालतू हूं ।

श्री अध्यक्ष--

इसका क्यों स्पष्टीकरण देते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं यह कहना चाहता हूं कि दो बातें तो रोकी ही जानी चाहिए । एक तो मैं देखता हूं कि चाहे कोई भी सदस्य खड़ा हो जाता है और सारे अशब्द, सब कुछ कह जाता है और अंत में आप यह व्यवस्था दे देते हैं कि कार्यवाही में देख कर असंसदीय शब्दों को निकाल दूंगा । यह परिपाटी, आप के साथ पूरा तरह से सम्मान प्रदर्शित करते हुये कहने के लिए मैं मजबूर हूं, गलत है । इस पर व्यवस्था देनी चाहिए कि जैसे ही कोई सदस्य असंसदीय शब्दों का प्रयोग करे आप फौरन वहीं पर टोक दें यह नहीं कि बाद में कार्यवाही देख कर निकाल दें । दूसरी बात जैसा मैंने कहा जो भी उन्होंने मुझ पर आरोप लगाये हैं वह किसी व्यक्ति से जिस पर उनको विश्वास हो, अपने राष्ट्रीय या प्रान्तीय स्तर के किसी नेता को ही अधिकृत कर दें, इसकी जांच करा लें और मैं उस जांच रिपोर्ट को मानूंगा ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिये । आप बैठिये ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

नोट--[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष--]

आप बैठिये । आप बैठ जाइये । (व्यवधान) मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने भाषण में कोई आक्षेप किसी सदस्य पर या किसी व्यक्ति पर जो इस सदन का सदस्य नहीं, लगाते हैं वह अपने भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और रवीन्द्र नाथ तिवारी ने जो ध्यान आकर्षित किया है, वह सही है । लेकिन कठिनाई है कि हमारा सदन केवल नियमों से नहीं चल सकता है । अगर सदस्यगण इस बात पर कृतसंकल्प हैं कि हम कोई व्यवस्था नहीं रखेंगे और यही चाहते हैं तो फिर कैसे होगा ? आप जानते हैं कि जब श्री भगवती प्रसाद सिंह खड़े होते हैं, उसके बाद में इतने तेज गति से उनकी गाड़ी चलती है कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर,....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । जो बात उन्होंने कही, मैं कहता हूं कि यह नेताओं का कर्तव्य है कि इस प्रकार सदस्यों को थोड़ा नियंत्रण में लाने का प्रयास करें । यहां प्रश्न सिर्फ इतना सीमित है कि इनको गिरफ्तार किया गया । उसकी सूचना मेरे कार्यालय में आयी कि नहीं, मैं नहीं कह सकता । मैं गृह मंत्री से मालूम करने के बाद, अगर सूचना नहीं प्राप्त हुयी तो अवश्य ही यह विशेषाधिकार का प्रश्न होगा । आज और कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं ले रहा हूं ।

एक सदस्य--

लड़की वाली बात इसको निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने कहा कि आक्षेप है । मैंने अनुमति नहीं दी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

छोटा आक्षेप नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसकी इजाजत नहीं दी । जैसे उन्होंने शब्द का उच्चारण किया, मैंने कहा कि मैंने अनुमति नहीं दी ।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । विशेषाधिकार की सूचना, मैं समझता हूं, एजेंडे पर है । आपने ३-४ विशेषाधिकार के प्रश्न लिये और आपने आज्ञा दे दी । हमारा प्रश्न यह है, श्रीमन्, जिसको कृपया ध्यान से सुनें और दिक्कत को दूर करें जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न की बात है, आपने जो आज्ञा दी, वह पिछले सत्र में जो उठाये थे, उनको दी । तो अगर आप पिछले विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय देना चाहते हैं तो कम से कम उन माननीय सदस्यों को सूचना तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दे ही दिया करें। अब एकाएक आपने सूचना देकर निर्णय देना शुरू किया तो दिक्कत हो जाती है। हमें यह भी नहीं मालूम रहता कि किया कि नहीं। ऐसी सूरत में हम लोगों की जो दिक्कतें होती हैं, उन पर ध्यान देने की कृपा करें। अगर ऐसे ही एकाएक यहां बैठे हुये आज्ञा देना शुरू किया तो किस तरह से करेंगे। निश्चितरूप से आपके सचिवालय से हमें सूचना होनी चाहिये इसके बारे में। मैं कोई टेक्निकलटी की बात नहीं उठा रहा। मैं तो सुविधा के लिये उठा रहा हूं। आज नहीं, तो कल सही। लेकिन आगे के लिये व्यवस्था करें कि जो ऐसी बात होगी उसमें हमें सूचना मिल जायेगी ताकि हम अपनी बात रख सकें।

श्री अध्यक्ष --

यह जो आपने बात की है, वह नियमानुसार नहीं है। जो नियम ६३ में आता है, ग्राह्यता की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष को अधिकार है। यदि वह निर्णय करने में सहायता चाहता है तो वह सदस्य से मालूम करेगा। फिर एक उपवेशन में एक लिया जा सकता है, इससे ज्यादा लिया नहीं जा सकता जब वह उपवेशन नहीं हो रहा है, जो सूचनायें मिलीं इसकी कोई व्यवस्था नहीं। इसको मैंने देखकर निर्णय दे दिया। उसमें उन्होंने शिकायत की उसकी आवश्यकता मैंने नहीं समझी इसलिये इस प्रकार की कोई परिपाटी डालना उचित नहीं होगा। दीप नारायण जी आज मैं आपके प्रश्न को नहीं ले रहा हूं।

*श्री दीप नारायण (जिला गोंडा)--

जो मैंने दिया है वह बड़ा इम्पटेंट प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जिस तरीके से छपा है, मैंने लिखकर आपके पास भेजा है। इसमें यह २ दिसम्बर, १९७८ के 'करेन्ट' में यह छपा है, इसके सम्पादक ने छापा है कि खुलकर कहा गया कि रामनरेश यादव की सरकार को रखने के लिये दस हजार मुसलमानों की और इतने-इतने लोगों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा इम्पटेंन्ट मैटर है और मैं यह सोचता हूं कि यह सदन की अवमानना है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको आज नहीं ले रहा हूं।

श्री श्याम धर मिश्र--

मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब आप लायें तो बता दिया करें।

श्री अध्यक्ष--

मुझे जब किसी सदस्य की सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य कहूंगा।

विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)†

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

मान्यवर, विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में विभिन्न सदस्यों की सूचना के आधार पर मुझे वक्तव्य देना था। मैं केवल निवेदन यह करना चाहता हूं कि...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†७ दिसम्बर, १९७८ की कार्यवाही से।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, वक्तव्य है कहां ? लिखित कापी नहीं मिली ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, यह व्यवस्था का सवाल है । अगर इतना ही केवल सुनना था तो वह हम कल ही सुन चुके थे ।

*श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मैं तो समझता था कि तिवारी जी, मिश्र जी कल रात से जो हड़ताल चली है उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में क्या स्थिति बनी है, इसे जानने के लिये जनहित में आतुर होंगे लेकिन वे इसे जानने के लिये आतुर नहीं हैं । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कि विस्तृत वक्तव्य की किन कारणों से हड़ताल हुई, किस प्रकार की हड़ताल है, मैं सूचना केवल इतनी देना चाहता हूं कि कल रात १० बजे से विद्युत् कर्मचारी हड़ताल पर गये हैं । उन्होंने जो संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी अपनी विभिन्न संगठनों की, उनकी घोषणा के आधार पर । शासन ने जैसा पूर्व घोषित किया था कि हम वैकल्पिक तैयारी कर लेंगे । मुझे इस बात की घोषणा करते हुए सन्तोष अनुभव होता है कि वैकल्पिक तैयारी के कारण सारे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति पूर्ववत् है और उत्पादन पूर्ववत् है बल्कि थर्मल के क्षेत्र में ओबरा में जो सूचना मिली है, कुछ उत्पादन बढ़ा है । मान्यवर, इसके साथ सारे प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनें बराबर हमारी सुरक्षित हैं और इन सबको करने में जिन लोगों ने हाथ बंटाया है विशेष कर के हमारे इंजीनियर्स ने, जिन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण दिया कि कल दोपहर तक वे वर्क टु रूल की मांग कर रहे थे, वे कह रहे थे कि हम नियमानुसार काम करेंगे । उन्होंने जनता की परिस्थिति और आज की विषम परिस्थिति की कल्पना में अपनी सारी मांगों को भूल कर काम में जुटे हुए हैं । मान्यवर, बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था ठीक है और यह भी एक सूचना सदन को दे दूं कि श्रमिक नेताओं के साथ कल १० बजे रात तक मैं तथा हमारे मंत्रि-मंडल के अन्य सहयोगी मंत्री, जिन की एक उप समिति बनी है, बात कर रहे थे । उनकी मांग इतनी बड़ी है कि हम अपनी सीमाओं में उसे बांध नहीं पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

विद्युत् मंत्री जी, आप कितने बजे वक्तव्य देंगे ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या श्रमिक नेताओं के साथ सरकार का कोई वार्तालाप इस वक्त हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहा है कि वार्ता हो रही है । तो विद्युत् मंत्री जी, आप कितने बजे वक्तव्य देंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

आपसे इसमें सहायता चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कक्ष में इस समय वार्ता चल रही है, मैंने सूचना दे दी। मैं बड़ा अनुगृहीत हूंगा अगर सदन यह अनुमति दे कि छुट्टियों के बाद जिस दिन सदन बैठे उस दिन वक्तव्य दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य जिसका कोई मतलब न हो उससे कोई लाभ नहीं। माननीय विद्युत् मंत्री जी ने सदन को अवगत करा दिया कि यह स्थिति है और यह भी मैं चाहूंगा कि अगर सदन के उठने से पहले मुख्य मंत्री जी से, जो वार्ता हो रही है अगर उसमें कोई सफलता मिलती है तो उससे भी आप सदन को कृपया अवगत करा दें और पूरा वक्तव्य आप बाद में दे दें।

श्री झदल--

मान्यवर, मंत्री जी जिद पर अड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके मजदूरों की मांगों को स्वीकार कर लें।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज मेरे पास नियम ५६ के अन्तर्गत श्री श्याम धर मिश्र तथा श्री देव बहादुर सिंह की एक सूचना है कि वर्तमान सरकार ने लोकतांत्रिक प्रणाली को छोड़कर सहकारिता, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा कृषि उत्पादन मण्डी में मनमाने ढंग से बिना किसी मापदण्ड के नामजदगी किया है यह सर्वथा अलोकतांत्रिक है। इस प्रश्न पर आप देखें कि नियम ५८ का उपनियम (७) यह है "प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके।" यह सदन सरकार की कार्यक्षमता में अविश्वास करता है तो उसको अधिकार है कि वह या तो नियम १०३ में प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तुत करें।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, अपना निर्णय देने के पूर्व सहायता के प्रश्न पर मुझे सुन लें। मेरी कठिनाई को तो सुन लें। जो मैंने और देव बहादुर सिंह ने प्रस्ताव दिया है वह बिलकुल स्पष्ट है। स्वायत्तशासी संस्थाएं जैसे जिला परिषद् आदि और सहकारिता संस्थाएं और कृषि उत्पादन मण्डियों में आप देखें कि बिना किसी मापदण्ड के नामजदगियां हो रही हैं। मापदण्ड भी नहीं बताया जा रहा है। उस सम्बन्ध में अगर यह कहा जाय श्रीमन् कि नियम १०३ या नियम ५२ में लायें तो नियम १०३ की भी अपनी सीमा है। हमारा सदन केवल सात-आठ दिन का हो रहा है और उसके पहले कुछ निर्णय ही किया जा सकता है। यह अविलम्बनीय तथा लोक महत्व का विषय है। घटना अभी की है। अभी भी नामजदगी हो रही है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो नामजदगी हुई है इन तीन प्रकार की संस्थाओं में उसके लिए कोई मापदण्ड नहीं है। कौन सा व्यक्ति इस प्रकार के मापदण्ड में आता है, इसके बारे में पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। केवल कुछ मंत्रियों के घटकवाद के अनुसार चुनाव करके नामजदगी हुई है और मैं तो श्रीमन् के जिले बुलन्दशहर की बात बताऊं कि वहां पर यह घटकवाद काम कर रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष होने के बाद मैं किसी जिला विशेष से संबंधित नहीं हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र--

आप अध्यक्ष होने के बाद भी जिला बुलन्दशहर से खारिज नहीं हुए हैं । इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं कहूं कि आप बुलन्दशहर जिले के हैं । हो सकता है आगे चल कर यह सरकार आपको जिला खारिज कर दे जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं । यह बात कहें तो मैं मान सकता हूं क्योंकि यह त्रिपाठी जी और यादव जी की सरकार इसके लिए सक्षम है । अगर कोई नियम ५६ में ऐसी व्यवस्था है तो हमने किया है और इस पर आपको कार्य-स्थगन करना चाहिए और इस पर विचार करने देना चाहिए । नियम १०३ तथा ५२ की सीमायें हैं । आप स्वतः पीठासीन होकर, अपने कक्ष में बैठकर इन सीमाओं के अन्दर, आप कहेंगे कि आपको आज्ञा नहीं देना । हर जगह आज्ञा न देने के लिए आप नहीं हैं, आप आज्ञा देने के लिये भी हैं, और यह ऐसा विषय है जिसमें आप आज्ञा अवश्य दें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें । सरकार यहां यह कहती है कि मंडी समिति तथा अन्य जितनी संस्थायें हैं उनके चुनाव अविलम्ब करायेंगे । इस बहाने वह अपने-अपने घटक के लोगों को नामिनेट कर देती है जिससे सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आघात हो रहा है । जितनी सत्ता है उसे विकेन्द्रित किया जायगा लेकिन चुनाव न करा कर अपने-अपने आदमियों को नामिनेट करके और नौकरशाही के हाथ में इन संस्थाओं को देकर यह सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने जा रही है । इसलिए सारे काम रोककर हमारे प्रस्ताव पर विचार किया जाय ।

*श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्र जी जो अभी बोल रहे थे मेरी समझ में उन्होंने अपने बोलने के अधिकार का कुछ अतिक्रमण किया । उन्होंने आपका नाम लिया । सारा प्रोसीडिंग देख ली जाय और उससे वह भाग निकलवा दिया जाय । उसे मैं दोहराना नहीं चाहता । अगर उनको आपने यह छूट दे रखी है कि वह आपको जो चाहे कहते चले जायं तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैंने बुलन्दशहर का नाम लिया था । अध्यक्ष के लिये कुछ नहीं कहा था । आप गलत कहते हैं ।

श्री कल्प नाथ सिंह--

श्याम धर जी कहते हैं कि मैं गलत कहता हूं । उन्होंने आप पर आक्षेप करते हुए यह कहा है कि आप सरकार का पक्ष लेते हैं, इसके लिये मैं माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैंने कहा था बुलन्दशहर । इसे कार्यवाही में दिखला लिया जाय ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

श्री मिश्र ने मेरे जिले के सम्बन्ध में कहा। उस पर मैंने कहा अध्यक्ष होने के बाद मेरा किसी विशेष जिले से सम्बन्ध नहीं है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि यह कोई स्कूल तो है नहीं और न किसी को इतना सेंसिटिव ही होना चाहिये। उन्होंने जो कहा मैं समझता हूं कि उन्होंने स्वयं अपनी ही भर्त्सना की। यह माना हुआ सिद्धान्त है जैसा महाभारत में भी कहा है "युधिष्ठिर के लिये भर्त्सना हुई" यह भर्त्सना ही उनके लिये काफी है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो मैं उसे देख लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, सदन में अगर मैं यह कहूं कि वाक् स्वातंत्र का दुरुपयोग हो रहा है तो यह आक्षेप हो जायगा लेकिन यह बात सही है कि इसका युक्तिसंगत उपयोग नहीं हो रहा है। समितियों में नामांकन के बारे में कानून में व्यवस्था है, उसके अनुरूप नामांकन किया गया। नामांकन किसका किया गया उसके औचित्य के बारे में विवाद हो सकता है लेकिन उसके बारे में अलग से प्रस्ताव लाना उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या माननीय सदस्य सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनको भी बोलने का अधिकार है। उनकी बात आप सुनिये।

श्री देव बहादुर सिंह—

मंत्री जी से कहलवाइये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें मेरा मान्यवर, स्पष्टरूप से निवेदन है कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक बिल्कुल अनावश्यक बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रस्ताव की ग्राह्यता को अस्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए मेरा यह भी निवेदन है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यदि किन्हीं बातों को मात्र उभारने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको आप इसकी अनुमति न दें।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसमें कई दफा नेताओं से भी इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ। वास्तव में कार्य-स्थगन प्रस्ताव जब किसी भी सबस्टेंन्टिव प्रस्ताव के जरिये कोई बात उठाई नहीं जा सकती है और सदन में प्राथमिकता लेने के लिए उसे विवाद का विषय बनाने के लिए सदन के अन्य कार्यक्रमों को स्थगित करना है, तो उसे दिया जाता है। इसीलिए नियमों में व्यवस्था की है। मैं जानता हूं कि अगर श्री श्याम धर जी भी पीठासीन होते तो यही कहते। इसमें मेरी मजबूरी है। मैंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने गलत नामजदगी की है तो उनकी भर्त्सना कीजिये, आप समझते हैं कि सरकार ने निकम्मापन किया है तो अविश्वास का प्रस्ताव लाइये। नियम ५८ (७) में लिखा है कि प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा

[श्री अध्यक्ष--]

सके । लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि सदस्यगण स्वयं नियमों के मालिक बन जाते हैं और आज्ञा की जरूरत नहीं समझते हैं । तो एक परम्परा बनानी होगी । यह कठिन है कि मैं प्रत्येक सदस्य को बतलाऊं । सदस्यों को संयम से काम करना होगा । नियमों के बारे में ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर अज्ञानी बन जायं । थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे जान सकते हैं । मैं समझता हूं कि श्याम धर जी स्वयं जानते थे कि यह प्रस्ताव अग्राह्य है । लेकिन जैसा राजेन्द्र कुमार जी ने कहा सदन में लाने के लिए इस अवसर का प्रयोग किया । इसलिए मैं इस प्रश्न को अग्राह्य करता हूं ।

दूसरा श्री आरिफ मोहम्मद खां का है कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध राजनैतिक उद्देश्य से की गई कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए कार्य-स्थगन प्रस्ताव । इसको भी मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मुझे एक मिनट का समय दें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप बैठें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

यह ज्यादती है । आपने और लोगों को सुना है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता । एक दिन में एक ही प्रश्न आ सकता है जिस पर मैंने एक बार सुन लिया है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

किसी मौके पर मुझे नहीं सुनते हैं । एक गंभीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर १० प्रश्न मेरे सामने कार्य-स्थगन के दे दिये जायं तो १० बार मैं ग्राह्यता के बारे में सुनूं तो यह दन नहीं चल सकता है । नियमों में लिखा है एक दिन में एक ही कामरोको प्रस्ताव लिया जा सकता है । लिहाजा मैंने एक कामरोको प्रस्ताव जो भी श्याम धर जी का था सुन लिया । इसकी मैं अब अनुमति नहीं देता ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं । मेरी जानकारी सही हो या गलत लेकिन यह व्यवस्था है कि इस सदन के समक्ष अगर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना हो तो उसकी नोटिस दी जा सकती है । मैंने उसकी कोशिश की उसमें भी मुझे इजाजत नहीं दी गई और एक प्रश्न अभी उठाया है कार्य-स्थगन का उसे आपने अस्वीकार कर दिया । हालांकि इससे पहले विशेषाधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की अवहेलना हुई हो तो उस सूचना को लिया गया है। लेकिन आपने मेरी बात को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने जो बात कही उस पर आपने कहा कि नहीं लिखी जायेगी। अभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर तीन-चार सदस्यों को सुना। लेकिन मेरे प्रस्ताव को आपने ग्राह्य नहीं किया है। अगर ग्राह्य कर लिया होता तो मेरा अधिकार नहीं था कि मैं कुछ कहूं, लेकिन जब आपने नामंजूर कर दिया तो हो सकता है मैं आपकी सहायता कर सकूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं, मैं तो बहुत कृतज्ञ हूं आपकी इस सहायता के लिए, लेकिन मुझे इस समय आपको तकलीफ नहीं देनी है।

(व्यवधान)

मैंने कहा है कि मैंने इसको अग्राह्य करार दे दिया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

तो मान्यवर, मुझको इजाजत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर नहीं है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८†

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ का अनुमोदन करता है। मान्यवर, लगातार चर्चा आई, जनता सरकार ने बड़ा शोरगुल मचाया कि यह सरकार देहात की तरफ जा रही है और इसने एक कमीशन बिठाया माननीय अशोक मेहता के चेयरमैनशिप में, उसकी मिटिंग्स हुई और टेलीविजन तथा अखबारों में भी उसका खूब प्रचार किया गया। उसकी कुछ सिफारिशें हैं। लेकिन मन्त्री जी को स्वयं मालूम नहीं है कि उसकी सिफारिशें क्या हैं? कल उसी सम्बन्ध में प्रश्न था, लेकिन बेचारे नहीं बता सके कि कौन-कौन सी सिफारिशें उस कमीशन की हैं और किन-किन को उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार कर चुकी है और कौन करता है।

(इस समय २ बजकर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए)।

फिर भी सरकार यह बिल ले आई। इसमें १८ वर्ष की आयु और डी० एम० को पूरा पावरफुल बना दिया है। यदि उसकी सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं और उन पर विचार कर रही है तो क्या कारण है कि अध्यादेश में उन सिफारिशों का समावेश नहीं कर दिया गया।

आज की नीति यह है कि लगातार चुनाव को टालते जायें। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव टाल दिये और उनको भंग कर दिया, जिला परिषदों का भी यही हाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी--]

किया और ब्लाक समितियों का भी आपने यही हाल किया और आपने प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त कर अपने सरकारी अधिकारियों को बिठा दिया। तो ऐसी कौन सी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं जिनमें आप चुनाव करा सके। चौधरी चरण सिंह जब पिछली बार बहुमत में आए, तो उन्होंने एक महीने के अन्दर पूरे प्रदेश में आम चुनाव करा दिये थे. लेकिन हमारे मंत्री लोग इतने समय में जिला परिषदों और ब्लाक कमेटियों के चुनाव नहीं करा सकते। पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। आज एक कानून लाए हैं, लेकिन कल फिर चुनाव टालने के लिए यही कहेंगे कि अशोक मेहता की सिफारिशें आयी हैं उनका भी इसमें समावेश कर लिया जाए, अर्थात् चुनाव टाल दिया जाएगा।

आज आपने पूरे प्रदेश को नौकरशाही के रहमो-करम पर छोड़ दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह जब उत्तर दें तो कम से कम इस बारे में कम से कम इस बात से सदन को अवगत कराएं कि कौन सी सिफारिशें अशोक मेहता कमेटी की हैं जिनको मान लिया है और क्या कारण है कि उन सिफारिशों को इस अध्यादेश के अन्दर ला नहीं सके।

दूसरे, माननीय मंत्री जी को मालूम था कि सदन चलने वाला है। आखिर कौन से कारण थे कि बिना सदन को बुलाये हुए इस तरह के अध्यादेश आपने जारी किये। एक परम्परा बन गयी है। कांग्रेस के जमाने की एक परम्परा चली आ रही है। जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल हूबहू, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। कहते हैं कि कांग्रेस ने यह किया। आप क्या कर रहे हैं? जो परम्परा कांग्रेस ने कायम की उसी परम्परा को कायम रखे हुए हैं। कांग्रेस राज्य में परम्परा था कि हाउस को कान्फिडेंस में मत लो और अध्यादेश के नाम पर राज्य चलाओ। वही परम्परा आपने शुरू कर दिया। क्या कारण है कि इस अध्यादेश को लागू किया? अगर हाउस बैठने वाला था तो कौन सा ऐसा कारण था कि इस अध्यादेश को लाए? और अगर विधान बनाना था तो कौन सी ऐसी अड़चनें थीं जो विधान सभा का अधिवेशन न बुला सके? ८-९ अध्यादेश टेबिल पर रखे गये हैं। अगर विधान बनाना जरूरी था तो क्या विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुला सकते थे? वह अप्रजातांत्रिक परम्परा जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है उसी परम्परा को जनता सरकार चला रही है। कृपा करके इस परम्परा को आप छोड़ने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ में सदन से निवेदन करूंगा इस अध्यादेश का अनुमोदन करें।

श्री श्याम धर मिश्र (वाराणसी)--

श्रीमन्, मैंने भी यह सूचना दिया है कि इस अध्यादेश का अनुमोदन किया जाय। श्रीमन्, मैं इसके पहले कुछ शुरू करूं मैं नियमावली की नियम १२० की ओर आपका ध्यान....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्याम धर मिश्र, आप बैठ जायं। पहले मंत्री जी को बोलने है फिर एक साथ बहस चलेगी।

ग्राम्य विकास उप मन्त्री (श्री छोटे लाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, पहले तो यह होता था कि पहले इस पर विचार हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, एक साथ दोनों चलेंगे । लोक सभा में यही प्रक्रिया है । दोनों एक साथ चलेंगे ।

श्री छोटे लाल--

मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश में गांव पंचायतों का चुनाव जल्दी करवाना है और जैसा कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बहुत माननीय सदस्य, १८ साल के व्यक्तियों को मताधिकार देने की बात किया करते थे, माननीय नेगी जी ने कई बार यह मांग की और इस मांग को ले कर जेल भी गये हैं हमने उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए पंचायत के चुनाव में मताधिकार की उम्र २१ साल से घटा कर १८ साल करने का प्राविधान इस विधेयक में किया है । इसके साथ-साथ चूंकि जल्दी चुनाव कराना है, सूचियां तैयार होनी है, इसलिए यह जरूरी था कि इस विधेयक को लाया जाय ।

दूसरे इसके साथ-साथ जो गांव पंचायतों में अब तक महिलाओं की उपेक्षा हुआ करती थी यह सब को जानकर खुशी होगी कि अब की बार गांव पंचायतों के चुनाव में यदि महिलाएं अनिवार्य रूप से चयन हो कर नहीं आती हैं तो उनको मनोनीत करने का भी प्राविधान है । उसके साथ-साथ बहुत से माननीय सदस्यों का मजदूर आन्दोलनों और खेतिहर मजदूरों से सम्बन्ध रहा है । अभी तक पंचायत राज में अनिवार्य श्रम करवाने का प्राविधान था । उसके बदले किसी भी तरह का पुरस्कार नहीं दिया जाता था । इसको समाप्त करके अबकी बार इस विधेयक के अन्दर यह प्राविधान है कि उन मजदूरों को जो काम करेंगे उनको भी वेतन देने का प्राविधान किया गया है । मेरा ख्याल है कि जो माननीय सदस्य चुनाव के बारे में आशंका प्रकट करते थे उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्हीं की भावनाओं की कद्र करते हुए यह विधेयक लाया गया है । उनकी आशंका है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव जल्दी नहीं कराये जा रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठायी थी कि चुनाव कब तक कराये जायेंगे । उसी की प्रक्रिया में यह सब है, जो इस विधेयक के द्वारा लाया गया है । मजदूरों के अधिकार गांव सभा के सभापति जो होते थे जो चुनाव में हार जाते थे और उसका चार्ज नहीं देते थे, उसके बारे में कठोर दन्ड का प्राविधान किया गया है । मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर यह बिल लाया गया है । चूंकि गांव सभा के चुनाव कराने का उद्देश्य है और इसमें क्षेत्र समिति और जिला परिषद् नहीं हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया जल्दी से शुरू हो जायं इसीलिए जो ३-४ बातें हैं उनको रखा गया है । मुझे उम्मीद है कि आप इसको पारित करेंगे जिससे आप सभी की भावना की कद्र हो सके ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, जिस समय यह संशोधन आया तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी इस सदन के पुराने सदस्य रहे हैं। १९६३ से बराबर आवाज होती रही है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट जो ओरिजनली १९४७ में पास किया गया था जिसको आज बने हुए ३१ साल हो गये हैं और एक जेनरेशन २० साल की बीच में निकल जाती है और वह एक ऐसा ऐक्ट था जो गांधी जी के वसूलों के अनुसार बना था कि अगर देश की उन्नति होते देखना है तो ७ लाख गांवों में जाकर देखो। गांव के लोगों को अपने झगड़ों को तय करने का अधिकार हो। यह १९४७ में ऐक्ट पास किया गया था। यह ऐक्ट दूसरे सूबों में भी पास हुआ।

१९६३ में जब श्रीमती सुचेता कृपलानी यहां पर मुख्य मन्त्री थीं तो उस समय से इस ऐक्ट में बराबर अमेन्डमेन्ट होते रहे और इस सदन में उन पर डिबेट होती रही। इस ऐक्ट में कुछ कमियां हैं, यह इतना बलदायक और मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में यह ऐक्ट पास किया गया। महाराष्ट्र में इस ऐक्ट के अधीन पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गये हैं। उनका काम करने का ढंग दूसरा है। इस ऐक्ट को किस प्रकार से अधिक बल मिले समय-समय पर कट मोशन आते रहे हैं तो यह सदन के अन्दर आता रहा और अब तो जनता पार्टी की सरकार आयी है, उसको तो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पूरी व्यवस्था पर विचार करके एक अकसर नौ विधेयक लाना चाहिये था ताकि प्रदेश की ग्रामीण जनता को भी मौका मिल सके।

मुझे यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अशोक मेहता समिति की यद्यपि २-३ सिफारिशों को इस विधेयक में लागू किया गया है, पर इस सदन को आज तक अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में क्या है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यह ठीक है कि इस विधेयक द्वारा इस ऐक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जायेगा, आपने १८ साल की उम्र भी कर दी है, पर कौन आदमी वोटर लिस्ट में रहेगा, कितने समय तक वह उस गांव में रहने पर उस लिस्ट में आयेगा, इसकी कोई अवधि नहीं रखी है। इसका पूरा डिस्क्रीशन जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया है। इसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन की बात है।

श्री गिरधारी लाल--(जिला बस्ती)

इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

इसके अन्दर डिस्क्वालिफिकेशन में यह लिखा है कि कौन व्यक्ति प्रधान नहीं हो सकेगा। आपने यह कर दिया है कि कोई भी विधान सभा का सदस्य या एम० पी० प्रधान नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि इस सदन के इस समय २०-२५ माननीय सदस्य ऊपर ऐसे होंगे जो अपने अपने गांव के प्रधान होंगे। जिस दिन से आपका यह ऐक्ट बना है मैं अपने गांव का प्रधान हूं। क्या आप यह चाहते हैं कि गांव की पालिटिक्स में ही माननीय सदस्य अपनी सारी ताकत लगा दें? यह मिसालें आपके सामने आनी शुरू हो जायेंगी। इससे बड़ी बू यह निकलती है कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों में पूरी ग्राम सभाओं को दे देना चाहिए। अगर ग्राम प्रधान की सीट वैकेन्ट हो जाय, वह मर जाय, उनको यह अथारिटी है कि वह गांव के किसी आदमी को बना दें। उनको साहब क्यों अथारिटी है? उन्हीं लोगों में जो बाकी मेम्बर पंचायत के हैं उनको क्यों नहीं अधिकार है? इसका नतीजा क्या होगा कि जो वहां बैठे हुए अधिकारी हैं, जो आपका सेक्रेटरी, मंत्री होगा, वह पोलिटिक्स चलाना शुरू करेगा या तो प्रधान जी मेरे कहने से बस्ता उठायें और यदि नहीं उठाते हैं तो अच्छा हम इन्तजाम कर देते हैं। यह जो इसे बू निकल रही है कि सारे अधिकार अधिकारी के हाथ में दे देना चाहते हैं, जो ७२-७३ हजार ग्राम सभायें हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी अंगूठा लगाने वाले हैं, काफी बड़ी तादाद में अब आपने यह कहा, गांव के आदमियों ने कहा।

श्रीमन्, मैं एक गांव का उदाहरण देता हूं। बीरपुर बरियार एक गांव है, जब से ऐक्ट बना, तब से वही प्रधान हैं। गर वह प्रधान चार्ज के लेने में, देने में कोताही करेंगे, तो सजा उनको कितनी मिलेगी, ३ साल। अगर कोई भी प्रधान गलत काम करता है, तो पेनल कोड खुला हुआ है, ए० डी० ओ० पंचायत को अधिकार है कि वह उनके ऊपर दफा लागू कर सकते हैं। इसी ऐक्ट के माहत शायद अलग चैप्टर खुल जायगा कि उसको तीन साल की सजा दे दी जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। श्रीमन्, इसमें तो माननीय मंत्री जी का, शासन का बड़ी जल्दी निर्णय हो गया कि प्रधान वगैरह न रहें, तो अधिकार अफसरों को दे दिया जाय। मैं फिर वह बात दोहराता हूं। तीस साल हो गये, एक जनरेशन बीत गयी। तीस साल में आपको चाहिए कि अशोक मेहता की रिपोर्ट को सामने रख कर, जो दूसरे दूसरे देशों की रिपोर्ट आई हैं, जो आपके इस सदन के सदस्य हैं और प्रधान भी हैं, उनसे मशविरा लेते। आपको जल्दी है कि पास हो जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल इस देश-प्रदेश की ९ करोड़ जनता के मुताबिक है। ९ करोड़ जनता के ऊपर यह अधिनियम लागू होगा।

श्रीमन्, आप इसमें क्लाजेज भी देख लीजिये, काफी हैं। और जो अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत किये गये हैं वह हर खंडों में हैं। तो इस बिल को २/४ घंटे में कैसे पास कर लिया जाय। ९ करोड़ जनता से यह सम्बन्धित है। सभी चीजों का आपको समावेश करके करना चाहिये। श्रीमन्, यू० पी० का जो कारपोरेशन ऐक्ट, १९५९ है उसका भी हवाला इसमें है। यूनाइटेड प्रोविंसेज ऐक्ट जो १९४७ का है उसका हवाला भी है। कई कई ऐक्ट का आप इसमें समावेश कर रहे हैं। श्रीमन्, टैक्स कैसे लगेगा? हिसाब-किताब कैसे रखा जायगा? श्रीमन्, अब भी ७२ हजार पंचायतों में हजारों ऐसी हैं जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं है। कोई लेजर बुक है ही नहीं। आप यह चाहते हैं कि

[श्री रियासत हुसैन--]

इनके पास पैसा हो, इनको बल मिले और गांव के विकास का काम करें। यह सारी चीजें आप करना चाहते हैं तो यह ऐसा मसला नहीं है कि २ घंटे में एमेन्डमेन्ट्स वगैरह हो गये और बिल पास हो गया। वैसे आप पास कर ही लेंगे।

लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि यह इतना अहम बिल है इसलिये एक हफ्ते में बैठकर, अपने पक्ष के लोगों को जिनको तजुर्बा है उनको बैठाकर, इधर के लोगों को भी बुलाइये और गम्भीरता से एक-एक चीज पर बहस हो और फिर इस तरीके का बिल लाया जाय जिसके अन्दर सब चीजें साफ हों तो इसको आप एक घंटे में पास कर लें। लेकिन अगर इस पर ६ महीने बाद फिर अमेन्डमेन्ट आये यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं। मंत्री जी नौजवान आदमी हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें।

*श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैंने भी एक प्रस्ताव दिया है। इस अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाय और साथ-साथ रियासत साहब ने एक प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने को दिया है। आपकी आज्ञा से यह दोनों मिला दिये गये हैं। इसमें जो दिक्कत आ गयी है उसको आप देखें। एक तो प्रस्ताव है कि निरस्त किया जाय और दूसरा है कि प्रवर समिति में भेजा जाय। तो अगर निरस्त कर दिया जाय तो प्रवर समिति में कहां रहता है? आपकी आज्ञा से इसलिये दोनों को जोड़कर कह रहा हूं। आप दिक्कत देखें। पंचायत राज ऐक्ट मेरे सामने है। मैंने इसको पढ़ा है, मंत्री जी ने भी पढ़ा होगा। ११३ धाराओं का यह ऐक्ट है जिसमें करीब-करीब ३०० नियम हैं। तो करीब-करीब ४०० नियम और धारायें हैं, और जो संशोधन प्रस्तुत है उसके द्वारा करीब-करीब ४३ धाराओं का संशोधन है।

माननीय मन्त्री जी बड़े धीरे से तीन-चार मिनट में धीरे से अदब से कह गये कि छोटी सी बात १८ वर्ष की, २१ वर्ष में कर रहे हैं, केवल चुनाव के सम्बन्ध में। लेकिन केवल यह बात होती तो कहते हैं कि ठीक है। क्या यह कहना चाहते हैं कि ४३ धाराओं का संशोधन २१ वर्ष से १८ वर्ष के लिये है, तो ऐसी बात नहीं है। श्रीमन्, आपने पढ़ा और देखा होगा तथा माननीय सदस्यों ने भी। श्री रियासत हुसैन ने जो कहा कि विशेष-विशेष बातें इसमें संशोधित की गयी हैं। जो पंचायती राज ऐक्ट है यह १९७८ है लेकिन पहली बार १९४७ में यह बना और लगभग इसी में लिखा है।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह ऐक्ट पहले कब बना था?

श्री उपाध्यक्ष--

वह पूछ रहे हैं कि यह ऐक्ट कब पास हुआ था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, यह ऐक्ट १९४७ में बना था जो इसी में लिखा है। मान्यवर, १६ बार संशोधन अब तक हुये हैं। अब जो संशोधन हो रहा है उसके उद्देश्यों को आप देखें 'चूंकि राज्य विधान मंडल के गतसत्र में उक्त संशोधनों के लिये पुरःस्थापित विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका और उपरोक्त कारणों से प्रकृतगत अधिनियम में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक था।" इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल पहले ही तैयार था और ८ सितम्बर को सत्र का सत्रावसान हुआ और २० अक्तूबर को यह अध्यादेश जारी हुआ। क्या आवश्यकता इस बात की थी कि अध्यादेश के जरिये यह किया गया? उसका नतीजा यह हुआ कि डेढ़ घंटे में दो बातें करने के लिये कह रहे हैं एक तो पास करने के लिये और दूसरे अननुमोदन करना है। तो यह कैसे हो सकता है? ४५ धाराओं पर विचार होना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन ने जो पंचायती राज ऐक्ट पर कहा उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैंने तो अध्यादेश के सम्बन्ध में पढ़ने की चेष्टा की है। इसलिये मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा १२० की ओर ले जाना चाहता हूं। आप देखें उसमें लिखा है--"जब कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये तो उसके प्रख्यापन के बाद, यथास्थिति, अनुवर्ती सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण मेज पर रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।" यानि दो बातें हैं। क्या तात्कालिक परिस्थितियां थीं कि आप अध्यादेश लाये? क्यों तुरन्त करना पड़ा? सत्रावसान के समय करना पड़ा।

आपने जितनी बातें उद्देश्यों में बतायी हैं इतना कहा गया है कि केवल गवर्नर साहब ने आज्ञा दी है। श्री गवर्नर की आज्ञा के बारे में अभी आपको बताऊंगा। हस्ताक्षर तो उनके हैं लेकिन विवेक तो आपका है, शासन का, मन्त्रि मण्डल का है। तो मंत्रि मंडल में क्या परिस्थितियां हुईं कि ४३ धाराओं का विधेयक जो हमारे सामने है डेढ़ घण्टे में पास करने जा रहे हैं और जिस पर तमाम बातें माननीय सदस्य विरोधी दल के और शासक दल के गांव सभाओं के बारे में कह दें। आप तो मौका ढूंढ़ते हैं कि सत्रावसान हो और अध्यादेश लायें, मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९७८ में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग तीस अध्यादेश किए हैं और नये केवल दो विधेयक ही आये हैं। अध्यादेशों से ही पूर्ति करते हैं। आज नौ विधेयक ले कर आये हैं।

माननीय दिघे जी होते तो उनसे कहता। वह कहते हैं कि साहब इस में क्या है, एक-डेढ़ घण्टे में पास कर दिया जायगा। कार्य-मंत्रणा समिति में कहते हैं। आप भी तो वहां रहते हैं। आपका बहुमत है। मैं उसको प्लीड कर रहा हूं। आप देखें। आप इस विधेयक के बारे में क्या-क्या बातें कह गये हैं। एक संसदीय अध्ययन समिति १९७२ में इसी विधान सभा ने नियुक्त की थी और माननीय अध्यक्ष खेर साहब उस के सभापति थे। उसने प्रतिवेदन दिया है और उसके ८वां पन्ने पर आप देखें। उसमें कहा है कि यह अधिकार नहीं है। इसका प्रयोग मंत्रियों की सहायता अथवा परामर्श से किया जायगा। उसके बाद यह कहा है कि भारत के अतिरिक्त विश्व के किसी भी देश में जहां संसदीय प्रणाली की सरकार है

[श्री श्यामधर मिश्र---]

राष्ट्रपति या हेड आफ स्टेट को अध्यादेश द्वारा विधायिनी शक्तियों का अधिकार प्राप्त नहीं है। मैंने निशान लगाये हैं। अम्बेदकर साहब, मावलंकर साहब, आयंगर साहब विधान बनाते हैं और विधान के बाद उन्होंने जो इसमें कोटेड है आप बात बती न करें तो मैं पढ़ देता हूं नहीं तो उनकी बात कह देता हूं। आयंगर साहब ने स्पीकर की हैसीयत से, पीठासीन व्यक्ति की हैसियत से कहा कि मैं कदापि अध्यादेश नहीं होने दूंगा। उन्होंने जवाहर लाल जी को पत्र लिखा और नेहरू जी ने यह बात मानी। इसीलिए इस पुस्तिका में दिया गया है ...

श्री अवधेश प्रकाश (जिला वाराणसी)---

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें अध्यादेश पर न बोलें।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यादेश पर बहस हो रही है। वे विषयान्तर नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा होता तो मैं रोक देता। (श्री श्यामधर मिश्र से) आप लम्बा भाषण न दें।

श्री श्याम धर मिश्र---

लम्बा नहीं है। अभी तो होगा है। मैं कह रहा था। आप जानते होंगे। आप ही के पहले जो पीठासीन व्यक्ति थे, खेर साहब, उन्होंने जो संस्तुति की है, उसके बारे में कह रहा था। मैं ज्यादा समय उधर जा कर नहीं लूंगा।

तो मैं यह कह रहा था कि ८५ विधेयक केन्द्र में हुए और ८५ में केवल १३ विधेयक अध्यादेश के स्थान पर आये बाकी मूल विधेयक वहां प्रस्तुत हुए सदन में लेकिन उत्तर प्रदेश में ६० हुए और ५० अध्यादेश हैं। अब कांग्रेस के जमाने में गलती हुई थी तो जनता पार्टी और गलती कर रही है कि ३० के ३० अध्यादेश हम करेंगे आप क्यों यह गलती कर रहे हैं। उनकी गलती आप निकालते हैं लेकिन खुद तेजी से गलती कर रहे हैं। कुछ अच्छाई भी आप करिये।

इस सम्बन्ध में श्रीमन् मावलंकर साहब, आयंगर साहब, अम्बेदकर साहब ने आश्वासन दिया विधान सभा में लोक सभा में। नेहरू जी ने कहा। लेकिन प्रदेश में यह व्यवस्था है कि नहीं जब तक क्योंकि श्रीमन् एक बात बताऊं आर्डिनेन्स के जरिये लेजिसलेशन करना सदस्यों का और इस माननीय सदन का अधिकार ले लेना है और कार्यपालिका को अधिकार दे देना है। अब प्रश्न यह है कि ये अधिकारीगण लेजिसलेशन करेंगे या यह विधान सभा लेजिसलेशन करेगी। प्रतीक्षा करते हैं कि ज्यों ही हम हटते हैं त्यों ही १५ दिन में अरजेन्सी आ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको स्वयं यह देखना चाहिए कि विधान सभा की मर्यादा क्या है और वह इसी पुस्तिका में है। इसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को स्वयं सरकार को रोक देना चाहिए अगर अधिक अध्यादेश देती है। बी०जी० खेर की समिति ने संस्तुति किया है जो संसदीय समिति है। आज दो दो-तीन सौ अध्यादेश पूरे हो रहे हैं। कोई अरजेंसी है नहीं। इसमें एतराज नहीं, लेकिन डेढ़ घंटे में प्रवर समिति को काट देंगे। वोटिंग हो जायेगी और वह कट जायेगी। और तत्काल अमेंडमेन्ट के रूप में फिर लेंगे। साल भर में २-२ तीन अमेंडमेन्ट। द्वितीय तृतीय और चतुर्थ संशोधन। तो कृपा कर इसको देख लें और मेरा जनता पार्टी से निवेदन है कि १९७८ का संशोधन जो हो रहा है उसमें कर सकते हैं।

अब एक बात और कह कर समाप्त करता हूं । अभी कल की बात है । अभी ताजी है और स्मृति में है । सचिव ने स्पीकर की आज्ञा से यहां खड़े होकर घोषणा की कि अमुक अमुक कानून विधान परिषद् से पास होकर वापस आये । जो कानून वापस आए, उनमें भी कुछ संशोधन हो रहा है । यह अभी कल आया है । तो आप देखिये कि सिंचाईनी कार्य कौन करेगा । यह हमारा सवाल नहीं, जनता पार्टी का सवाल नहीं, यह सवाल जनतांत्रिक प्रणाली का है । अगर आप विधान सभा नहीं चाहते तो भंग कर दें । अगर चाहते हैं, ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव का निरनुमोदन होना चाहिए और इस प्रस्ताव पर मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि यह अध्यादेश आवश्यक नहीं था और इसको जरूर भंग होना चाहिए ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मेरा भी संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका तो खण्डों में है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

ऐसा नहीं मान्यवर, ...

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आपको बाद में मौका देंगे ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उ में कुछ नयी बातें हैं । ये नयी बातें अपने आप में पूरी तो नहीं लेकिन ज्यादातर जनहित की दिशा में मदद कर रही हैं । विधेयक की जगह अध्यादेश लाया जाय या अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तित किया जाय, इसके बारे में श्याम धर मिश्र जी ने जो कहा, उसका मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं क्योंकि कोई भी जन सरकार अध्यादेश के बल पर नहीं चल सकती है और हमारी पार्टी के मन्त्रियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि अध्यादेश के बल पर सरकार चलाना, नियम चलाना, कानून बनाना, यह गैर जनतांत्रिक प्रणाली है । लेकिन जहां तक सवाल बहस, बेहतरी और इस विधेयक और चर्चा का है, मैं इससे पूर्णरूप से सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं । मैं तो यह चाहता हूं कि जिस तरह से विधान सभा को, संवैधानिक मान्यता मिली है, जिस तरह से लोक सभा को संवैधानिक मान्यता मिली है, उसी तरह से पंचायत स्तर पर भी संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जरा बैठ जायें । मैं एक घोषणा करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष ने श्री सुख पाल पाण्डेय को दिन भर के लिए निष्कासित किया था, अब उन्होंने उनका निष्कासन समाप्त कर दिया है और वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शत्रुद्ध प्रकाश--]

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मिश्रा जी जरा ध्यान से सुनिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस दिन भारत में गांव सभाओं को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी, मौलिक अधिकार मिल जायेंगे, उस दिन सही माने में ग्रामीण स्तर पर समता के अधिकार का स्वतंत्रता का नजारा देखने को मिल सकेगा लेकिन आज की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार कब तक इसको पूरा करेगी। मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसने एक काम तो बहुत बढ़िया किया है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए इसमें जगह बनाई है। इसकी पूर्ति करने के लिए यह एक अच्छा काम है और जो लोग पिछड़े हैं जिन लोगों को समाज के शोषण का शिकार होना पड़ा है उन तबकों में महिलाओं का तबका भी बहुत मजबूत तबका रहा है और इस देश को बढ़ाने में, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में यहां पर शोषण के विरुद्ध हर स्तर पर जब महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी उनको भी अधिकार दिये जायेंगे। उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तब जाकर शोषण से मुक्ति इस तबके को मिल सकती है। अभी तक तो केवल गांव सभाओं में या पंचायत स्तर पर केवल मर्दों का ही वर्चस्व रहता था हालांकि इस देश की एक प्रधान मंत्री महिला थीं लेकिन उसने महिलाओं के नाम पर महिलाओं को और भी पीछे ढकेल दिया। यह महिलाओं के लिए पहला क्रान्तिकारी कदम है जनता सरकार का, इससे बड़े क्रान्तिकारी कदम और भी उठेंगे लेकिन इस ओर यह पहला काम है जिसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे माननीय उप मंत्री जी का अच्छा काम है जिनका अब प्रमोशन होने वाला है मुझे यह आज पता लगा है उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस पर फिर से विचार करिये और केवल एक महिला को स्थान मत दीजिये बल्कि इनकी संख्या और बढ़नी चाहिए २ करिये ३ करिये ४ करिये कुछ सैकड़ा निश्चित करिये मेरा यह निवेदन है मान्यवर।

दूसरा निवेदन यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर करीब १९६७ से मांग चली आ रही है कि इस देश में मताधिकार की आयु १८ वर्ष होनी चाहिए। इस देश में कोई भी नौजवान चाहे वह लड़का हो या लड़की हो जब वह १८ साल का हो जाए तो उसको मत धिकार का अधिकार मिल जाना चाहिए, इसको भी संविधान में मान्यता नहीं मिल पाई है लेकिन फिर भी संविधान की परिधि के अन्दर माननीय उप मंत्री जी ने जो विधेयक में घोषणा की है वह भी स्वागत के योग्य है। हिन्दुस्तान की और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जलवायु गरम है यह एक गरम मुल्क है इसलिए लोगों में सोचने समझने की शक्ति २१ वर्ष के पहले ही १८ वर्ष में ही हो जाती है बल्कि १६ वर्ष में ही हो जाती है इसलिए यहां पर १८ साल की उमर के लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। खासकर गांवों में जहां चेतना की उपज ज्यादा हो गई है। यह आपने बहुत प्रशंसनीय काम किया है आपकी प्रशंसा हमें मजबूरी में करनी पड़ रही है। दो बातें तो इस विधेयक की जो है--१८ साल के लोगों को मताधिकार देने का आपने जो कार्य किया है और महिलाओं को इसमें स्थान दिया है, यह सराहनीय है।

इसके बाद निवेदन है कि चौखम्भा राज्य को सपना मानकर विकेन्द्रीकरण को सपना मानकर--गांव, स्वतंत्रता का निर्माण करने की लालसा से यह जरूरी है कि 'गांव की ओर चलो' का नारा देने वाली सरकार इतना ही कहकर न रुक जाए, कदम थम न जायें। पहले इस दिशा में हम और आगे बढ़ें ताकि मिश्रा जी, तिवारी जी और देव बहादुर जी की जुबान बन्द हो जाए।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक के पक्ष में अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, यह विधेयक जो इस सदन के सामने लाया गया है यह वास्तव में एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। लेकिन इस विधेयक के बनाते समय हमारे माननीय मंत्री जी ने उस उद्देश्य को छोड़ दिया जिसका नारा वह बराबर लगाया करते थे कि चौखम्भा राज्य की स्थापना को साथ और पंचायत जो लोकतन्त्र की आधारशिला है उसको और स्वतन्त्र बनाया जाय। मान्यवर, पंचायतें क्यों निर्जीव हो गयीं बापू का स्वप्न था कि मुल्क आजाद हो गया तो गांव के सभी मामले पंचायतों के माध्यम से तय किए जायं। इससे गांव के वैमनस्य और द्वेष समाप्त होंगे और इस मुल्क में लोग सही माने में आजादी का अनुभव करेंगे। शुरू में जब पंचायतों का निर्माण हुआ था उस समय में सचमुच यही भावना थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने पंचायतों को निर्जीव करना शुरू कर दिया। पिछले शासन ने शुरू से लेकर आखिर तक यही किया और इसे समाप्त प्रायः कर दिया केवल प्रधान नामक एक संस्था रह गयी। जहां तक आमदनी के स्रोत की बात है। आमदनी का स्रोत गांव सभाओं के पास क्या है, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। आमदनी के नाम पर सरकार इन पंचायतों को एक पैसा नहीं देती है। कहती है टैक्स लगाओ। पहले एक रुपया मालगुजारी पर एक आना, दो आना या चार आना तक और बढ़िया, साइकिल और डनलप पर टैक्स लगाने की बात कही गयी। लेकिन सवाल उठा वसूली कैसे हो। नतीजा वह हुआ कि वसूली नाम की कोई चीज नहीं रह गयी और केवल कागज पर वसूली दिखाई जाती है। पंचायत सेवक दस-बीस रुपया वसूल कर लेते हैं अपना भत्ता लेने के लिए।

पहले श्रमदान आरम्भ कराया गया। शुरू में सन् १९५६ से १९६२ तक और उसके बाद अब लगभग डेढ़ वर्षों से जब से जनता सरकार आई है श्रमदान किया गया। लेकिन सवाल है इन मार्गों पर पुलिया बनाने का। जहां पर यह सवाल आया सरकार ने कह दिया पैसा नहीं है मान्यवर। हमें उम्मीद थी कि इस विभाग द्वारा गांव सभाओं द्वारा जो श्रमदान से मार्ग बनेंगे उस पर पुलिया आदि का निर्माण इस विभाग द्वारा कराया जायगा। लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी व्यवस्था नहीं है कि राजस्व विभाग की उपजनी से ही एक चौथाई आमदनी पंचायतों को दे दी जाय। केवल टैक्स से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार टैक्स लगाती है। कलेक्टर से लेकर अमीन और राजस्व मंत्री तक भिड़े रहते हैं तब भी कठिनाई होती है। मान्यवर, सरकार को भारी मात्रा में गांव सभाओं को धन देना चाहिए जिससे वे विकास कर सकें। आज प्रधान की हैसियत क्या है?

पहले पुराने जमाने में गांवों में मुखिया हुआ करता था। सरकार का कोई अफसर जाता था तो उसके यहां पहुंच जाता था। आज वही हाल प्रधान का है। गांव के मुआयने के लिए एस० डी० ओ० गया तो प्रधान हाजिर हो गया। जिसने हाजिरी नहीं दिया एक कलम से जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हाकिम परगना द्वारा निलंबित और कलेक्टर द्वारा बरखास्त कर दिया जाता है। आज कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति प्रधान बनना इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह तो चपरासी से भी बदतर है। चौकीदार की नौकरी ले लीजिये तो वह सीधे सरकार के पास चला जाता है लेकिन चुने हुए प्रधान की प्रधानी को खत्म करने का अधिकार हाकिम परगना को दिया गया है। ग्राम विकास मंत्री इस पर संशोधन लायें कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम वर्मा—]

प्रधान को कोई बरखास्त न कर सकें। हम विधायकगण शिकायत करते हैं तो सबसे छोटा कर्मचारी लिख देता है कि गलत है और उस पर मंत्री की मोहर लग जाती है लेकिन ग्राम में लेखपाल नाखुश हो गया, ग्राम सेवक नाखुश हो गया तो प्रधान की प्रधानी नहीं रह सकती है।

मंत्री महोदय इस बात पर भी सोचें कि विधायक चुनकर आते हैं तो उनको टी० ए०, डी० ए० तथा तनख्वाह मिलती है लेकिन प्रधान जो २४ घन्टे ग्राम की सेवा करता है उसे क्या मिलता है, उसका क्या सम्मान होता है अगर वह किसी अधिकारी के पास जाता है तो इसके लिए कोई आचार संहिता बननी चाहिए अगर प्रधान किसी अधिकारी के पास जाय तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाय। कोई जांच पड़ताल ग्राम में होती है तो उसकी कोई सम्मति नहीं ली जाती है। अगर वह कुछ सम्मति दे दे तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि उनके साथ पुराने जमाने के मुखिया की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि उसको सम्मान मिल सके। मंत्री जी डाक्टर लोहिया के शिष्य हैं। लिहाजा चौखम्भा राज्य के आधार पर ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाय ताकि डा० लोहिया की मृत आत्मा को संतोष मिल सके। वैसे जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय है और अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव भी है। जो यह अध्यादेश है उसका मैं अननुमोदन करता हूं। ९ अध्यादेश जो इस प्रदेश में लागू किए गए थे वे सब विधेयकों के रूप में आज यहां प्रस्तुत किए गए हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो पहले अध्यादेश के रूप में जारी न किया गया हो। लगता यह है कि अब सरकार अध्यादेश के बल पर चलेगी। मान्यवर, अगर आप देखें मावलंकर साहब ने जो बात कही है जिसका जिक्र संसदीय अध्ययन समिति ने सन् १९७२ के प्रतिवेदन में किया है कि विशेष परिस्थितियों में जब विधान मण्डल का सत्र आहूत किया जाना संभव न हो और विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाय और विधायी कार्य नहीं किया जा सके तो अध्यादेश जारी करना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई विषम परिस्थिति प्रदेश के सामने नहीं आई थी कि अध्यादेश जारी न करते तो सारा काम रुक जाता। पहले विधान सभा की बैठक हुई थी उसमें लाते नहीं लाये तो अब ला सकते थे। लेकिन नहीं इनको कुछ मालूम नहीं है कि क्या संशोधन करना है जो विभाग ने सूचना दे दी उसी पर अध्यादेश जारी कर दिया। इनमें न कोई सोच समझ है ही नहीं न कोई ज्ञान है। आप यह विधेयक देखें। इसमें ४४ खंड हैं जिनमें संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इसमें आप सरकारी संशोधन पीछे "घ" में देखें कि १६ हैं जो कि इन्होंने प्रस्तावित किये हैं। जब विधेयक बनाया गया तो उनको उसका ज्ञान ही नहीं था और अब संशोधन कर रहे हैं। यानी जब भूल का ज्ञान हुआ तो संशोधन प्रस्तावित किये।

अब इस विधेयक के बारे में भी मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूं। ये चौखम्भा राज्य को सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम लोग पहले से जानते थे कि यह पंचखम्भे की सरकार सत्यानाश करके छोड़ेगी। इन्होंने प्रारम्भ में ही जिला परिषदों को समाप्त कर दिया फिर क्षेत्र समितियों की बारी आई और अब ग्राम सभाओं पर इनकी नजर है। पंचायतें किस वजह से नहीं चल रही है उधर आपने कोई ध्यान नहीं दिया उसका एक मात्र कारण यह है कि उनके कोई साधन नहीं

है। अगर ग्राम पंचायतों को साधन सम्पन्न कर दिया जाय तो वह चल पड़ेगी। वह कार्य यह नहीं करेंगे। यह जो कर रहे हैं इससे कोई तरक्की उनकी होने वाली नहीं है। इस संशोधन से उनको कोई गति नहीं मिलने वाली है। आपने देखा कि मतदाताओं की आयु १८ वर्ष कर रहे हैं। पहले उनकी सूची ए० डी०ओ० और डायरेक्टर पंचायत बनाते थे। भाग एक रजिस्टर से मतदाताओं की सूची बनती थी। अब प्राविधान कर दिया गया है कि यहां से एक अधिकारी निर्देशित होगा जैसे कि इलेक्शन कमीशन में होता है। उसमें व्यय कितना होगा, ६४,४८,५०० रु० मतदाताओं की सूची बनाने में व्यय होगा।

उसके बाद क्या संशोधन हैं कि श्रम के बदले पैसा मिलेगा। लेकिन वह बात मुझे इसमें कहीं नहीं दिखाई देती है जो कि आप संशोधन कर रहे हैं। मान्यवर, खण्ड १२ के १४-क में इन्होंने संशोधन किया है कि ग्राम प्रधान अभिलेख न दे तो जो पहले उसे दो साल की सजा थी, उसको बढ़ाकर ३ साल कर दिया गया है, तो यह कौन सा क्रान्तिकारी परिवर्तन है। जैसा कहा गया है अभिलेख तो पंचायत सेक्रेटरी के पास रहता है, तो वह गलती कर दे तो ग्राम-प्रधान को और लम्बे समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि आप पंचायत राज के संचालन में सहयोग दें, ऐसी अड़चन न लगायें।

न्याय पंचायतें पहले १ सौ रुपया तक जुर्माना कर सकती थीं, अब उसे बढ़ाकर ढाई सौ कर दिया गया है। गांव के गरीब लोगों के लिए तो १०-५ रुपया भी बहुत ज्यादा है, उसे १०० से बढ़ाकर ढाई सौ कर देना कौन सा क्रान्तिकारी कदम है, मेरी समझ में नहीं आता। इससे यह पंचायत राज सदा के लिए खत्म हो जायेगा। उन्हें जुर्माना और सजा होगी तो कौन उसमें जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि पंचायतीराज अच्छी तरह चले तो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, तब तक आप इस बिल को वापस ले लें और जब वह आये तो उसकी अच्छी संस्तुतियों का इसमें समावेश करके इसको एक नये रूप में आप सदन में लाएं, तो अच्छा हो। अगर आप अशोक मेहता कमेटी में विश्वास करते हैं, यों तो घटकवाद में फंसे हैं, तो यह जरूर होना चाहिए।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। इसके माध्यम से जितना क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है, उसका स्वागत उत्तर प्रदेश का हर नौ जवान और बुद्धिजीवी करेगा। १८ वर्ष की आयु पर जो मताधिकार दिया गया है, यह क्रान्तिकारी कदम है, मान्यवर, समाज और देश को बनाने में युवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके माध्यम से आज समाज में जितनी जागृति आ रही है, उसका कुछ कहना नहीं है, वह किसी से छिपा नहीं है। गांवों में जो युवक मंगल दल बने हैं, वे इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने, नामजद करने की बात है, यह भी बड़े महत्व की बात है। विरोधी दल के लोग अपने स्वभावानुसार भले ही उसका विरोध करें, लेकिन प्रदेश की जनता इसका बहुत स्वागत करती है और मैं भी इस माननीय सदन के माध्यम से मंत्री जी का इसके लिए स्वागत करता हूं। साथ ही साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--]

पंचायत राज की जो कल्पना महात्मा गांधी और डाक्टर लोहिया ने की थी, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। यह एक प्रक्रिया होगी कि राज्यविहीन सत्ता की परिकल्पना जो समाजवादी विचारक करते रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कदम होता है। पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए, गांव सभा जिसकी प्रथम इकाई होती है, उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि गांव सभा के आर्थिक स्रोत बढ़ाये जायं। इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जिस गांव में ट्यूबवेल हैं, उसकी आमदनी गांव समाज को दे दी जाय। राजस्व का कुछ प्रतिशत भाग उसको दिया जाय। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा में जो पोखरी और तालाब हैं, उनमें मत्स्य पालन का काम गांव समाज के माध्यम से कराया जाय। इससे गांव समाज का आय का स्रोत बढ़ेगा। उसके माध्यम से छोटे-छोटे सम्पर्क मार्ग और ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाय। इसके प्रशासन को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ग्रामों में जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं, उनके अध्यापक बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करें उन पर नियन्त्रण ग्राम सभापति के माध्यम से रखा जाय। आज यह आम शिकायत है कि अध्यापक समय से नहीं आते। यदि ग्राम सभापति को यह अधिकार दे दिया जाय तो मेरा निश्चित दावा है कि चूंकि उस गांव का वह सभापति है, उसके ऊपर जनमत का दबाव रहेगा। वह व्यवस्था करेगा कि समय से पाठशालाओं की व्यवस्था हो। उसे प्रभावकारी भूमिका दी जाय।

इसी तरह से उसको कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये जायं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा ग्राम समाज के अधिकारों में वृद्धि की जाय। यह जरूरी है। जब कि लेखपाल का नियन्त्रण ग्राम सभापति पर रहेगा, जब तक एस० डी० एम० कि नंगी तलवार सभापति की गरदन पर लटकती रहेगी, तब तक वह प्रभावकारी भूमिका अदा करने में असमर्थ रहेगा। हमने देखा है जब भी ग्राम सभायें जमीन के पट्टे गलत बांटे गये हैं, उनमें में ग्राम सभापतियों का दोष नहीं मानता। इसमें दोष सरकारी कर्मचारियों का है, चाहे लेखपाल हो, कानूनगो हो या तहसीलदार हो। इन लोगों ने ग्राम सभापतियों के सीधेपन का फायदा उठाया है और ग्रामीण जन भावनाओं का दुरुपयोग करके लाभ उठाया है। पैसा खाये लेखपाल और सीधे सभापति के दस्तखत करवा दिया। इन सब कमियों को दूर करने के लिए जरूरी है कि ग्राम सभापति को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं, गांव सभा के आर्थिक स्रोत बढ़ाने चाहिए। प्रभावकारी कदम उठाने के लिए उनको अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं। इन शब्दों के साथ इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास रखता हूं कि इस विधेयक का उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता स्वागत करेगी। जय हिन्द।

*श्री देवेन्द्रदत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय मंत्री जी की ओर से ग्राम पंचायत (संशोधन) विधेयक आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही अध्यादेश प्रसारित करने के पश्चात् विधेयक को लाना, यह जनतन्त्र के लिए हानिकारक महसूस करता हूं। मैं यह समझता हूं कि किसी भी जनतन्त्रीय देश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया :

लिए सबसे मजबूत और सबसे छोटी इकाई कोई हो सकती है तो ग्राम सभा है। जब तक ग्राम सभायें मजबूत नहीं होंगी जनतन्त्रीय आधार नहीं बनेगा। जब तक आर्थिक दृष्टि से विकास नहीं करेंगे तब तक हमारा देश और जनतन्त्र मजबूत नहीं हो सकती है। इस परिस्थिति में मैं यह महसूस करता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने जो यह संशोधन का विरोध किया है स्वाभाविक है। मैं यह महसूस करता हूं कि २८-३० साल तक कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही लेकिन इस ओर उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जनता शासन ने केवल डेढ़ साल के अन्दर जो आश्वासन दिया था कि हम जनतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेंगे. . .

श्री श्यामधर मिश्र--

कांग्रेस का भूत अब तो खत्म हो।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलिए।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

जनता पार्टी ने जनता को जो आश्वासन दिया था कि उसको पूरा करने के लिए डेढ़ साल में ही कदम उठा लिया है कि १८ साल तक के लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया जाये, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया जाये और २५० रुपये तक जुर्माने तक का अधिकार पंचायतों को देकर एक जनतांत्रिक कदम उठाया है। आप इसी के द्वारा कल्पना कर सकते हैं। जनतन्त्र को मजबूत करने के लिए वर्गवाद और इलाकावाद को समाप्त करना होगा। मैं आशा करता हूं कि इस बात का भी संशोधन आवे कि जहां पर निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है वहां पर ५ हजार रुपये का पारितोषिक दिया जाये जिससे जातिवाद, वर्गवाद और पूंजीवाद का खातमा हो और निर्विरोध चुनाव हो। जिस प्रकार से हमारे यहां पर पंच को पंच देवता कहते हैं और जो पंच परमेश्वर का निर्णय होता है वह सर्व मान्य होता है और उसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेन्ज नहीं कर सकता है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे जातिवाद और वर्गवाद और पूंजीवाद की समाप्ति होगी।

मैं चाहता हूं कि हमारा जनतन्त्र मजबूत हो तो यह तभी मजबूत हो सकता है जबकि हमारी जनता सरकार ने जो कदम उठाये हैं कि १८ साल तक के लोगों को मतदान देने का अधिकार और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार पूरा होगा। अगर महिलाओं को सदस्य बनाने का अधिकार दिया जाये तो और भी अच्छा रहेगा। कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया उनको चाहिए था कि वह सबसे पहले इसका स्वागत करते। जो जनतन्त्र की छोटी इकाई है उसको मजबूत करने के लिए इन लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए था तथा सहयोग देना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि जब अगली बार संशोधन आवेगा तो इस बात का संशोधन अवश्य आयेगा कि महिलाओं को भी सदस्य होने का अधिकार दिया जायेगा। इन सभी चीजों के होने पर ही हमारे देश में चौखम्भा राज्य कायम होगा। हमारे देश का विकास तभी होगा जब गांव वालों का विकास होगा। हमें पंचायतों को मजबूत करना होगा और उनकी सफलता ही हमारे जनतन्त्र की सफलता है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारी जनतांत्रिक पद्धति में पंचायतों का अपना महत्व है। डा० राम मनोहर लोहिया ने चौखम्भा राज्य की कल्पना की थी। उसी आधार पर आज जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा और पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जायेंगे, इन्हीं सब बातों को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है।

मान्यवर, यह कोई मामूली बात नहीं है कि जो काम विगत ३० वर्षों में नहीं हो पाया उसको इस जनता की सरकार ने कर दिखाया। पिछली कांग्रेस की हुकूमत ने तो पंचायतों की आधारशिला को ही कमजोर कर दिया था और पंचायत राज को ही समूल नष्ट करने का प्रयास किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि २५ जून, १९७५ की रात का वक्त सदा याद रहेगा जबकि इस देश में जनतन्त्र का चिराग ही गुल हो गया था....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया विधेयक पर ही बोलें।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

१८ वर्ष की आयु वालों को मताधिकार देकर इस सरकार ने सचमुच ही एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। इसके लिये हमने जाने कितना संघर्ष किया, कई बार जेलों तक में गये, मगर इस जायज बात को भी पिछली सरकार ने नहीं माना था। इस चीज से सारे भारतवर्ष में एक प्रेरणा मिलेगी और जनतन्त्र अधिक शक्तिशाली बनेगा। डा० लोहिया का स्वप्न सही माने में साकार होगा। डा० लोहिया ने तो परिकल्पना की थी कि पुलिस, शिक्षा, राजस्व आदि सभी मामले ग्राम पंचायतों के ही अधीन होने चाहिये तभी चौखम्भा राज्य का स्वप्न पूरा होगा। इस दिशा में हमारा यह संशोधन विधेयक एक सही कदम है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की भी जो प्रक्रिया अब इस विधेयक द्वारा अपनायी गयी है उससे भी देश के अन्दर एक कानून का राज्य स्थापित हो सकेगा। जब हमारी योजना भी नीचे स्तर से बनकर आ सकेगी। उसका मसविदा नीचे से तैयार होकर आयगा। गांव के लोगों का सही माने में विकास हो सकेगा। गांव के लोगों को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने की जो परिकल्पना हमने की थी वह इससे पूरी हो सकेगी। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का अभिनन्दन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन एक स्वर से इस विधेयक को पारित करेगा ताकि देश के अन्दर जनतन्त्र की जड़ें मजबूत हो सकें।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बिना प्रयास किये ही इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया....

श्री उपाध्यक्ष--

आप खड़ी हुई थीं, इसलिये मैंने मौका दिया।

श्रीमती राम रति देवी—

महोदय, हमारे माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने यह जो सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपना छोटा सा सुझाव रखना चाहती हूं। यों तो प्रस्ताव की जो रूप-रेखा है, विधेयक की, वह लगभग ठीक ही है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ कमियां हैं। उन कमियों की तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे प्रशासन की पहली सीढ़ी है ग्राम समाज और इसमें सबसे मजबूती से कदम उठाना चाहिये। यही इकाई ठीक रहेगी, तो ऊपर की सीढ़ी ठीक से चलती रहेगी। ग्राम समाज में जो यह व्यवस्था की गयी है। इसमें मेरा अपना सुझाव है कि अधिक से अधिक जनमत को ठीक रखने के लिये जनता को लाभान्वित होने के लिये उनकी विचारधारा के ऊपर तक पहुंचने के लिये ग्राम समाज अधिक से अधिक मजबूत हो, फले-फूले। वहां के जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें हरिजन कहा जायगा, महिलायें जो हैं, जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं समाज में है, उनको हर जगह वही छोटा दर्जा, तो इसके लिये कोई सम्मान पूर्वक दर्जा मिला ही नहीं। हमारा यह सुझाव है कि महिलाओं को इसमें, गांव प्रधान के पद के लिये, महिलाओं को कुछ न कुछ कोटा २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत तो अवश्य सुरक्षित रखना चाहिये। इसी में दूसरा मेरा निवेदन है, सुझाव मेरा, हरिजन जो हैं, अधिकतर उन गांवों में जिनमें बहुमत देखा जाय, जिस तरह से लोक सभा, विधान सभा में बहुमत के बल पर आरक्षण रखा गया है, तो इसी तरह से मेरा माननीय मन्त्री जी के सामने सुझाव है कि जिन गांवों में हरिजनों का बहुमत है, उन गांवों में उनके बहुमत के अधार पर उनका भी कोटा सुरक्षित होना चाहिये। यह मेरे दो सुझाव हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ जायगा। साथ-साथ जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री नाथूराम शिक्षक से) आपको कोई खास बात कहनी हो तो कह दीजिए, काफी बहस इस पर हो चुकी है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और उसके विषय में मैं अपना विचार रख रहा हूं। मान्यवर, अभी तक जो ग्राम सभाओं और ग्राम समाजों का कार्यक्रम था, वह गांवों में संघर्ष पैदा करना और अपने-अपने एक दूसरे के बदलों को चुकाने का था। पिछली कांग्रेस सरकार ने नाममात्र का एक ढढा-डडा खड़ा किया था और उनके माध्यम से समाज का शोषण कराने की कड़ी बना रखी थी, मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि देश का निर्माण गांव से ही हो सकेगा। गांव ही सम्पूर्ण देश की रीढ़ है या जड़ है। जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक समाज का कल्याण नहीं होना है।

इस विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए पहला कदम उठाया गया कि १८ वर्ष के नवयुवकों को वोट देने का अधिकार दिया जाय और इन्हीं नवयुवकों के द्वारा बदले हुए जमाने के अनुसार देश का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, जहां तक ग्राम सभाओं की आमदनी का स्रोत ढूंढ़ने का माध्यम है, विभिन्न प्रकार

[श्री नाथू राम शिक्षक—]

से ग्राम समाज की सम्पत्तियों, जमींदारी उन्मूलन के बाद, सीलिंग के बाद खंडहर, ऊसर, बंजर, तालाब और खुदरा पेड़ इत्यादि, यह आमदनी के स्रोत गांवों में मौजूद हैं। जिस समय पंचायत राज का निर्माण हुआ था उस समय यह ध्यान रखा गया था कि गांव सभा के अन्दर कम से कम ५ हजार रुपये सालाना की आमदनी होनी ही चाहिये। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियां ग्राम समाज की घोषित की गयी थीं और उनका प्रयोग आज भी प्रधान महोदय और उस गांव के रहने वाले जबर कहिये या असामाजिक तत्व कहिये उन्हीं के हाथों में है।

मैं आपके माध्यम से ग्राम्य विकास मन्त्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज भी ग्राम समाज की सम्पत्तियों की छानबीन करायी जाय और जब से जितनी ग्राम सभाओं का निर्माण हुआ है उनकी आमदनी का आंकड़ा इकट्ठा कराइये। मैं समझता हूं कि प्रत्येक ग्राम समाज के अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मान्यवर, भाषणकर्ता हवा पर उड़ रहे हैं, मैं व्यावहारिकता की दुनियां में आ रहा हूं। ग्राम समाज में ऊसर, ताल, तलैया, लि० सन्तान, खदानें वगैरह हैं जिनसे ५ हजार रुपये सालाना की आमदनी प्रत्येक ग्राम सभा को होनी निश्चित है। इसके अतिरिक्त जहां पर यह अधिक संख्या में हैं वहां तो कम से कम ५० हजार रुपये सालाना उस गांव की आमदनी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम समाज की सम्पत्तियों का पता जिन तिथियों से उनका निर्माण हुआ है तब से आज तक का कराया जाय तो मेरा विश्वास है कि बहुत बड़ी आमदनी ग्राम समाज के अन्दर मौजूद है। इन शब्दों के साथ प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

श्री भगवती चरण 'निर्मोही' (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अध्यादेश विधेयक बनना चाहता है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं इसे क्रांतिकारी कदम कहने के लिये तैयार नहीं हूं। सिर्फ यह कह सकता हूं कि यह एक सराहनीय कदम है। अगर पंचायतों के लिये क्रांतिकारी कदम होता तो सारे पहले के विधेयकों को उलट-पुलट करके एक नया विधेयक बनाना चाहिये था। आज स्थिति यह है कि ऐक्ट मोटा होता जा रहा है। इस विधेयक से कुछ और पन्ने बढ़ेंगे और पंचायतें कमजोर होती चली जा रही हैं, इस ओर ध्यान देना जरूरी है। मैं देहाती हूं बल्कि घोर देहाती हूं। ध्यान देने की बात यह है कि हमारी कुछ पिछली पंचायतें जो गांवों में चल रही हैं वह गांवों में ढंग से काम कर रही हैं और जो हमारी नई पंचायतें हैं वह क्यों कमजोर होती चली जा रही हैं। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा और माननीय सदस्य हंसेंगे भी। मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं। वहां पहाड़ पर बाज-बाज-गांवों में प्रधान के लिये और सदस्य के लिये लोग खड़े नहीं होते। अगर रुपया इकठ्ठा करके फीस जो देनी पड़ती है उनको दे देते हैं तो तैयार हो जाते हैं। यह सत्य है इसकी जांच कर लीजिये। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि उनके पास कोई साधन नहीं हैं और इसलिये वह काम करने में समर्थ नहीं हैं। पंचायतों में शायद हाजिरी होती ही नहीं है। जब काम पड़ता है तब कहीं जाकर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इसलिये ग्राम पंचायतें जो लोकतन्त्र की जो नींव हैं यदि वह डगमगा जायेंगी तो लोकतन्त्र

का महल हवा में उछल जायेगा। इसलिये हम लोगों का कहना है कि प्रधानों को महत्व मिलना चाहिये। बी० डी० ओ० जब आते है तो प्रधान वहां जाता है। इंस्पेक्टर पंचायतराज का जब आता है तो प्रधान वहां बस्ता उठाकर पहुंच जाता है। यदि प्रधान को सम्मान नहीं दिया गया, पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो यह लोकतन्त्र का ढांचा चरमरा जायेगा। हमारे वहां ग्राम पंचायतों के पास कोई साधन नहीं है। पहाड़ों में न मत्स्य पालन केन्द्र हैं और न उनके पास बैल गाड़ी, न ट्यूब न टायर न फेरी वाले, तब वे किस पर टैक्स लगायें? कैसे वे आमदनी करें। जो वहां पड़े हैं वह बिल्कुल एक प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। इसलिये जब वहां पंचायतें हैं तो उनके लिये क्या साधन हो, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाय, इस पर विचार करना चाहिये। वहां श्रमदान करने के लिए सब तैयार है मानों श्रमदान से सड़क बन रही है लेकिन यदि श्रमदान के बीच में चट्टान आ जाय तो उसको हटाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिये मन्त्री जी को यह सोचना चाहिये कि इसके लिये हम आगे चलकर क्या कर सकते हैं? यह प्राविधान कि ३ वर्ष की सजा हो सकती है मुझे पता नहीं कि क्या है। आमतौर पर ३ बैठकों में लगातार जो सदस्य न आयें उनको पृथक कर देना चाहिये। जब यह अंकुश रहेगा तभी सदस्य आयेंगे।

मान्यवर, यह सराहनीय कदम है कि महिलाओं को वहां अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। लेकिन उनको कौन रखेगा, उनका चुनाव कौन करेगा? मुझे आप क्षमा करेंगे कि यहां से उनको रखा जायेगा। जिलों में आप समितियां बना रहे है लेकिन उनको कौन बना रहा है, कौन नामजद कर रहा है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। विधायकों को तब पता चलता है जब कि सदस्य नामजद हो जाते हैं। इसलिये उन महिलाओं को कौन नामजद करेगा। यह बात शायद बिल में स्पष्ट होगी। इसलिये मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां की पंचायतों के तरफ आप ध्यान दें और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ग्राम विकास मन्त्री जी ने जिस सुन्दर ढंग से इस विधेयक जो पेश किया है उसमें पेश करने का ढंग तो स्वच्छ मालूम होता है लेकिन इससे उतनी स्वच्छ भावना नहीं प्रकट होती है।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ४ बजे से गन्ने पर चर्चा होनी थी। तो यह अभी कितने समय तक चलेगा? इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह विधेयक देर में प्रारम्भ हुआ इसलिये इसको आधे घंटे में समाप्त करना होगा।

*श्री जयराम--

मान्यवर, मन्त्री जी ने १८ वर्ष के मताधिकार की बात को बड़े सुन्दर ढंग से कहा है कि हम ने ग्राम के उन लोगों को अधिकार दिया है जिसकी मांग बहुत दिनों से हमारे विरोधी पक्ष के और खास तरीके से गरीबों की बात कहने वाले साथी किया करते थे लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा और उन्हें इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि आज मत गणना का कार्यक्रम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम—]

आप का चल रहा है, आप जानकारी करें कि वे गरीब लोग पहले भी वंचित थे और आज भी। बीसों जगहों से यह बात हमारे पास आ चुकी है कि आप के जो कर्मचारी, लेखपाल हैं, वे उन गांवों तक नहीं जा रहे हैं और मत गणना के सम्बन्ध में उनका नाम दर्ज नहीं हो रहा है।

हमारे पूर्वी प्रदेश में मुसहर जाति के लोग रहते हैं जो गांव के बाहर बसते हैं। इस प्रकार के बीसों गांव हैं। यदि मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं लिख कर दे दूंगा। पूरे के पूरे गांव साफ हैं। पचासों और सैकड़ों की तादाद में बनवासी लोग वहां रहते हैं। ३२ वर्ष से हम जनतन्त्र का लाभ उठा रहे हैं सदन में बैठकर लेकिन उनको वोट देने का अधिकार आज तक प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरीके से हम मन्त्री जी से चाहेंगे कि मत देने के लिये जो आपके पोलिंग स्टेशन हैं उन के बारे में भी आज फिर विचार कर लें। ऐसे जगहों पर आप के पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर गांव में बसने वाले हरिजन लोग जो गांव के बाहर दक्षिण दिशा में बसते हैं वे वोट नहीं दे पाते हैं। हमारे यहां के गांवों के नाम मैं नोट कराना चाहता हूं। भोजापुर, बगही, जहां हरिजन बस्ती कम से कम डेढ़ सौ लोगों की है और गांव के बाहर बसती है। वह करीब-करीब पोलिंग स्टेशन से तीन फर्लांग की दूरी पर है कई बार हम ने प्रयास किया कि उनको वोट देने की जगह पास की जगह में हो जहां पर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन यह बात पिछली बार भी हमने उठाई थी और पता नहीं इस बार यह बात मानी जायगी या नहीं।

मैं खास तरीके से समग्र क्रान्ति के नाम पर आने वाली इस समाजवादी सरकार, जिसमें हमारे हर घटक के लोग एकमत से एक जगह हैं मैं मानता हूं घटक नहीं है अपनी बात वापस लेता हूं। यह बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग एक मंच पर बैठे हैं। इस में हमारे सोशलिस्ट भाई हैं जिन के साथ मैं कम से कम लखनऊ की जेल में महीनों तक रह चुका हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे वे लोहिया जी के भक्त सचमुच में गांधी जी के भक्त, पंडित जवाहर लाल नेहरू के भक्त मत गणना के सम्बन्ध में सजग और सतर्क हो कर जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि जो लोग इस तरह की गड़बड़ी करें उन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इन्होंने इस में जो तीन वर्ष की सजा की बात कही है वह तो इन्होंने उन लोगों के हाथ में शक्ति देने की बात कही है जिन के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है निरक्षर और बिना पढ़े लिखे लोगों को तीन वर्ष की सजा मिलेगी। लेकिन बकरी देवी को नहीं चढ़ायी जा रही, बल्कि वही देवी पर चढ़ रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तीन वर्ष को निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं, मैं गोविन्द सिंह नेगी को बुला रहा हूं।

एक सदस्य—

श्री नेगी नहीं हैं।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं थोड़े ही समय में अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस प्रस्ताव की चर्चा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिस्सा लिया। श्रीमन् शायद एक माननीय शिक्षक जी के अलावा सारे ही सदस्यों की राय है कि इस अधिनियम के द्वारा गांव सभाओं और उनके प्रधानों को ज्यादा ताकतवर और बलवा बनाया जाय। मैं मानता हूं कि सारे माननीय सदस्यों की राय है कि उनको अधिक से अधिक ताकतवर बनाया जाय क्योंकि आखिर प्रजातन्त्र की वही पहली सीढ़ी है।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के सामने ३-४ बातें रखना चाहता हूं। सवाल है कि क्या इस बिल के जरिये जो परेशानियां आ रही हैं, उनको हल करने में कुछ बल मिलेगा? मिसाल के तौर पर ३-४ बातें रखना चाहता हूं। श्रीमन्, इस वक्त प्रधानों के सामने तमाम रेवेन्यू के मुकदमें लड़ने को आ रहे हैं और वह एक किस्म की परिपाटी हो गयी है कि गांव सभाओं के मुकदमों के पैरवी की। क्या आप के बिल के द्वारा उनको इसमें ताकत मिली है? क्या वो रेवेन्यू का वकील है, अगर प्रधान का जाती मुकदमा है तो जब तक वह अपने जेब से पैसा नहीं देंगे, पैरवी नहीं करेंगे, क्या इससे इसको बल मिला है? तहसील अमरोहा में सदरपुर और कैलबकरी में प्रधान मुकदमें लड़ रहे हैं जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं। पज्जेशन नहीं खत्म कर रहे हैं। क्या इस बिल में ऐसा कोई प्रावीजन किया है कि ऐसे मामलों को हल करने में प्रधानों को ताकत मिले?

श्रीमन्, प्रवर समिति के सामने एक रेवेन्यू कोड बिल भेजा है। उसमें है कि प्रदेश में जितने भी हाट मेले हैं, वे सभी टेकओवर कर लिये जायेंगे और उम्मीद है कि ज्यादातर गांव सभाओं को ही मिलेंगे। तो क्या प्राविजन किया है कि जिस गांव सभा में साधन हों, वहां पर जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा गांव सभाओं के अण्डर में दे दी जाये? मान्यवर, नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर की निगरानी बढ़ाई तो क्या उसके लिये एक ही महिला सदस्य सारे कामों को देख लेगी? क्या इससे उसको हल कर लेंगे?

आखिरी बात कह रहा हूं। मिश्रा जी ने और देव बहादुर जी ने मान्यवर जी का हवाला दिया कि उन्होंने क्या लिखा है। श्रीमन् उसमें एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर सदन का बुलाना असम्भव हो तो अध्यादेश का इस्तेमाल किया जाय। लेकिन इस सदन की क्या स्थिति है? ९० दिन में केवल ४७ सिटिंग्स हुयी हैं। यह मालूम है कि असेम्बली बुलायी जायेगी। सारी चीजें सामने हैं। यह मालूम है कि असेम्बली बुलायी जा रही है लेकिन अध्यादेश को ठूंस दिया। क्यों? मेजारिटी का इतना पावर लगा हुआ है कि गाड़ी खींचे लिये जा रहे हैं। रुकावट नहीं है। लेकिन प्रजातन्त्र के अन्दर इस मेजारिटी का इस तरह से मिसयूज किया जायेगा, तो वह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

चूंकि इस बिल के बारे में इसी भावना से चर्चा हुयी है कि गांव सभाओं को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जाय, लेकिन चूंकि इस बिल के अन्दर इसके लिये ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, जो दूसरा प्रस्ताव है, मेरा भी नाम उसमें है। मैं बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह गोविन्द सिंह नेगी ने प्रस्ताव पेश किया था, मैंने उनको पुकारा लेकिन वे थे नहीं।

श्री श्याम धर मिश्र--

आप पूछ लें मैंने प्रस्ताव दिया है अलग से । स्वतः मुझे अधिकार प्राप्त है । प्रस्तावक तो मैं स्वयं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पेश तो नेगी जी ने किया ।

श्री श्याम धर मिश्रा--

मैं नम्बर दो होकर नहीं आया था । मैंने अपना प्रस्ताव अलग से दिया था इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको नियमानुकूल इसकी इजाजत नहीं मिल सकती ।

श्री छोटे लाल--

मान्यवर, साथी रियासत हुसेन ने जो कहा, २-३ चीजें शायद उनकी जानकारी में नहीं रही होगी उसमें पुनः जानकारी करवाना चाहता हूं । जब कोई सभापति पढ़ा न हो या लिख पढ़ न सके । मान लीजिये वह चुनाव प्रक्रिया में हार जाता है तो उसके ऊपर दूसरा जो नया सभापति चुना जायेगा प्रधान, उसको अपना सम्पूर्ण चार्ज देना पड़ता है । इसमें अभी तक देखा गया था कि एक सामन्तवादी प्रवृति थी कि तमाम अभिलेख, जो कि अभी तमाम माननीय सदस्यों ने उठाया कि जमीन को हड़पने का, हमारी जमीन के घोटाले के, हमारा कर, जो गांव स्तर पर राजस्व प्राप्त होता था अपनी पंचायतों द्वारा, वह सारे अभिलेखों को छिपाने का कार्य करते थे, इसलिए इस तरह की प्रक्रिया इस नियम में की गई है ।

दूसरा प्रश्न रियासत भाई ने उठाया कि अभी तक कोई परामर्श किये बिना सिर्फ दो-ढाई घंटे में यह विधेयक पास कराया जा रहा है, आपको ज्ञात होगा, मैंने भी आपको देखा है दो-एक जगह । हम लोगों ने पंचायत से लेकर विकास खंड स्तर, जिला स्तर पर और सूबे स्तर पर और जो प्रधान थे जो जनता के चुने हुए भी थे उनकी राय मांगी गई थी और उसी के अनुसार, जैसे मेहता कमेटी का बड़ा जिक्र किया गया, उन लोगों की राय पर ही यह सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया था । यह प्रक्रिया एक-डेढ़ साल से चल रही है । गांव के स्तर से लेकर लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों से एक विचार गोष्ठी द्वारा, जो गांव से चली है और सूबे स्तर तक गई थी । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस सारी प्रक्रिया के बाद ही यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है ।

उसी के साथ साथ आपने जिक्र किया चूंकि एक तरफ आप कहते भी हैं कि प्रधान को मजबूत बनाया जाय और गांव को सरकार के विकास की एक कड़ी माना जाय । जब प्रधान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे तो उसके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा । आप दो-दो पद लेकर, मैं समझता हूं कि इन दोनों पदों का निर्वाह ठीक से नहीं कर पायेंगे, जबकि हम गांव सभा को सारी ताकतें दे रहे हैं नये सिरे से उसमें जान डालने के लिए काम कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि प्रधान को इतनी जिम्मेदारी का काम दिया जायगा, इतने ज्यादा उसके अधिकार बढ़ जायेंगे उसको राज्य सभा, विधान सभा या क्षेत्र समिति के प्रमुख, ब्लाक प्रमुख या जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए उनको समय ही नहीं मिल पायेगा । इसलिए हमने इसमें यह प्राविधान करवाया कि जो गांव का प्रधान होगा वह जिला परिषद का अध्यक्ष, क्षेत्रीय समिति का ब्लाक प्रमुख, राज्य विधान सभा और लोक सभा के सदस्य नहीं हो पायेंगे ।

इसके साथ-साथ आपने जो पढ़ने-लिखने वाली बात हमारे बहुत से साथियों ने की, इन्हें मालूम होना चाहिये कि सारे अभिलेख और जो भी उनके पास दफ्तर कार्यालय होता है उसकी सारी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। और जब वह निर्देश देता है कि इसमें आखिर यह बात लिखना है, सचिव लिखता है और लिखने के बाद प्रधान सारे अभिलेख अपने पास रखता है। इसमें शंका व्यक्त की गयी है कि जो सभापति लिख-पढ़ नहीं सकता है उसके पास गांव सभा के जितने सारे अभिलेख रखे जाते हैं। इस तरह से तो यह कह दें कि मुख्य मन्त्री या राष्ट्रपति पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह से आप ऊपर की तरफ दृष्टि रखते हैं उसी प्रकार अगर गांव पंचायतों को मजबूत करना है तो आपको इसमें कोई शक शुबह नहीं करना चाहिये। जो पढ़ लिख नहीं सकता है वह सभापति का चुनाव लड़ने का हकदार है तो इसमें शंका नहीं करना चाहिये कि वह अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर पायेगा।

इन शब्दों के साथ और माननीय सदस्यों ने जो तमाम बातें कहीं हैं कि हरिजनों और शोषित वर्ग को मताधिकार से रोका जाता है। इसके बारे में मैं इतना जरूर वादा करता हूं कि गांव पंचायतों में शोषित और पीड़ित समाज का प्रतिनिधित्व होगा और उनको वोट देने से कोई रोक नहीं पायेगा। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि गांव के विकास में तेजी आये। अभी हमारे देव बहादुर ने एक बात पारिश्रमिक के बारे में कहा कि कोई प्राविधान नहीं है जो अनिवार्य था। सन् १९४७ के ऐक्ट में परिश्रमिक का अनिवार्य प्राविधान था जिसको हमने समाप्त किया। खासकर जो बेगार वगैरह ली जाती थी उस पर इस विधेयक से काफी रोक होगी और पारिश्रमिक दिया जायगा और पारिश्रमिक अथवा वेतन दिये जाने का भी प्राविधान है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने राय दी है, उन्हें इसमें पहले ही निहित किया जा चुका है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य चाहते थे कि गांव का विकास हो, बहुमुखी योजनाएं हों और गांव पंचायतों को मजबूत किया जाय तो वे इस विधेयक का स्वागत करेंगे और बहुमत से सब लोग इसको पास करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं श्री रियासत हुसैन के प्रस्ताव को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २६, सन् १९४७ की धारा १ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, १९४७ की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा १ में, उपधारा (२) में,—

(क) शब्द "उस क्षेत्र के जो" के पश्चात शब्द "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के उपबन्धों के अधीन नगर अथवा" रख दिये जायेंगे

(ख) स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, सन् १९५९

धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(क) खंड (ग) में, शब्द "दाण्डिक कार्यवाही से है" के पश्चात् शब्द "और इसके अन्तर्गत धारा ५३ के अधीन कोई कार्यवाही भी है" रख दिये जायेंगे,

(ख) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(झ) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन इस रूप में नाम-निर्दिष्ट या पदाभिहित अधिकारी से है,"

(ग) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ट) किसी न्याय पंचायत के निर्देश में, 'मुन्सिफ' और 'न्यायिक मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य, यथास्थिति, उस मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट से है जिसको ऐसे न्याय पंचायत के सर्किल में क्रमशः सिविल या आपराधिक वादों के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारिता हो ;"

(घ) खंड (ड) निकाल दिया जायगा ।

(ङ) खण्ड (ब) निकाल दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ व खंड ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

धारा ५-ए का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ५-ए में,—

(क) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिये जैसी नियत की जाय, गांव सभा, क्षेत्र समिति या जिला परिषद का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह गांव पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र समिति या जिला परिषद के अन्तर्गत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा है," ;

(ख) खण्ड (स) में, शब्द और अंक "१८९८ की" के पश्चात् शब्द और अंक "या दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की," रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ठ) में, शब्द "अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५" के स्थान पर शब्द "प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स ऐक्ट, १९५५" रख दिये जायेंगे ;

(घ) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "बकायों का भुगतान कर दिये जाने," के स्थान पर शब्द, "यथास्थिति, बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने" रख दिये जायेंगे ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ५-ए के खंड (ङ) की अंतिम पंक्ति में शब्द "विफल रहा है" के स्थान पर शब्द "विफल रहा हो" रख दिये जायं ।

श्री छोटे लाल--

स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ५-ए के खण्ड (ङ) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "विफल रहा है" के स्थान पर शब्द "विफल रहा हो" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-५

धारा ८ का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा ८ में, शब्द "म्यूनिसिपैलिटी" के स्थान पर शब्द "नगर म्यूनिसिपैलिटी" रख दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-६

धारा ९ का प्रतिस्थापन

६--मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

निर्वाचक नामावलि

"९-(१) प्रत्येक गांव सभा के लिए एक निर्वाचक नामावलि गांव सभा की होगी जो निर्वाचन निदेशक (पंचायत) के पर्यवेक्षण में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जायगी जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिससे राज्य सरकार इस निमित पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(२) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऐसी निर्वाचक नामावली को नियत रीति से प्रकाशित करेगा, और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह, इस अधिनियम के अधीन या अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुये, गांव सभा की निर्वाचक नामावलि होगी ।

(३) उपधारा (४), (५), (६) और (७) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावलि तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को १८ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो गांव सभा के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण :—

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि गांव सभा के क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायगा कि वह उस गांव सभा क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा ।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में गांव सभा के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय किन्हीं अन्य तथ्यों पर जिन्हें नियत किया जाय, विचार किया जायगा ।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायगा ।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावलि में रजिष्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(एक) भारत का नागरिक न हों; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यामान हों; या

(तीन) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो ।

(५) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात उपधारा (४) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावलि से तत्काल काट दिया जायगा जिसमें वह दर्ज है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो उपधारा (४) के खंड (तीन) के अधीन किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावलि से काट दिया गया हो, उस नामावलि में तत्काल फिर से रख दिया जायगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावलि प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है, जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है ।

(६) कोई व्यक्ति एक से अधिक गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में, या एक ही गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में एक से अधिक बार, रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा ।

(७) कोई व्यक्ति किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम गांव सभा में समाविष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावलि में या किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलि में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावलि से काट दिया गया है ।

(८) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच जिसे वह उचित समझें, करने के पश्चात यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावलि की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलि में परिवर्द्धित किया जाना चाहिये, वहां वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन और निर्वाचन निदेशक (पंचायत) द्वारा यदि इस निमित्त कोई सामान्य या विशेष निदेश दिये जायं तो उनके अधीन रहते हुये, कोई प्रविष्टि, यथास्थिति, सुधार, निष्कासित या परिवर्द्धित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार निष्कासन या परिवर्द्धन गांव सभा के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व, नहीं किया जायगा :

जग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा ।

(९) निर्वाचन निदेशक (पंचायत), यदि वह सामान्य या उप-निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझें, किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गांव सभा की निर्वाचक नामावलि, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाय ।

(१०) गांव सभा निर्वाचक नामावलि में किसी नाम को सम्मिलित करने, निकालने या शुद्ध करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, की जा सकेगी ।

(११) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निर्वाचक नामावलि से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्--

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावलि के प्रवृत्त होने का दिनांक और उसके प्रवर्तन की अवधि ;

(ख) निर्वाचक नामावलि में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि ;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी गलती की शुद्धि ;

(घ) निर्वाचक नामावलि में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना--

(एक) जिसका नाम गांव सभा से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित हो किन्तु गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित न हो या जिसका नाम किसी अन्य गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में गलती से सम्मिलित किया गया हो ; या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित न हो किन्तु जो गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो ,

(ङ) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण ;

(च) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण ;

(छ) निर्वाचक नामावलियां तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय ।

(१२) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी :--

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं ; या

(ख) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके अधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की, या उपधारा (१०) के अधीन किसी अपील प्राधिकारी या किसी ऐसी नामावलि के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना" ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :--

उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :—

"(२) निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी निर्वाचन नामावलि को नियत रीति से तैयार और प्रकाशित करेगा, और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम के अधीन या अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि होगी ।"

श्री छोटे लाल—

स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :—
उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :

"(२) निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऐसी निर्वाचन नामावलि को नियत रीति से तैयार और प्रकाशित करेगा, और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम के अधीन या अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :—

उपधारा (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "उपधारा (४) के खण्ड तीन के अधीन" के स्थान पर शब्द "ऐसी" रख दिया जाय ।

श्री छोटे लाल—

स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :—

उपधारा (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "उपधारा (४) के खंड (तीन) के अधीन" के स्थान पर शब्द "ऐसी" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में उपधारा (७) में शब्द "गांव सभा में समाविष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचन नामावलि में या किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया" के स्थान

पर शब्द "किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया," रख दिए जायें ।

श्री छोटे लाल--

मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :--

उपधारा (७) में शब्द "गांव सभा में समाविष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावलि में या किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया" के स्थान पर शब्द "किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया" रख दिए जायं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में क्या भिन्नता है जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है ?

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

पहले छावनी शब्द नहीं था, टाउन एरिया से कन्फ्यूजन होता था ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :--

उपधारा (८) में शब्द "कोई प्रविष्टि, यथास्थिति, सुधार, निष्कासित या परिवर्द्धित करेगी" के स्थान पर शब्द "किसी प्रविष्टि का यथास्थिति, सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा" रख दिए जायं ।

श्री छोटे लाल--

मुझे स्वीकार है ।

खण्ड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :--

विष्टि, यथास्थिति, सुधार, निष्कासित या परिवर्द्धित

विष्टि का यथास्थिति, सुधार, निष्कासन या

और स्वीकृत हुआ ।)

से प्रस्ताव करता हूं कि--

में :--उपधारा (१०) में

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :—उपधारा (१०) में शब्द "किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील" के स्थान पर शब्द "किसी आदेश के विरुद्ध अपील" रख दिए जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :—

उपधारा (११) के खण्ड (छ) को खण्ड (ज) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (ज) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :—

"(छ) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस,"

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री छोटे लाल—

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ९ में :—

उपधारा (११) के खण्ड (छ) को खण्ड (ज) के रूप में पुनः सख्यांकित किया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (ज) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :—

"(छ) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७ से १० तक

७—मूल अधिनियम की धारा ११—घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

नई धारा ११—ङ का बढ़ाया जाना

"११—ङ—(१) कोई व्यक्ति गांव सभा का प्रधान, गांव पंचायत का सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किए जाने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रतर रोक

(क) संसद का या राज्य विधान मन्डल का सदस्य है ; या

(ख) किसी क्षेत्र समिति का प्रमुख या उप प्रमुख है ; या

(ग) किसी जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है ।

(२) कोई व्यक्ति यदि बाद में उपधारा (१) के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाता है, तो वह ऐसे अनुवर्ती निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक से, यथास्थिति, गांव सभा के प्रधान, गांव पंचायत के सदस्य या न्याय पंचायत के पंच के पद पर, नहीं रह जायगा और तदुपरान्त, यथास्थिति, ऐसे प्रधान, सदस्य या पंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायगी ।"

धारा १२ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (७) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि गांव पंचायत में कोई महिला सदस्य निर्वाचित न हो तो गांव पंचायत के निर्वाचित सदस्यगण गांव सभा की महिला सदस्याओं में से एक महिला सदस्या सहयोजित करेंगे और तदुपरान्त गांव पंचायत के संघटन में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा ।"

धारा १२-ख का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा १२-ख में, शब्द "प्रान्तीयरक्षक दल", के स्थान पर शब्द "प्रादेशिक विकास दल" रख दिए जायेंगे ।

धारा १२-ग का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा १२-ग में, उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(६) उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात्--

(क) विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है ;

(ख) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है ;

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है ।

(७) जिला न्यायाधीश पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और उसे किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है ।

(८) उपधारा (७) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें फेरफार या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है, और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो ।

(९) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय, अन्तिम होगा ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ से लेकर १० तक इस विधेयक के अंग] माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

११--मूल अधिनियम की धारा १२-ञ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-- धारा १२ ञ का प्रतिस्थापन

प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति में प्रबन्ध

"१२-ञ (१) जहां प्रधान का पद मृत्यु हो जाने, हटाये जाने, त्याग-पत्र देने के कारण या अन्यथा रिक्त हो, या जहां प्रधान अनुपस्थिति या बीमारी के कारण या अन्यथा कार्य करने में असमर्थ हो, वहां उप प्रधान, प्रधान की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा ।

(२) जहां प्रधान और उप प्रधान दोनों का पद किसी भी कारण से रिक्त हो, या प्रधान और उप प्रधान दोनों ही किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों, वहां नियत प्राधिकारी, जब तक कि या तो प्रधान या उप प्रधान के पद की ऐसी रिक्ति भरी न जाय या जब तक कि दोनों में से किसी की असमर्थता दूर न हो जाय, प्रधान के कर्त्तव्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गांव पंचायत के किसी सदस्य को नाम-निर्दिष्ट करेगा ।"

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :—

खंड ११ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १२–ञ में :—

उपधारा (१) में शब्द "त्याग–पत्र देने के कारण" के स्थान पर शब्द "या त्याग–पत्र देने के कारण" रख दिए जायं ।

श्री छोटे लाल—

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ११ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १२–अ में :—

उपधारा (१) में शब्द "त्याग देने के कारण" के स्थान पर शब्द "या त्याग–पत्र देने के कारण" रख दिए जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १२–ञ में :—

उपधारा (२) में शब्द "प्रधान के कर्त्तव्यों का पालन" के स्थान पर शब्द "तब तक प्रधान के कर्त्तव्यों का पालन" रख दिए जायं ।" मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इसे स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री छोटे लाल—

यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा १२–अ में :—

उपधारा (२) में शब्द "प्रधान के कर्त्तव्यों का पालन" के स्थान पर शब्द "तब तक प्रधान के कर्त्तव्यों के पालन" रख दिए जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२ से १८ तक

धारा १४–क का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १४–क म,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"अभिलेख आदि देने में चूक करने पर दंड" ;

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(१) यदि कोई व्यक्ति प्रधान, सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में कार्य की समाप्ति पर, यथास्थिति, गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत के सभी अभिलेख, या धनराशि या अन्य सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर भी जानबूझकर चूक करता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।"

धारा १५ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १५ में, खण्ड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(थ) प्रसूति और शिशु कल्याण और परिवार कल्याण की प्रोन्नति,"।

धारा १६ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा १६ में, खण्ड (थ) में, शब्द "जिला परिषद् की पूर्व स्वीकृति से" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद् और नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से" रख दिये जायेंगे।

धारा १९-क का निकाला जाना

१५--मूल अधिनियम की धारा १९-क निकाल दी जायगी।

धारा २५-क का प्रतिस्थापन

१६--मूल अधिनियम की धारा २५-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"२५-क--राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति दी जाय, प्रत्येक गांव पंचायत या गांव पंचायत सेवक पंचायतों के समूह के लिए एक पंचायत सेवक नियुक्त करेगा, जो ऐसी गांव पंचायत या गांव पंचायतों, सम्बद्ध गांव सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी सर्किल में ऐसी गांव सभायें स्थित हों, के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा, और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायं।"

धारा २७ का प्रतिस्थापन

१७--मूल अधिनियम की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"२७--(१) प्रत्येक गांव सभा का प्रधान या उप प्रधान, इस अधिनियम के अधीन संघटित गांव पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच, यथा-स्थिति, गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा प्रधान, उपप्रधान, सदस्य, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो :

अधिभार

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने से दस वर्ष की समाप्ति, या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर न रह जाय पांच वर्ष की समाप्ति, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के पश्चात् ऐसा दायित्व समाप्त हो जायगा ।

(२) नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार, जो नियत की जाय, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण-पत्र भेजेगा जो यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा ।

(३) अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है ।

(४) जहां उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही न की जाय, वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है ।"

धारा ३६ का संशोधन

१८--मूल अधिनियम की धारा ३६ में, शब्द "अथवा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक" के पश्चात् शब्द "या किसी अन्य गांव सभा" बढ़ा दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ से १८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १९

१९--मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उपधारा (१) में,-- धारा ३७ का संशोधन

(क) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायगा, अर्थात्--

"गांव सभा एतद्पश्चात् दिए गए खण्ड (क) और (ख) में वर्णित कर लगायेगी और खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), और (ट) में नियत सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है, अर्थात्--";

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे" रख दिए जायेंगे;

(ग) खण्ड (ख) में, शब्द "पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे" रख दिए जायेंगे;

(घ) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिए कर"।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस सदन के पुराने सदस्य हैं और हमे भी सेवा करने का मौका मिला है। पहले भी सरकारी पक्ष के अमेन्डमेंट्स स्वीकार कर लिये जाते रहे हैं, लेकिन माननीय सदन को यह तो मालूम हो जाए कि किस कारण से उक्त संशोधन रखा गया है, प्रोसीडिंग में भी कुछ आवे यह तमाशा हो रहा है। इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

आप देखेंगे कि यह संशोधन बहुत ही शाब्दिक है। यह जानते हैं कि बिना क हुए भी आप पूरी तरह से समझ सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

यह मालूम है कि आपस की घुलमेट है। प्रजातन्त्र का गला घोंटना है तो मिल कर घोंटा जायगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह शाब्दिक नहीं है। इन शब्दों में बहुत माने छिपे हुए हैं। जिस तरह से संशोधन आये हैं उनको देखें तो बिना बताये पता ही नहीं चलता कि संशोधन क्यों हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

पालीवाल जी बतला देंगे ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड १९ (क) द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "में नियत सभी या कोई कर" के स्थान पर शब्द "में वर्णित सभी या कोई कर" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बतला दीजिये क्या है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

यह श्रीमन्, आप ही समझा दें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, दस्तखत किये हैं या ऐसे ही हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आप बतला दीजिये ।

श्री छोटे लाल—

आपके आने से पहले इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है । जैसे सी०आर०पी०सी० में अमेंडमेंट हुए हैं या नामों में परिवर्तन करना है, म्युनिसिपैलिटी के स्थान पर नगर महापालिका, इस तरह के कुछ शब्दों का संशोधन है जिस पर आप के आने से पहले चर्चा हुई है ।

श्री रियासत हुसैन —

हर माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि जिस चीज पर मत लिया जाय उसके बारे में माननीय सदस्यों को मालूम भी हो कि इसके पीछे क्या अहमियत है । यह जानते हैं प्रजातन्त्र में मैजारिटी का फैसला चलेगा । लेकिन हमें इस अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है कि कौन सा संशोधन किस ग्राउन्ड पर हो रहा है और माननीय मन्त्री जी किस तर्क से प्रभावित हो कर स्वीकार कर रहे हैं । यह अधिकार हैं हम इससे वंचित किये जा रहे हैं ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मैं यह समझता था कि ड्राफ्टिंग की बात थी, माननीय श्यामधर मिश्र और रियासत हुसैन जी, कानून भी जानते हैं । पुराने सदस्य हैं । इसलिए समझ में आ जायेगा । "नियत" और "वर्णित" में भेद है । "नियत" बहुत निश्चित है । "नियत" का अर्थ है कि जो कर बताये गये हैं, अवश्य लगेंगे "वर्णित" में कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे । इसलिए "वर्णित" शब्द अधिक स्पष्ट है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १९(क) द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "में नियत सभी या कोई कर" के स्थान पर शब्द "में वर्णित सभी या कोई कर" रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

२०--मूल अधिनियम की धारा ४० में, शब्द "ऐसी रीति से" के पश्चात् शब्द "और ऐसी फीस का भुगतान करने पर" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे । धारा ४० का संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१

२१--मूल अधिनियम की धारा ५१ में,-- धारा ५१ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८", के स्थान पर शब्द "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "प्रतिवादी और यदि एक से अधिक प्रतिवादी हों तो उनमें से कोई एक सिविल वाद के संस्थित होने के समय सामान्य रूप से निवास करता हो अथवा व्यापार करता हो" के स्थान पर शब्द "प्रतिवादी या सभी प्रतिवादी, सिविल वाद के संस्थित होने के समय सामान्य रूप से निवास करते हों या व्यापार करते हों" रख दिये जायेंगे ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २१ के उपखंड (ख) में शब्द "प्रतिवादी या सभी प्रतिवादी" के स्थान पर शब्द "प्रतिवादी और यदि एक से अधिक हों तो सभी प्रतिवादी" रख दिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन करने से सभी की समझ में आ जायेगा । प्रेस के जमाने में यह बिल ड्राफ्ट हुआ था तो हम उन्हीं त्रुटियों को सही करने का काम कर रहे हैं । आशा है मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप देखें कि पालीवाल जी जिनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं, प्रतिवादी या सभी प्रतिवादी की जगह पर यह क्या रख रहे हैं प्रतिवादी और यदि एक से अधिक हों तो सभी प्रतिवादी । क्या श्याम दत्त जी बुद्धिहीन हो गये हैं या दूसरे लोग भी ।

श्री छोटे लाल--

मान्यवर, यह स्वीकार है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने क्या चीज स्वीकार की है ?

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, आप ही समझा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं थी । अध्यक्ष को यह अधिकार है कि जो शाब्दिक संशोधन हों उनको ले लें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कोई फर्क नहीं है फिर पता नहीं क्यों कर दिया ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (ख) में शब्द "प्रतिवादी या सभी प्रतिवादी" के स्थान पर शब्द "प्रतिवादी और यदि एक से अधिक हों तो सभी प्रतिवादी" रख दिए जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाये ।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२ से ३८

धारा ५४ का संशोधन — २२--मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उपधारा (२) में, जहां कहीं भी शब्द "एक सौ रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा ५९ का संशोधन — २३--मूल अधिनियम की धारा ५९ में, खंड (ग) में, शब्द और अंक "१८९८ की" के पश्चात् शब्द और अंक "या दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की" रख दिये जायेंगे ।

धारा ६३ का संशोधन — २४--मूल अधिनियम की धारा ६३ में, अंक "१८९८" के स्थान पर अंक "१९७३" रख दिये जायेंगे ।

धारा ६९ का संशोधन — २५--मूल अधिनियम की धारा ६९ को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (१) कर दी जायेगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(२) न्याय पंचायत द्वारा आदेशित कोई दोषसिद्धि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अनर्हता या शास्ति के रूप में न तो प्रवर्ती होगी और न उसका आधार ही होगी ।"

२६—मूल अधिनियम की धारा ७४ में,— धारा ७४ का संशोधन

(क) जहां कहीं भी शब्द "आपराधिक वाद, सिविल वाद अथवा राजस्व वाद" आये हों उनके स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "वादी अथवा आवेदक अथवा परिवादी" के स्थान पर शब्द "परिवादी या वादी" रख दिये जायेंगे ;

(ग) शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ।

२७—मूल अधिनियम की धारा ७४-क में,— धारा ७४-क का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "या राजस्व वाद" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "राजस्व वादों तथा" निकाल दिये जायेंगे ।

२८—मूल अधिनियम की धारा ७५ में,— धारा ७५ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, शब्द "कोई सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "कोई सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व" निकाल दिये जायेंगे ।

२९—मूल अधिनियम की धारा ७७-क में, उपधारा (१) में, शब्द "आपराधिक वाद, सिविल वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिये जायेंगे । धारा ७७-क का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की धारा ७८ में,— धारा ७८ का संशोधन

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(१) यदि सुनवाई के लिए निश्चित समय और स्थान सूचित किये जाने के बाद भी, यथास्थिति, वादी या परिवादी उपस्थित न हों तो न्याय पंचायत वाद को खारिज कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे ।"

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "प्रतिवादी, अभियुक्त अथवा प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, प्रतिवादी या अभियुक्त की अनुपस्थिति में सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ।

धारा ७९ का संशोधन

३१—मूल अधिनियम की धारा ७९, में उपधारा (२) में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ।

धारा ८१ का संशोधन

३२—मूल अधिनियम की धारा ८१ में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ।

धारा ८३ का संशोधन

३३—मूल अधिनियम की धारा ८३ में,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) जहां कहीं भी शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद अथवा राजस्व वाद" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "गांव" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र" रख दिया जायेगा

(तीन) शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३" रख दिये जायेंगे ।

(चार) शब्द और अंक "भारतीय परिसीमा, अधिनियम, १९०८" के स्थान पर शब्द और अंक "परिसीमा अधिनियम, १९६३" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (२) में, अंक "१८९८" के स्थान पर अंक "१९७३" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(३) जहां न्याय पंचायत की राय में, कोई पक्ष मामले के निस्तारण में जानबूझकर विलम्ब करता है, वहां वह ऐसे पक्ष पर पांच रुपये से अनधिक का खर्च आरोपित कर सकती है जो दूसरे पक्ष को देय होगा ।"

धारा ८५ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा ८५ में,—

(क) उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा सब डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "आपराधिक वाद, सिविल वाद अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिए जायेंगे ; और

(तीन) शब्द "मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात्,—

"(२) जहां कोई आपराधिक या सिविल वाद उपधारा (१) के अधीन वापस ले लिया गया हो, वहां वह न्यायालय, जो तत्पश्चात् उसका विचारण करे, या तो उसका पुनर्विचारण कर सकता है या उस प्रक्रम से विचारण प्रारम्भ कर सकता है, जहां से उसे वापस ले लिया गया था ।"

(ग) उपधारा (३) में, शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ।]

३५—मूल अधिनियम की धारा ८६ में, शब्द "सिविल वाद, आपराधिक वाद या राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल वाद या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे । धारा ८६ का संशोधन

३६—मूल अधिनियम की धारा ८८ में, जहां कहीं भी शब्द "अथवा राजस्व वाद" आये हों, उन्हें निकाल दिया जायेगा । धारा ८८ का संशोधन

३७—मूल अधिनियम की धारा ८९ में,— धारा ८९ का संशोधन

(क) जहां कहीं भी शब्द "सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ अथवा सब-डिवीजनल अधिकारी" या शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (१) में, शब्द "आपराधिक, सिविल अथवा राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "आपराधिक वाद या सिविल वाद" रख दिए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (४) में, शब्द "सिविल, आपराधिक या राजस्व वाद" के स्थान पर शब्द "सिविल या आपराधिक वाद" रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(५) धारा ९५ में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश में यह निष्कर्ष देता है कि न्याय पंचायत के किसी पंच या पंचों ने (जिसके अन्तर्गत कोई सरपंच भी है) उक्त मामले के सम्बन्ध में, जिसके कारण पुनरीक्षण करना पड़ा हो, ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो उसके या उनके पद के लिए अनुचित है, वहां नियत प्राधिकारी ऐसे निष्कर्ष के आधार पर ऐसे पंच या

पंचों को हटा सकता है, और यह आवश्यक न होगा कि प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध उसे या उन्हें कारण बताने का कोई अवसर दिया जाय ।"

धारा ९० का संशोधन

३८--मूल अधिनियम की धारा ९० में, शब्द "अथवा प्रतिपक्ष" और शब्द "अथवा आवेदक" निकाल दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २२ से लेकर ३८ तक इस विधेयक के अंश जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३९

धारा ९३ का संशोधन

३९--मूल अधिनियम की धारा ९३ में,--

(क) उपधारा (१) में,--

(एक) शब्द "अथवा प्रतिपक्ष" निकाल दिए जायेंगे ;

(दो) शब्द "यथास्थिति, उक्त मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उस मुंसिफ" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "यथास्थिति मुंसिफ या सब-डिवीजनल अधिकारी" के स्थान पर शब्द "मुंसिफ" रख दिया जायेगा ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड ३९ के उपखंड (क) की मद (दो) में शब्द "उक्त मुन्सिफ" के स्थान पर शब्द "उस मुन्सिफ" रख दिए जायें ।

श्री अध्यक्ष--

यह शाब्दिक है । आप कहते थे कि भाषा का सरलीकरण हो तो यह सरलीकरण किया गया है ?

श्री छोटे लाल--

यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ३९ के उपखण्ड (क) की मद (दो) में शब्द 'उक्त मुन्सिफ' के स्थान पर शब्द 'उस मुन्सिफ' रख दिए जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४० से ४३

४०—मूल अधिनियम की धारा ९४ में, शब्द "सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "न्यायिक मजिस्ट्रेट" रख दिए जायेंगे । धारा ९४ का संशोधन

४१—मूल अधिनियम की धारा ९४-क में, उपधारा (१) में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिए जायेंगे । धारा ९४-क का संशोधन

४२—मूल अधिनियम की धारा ९९ में, उपधारा (१) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिए जायेंगे । धारा ९९ का संशोधन

४३—मूल अधिनियम की धारा ११० में, उपधारा (२) में,— धारा ११० का संशोधन

(क) खण्ड (२-ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(२-ग) धारा १२-ग के अधीन निर्वाचन याचिकाओं और पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण ;

(ख) खण्ड (४०) में, शब्द "गांव पंचायत के सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग का किसी" के पश्चात् शब्द, "नगर" बढ़ा दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ४० से ४३ तक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४४

४४—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आपराधिक वाद से सम्बन्धित मूल अधिनियम की धारा ८५ या धारा ८६ के अधीन प्रत्येक कार्यवाही जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन हो और प्रत्येक आपराधिक वाद जो उपर्युक्त किसी धारा के अधीन दिये गये आदेश के परिणाम स्वरूप ऐसे दिनांक को उसके समक्ष विचाराधीन हो, अधिकारितायुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को अन्तरित हो जायेगा जो मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका निस्तारण करेगा । संक्रमण-कालीन उपबन्ध

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ४४ में शब्द "अन्तरित हो जायगा जो" तथा शब्द "मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार" के बीच में शब्द "इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित" रख दिये जायें ।

श्री छोटे लाल—

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४४ में शब्द "अन्तरित हो जायेगा जो" तथा शब्द "मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार" के बीच में शब्द "इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ४५

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ४४ के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"४५--(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।"

श्री छोटे लाल--

यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ४४ के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"४५--(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४४ के बाद नया खंड ४५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १ को पुनः संख्यांकित करके उसका उपखंड (१) बना दिया जाय, और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"(२) यह २५ अक्तूबर, १९७८ को प्रवृत्त समझा जायेगा।"

दूसरा यह कि--

खंड १ के पार्श्व-शीर्षक में शब्द "संक्षिप्त नाम" के पश्चात् शब्द "और प्रारम्भ" बढ़ा दिये जायेंगे।

श्री छोटे लाल--

यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १ को पुनः संख्यांकित करके उसका उपखण्ड (१) बना दिया जाय, और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"(२) यह २५ अक्तूबर, १९७८ को प्रवृत्त समझा जायगा।" खण्ड १ के पार्श्व-शीर्षक में शब्द "संक्षिप्त नाम" के पश्चात् शब्द "और प्रारम्भ" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, १९४७ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री छोटे लाल--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८; जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक-दो बातें जरूर कहना चाहता हूं, वह यह है कि तृतीय वाचन में, मैं इतना कहना चाहता हूं कि दो घंटे में इतना बड़ा बिल, जिसकी ४३ धारायें संशोधित हुई हैं, जो कि ११३ धाराओं का बिल हो, जिसमें ३०० नियम हों, जिसमें इतनी धारायें बदली गयी हों, जिस तरह से संशोधन आये हैं, आपने स्वयं देखा है कि उनके साथ न्याय हुआ है? मैंने शुरू से कहा है और अब भी कहता हूं, इस विधेयक को लेकर नहीं....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह किस नियम के अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा भाषण करवा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

यह ओझा जी, किसी भी अंतिम वाचन में सदस्यों का अधिकार है उसका विरोध कर सकते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं समझता था कि वह खुद जानते हैं और अगर नहीं जानते थे तो बगल के बैठने वाले बता देते।

मैंने कहा था कि प्रथम वाचन में अध्यादेश द्वारा इतनी जल्दबाजी करना, जिससे तात्कालिकता न सिद्ध किया जाय, ऐसा जो किया गया, इस बिल के द्वारा अन्याय किया गया है। माननीय मंत्री जी जब उत्तर दे रहे थे, मैं आशा करता था कि कम से कम क्या तात्कालिकता थी, क्या जल्दी थी, क्या परिस्थितियां थीं कि वे अब न आते सदन के सामने, १५-२० दिन पहले २५ अक्तूबर, को क्यों आये? इस सम्बन्ध में कम से कम सदन को बताते। श्रीमन्, आप उपस्थित नहीं थे, आप प्रोसिडिंग देख लें। मैं यह फिर से कहना चाहता हूं और कह कर बैठ जाना चाहता हूं। संसदीय अध्ययन समिति ने अपने प्रतिवेदन सन् १९७२ में, जो खेर साहब की अध्यक्षता में हुयी थी, यह कहा है कि कदापि यह नहीं होना चाहिए। वाद-विवाद से बचने के लिये अध्यादेश नहीं हो सकता है।

श्री मुकीमुर्रहमान--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। पांच बज रहे हैं। ३ दिन की छुट्टी हो रही है। अभी २ घंटे गन्ने पर चर्चा होगी। इसको छुट्टी करें।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम लोग १०-१० घंटे काम करते हैं आप यहां पर ८-१० घंटे बैठिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या जिन मुद्दों पर माननीय सदस्य मिश्रा जी भाषण कर चुके हैं और मंत्री जी ने जवाब दे दिया है वही मुद्दे फिर उठायेंगे, क्या पूरा भाषण कराइयेगा? नियमों में यह है कि पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप का कहना यह है कि मिश्र जी पुनरावृत्ति न करें तब तो ठीक है। मैं मिश्र जी से कहूंगा कि जो बातें प्रथम वाचन में, जब साधारण विवाद था, हो गयी हैं उनको न दोहरायेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं इतना कम बोला हूं और इतना अधिक बचा हुआ है कि उसका १० गुना बोल सकता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी उत्तर में कह रहे थे कि तमाम स्तर पर विचार गोष्ठियां हुयी हैं। अब देश भर में प्रदेश भर में विचार गोष्ठियां जो हुयी हैं उसकी जानकारी हमें नहीं है और उसका भी नोट बनाकर आपने नहीं दिया है। न इस दल के विधायकों को न उस दल के विधायकों को पता नहीं है कि किस बुनियाद पर यह है। तो क्या आप विधान के साथ न्याय कर रहे हैं? सोचें। आप अगर प्रवर समिति के सुपुर्द करते तो सही बात होती। अभी भी निवेदन है कि इस बिल को तत्काल रिजेक्ट किया जाय और निरस्त किया जाय।

श्री छोटे लाल--

मान्यवर, गांव पंचायतों से लेकर ब्लाक स्तर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। मुझे नहीं कहना चाहिये, तथ्यों को आप छुपा रहे हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनके पास यह सूचना उनके सुझावों के लिए दी गई थी। लेकिन पता नहीं मिश्र जी की कुछ पुरानी आदत बिगड़ी हुई है। मैं प्रमाण भी दे सकता हूं कि जो बहुमूल्य सुझाव थे, उनको गोष्ठियों में आमंत्रित किया था।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मैं पत्रे पर विवाद शुरू होने से पहले जो नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें हैं, उस पर बतला दूं कि मैंने एक सूचना को स्वीकार किया है। वह श्री शत्रुद्ध प्रकाश की है जो प्रदेश में शीत लहरी के प्रकोप से विगत १५ दिनों से लगभग २५ व्यक्तियों की मृत्यु तथा शासन द्वारा सुरक्षा हेतु कोई कदम न उठाये जाने के विषय में है। इसको मैंने स्वीकार किया है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस पर कब वक्तव्य देंगे?

श्री कल्याण सिंह (स्वास्थ्य मंत्री)--

इसके लिए आप कोई तिथि निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

१३ तारीख को इस पर वक्तव्य दे दिया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

नियम ५१ में अन्य जो सूचनायें हैं जैसे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की यह सूचना है कि शासन द्वारा धान की खरीद की समुचित व्यवस्था न होने के कारण काश्तकार को खुले बाजार में धान बेचने हेतु मजबूर होने के विषय में, यह सुबह नियम ३०१ के अन्तर्गत आ चुका है। तीसरी सूचना श्री गनेशी लाल चौधरी की है विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में है। इस विषय पर तो इस पर वक्तव्य होने वाला है। चौथी सूचना श्री श्यामधर मिश्र एवं श्री देव बहादुर सिंह की है कि नलकूपों को बिजली का न मिलना। पांचवीं सूचना श्री आरिफ मोहम्मद खां की है कि प्रदेश में डीजल एवं मिट्टी के तेल का अभाव, छठी सूचना श्री गुलाब सेहरा और श्री अजीत सिंह सेठी की है जो ५ नवम्बर, १९७८ के अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध सिंगापुर में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में है। यह सब सूचनायें मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री गुरुदत्त सोलंकी द्वारा जनता पार्टी से कथित त्याग-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—

श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने लिखकर मुझसे एक सूचना मांगी थी कि श्री गुरुदत्त सोलंकी ने जनता पार्टी से त्याग-पत्र दे दिया है। चूंकि सूचना मुझसे मांगी है तो मेरे कार्यालय में अभी तक जनता पार्टी से त्याग-पत्र देकर निर्दलीय सदस्य होने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

प्रदेश में खड़े गन्ने की पेराई की समस्या तथा उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, गन्ने की समस्या के बारे में आज चर्चा हम सदन में कर रहे हैं और पिछला सत्र जब चला था तो उस समय भी गन्ने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी। अभी जो वक्तव्य गन्ना विकास मंत्री जी का मिला है, मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में कह सकता हूं कि गन्ना विकास मंत्री जी ने बहुत ही प्रयास किया है कि समस्या का समाधान कैसे निकले। लेकिन आज जितना प्रयास किया है उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं किन्तु इतना जरूर कहूंगा कि अब समय चूक गया है। जो आज निर्णय उन्होंने लिया है वह निर्णय एक महीना पहले लिया होता तो वह भूलें और कमियां नहीं रह जातीं जो पिछले वर्ष हुई थीं।

मैं उनको स्मरण करा दूं कि इस वर्ष किसानों के खेतों में ६२० लाख टन गन्ना खड़ा है जिसमें १६ लाख टन गन्ना पिछले साल का है। पिछले सत्र में जब विधान सभा की बैठक हुई तो गन्ने के बारे में चर्चा हुई थी। हम सब लोग चिन्तित थे कि किसानों का पिछले साल का जो गन्ना खड़ा है, वह क्या होगा, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, कि जितनी फैक्टरीज हैं वह अक्तूबर के अन्त तक चलेंगी। लेकिन अफसोस है कि अक्तूबर के अन्त तक क्या अब तक सारी फैक्ट्रीज नहीं चल पायीं। ८६ फैक्ट्रीज में १२ फैक्ट्रीज बन्द हैं। ९ नवम्बर को केन्द्र सरकार ने एक अध्यादेश निकाला कि जो भी फैक्ट्री १५ नवम्बर तक नहीं चलेगी या जिन पर १० प्रतिशत से अधिक किसानों का बकाया पिछले साल का होगा उनको सरकार अधिग्रहण कर लेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि १५ नवम्बर तक जब केवल ९ फैक्ट्रीज चलीं तो इस अध्यादेश का उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

क्या अध्यादेश इसलिए निकाला गया कि गांव में रहने वाले किसान सिर्फ अध्यादेश पढ़कर यह समझ लेंगे कि भारत सरकार उसकी बड़ी हमदर्द है। क्या उस हमदर्दी से समस्या का समाधान हो जायेगा। मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस अध्यादेश का कोई उपयोग किसानों के हित में नहीं किया। मान्यवर, फैक्टरियां एक महीने बाद चलीं। आपको स्मरण दिला दूं। आपने कहा था कि अक्तूबर के अन्त में फैक्टरियां चल जायेंगी लेकिन नहीं चल पायीं। पिछले साल १६ लाख टन गन्ना खेतों में खड़ा रह गया था। २९ लाख टन गन्ना इस वर्ष खेत में खड़ा रह जायेगा। इसका कारण मैं बता रहा हूं। जितनी फैक्टरियां चली हैं कोई भी गन्ने का रेट नहीं लिख रही हैं। कुछ तो लिख रही हैं कि जो भी गन्ने का रेट निर्धारित होगा वही रेट हम किसानों को देंगे, कोई मनमाना रेट नहीं है। किसान कह रहे हैं कि जब रेट तय हो जायगा तब हम गन्ने को देंगे।

सीतापुर की फैक्टरी ४ दिसम्बर से बन्द है और किसान कहता है कि हमें पैसा दो। किस रेट पर दें। फैक्टरी रेट नहीं लिख रही है। तो मैं यह चाहता था कि फैक्टरी चलने के पहले यह तय हो जाता कि फैक्टरी कौन से रेट पर गन्ने लेगी और तब किसान उससे पैसा लेता। जैसा एक असहाय का हाल होता है जो दल-दल में फंस जाता है और निकल नहीं पाता वही हाल मंत्री जी का भी हो गया है। फैक्टरी जो चली हैं वे गन्ने का रेट नहीं दे पा रही हैं, किसान को पैसा नहीं मिल रहा है। पिछले साल मैक्जिमम क्षमता थी फैक्टरियों की। २०६ लाख टन गन्ने का कीर्तिमान स्थापित हुआ था। जुलाई तक फैक्टरियां चलीं। सही बात है। लेकिन सारा गन्ना फैक्टरी क्रश नहीं करती हैं।

प्रदेश में जो गन्ने की टोटल उपज है उसका केवल २९-३० प्रतिशत क्रश किया जाता है। ७० फीसदी गन्ना खांडसारी, गुड़ बनाने में उपयोग होता है और आज स्थिति यह है कि २५ प्रतिशत भी क्रशर नहीं चला पा रहे हैं। किसान का गन्ना तीन रुपये, चार रुपये कुन्टल ले रहे हैं। कितने ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं कराया। इसलिए नहीं कराते कि चलना नहीं है तो नवीनीकरण क्यों करायें। जब तक आप उनको छूट नहीं देते तब तक वह नहीं चलाते। इस प्रकार समय निकल जाता है। पिछले साल आपने यही भूल की थी। छूट दी अप्रैल में। अप्रैल में छूट मिलेगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा। क्रशर बन्द हो चुके हैं, कोल्हू बन्द हो चुका है, इसलिए देर हुई।

(लाल बत्ती जलने पर)

५-७ मिनट और दे दें मान्यवर...

श्री अध्यक्ष--

आप नियम में देखें। दस मिनट आपके हो रहे हैं। आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी का एक बात के लिए आभारी हूं। आपने जो बात अपने वक्तव्य में लिखी है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। जो साढ़े तेरह रुपये की भिन्नता है वह सरकार सबसीडी के रूप में किसानों को देगी। यह ठीक है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। जो क्रशर गन्ना खरीदेंगे--हमारे जमाने में ९ रुपया १० पैसा प्रति कुन्तल था--उसको आपने कम करके ६ रुपया कर दिया है। यह

[श्री देव बहादुर सिंह]

अच्छा होता कि जैसी कि सबसीडी दे रहे हैं फैक्टरी वालों को, क्रशर वालों को, आप किसानों को भी सबसीडी देते तो किसान यह समझता कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। कोई विशेष बात आपने नहीं कही। ७० प्रतिशत गन्ना जायेगा तो वहां किसानों को अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा। उससे प्रदेश का ढांचा बिगड़ जायेगा, क्योंकि गन्ना खास उपज है। अगर आज पैसा नहीं मिलेगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती है।

एक बात और कहना चाहता हूं और पहले भी कहा था। पिछले साल का करीब २१ करोड़ रुपया किसानों का बाकी है, यह इसमें है। मैं तो ३७ करोड़ समझ रहा था। मैं समझता हूं कि जो सरकारी फैक्ट्री है, उनसे तो केन्द्र सरकार से पैसा दिलवा देंगे, लेकिन जो प्राइवेट फैक्ट्री हैं, उनका पैसा कैसे दिलवायेंगे? अगर यह भी लिख देते तो ठीक होता कि इस सम्बन्ध में कौन सा प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी इसके बारे में कहा था और आज भी कह रहा हूं। मान्यवर, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि सामान पहले से ले लें और पैसा बाद में दें। दुनिया में जब सामान खरीदने जायें तो पहले पैसा दें। लेकिन किसानों के लिये इसका ठीक उल्टा है। उसका गन्ना पहले ले लें और फिर वह आपके पीछे-पीछे घूमें। इनमें होना यह चाहिये कि एक हाथ से गन्ना लें और दूसरे हाथ से पैसा दें। अगर यह कर देते तो मैं मानता कि आपने किसानों के हित में काम किया। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब फैक्ट्री चलने को होती हैं, तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं, उससे बड़ा नुकसान हुआ और होता है। अभी किच्छा फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर को पता नहीं कैसे हटा दिया गया। जहां फैक्ट्री ७० क्विन्टल क्रश करती थी, वहां अब ११-१२ क्विन्टल हो रहा है, कहीं टरबाइन काम नहीं कर रहा, कहीं यह खराबी हो गई। कहीं वह खराबी हो गई। इस तरह से नहीं होना चाहिए। गन्ने के स्टाक को अगर ट्रान्सफर करना है, तो तीन महीने पहले ही जहां भेजना हो भेज दो, लेकिन उसके बाद स्टाफ का ट्रान्सफर नहीं होना चाहिये। इससे दिक्कत होती है। अब जैसे सीजनल लिपिक हैं। उनका भी ट्रान्सफर कर देते हैं। ये लोग सीजनल होते हैं। सीजन में काम करते हैं और बाद में अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उनका भी ट्रान्सफर कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से ट्रान्सफर आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे अव्यवस्था होती है।

तो मेरा निवेदन है कि आपने जो कदम उठाये किसानों का भला सोचकर ही किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ खामियां रह जाती हैं। तो उन पर पुनर्विचार करें, ताकि स्थिति ठीक हो और किसानों को लाभ हो सके।

आखिरी बात गुड़ और खांडसारी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इनका आप बफर स्टाक खरीदें। उससे किसानों को फायदा होगा। अगर गुड़ और खांडसारी का बफर स्टाक करेंगे तो उसका फायदा किसानों को मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों को गन्ना विकास मन्त्री जी का लिखित वक्तव्य तो मिल ही गया होगा।

कई सदस्य—

अभी नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

जिनको नहीं मिला, उनको मिल जायेगा ।

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय देव बहादुर सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने गन्ने की समस्याओं के बारे में तथा अगले सत्र में जो समस्यायें आने वाली हैं, उसकी तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को विदित ही है कि पिछले सत्र में गन्ने के क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी हुई और अधिक गन्ने के उत्पादन के कारण यह समस्या जटिल रूप से हमारे प्रदेश में खड़ी हो गयी । इतना ही नहीं, जहां गन्ने के क्षेत्रफल के विकास और गन्ने के उत्पादन से हमारे यहां खपत और पेराई की समस्या खड़ी हुई, वहीं साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे देश की चीनी, खांडसारी तथा गुड़ के भावों में गिरावट हुई और यह समस्या पैदा हो गई है कि इसका निवारण किस प्रकार किया जाय ।

मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि शासन ने बड़ी दृढ़तापूर्वक इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है और आप सब के सहयोग जो इस सम्बन्ध में मिले हैं, उसके लिये भी मैं आपको आभार प्रदर्शित करता हूं । जहां तक वर्तमान सत्र का सवाल है, यह भी आपको भली भांति परिचित होना चाहिये कि इस सत्र में भी हमारे गन्ने का क्षेत्रफल में पिछले सत्र के मुकाबले में बढ़ोत्तरी हुयी है, परन्तु इतना अवश्य है कि बाढ़ के कारण या वर्षा के कारण हमारे उत्पादन में कुछ कमी होने की सम्भावना है । मैं इस साल आशा करता हूं कि लगभग १५ फीसदी कमी उसमें होगी, लेकिन इस सारी बातों को कहने का मतलब मेरा यह था कि जो समस्या हमारे गन्ने के सम्बन्ध में पिछले वर्षों में हमारे आपके सामने खड़ी रही है, वह इस सत्र में नहीं आयेगी ।

आज माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है चीनी मिलों की पेराई प्रारम्भ करने के बारे में, यह सही बात है कि ८६ चीनी मिलों में से ७४ चीनी मिलें हमारी प्रारम्भ हो चुकी हैं और १२ चीनी मिलें चलने को शेष रह गई हैं । इसमें कुछ कारण हैं, ३–४ या ५ मिलें तो ऐसी हैं, जिनका विस्तार हो रहा है और वह विस्तार आपके लिए लाभदायक होगा । इसलिए यह शंका करने की बात नहीं है कि इससे पेराई में कमी होगी बल्कि पेराई में बढ़ोत्तरी होगी । कुछ मिलें ऐसी हैं, जिनमें बाढ़ के जमाने में जो मरम्मत के लिए सामान कलकत्ता से या अन्य बाहरी जगहों से मंगाना पड़ता था, वह बाढ़ के कारण रास्ते बन्द हो जाने के कारण, रेल व्यवस्था न हो सकने के कारण या रेलवे बैगन न मिलने के कारण वह सामान उनको समय से नहीं मिल सका और इस वजह से भी उनको कठिनाई रिपेयर में उठानी पड़ी । साथ–साथ पिछले सत्र में आप जानते हैं कि करीब अगस्त के प्रथम सप्ताह तक हमारी चीनी मिलों ने काम किया है और थोड़ा समय जरूर इसमें चाहिए, जो रिपेयर के लिए आवश्यक होता है । इसलिए थोड़ा विलम्ब अवश्य हो गया है, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस सदन के माध्यम से आप सबको मैं यह विश्वास दिलाना चाहूंगा आप सबको कि आप सबके सहयोग से सरकार इस बात

[श्री शिव मंगल सिंह]

के लिए प्रयत्नशील हैं और ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि पिछले सत्र में जो कठिनाई प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को झेलनी पड़ी हैं, इस वर्ष नहीं झेलनी पड़ेगी ।

जहां तक गन्ना मूल्य के अवशेष का सवाल है, उसके भुगतान का सवाल है, आपको विदित है कि पिछले साल जितना गन्ना क्रय किया गया था, किसानों से वह २५९.९४ करोड़ का बकाया था और ३० नवम्बर, १९७८ तक २२८.८६ करोड़ रुपये का भुगतान करवाया जा चुका है, अब केवल ३१.०८ करोड़ का भुगतान करना शेष है । इस सम्बन्ध में मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि गत सत्र में मिलें बन्द हुई, उस समय करीब ५१.९९ करोड़ रुपया बाकी था और इस दरम्यान में १५-८ से ३०-११-७८ के बीच लगभग बास करोड़ रुपये का भुगतान हमने कराया है और जहां तक इससे उत्पन्न कठिनाइयों का सम्बन्ध है, मैं आपकी इस भावनाओं से सहमत हूं कि इस वर्ष इस भुगतान के कारण विशेष तौर से जब कि प्रदेश में बाढ़ की समस्या खड़ी हुई, अनेक तरह की समस्यायें सामने आईं । वर्षा की स्थिति भी इस वर्ष ऐसी रही कि गन्ने के बकाये से किसान को काफी कठिनाई झेलनी पड़ी है । हमारी सरकार ने अन्य विभागों में भी काफी ज्यादा इन कठिनाइयों को मिटाने के लिए ऐसे कदम उठाये हैं, जिससे कि उनको सहायता मिले ।

जहां तक गन्ना विभाग का सवाल है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इस सन्दर्भ में अपने विभाग से हमने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है कि गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में जोर जबरदस्ती की कार्यवाही न की जाय । हमने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, ताकि बीज और खाद आदि के बारे में किसी प्रकार की असुविधा न हो । मैं मानता हूं कि इससे किसानों की सभी कठिनाइयों का निवारण नहीं हो सका । शासन इसके लिए हमेशा चिन्तित रहा है और हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाय । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि दिसम्बर के महीने में हम अवशेष गन्ने के मूल्य का भुगतान का कार्य शुरू करा देंगे और शीघ्र ही सारा भुगतान हो जायगा ।

मान्यवर, प्रदेश के किसानों का हित वर्तमान सरकार के सम्मुख हमेशा सर्वोपरि रहा है । इसी दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने ९-११-७८ को एक अध्यादेश पारित किया है, जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया है कि १५ नवम्बर तक जो मिल नहीं चलेगी या जिन मिलों के ऊपर १० प्रतिशत से अधिक गन्ने का मूल्य बकाया रह जायगा, उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जायेगी । इस सन्दर्भ में जो माननीय देव बहादुर सिंह ने एक शंका प्रकट किया है, उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो अध्यादेश बना है, उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि जो मिलें इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेंगी, उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस दिया जायगा और समुचित समय दिया जायगा ताकि वे अपना स्पष्टीकरण कर सकें । उसके बाद ही विचार करके उचित कार्यवाही होगी । ऐसा नहीं है कि केवल अध्यादेश के द्वारा तत्काल ही उसका अधिग्रहण कर लेंगे । अब कारण बताओ नोटिस में थोड़ा सा समय तो जवाब देने में और निर्णय लेने में लग ही जायगा । इतना मैं अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि बिलारी की अयोध्या मिल और हरदोई की एक चीनी मिल का अधिग्रहण इसी प्रकार हो चुका है । यदि वे हमारी नीति के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो अवश्य ही कार्यवाही

होगी। हम इस बात का प्रयास करेंगे कि गन्ने की पेराई समय से हो सके और किसानों को कठिनाई न उठानी पड़े।

मान्यवर, मैं इस सन्दर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा जो मुख्य बात है, अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है। केन्द्र सरकार ने साढ़े आठ परसेन्ट रिकवरी के ऊपर दस रुपया का मूल्य निश्चित कर दिया है और एक परसेन्ट अतिरिक्त पर १२ पैसा की लागत तक निश्चित किया है। जहां तक वर्तमान परिस्थिति का सम्बन्ध है, हमारे माननीय सदन के सदस्य भलीभांति परिचित हैं कि शकर के मूल्य में भारी गिरावट के कारण और मिलों को बैंक से जो ऋण मिला करता था, उसकी सीमा समाप्त हो जाने के बाद अब मिल मालिकों को भी धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि जो गन्ने का मूल्य हमने दिया था, उसकी पूर्ति करना उनके वश के बाहर की बात है। शासन ने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है। दूसरी तरफ जो जनता पार्टी की घोषित नीति है कि हम किन्हीं परिस्थितियों में किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि उनको किसी प्रकार से भी क्षति न उठानी पड़े। हमने देखा जिस समय गन्ना बोया गया था, उस समय चीनी के दाम में गिरावट नहीं आई थी, इसलिए किसान को कसूरवार समझना उचित नहीं होगा। इन कारणों को ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार ने निश्चित किया है कि गन्ना मूल्य जो पिछले साल किसानों को मिला है, वह इस वर्ष भी मिलेगा। अन्तर केवल इतना ही होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है, उसमें और पिछले गन्ना मूल्य के अन्दर जो अन्तर होगा, उसे हम सब्सिडी के रूप में देंगे। इससे न तो फैक्टरीज के ऊपर ही कोई बोझ पड़ेगा, न किसानों को पिछली बार जो सुविधा थी, उसमें कोई असुविधा का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान सरकार द्वारा फैक्टरीज तथा किसानों दोनों के हितों की समुचित रक्षा की गयी है, ताकि यह उद्योग भलिभांति उत्तर प्रदेश में पनप सके और आगे जा सके। इसके साथ ही किसान अगले वर्ष के लिए भी उचित कदम उठा सकेगा और निर्णय ले सकेगा।

जहां तक खांडसारी का सवाल है, यह लघु उद्योग है। गांव के लोगों का इससे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है और सरकार की नीति ऐसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि समुचित रूप से तथा सुचारु रूप से यह उद्योग हमारे प्रदेश में पनपे तथा आगे की तरफ बढ़ सके। सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनसे मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं। जो किसान खड़े कोल्हू में अपना गन्ना पेरते हैं, उनको न किसी परमिट की, न किसी लाइसेन्स की आवश्यकता होगी। देव बहादुर जी ने ७० फीसदी गन्ने की बात कही, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं कि लगभग ५० प्रतिशत गन्ना गुड़ के अन्दर खपता है, केवल १५ प्रतिशत की खांडसारी में खपत होती है। लिहाजा ५० प्रतिशत गन्ना पेरने वाले किसान को कोई असुविधा न हो, उनको हमने ये रियायतें दी हैं। खांडसारी वालों को भी हमने लाइसेन्स के सम्बन्ध में बहुत सी सुविधायें प्रदान की हैं। जिन लोगों पर पिछले साल का परचेज टैक्स में बकाया है यदि वे अपने बकाये का एक तिहाई दे देते हैं, तो शेष बकाये का वह तीन माहवारी किस्तों में भुगतान कर सकते हैं और तब उनका लाइसेन्स रिन्यू कर दिया जायेगा और उनको खांडसारी यूनिट चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

एक बात यह कही गई कि गन्ना मूल्य निर्धारित करने में बहुत विलम्ब हुआ है इसलिए खांडसारी नहीं चल सकती तो ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों की सदैव से ऐसी

[श्री शिव मंगल सिंह--]

आदत रही है कि वे सारे के सारे कनसेशन तक इन्तजार करते रहते हैं और जब तक उनकी घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक वह आनाकानी करते रहते हैं और अपने यूनिट को चलाने में वे विलम्ब करते हैं। आप लोग जानते हैं कि गत दो वर्षों को छोड़कर पहले खांडसारी के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, इसलिए कनसेशन की जरूरत नहीं थी। फिर भी गत वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुआ और जो तरह-तरह की शिकायतें आती रही हैं, उनका हमने मनन किया। आपको मालूम होगा कि अनेक प्रकार की ऐसी शिकायतें आई हैं कि ९.४० रु० खांडसारी के लिये कीमत फिक्स थी, लेकिन आमतौर पर ढाई रु०, तीन रु० और ४ रु० क्वंटल के अन्दर गन्ने का मूल्य किसानों को दिया गया। इस अनुभव से फायदा उठाकर हमने सोचा है कि यह किसी प्रकार उचित नहीं है किसान जो गन्ना पैदा करता है, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको उचित मूल्य न मिले। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे निर्धारित करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस उद्योग से परिचित है, वह समझ सकता है कि आज जो चीनी और खांडसारी के मूल्यों में गिरावट आई है, उसमें ९.४० रु० देना सम्भव नहीं है। फिर वही बात होगी कि कोई ऐसा मूल्य निर्धारित कर दें, जिसको वह दे न सकें या फिर वह उद्योग बन्द हो जाय या फिर पिछले वर्षों की तरह मनमाने ढंग के दाम देने की बात करें।

चूंकि थोड़ा गन्ने की नीति के बारे में मुझे निवेदन करना है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय मैं ले रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। वर्तमान सरकार ने निश्चय किया है कि जो खांडसारी के दाम हैं, वह ६ रु० निर्धारित किए जायं। लेकिन मैं इसमें यह बता देना चाहता हूं कि यह जो खांडसारी के लिए मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसमें कंसेशन केन्द्र सरकार से लेनी पड़ती है। वर्तमान सरकार ने इसकी सिफारिश की है और आशा है अनुमति हम प्राप्त कर लेंगे और हम उसका मूल्य निर्धारित कर पायेंगे। इसमें जो नान सलफर प्लांट हैं, उनमें खर्च ज्यादा आता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए क्योंकि उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है, इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि जो परचेज टैक्स है, उसको माफ कर देंगे और जो इक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती है, उनसे भी सिफारिश करेंगे कि वह भी माफ कर दें, ताकि यह उद्योग भलीभांति चल सके।

मैं थोड़ा समय और लूंगा इसके लिए क्षमा चाहूंगा। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर और समय-समय पर इस सदन में चर्चा होती रही है कि गन्ना नीति इस प्रकार की बनी हुई है कि जिसके कारण किसानों का अधिकांश रूप में छोटे किसानों का शोषण किया जाता है। सरकार ने इसपर काफी ध्यान दिया और कोशिश की है कि छोटे किसानों का जो मुख्य रूप से शोषण हुआ करता था, वह न हो और फर्जी पर्चियां बांटने की स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हमने जितने भी गन्ने के खेत है, उनका सही रूप से सर्वे कराया है। सर्वे (१७१-१७२) कराकर जितना वास्तव में गन्ना बोया गया है, उसके आधार पर प्रत्येक सेन्टर पर ३ साल का औसत निकालकर कोटा निर्धारित किया गया है और मैं समझता हूं कि इससे, किस किसान ने जितना गन्ना पैदा किया है, उसको उसका निर्धारित कोटा निश्चित रूप से मिलेगा। इस नीति से फर्जी बातें होंगी, शिकायतें दूर होंगी। जो फर्जी पर्चियां बनती थीं असामाजिक तत्वों द्वारा, उस पर रोक लगेगी, उनके द्वारा किसानों का होने वाला शोषण रुकेगा। छोटे काश्तकारों का जहां तक सवाल है, उनके लिए हमने ऐसी नीति बनाई है, जिससे उनके गन्ने की पूर्ति में

हमने प्राथमिकता के आधार पर २० प्रतिशत हमने उनको अधिक दिया है ताकि उनका समुचित आदर हो सके और उनके परिश्रम को उनको सही व पूरा मूल्य मिल सके ।

पिछले बार यह एक शिकायत मुख्य रूप से सुनने में यहां आई कि गन्ना किसी का होता है, मूल्य किसी को प्राप्त होता है और गन्ना मूल्य उचित रूप से लिखा नहीं जाता है और बेजा व्यक्तियों द्वारा बीच में कमीशन खाया जाता है, भुगतान में गड़बड़ियां होती हैं आदि । अतः सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस सत्र में गन्ने के मूल्य का भुगतान बैंकों द्वारा किया जायगा ताकि सही काश्तकार को उसका सही मूल्य मिल सके । मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं आपका और अपने साथियों का जिन्होंने मुझे थोड़ा अवसर दिया, मैंने जरूर कुछ अधिक समय ले लिया, जिसके लिए क्षमा चाहता हूं । मैं पुनः अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि इसे राजनैतिक समस्या न मानकर एक देशव्यापी राष्ट्रीय समस्या समझें और मिल जुल कर दृढ़ता से इसका मुकाबला करने की कोशिश करें ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे गन्ने की पेराई हो, गन्ने के मूल्य का भुगतान हो, शोषकों की बात हो, अब सब का अन्त होगा । अगले सत्र में कामयाबी के साथ हम किसानों को तमाम सुविधाएं दे सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

७ बजकर ५ मिनट पर इस पर विवाद समाप्त होगा । बहुत लोग बोलने वाले हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि बोलने का समय निर्धारित कर दिया जाए ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अच्छा ७ मिनट का समय मेरी तरफ से निश्चित है ।

(श्री कल्प नाथ सिंह का नाम पुकारे जाने तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर) अब आप लोग बैठिये ।

आपका चूंकि प्रस्ताव था, मैंने अस्वीकार किया था, आपको अवसर मिलेगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

समय क्या तय हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

सात मिनट ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए । यह तो गलत है, जब मैंने बुला लिया ।

श्री मन्जूर अहमद--

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष--

जब इनका भाषण समाप्त होगा उससे पहले नहीं। इस प्रकार इजाजत नहीं दूगा।

श्री मन्जूर अहमद--

इसके बाद तो मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। क्यों समय नष्ट कर रहे हैं ?

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़ा विस्तृत वक्तव्य इस सदन के सामने अपनी गन्ना और शक्कर नीति के बारे में दिया है। मान्यवर, इस लिखित वक्तव्य के सिलसिले में समय कम है इसलिए मैं कुछ सफाई चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इन बातों की सफाई हो सके। जहां तक, किसानों को, सब्सिडी दे कर सरकार द्वारा, गन्ने की पिछले साल के मूल्य का भुगतान कराने का इरादा है, सरकार का यह कदम अवश्य ही स्वागत करने योग्य है। लेकिन श्रीमन्, एक बात मैं जानना चाहता हूं सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि सब्सिडी में कुल कितना रुपया पब्लिक एक्सचेकर का खर्च किया जायगा और यह रुपया कहां से आयेगा। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सवाल है इस बात का कि आखिर किसानों के गन्ने की कीमत चीनी की कीमत के आधार पर तय होगी या गन्ने की कीमत के आधार पर चीनी की कीमत तय होगी। अगर यह भी मान लिया जाय जैसा कि मंत्री जी के इस वक्तव्य से जाहिर होता है कि मंत्री जी चीनी की कीमत में गिरावट के कारण और किसानों को लाभ देने के इरादे से तमाम सारे काम कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मुझे ठीक याद है, आपको याद होगा, माननीय मंत्री को भी याद होगा कि रफी साहब के जमाने में जब भी कंट्रोल हुआ था उस जमाने में किसानों के गन्ने की कीमत किस आधार पर दिया गया था। यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य जो गन्ना आन्दोलन से सम्बन्धित रहे हैं जो किसानों को गन्ने की कीमत दिलाने के लिए लड़ते रहे हैं उनको मालूम है कि यह सिद्धांत तय किया गया था उस जमाने में कि जितने आने मन गन्ना हो उतने रुपये मन चीनी। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर साढ़े बारह रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर गन्ने की कीमत मान ली जाय तो चीनी की कीमत २०० रुपये अगर मार्केट में रहती है तो मिल मालिक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। श्रीमन्, यह सब्सिडी देने की बात किस प्रकार आयी ? उसमें भी खांडसारी के टैक्सेज को माफ करने के बाद खांडसारी की कीमत कम हो गयी ९.४० रुपये से ६ रुपये की कीमत हो गयी।

कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी के इरादे में कोई कमी नहीं है। इसी लिए मुझे यह निवेदन करने की हिम्मत भी पड़ी है। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एक बात और सफाई से कहना चाहता था। अगर दो घंटे की चर्चा भी इस बात पर विस्तार से हो जाती तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि दो घन्टे की चर्चा में विस्तार से विचार नहीं हो सकता है। अगर बहस का समय नहीं बढ़ाया जायेगा तो मंत्री जी माननीय सदस्यों की बहुमूल्य राय से वंचित रह जायेंगे। अगर वह राय जानना चाहते हैं तो बहस का समय बढ़ाइये और ठीक प्रकार से बहस कराइये। जिससे इन बातों पर सफाई हो जाये कि हम किस दिशा की ओर जा रहें हैं और किस दिशा की ओर जाना चाहते हैं। इस वक्तव्य से बहुत सी भ्रान्तियां पैदा हो रही हैं। अगर गन्ने की कीमत पूर्ववत बनी रह सकती है तो वह बनी रहे और चीनी मिल मालिकों से भी वही कीमत दिलवाये जिस सिद्धान्त पर पहले से दी जाती रही है। २०० रु० क्विन्टल चीनी है तो साढ़े बारह रुपये गन्ने के लिए देना कोई मुश्किल नहीं है। इन सभी चीजों की सफाई हो जानी चाहिये। गन्ने की कीमत तय हो जानी चाहिये तब चीनी की कीमत की बात आवे। इसीलिये मेरा निवेदन है कि आप पूरे दिन इस मामले पर बहस करावें यही मेरा निवेदन है।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज गन्ना और चीनी नीति पर जो चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में एक शेर प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अगर तूफां में कश्ती हो तो काम आती है तदबीरें।

अगर कश्ती में तूफां हो तो फूट जाती हैं तकदीरें।।

मान्यवर, गन्ना और चीनी उद्योग नहीं है, यह राजनीति में घुस गया है। आज हम अपने जनपद की बात करते हैं, हमारे जनपद में दो जनपद हो गये हैं पडरौना गन्ना जनपद ही अलग है। छितौनी की जो चीनी मिल है उस पर मजदूरों और किसानों का सवा करोड़ रुपया बकाया है। इसी सदन में आश्वासन दिया गया कि भुगतान कर दिया जायेगा लेकिन आज भी १०० रुपये की पर्ची २० रुपये में रेहन की जा रही है। केन यूनियन बनी हुई है। उनके इन्टरेस्ट का यह सवाल है कि वह कहते हैं कि हमारी कमर टूट रही है। जो इन्टरेस्ट है उनकी कमर उससे टूट रही है। ग्रामीण बैंकों के माध्यम से गन्ना भुगतान की व्यवस्था की गयी है वह सब जगह पर नहीं है केवल सेवरही और एक आध फैक्टिरयों में है।

अब मैं पेराई क्षमता के बारे में कहना चाहता हूं। यह जो चीनी मिलें हैं वह करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकार से कर्ज लेती है लेकिन उनके कोल्हू वही पुराने के पुराने हैं। उनकी क्षमता बढ़ी नहीं है। अगर एक कोल्हू की क्षमता १५०० है तो वह ७०० की ही पेराई कर रहे हैं। पडरौना की फैक्ट्री में ७५ प्रतिशत शेयर सरकार के हैं और सबसे ज्यादा उनका दुरुपयोग है।

(इस समय ५ बजकर ५३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

एक जनवरी १९७५ को इसी सदन में जब माननीय नारायण दत्त तिवारी गन्ना मंत्री थे पर्चेज टैक्स पचास पैसे से बढ़ा कर एक रुपया करने का प्रस्ताव आया। यह पर्चेज टैक्स जब लगा तो उस समय यह कहा गया था कि यह

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक--]

किसानों की बहबूदी के लिये लगा रहे हैं, मगर मैं कहता हूं इससे किसानों की बरबादी हो रही है। यह उनकी बहबूदी की योजना नहीं है, बल्कि उनकी विपत्ति की योजना है। आपकी नीयत ठीक है, आप चाहते हैं। छोटे किसानों का गन्ना गिरे, पर वह ढोयेगा कैसे ? इस पर भी आपने विचार किया ?

मान्यवर, आज पर्चेज टैक्स में लाखों रुपयों की चोरी हो रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

आपने रिकवरी के आधार पर जो गन्ने के मूल्य निर्धारण की नीति अपनायी है यह भी ठीक नहीं है। गन्ना तो वही है, किसान उसके लिये जिम्मेदार नहीं है, उसने कौन सा गुनाह किया है, गुनाहगार तो मिल वाले हैं। मिल वाले करोड़ों रुपया आज खाये बैठे हैं, किसानों का। इसलिये मेरा निवेदन है कि रिकवरी के आधार पर मूल्य निर्धारण करना न्याय संगत नहीं है, इस पर सरकार पुनः विचार करे।

मान्यवर, प्रान्तीय सरकार को निर्भीक होकर केन्द्रीय सरकार से इसके लिये जूझने की जरूरत है। आज करोड़ों गन्ना किसान बरबाद होता जा रहा है।

एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जल जमाव के कारण भी गन्ने की स्थिति बहुत खराब है। जहां जहां जल का जमाव है, जल निकासी की व्यवस्था होना चाहिये।

सट्टे की व्यवस्था का भी पुनरीक्षण करने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया समाप्त करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं है कि माननीय गन्ना मन्त्री जी ने काफी प्रकाश सब चीजों पर डाला है, सब कुछ कहा है, मगर मैं उनके सामने यह रखना चाहता हूं कि पिछले साल इसी विषय पर जब यहां विवाद हुआ था तो यह बताया गया था कि १८ करोड़ रुपया गन्ने का किसानों का बकाया था और आज इस साल स्थिति यह है कि ३१ करोड़ बकाया है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले १३ करोड़ रुपया अधिक मिल वालों पर किसानों का बकाया है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जैसा कहा, आपने साढ़े ३ रुपये क्विन्टल की सब्सिडी देने की बात कही है, तो यह ६० करोड़ रुपया आप कहां से लायेंगे ? क्या गरीब किसानों से ही इसे वसूल किया जायगा ? यह आखिर आयेगा कहां से ?

मेरा सुझाव यह है कि ६० करोड़ में से पहले ३१ करोड़ रुपया जो पिछला बकाया है, उसको अदा कर दें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माल मंत्री जी चले गये, मैं चाहता था कि माल मंत्री के सामने बात होती सैलाब का समय चला गया, जो उनके अमीन हैं, वे दौड़ने शुरू कर दिये। इस मामले को सुलझाया जाय। श्रीमन् जरा गौर करने की बात है। किसान का पैसा ३१ करोड़ बकाया है। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। गन्ना शुगर फैक्ट्री, पन्ना पर ३ महीने १० दिन का ८५ लाख उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ बाकी है। सारी चीजें तेज, तेल, डीजल महंगे हैं। धान का भाव ८५ का है, लेकिन इस वक्त ७५ में बिका। तो किसान फसल बोने के लिए कहां से डीजल लाये और डाई इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं ६० करोड़ रुपया मिल जाता है, तो किसानों का पिछला बकाया दे दिया जाय। अगर इतना नहीं कर सकते, तो अपने कैबिनेट में बैठ कर जो सरकारी मुतालबा है, उसको तो रोक दीजिए। ४ लाख के प्लान्ट प्रदेश के अन्दर हैं। कोई गारन्टी इस बात की नहीं है। मेरा सुझाव है कि अगर आप ६-७ जो भी कुछ रखें उसमें कोई बड़ा काम नहीं है, हर एक में ५०-६० लेबर होते हैं, १९७१-७२ से लेकर अब तक का हिसाब लगा लें, १-१, २-२, ३-३ प्लान्ट खड़े कर लिये, लेकिन फिर भी कोई गारन्टी नहीं है कि इस भाव से गन्ना किसानों से खरीद लेंगे। उनका प्वाइन्ट मजबूत है। कोर्ट से जब वह स्टे ले लेंगे, तो आपके अन्दर शक्ति नहीं है कि आप स्टे वैकेट करा सकें।

इस साल फसल गन्ने की बहुत अच्छी है। जो पिछले साल का मुरादाबाद का असेसमेंट था, वही इस वक्त गन्ने की प्रोडक्शन की शक्ल है। जिस किसान का गन्ना पिछले साल खड़ा रह गया, रिकवरी में कमी नहीं हुई, उसमें कल्ले और निकल आये। जो पिछले साल खेत खड़े रह गये, उसमें प्रायोरिटी दी जाय।

मान्यवर, बरेली में मिठौरा एक सेन्टर है जिसमें ७२ गांव लगते हैं लेकिन अब पता चला है कि रिएडजस्टमेंट हो गया है और नया सेन्टर चकनपुर में हो गया है। तो श्रमन्, गन्ने का मसला गरीब किसान के साथ जुड़ा है। इसमें दो राय नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके सामने जो प्रेक्टिकल दिक्कत है उसको कैबिनेट के साथ डिस्कस करें। और कठिनाइयों को दूर करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्षता जी, माननीय गन्ना विकास मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वह मैंने पढ़ा उससे तसल्ली नहीं हुई है। तसल्ली इसलिए जरूर है कि जब से उन्होंने यह मंत्रालय संभाला है कुछ करने की तमन्ना उनके अन्दर है। लेकिन यह रोग इतना पुराना है कि इसका निदान वह जल्दी नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने किया है उसका नतीजा सामने नहीं आ रहा है। मैं एक बेसिक सवाल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो रिकवरी के आधार पर प्राइस फारमूला है यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। दिल्ली में जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के जो लोग हैं उनको इसका अहसास नहीं है। मैं गन्ना विकास मंत्री से जानना चाहता हूं कि गन्ना किसान कहां जायगा? हमारे यहां तीन फैक्टरियां हैं। एक पर साढ़े १० मिलेगा, दूसरी पर साढ़े १२ मिलेगा और तीसरी पर साढ़े ८ मिलेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें गन्ने के किसान का क्या दोष है? अगर मिल पुरानी हो गयी है, मिल मालिक चोर है। इक्वाइज की चोरी करता है तो उसका खमियाजा किसानों को क्यों भोगना पड़े इसका जवाब मंत्री जी दें?

उन्होंने किसान को सब्सिडी देने की बात कही है। इससे तत्कालिक रूप से किसान प्रसन्न हो जायगा लेकिन यह किसानों के साथ धोखा है, फरेब है, और जाल किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, सब से बड़ा केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मैं जानना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

आपकी क्या नीति है ? जब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने शुगर का डि-कन्ट्रोल किया तब क्या आपने कोई प्रोटेस्ट की । आपकी सरकार ने कोई एतराज किया क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सफरर इस सम्बन्ध में है । तामिलनाडू और महाराष्ट्र इतने बड़े सफरर नहीं हैं । पूर्वी बिहार और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा सफरर है। मैं पूंछना चाहता हूं कि क्या कोई प्रोटेस्ट नोट आपके यहां से गया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर जी को, उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है । लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया ?

दूसरी बात एक आदेश गया था कि कितना गन्ना कितने खेत में होता है । लेकिन क्या आप अहसास करते हैं कि एकड़ में केवल १०० क्विंटल गन्ना पैदा होता है । इससे इतना आक्रोश प्रदेश के गन्ना किसानों में है जितना पहले कभी नहीं था। हमारे यहां की मिलें बन्द हो जायंगी गन्ना रह जायगा । विभागीय अधिकारी आपको धोखा दे रहे हैं ।

हमारे क्षेत्र में जो गन्ना पैदा होता है वह अच्छा पैदा नहीं होता लेकिन फिर भी २५० क्विंटल प्रति एकड़ पैदा होता है । आपने जो निर्देश दिया है वह एक एकड़ में १०० क्विंटल है । तो यह किसानों के साथ धोखाधड़ी की गयी है । इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, एक आदेश यह भी दिया है कि १५ नवम्बर तक जो फैक्ट्री नहीं चलेगी उनका अधिग्रहण कर लिया जायेगा, तो यह अच्छी बात है । लेकिन मेरा कहना है कि आप टोटल टेकओवर कर लें किन्तु कितने को आपने अधिग्रहण का नोटिस दिया है ? फैक्ट्रीज के चलने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है । लेकिन जो रिसीवरशिप और निगम के अन्तर्गत फैक्ट्रीज चल रही है उसमें मैं जानना चाहता हूं कि कितनी फैक्ट्री चली हैं ? यदि नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही किया है ? यह जवाब वास्तविकता से दूर है कि बाढ़ के कारण कलकत्ता से मैटेरियल नहीं आया, रेल नहीं चली या सड़क टूट गयी। इसलिए मैं गन्ना विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलत बयानी और गलत सूचना दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। मंत्री जी को झूठी बात बतायी गयी है कि मिलों की आपूर्ति इसलिए नहीं हुई कि बाढ़ आ गयी, रेल नहीं चली या सड़क टूट गयी, यह झूठी बात है ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रिसीवरशिप में जो लाखों रुपए और निगम में जो लाखों रुपए लगाकर अधिकारियों को प्रोमोट किया गया है, यह धन का अपव्यय है । नौकरशाही ने इस विभाग को बहुत ही जकड़ रखा है जिसका कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । विद्युत् मंत्री के क्षेत्र में एक फैक्ट्री कारपोरेशन के अन्तर्गत चल रही है, वह कप्तानगंज की फैक्ट्री है । वह फैक्ट्री बिहार और नेपाल से गन्ना चोरी से लेती है और प्राइवेट लोगों को वह गन्ना बेच देती है । तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या जस्टिफिकेशन है ? इसमें बंगलिंग हो रही है । इस प्रकार सारे प्रदेश में नौकरशाही की जकड़ है । इसलिए किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है । इसलिए मंत्री जी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और जो गन्ना किसानों की समस्यायें जैसे रिकवरी, एलटमेन्ट और असेसमेन्ट है, उनको हल करें वरना प्रदेश का गन्ना किसान, मंत्री जी को बक्सने वाला नहीं है ।

श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि गन्ने की समस्या जनता पार्टी के राज्य में भी वैसी ही उलझी है जैसे पुरानी सरकार के जमाने में उलझी थी। गन्ना की समस्या पूंजीपतियों के जाल में उलझी है। आज भी खेद है कि जनता पार्टी ने जो नीति घोषित किया है वह पूंजीपति परस्त है और मिल मालिकों के हित में है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि सरकार वाकई किसानों का हमदर्द है, हमदर्दी है तो उस नीति को बदलना होगा। केवल किसान सम्मेलन करने से, किसानों का नाम लेने से, किसानों का भला होने वाला नहीं है इस प्रदेश में। जनता को ज्यादा दिन भुगालते में नहीं रखा जा सकता। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि चीनी के मूल्य के हिसाब से गन्ने का मूल्य कदापि निर्धारित नहीं होना चाहिए। किसान का प्रति कुन्तल जितना व्यय होता है पैदा करने में उसपर उचित लाभ जोड़कर गन्ने के मूल्य का निर्धारण होना चाहिये और किसान को उचित मुनाफा देकर गन्ने का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद चाहिए गन्ने का मूल्य और चीनी बनाने में जितना व्यय हो वह जोड़कर और पूंजीपतियों को जो मुनाफा आप देना चाहते हैं उसे जोड़कर चीनी का मूल्य निर्धारण कराएं। यदि यह नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए गन्ना खरीदना। किसान गेहूं बो लेगा, चना पैदा करेगा और अपना भरण पोषण करेगा। गन्ने के मूल्य के बारे में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसान के लागत व्यय का ख्याल करके उसके मुनाफे का ख्याल करके गन्ने का मूल्य निर्धारित हो।

मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में सब्सिडी देने के बारे में कहते हैं। डा० रियासत भाई ने ठीक ही कहा। आप सब्सिडी कहां से देंगे। हमारे माननीय मंत्री जी अपने घर से नहीं देंगे। यह उसे किसान के ही पाकेट से निकालेंगे और किसान को देंगे। किसान के पाकेट से ही पाकेटमारी करेंगे। डकैती करेंगे। देंगे कहां से। यह नाटक किसान के हित की रक्षा आप बन्द कीजिए। पिछले साल का मूल्य देना होगा यह हमारी पार्टी की आम राय है। पिछले साल का मूल्य किसान को मिल मालिकों से दिलाइए। लेकिन केन्द्र सरकार और प्रदेशीय सरकार ने मिल मालिकों के हित के आधार पर सारा निर्धारण किया है।

दूसरी बात मैं श्रीमन्, भुगतान के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कई मित्रों ने कहा कि किसानों का करोड़ों रुपया बकाया के रूप में मिल मालिकों पर है। हमारे मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे देते हैं कि हम पन्द्रह दिन के अन्दर बकाया दिला देंगे, यह बड़े खेद की बात है कि पन्द्रह दिन में बकाया साफ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस मिल पर बकाया है उस मिल की कुड़की करके, उसके पुर्जों का नीलाम करके किसानों के बकाए का भुगतान कराए। यदि किसानों को भुगतान नहीं करा सकते तो किसानों का नाम लेना छोड़ दीजिए।

तीसरी बात मैं मौजूदा भुगतान के बारे में कहना चाहता हूं। प्रत्येक मिल को एक बैंक से सम्बधित कीजिये। किसान मिल की पर्ची पर बैंक से रुपया निकाले और बैंक उतना रुपया मिल के नाम डाल दे। वहां किसान का रुपया रहे और परचो का इस्तेमाल करके किसान जब आवश्यकता हो बीज के लिए रुपए ले सके और उतना ही रुपया मिल के नाम पर बैंक अपने यहां डेबिट कर दे। यदि ऐसा नहीं करते तो किसान का न पिछला बकाया मिलेगा और न इस साल

[श्री मैनेजर सिंह]

का । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बैंक को बीच में डालिए। उसको देनदार बनाइए मिल मालिकों का और जो मिल मालिक उसे रुपया नहीं देता तो उसकी मिल के पुर्जों का नीलाम कराइए और रुपया दिलाइए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर,....

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं भी खड़ा हो रहा हूं लेकिन मुझको मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको मौका दिया जायगा । आप पीछे थे, देख नहीं पाया ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा भी नाम बोलने वालों में है लेकिन पता नहीं मुझको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है इससे जाहिर होता है कि वे इसके बारे में सजग हैं । लेकिन गन्ना मंत्री जी भी सजग हों, शासन भी सजग है, लेकिन उसके साथ ही गन्ने की समस्यायें भी सजग हो । गन्ना मंत्री जी को मैं उनकी रिपोर्ट के लिए बधाई देना चाहता हूं । लेकिन उसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय गन्ना मंत्री जी ने बताया कि ८६ चीनी मिलों में से ७४ चीनी मिलों में पेराई शुरू हो गई है और केवल १२ में बाकी है, तो इस तरह से उनको अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन्हीं अधिकारियों ने ही माननीय देव बहादुर जी को अध्यक्ष के दाहिने से बायें बिठा दिया । अगर आप इन अधिकारियों पर इस तरह से विश्वास करेंगे तो हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है । मेरे नजदीक ही एक चीनी मिल है जो इसका प्रमाण है कि अधिकारियों की रिपोर्ट कहां तक सही है और कहां तक सही नहीं है ।

आपने एक आदेश दिया कि भारत सरकार ऐसी चीनी मिलों का अधिग्रहण कर लेगी जिन्होंने १५ तारीख से अपनी मिल चालू नहीं किया । ९ तारीख को यह आदेश जारी हुआ । कानूनी कार्यवाही चालू हो गयी । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट पेश किया, उसमें आपने यह नहीं बताया कि कितनी चीनी मिलों में वाकई गन्ने की पेराई शुरू हुई और कितने में पर्चियां बटीं । आपके आदेश का पालन तो हो गया, लेकिन शुरू करके चीनी मिलें बन्द हो गयी हैं । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बभनान चीनी मिल की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके ऊपर अधिकारियों का बड़ा स्नेह है पता नहीं सरकार का स्नेह है कि नहीं । वहां पर, मान्यवर, किसानों के साथ बड़ा अत्याचार किया जा रहा है । उनकी दुर्गति की जा रही है । मिल में ब्वायलर नहीं, लकड़ी नहीं, डीजल नहीं । मिल चालू हो गयी और एक हजार क्विंटल गन्ना खरीद कर छोड़ दिया गया । फिर मिल बन्द कर दी गयी । उसमें पेराई नहीं की

गयी । पिछले साल का भी गन्ना अभी उसमें पड़ा है । अब पता नहीं, इस गन्ने का क्या होगा ।

माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा, मान्यवर, कि २५९·९४ करोड़ रुपए जो प्रदेश की चीनी मिलों पर देय था, उसमें से २२८·०६ करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और केवल ३१ करोड़ का बकाया है । लेकिन मान्यवर, मैं उन अभागों में से हूं कि मेरे यहां कि चीनी मिलों में १० प्रतिशत से भी अधिक बकाया है । आपने कहा कि केवल २३ चीनी मिलों पर बकाया है जो अध्यादेश के अन्तर्गत है और उनमें से केवल दो चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया है । प्रश्न है कि इन २३ चीनी मिलों का क्यों नहीं अधिग्रहण किया गया ? क्यों इसकी सिफारिश केन्द्र सरकार को नहीं की ? उन चीनी मिलों में बभनान भी एक है । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि १५ नवम्बर को जो चीनी मिलें चालू नहीं की गयीं और केवल दो चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया और २३ चीनी मिलों के लिए कहा है कि अधिग्रहण के योग्य हैं, तो आपको चाहिए कि उन चीनी मिलों का अधिग्रहण अविलम्ब करें ।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं । कि जो आपने अभी तक यह कहा है इसकी जांच कराई जाय कि जो चीनी मिलें चालू करके बन्द कर दी गयीं केवल अध्यादेश से बचने के लिए और सूचना भेज दी गई और अधिकारी मौन है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो अनुदान देने की बात है, यह ३० करोड़ रुपए का आप अनुदान देंगे, सारे प्रदेश में बाढ़ आई, सारा प्रदेश बरबाद हो गया और इतने के पश्चात् इस ढंग से पैसा दिया जा रहा है कि उससे मिल मालिक ही लाभान्वित हो रहे हैं । हमारे यहां जो रिकवरी के आधार पर परसेन्टेज तय किया गया है, बभनान सकसरिया चीनी मिल है ।

(लाल बत्ती जलने तथा एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइए, वह बोल रहे हैं उनके लिए लाल बत्ती है आपके लिए नहीं है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

पहली चीनी मिल है नवाबगंज जिसका रेट है ११ रुपए १८ पैसे, सकसरिया मिल का रेट १० रुपए मिलेगा और वाल्टरगंज चीनी मिल को ले जायेंगे तो ११ रुपए ४१ पैसा मिलेगा । इस तरीके से किसानों के साथ यह मखौल हो रहा है : मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यह रवैया छोड़कर किसानों के हित को ध्यान में रखकर गन्ने का दाम १३ रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करें जो पहले की परम्परा रही है, तभी आपका कल्याण होगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को तो व्यक्तिगत रूप से बधाई देने में तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी चाहिए लेकिन जहां तक सरकार का मामला है श्रीमन्' इस सरकार ने गन्ने के सम्बन्ध में जो फार्मूला अभी स्वीकार किया है, मैं समझता हूं कि मैनेजर सिंह जी ने जो बात कही है कि यह सरकार भी पूंजीपतियों के

[श्री ऊदल]—

प्रभाव में आ चुकी है। सवाल यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गन्ने व चीनी के मामले को राजनीतिक मसला नहीं बनाना चाहिए। तो गन्ने का मसला तो राजनीतिक आज से नहीं, मुद्दत से है। आप चाहे जो कुछ कहें, अगर सरकार की कोई सही नीति नहीं होगी इस मामले में, चीनी के मामले में, गन्ने के मामले में, मिलों के मामले में, और इसमें कहीं ढुलमुल पन हुआ, किसान को पसन्द नहीं आया, किसान को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ तो उसको राजनीति से प्रेरित कहा जायगा, चाहे आप उसको कुछ भी कह लें।

अब प्रश्न आता है आपका कहना है कि सरकार सब्सिडी देगी जो अन्तर होगा, साढ़े तीन रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो क्रेशर के लिए मूल्य तय हुआ ६ रुपए ४० पैसे प्रति क्विंटल, उनके लिए क्यों नहीं आपने स्वीकार किया क्योंकि वह भी गन्ना तो किसानों का ही है अगर आपको सब्सिडी ही देनी है तो उनको भी कहना चाहिए कि ६ रुपए अंश लिया जाएगा और बाकी सरकार सब्सिडी देगी। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी सरकार पूंजीपतियों के प्रभाव में आ गई है। आपने जो भाषण दिया उससे यह बात साफ होती है कि ३० परसेन्ट से कम ही गन्ना चीनी मिलों के अन्दर जाता है बाकी क्रशर इस्तेमाल करते हैं, ५० परसेन्ट के करीब कोल्हू में जाता है। गन्ना किसानों का क्या कसूर है रिकवरी के मामले में इसको आप तय कीजिए। गन्ना मिलों का आधुनिकीकरण मिल मालिकों ने बिलकुल नहीं किया है, इसमें भी किसानों का कसूर हो तो आप बताइए। किसानों का कोई कसूर नहीं है। गन्ने के विकास के लिए पूंजीपतियों ने क्या किया इसको भी आप देख लें।

मेरा सरकार पर आरोप है कि सरकार गन्ना किसानों को बरबाद करने पर तुली हुई है। ३१ करोड़ का बकाया जो पिछला पड़ा था, जब उस पर बहस हो रही थी, विचार हो रहा था तो आपने वादा किया था कि हम जल्दी से जल्दी इस बकाए को दिलवा देंगे और आज तक वह बकाया पड़ा है, अब ३१ करोड़ रुपए के ऊपर है, उसको आप कैसे दिलवायेंगे। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ आप तय कर रहे हैं, इसके लिए सरकार भुगतेगी जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने भी कहा इन सब के लिए सरकार भुगतेगी। वह तो भुगतेगी। लेकिन जो ३१ करोड़ रुपया बकाया है उसमें किसानों का क्या कसूर है। आप आज सदन में घोषणा कीजिए कि सरकार का प्रथम काम होगा इसको शीघ्र भुगतान कर दिया जायगा। एक बात और कहना चाहता हूं चीनी मिलों के पास जैसा मैंने सुना है लगभग ३२ लाख टन चीनी मौजूद है। यह पूरे देश और हमारे प्रदेश को फीगर है, उसका तो आपके पास हिसाब होगा। आप सवा दो सौ रुपए कुन्तल में क्यों नहीं चीनी खरीद लेते और बफर स्टाक बनाकर बेंचे और सभी मिलों को अधिग्रहण कर लें। अभी परसों में बाराबंकी गया था। वहां पर दो मिलें हैं। वहां पर सौ कुन्तल प्रति दिन के हिसाब से पुर्जी कट रही है। आप चाहें तो पता कर लें और पुर्जी पर कोई रेट भी नहीं लिखा जा रहा है। इस तरह से पेराई आपके अंकुश के डर से कर रहे हैं। मुझे दुख है श्रीमन्, कि गन्ना किसानों की जो दुर्दशा हो रही है। मान लिया आपने इस साल ६० करोड़ रुपया सब्सिडी दे दिया। अब अगले साल गन्ना किसानों का क्या होगा? क्या पालिसी होगी? किसान प्रदेश में गन्ना बोयेगा, क्या रिकवरी होगी और चीनी किस भाव से बिकेगी और क्या गन्ना के बारे में यहीं तीन प्रकार की नीति रहेगी, मिल वालों के लिए अलग, क्रेशर और खांडसारी के लिए अलग और कोल्हू के लिए अलग होगी। इसके बाद भी आज १६ लाख टन गन्ना खेत में खड़ा है। मैं अभी मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर गया था।

इसके बारे में आपने आश्वासन दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर पुराना गन्ना पेरा जायगा। इसलिए मैं समझता हूं इसके बारे में पूरा एक दिन चर्चा करा लें यह स्वयं आप बुलाकर एक निश्चित पालिसी बना लें।

यह सरकार तो किसानों की हितैषी है। इसलिए श्रीमन्, मैं चार्ज करता हूं कि यह सरकार गन्ना किसानों को जान से मार डालना चाहती है और पूंजीपतियों के पक्ष में झुक गयी है। आप देखें अगर किसानों के ऊपर बकाया रहता है तो उनकी नीलामी और कुर्की होती है और १४ दिन तक तहसील में गन्दी कोठरी में बन्द करके रखा जाता है। इतने बकाये के बाद मैं जानना चाहूंगा कि कितने मिल मालिकों को भुगतान न करने की वजह से बन्द किया गया। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर गन्ना किसानों, गन्ना मजदूरों और चीनी मिलों का मामला न सुलझाया जा सकता हो तो आप अपनी इज्जत आबरूह को बचा लीजिए और इस सरकार को छोड़ दीजिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी जो वक्तव्य दिया, उसके सन्दर्भ में मैं बहुत संक्षेप में अपना सुझाव देना चाहूंगा। सब से पहले तो यह कि अन्य विभागों से कागज आते हैं लेकिन गन्ना विभाग से आज तक कोई कागज नहीं मिला कि गन्ने की नीति में यह है कि मूल्य बढ़ाया नहीं जायगा और उस नियम के अनुसार मेरे चार भाई हैं और एक भाई के नाम से गन्ना आ रहा है और उसके नाम १ बीघा जमीन है और सब भाइयों के नाम भले ही १०० बीघा जमीन हो लेकिन गन्ना एक बीघा पर ही लिया जायगा और ९९ बीघा जमीन पर जो गन्ना है वह कट जायगा। सैकड़ों दरख्वास्तें मोदीनगर से आईं लेकिन विभाग का कर्मचारी यह कहता है कि मंत्री जी से कहिये मैं कुछ नहीं कर सकता। इस नियम को तुरन्त संशोधन किया जाय क्योंकि ८० परसेंट किसान ऐसे हैं जिनका गन्ना इस नियम के अनुसार खेतों में खड़ा रह जाता है। एसेसमेंट इस तरह से किया गया है कि डेढ़ महीने के अन्दर वह सारा गन्ना पिर जायगा। कोआपरेटिव विभाग को छोड़ कर सबसे अधिक भ्रष्ट यह विभाग है गन्ने का, इसको ठीक करने की मंत्री महोदय कोशिश करें। इस विभाग का एक कामदार इतना शक्तिशाली है कि १०, २० एम० एल० एज० पर जोर लगा सकता है। बांडिंग की जो नीति है वह गलत है इसमें संशोधन किया जाय।

दूसरी बुनियादी समस्या यह है कि इस समय गन्ने की लड़ाई उत्तर और दक्षिण के बीच छिड़ी हुई है। दक्षिण के लोग कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग गन्ने की ठीक से खेती नहीं करते जिससे रिकवरी ठीक नहीं होती, ठीक समय से फैक्टरीज नहीं चलतीं। इसलिये बहुत सी फैक्टरीज उत्तर से दक्षिण पहुंच गयीं। अफसोस इस बात का है कि गेंदा बाबू के मर जाने के बाद गन्ने वालों का कोई नेता नहीं रहा। गन्ना किसानों का नेता एक ही था, इस चैलेंज को हमारे साथियों को स्वीकार करना चाहिये। हरियाना में फैक्टरी लगी है। साढ़े १३ परसेंट रिकवरी दिखाई है और क्रशिंग सीजन भी हमारा दक्षिण के बराबर हो गया है। हमारी मशीनरी पुरानी ही है। फिर नार्थ में गन्ने की कोई इंटिग्रेटेड नीति नहीं है। गन्ने की एक इंटिग्रेटेड नीति बननी चाहिये और विभाग से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिये। मेरे क्षेत्र में एक सचिव हैं उनके खिलाफ दरख्वास्तें आईं लेकिन मैं उनका ट्रान्सफर तक नहीं करा सका। अगर कोई भ्रष्ट कर्मचारी की शिकायत

[श्री सोहन वीर सिंह तोंमर]--

आती है तो उसे सजा मिलनी चाहिये और अगर उसकी सिफारिश में ५० एम० एल० एज० तक भी आयें तो उनकी आप न सुनें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

शांति रखिये सब को समय मिलेगा चाहे बनारस का हो या मेरठ का हो ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं बचपन से श्री शिवमंगल सिंह जी का नाम सुनता आ रहा हूं क्योंकि मैं जब छोटा था तो यह बहुत बड़े नेता थे और आज यहां पर उनके साथ बैठने का शुभ अवसर मिल भी रहा है । लेकिन न्यूटन की एक थ्योरी है गति के सम्बन्ध में क्रिया प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशा में होती है । यही हाल गन्ने के दामों के बारे में हुआ है केन्द्र सरकार और सूबे की सरकार में । श्री शिवमंगल सिंह जी घूम रहे हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ने का दाम बढ़ाना चाहती है और केन्द्र की सरकार दाम कम करना चाहती है । केन्द्र सरकार ने कह दिया कि गन्ने के दाम १० रु० से ज्यादा न हों और सूबे की सरकार कहती है कि जो दाम केन्द्र सरकार ने तय किये हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये और तभी कहीं हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे नहीं तो नहीं । जैसे कोई अपराधी हो और अंधकार में हो जब टार्च की लाइट फेंकी जाय तो वह सामने आये और वह टार्च की लाइट हटे तो छुप जाय । इसी प्रकार गन्ने के दाम में उतार-चढ़ाव आ रहा है ।

उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार के पास जाती है और कभी मिल मालिकों के पास जाती है । कभी मंत्रिमंडल की बैठक होती है और कभी उसके लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति बन जाती है । अभी एक उप समिति बनी है २० नवम्बर को और २१ नवम्बर को उसकी बैठक हुई । २० नवम्बर को कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें गन्ने के दाम के बारे में विचार हुआ फिर एक उप समिति बन गई और वह २१ नवम्बर को बैठती है । उसमें क्या फैसला हुआ मालूम नहीं है जिसमें गन्ना मंत्री, वित्त मंत्री और सेलटैक्स मंत्री हैं । उस फैसले की अभी तक जानकारी नहीं है, गन्ने के दाम आप बढ़ा भी नहीं सकते हैं । बढ़ायेंगे कैसे पैसा कहां से लायेंगे । बाढ़ के बारे में दिघे जी ने कहा कि पैसे की कमी नहीं होने देंगे । मुख्य मंत्री जी ने कहा पैसे की कमी नहीं होने देंगे । लेकिन बनारस में अभी जिनके मकान गिरे थे उनको पैसा नहीं मिला है । अगर गन्ने के दाम बढ़ायेंगे तो पैसा कहां से लायेंगे । टैक्स लगायेंगे तो जनता विरोधी सरकार होगी ।

अधिग्रहण के बारे में एक अध्यादेश केन्द्र सरकार की तरफ से जारी हुआ । आप उसका पालन नहीं कर सकते । पालन करेंगे कैसे अगर पालन करते हैं तो अपनी आत्महत्या करते हैं क्योंकि जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार जो दाम तय करेगी उसके हिसाब से अधिग्रहण करेगी । तो उसमें गन्ने के दाम वही होंगे जो केन्द्र सरकार ने तय किये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। आप अधिग्रहण करने वाली मिलों में केन्द्र सरकार के दाम तय करेंगे और अपने मंत्रिमंडल की उप समिति जो है वह पिछले साल के दाम तय करेगी। तो यह दोनों कैसे चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि गन्ने के दाम किसी तरह गिरने न दिये जायं और जनता भी गिरने नहीं देना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं खतम कर रहा हूं ३ मिनट लूंगा। मैं एक गंभीर बात की ओर इशारा कर रहा हूं। जो खेत में पैदा होगा और जो मिल में बनेगी उसके लिए एक नीति आप बनाइये कि खेत की चीज में और मिल की चीज में डेढ़ गुने से ज्यादा फर्क नहीं होगा।

एक दूसरी बात की ओर इशारा करना चाहता हूं जो मिलें हैं वह क्यों ठीक से नहीं चली हैं इसलिए नहीं चली कि गांवों का अभी राज्य नहीं बना है, अभी वर्चस्व शहरों का है। जो औद्योगिक सभ्यता है, वह ग्रामीण संस्कृति को पूरी तरह पनपने नहीं दे रही है। इंडियन शुगर मिल्स एसोशिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस० आर० शेरवानी ने एक अपना बयान देते हुए कहा है कि हमारे देश में लगभग ४० लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत है। इस प्रकार कुल ८३ लाख मीट्रिक टन चीनी के भंडार से खपत केवल ४० लाख मीट्रिक टन के आस-पास ही हो पाएगी। अर्थात् इतनी ज्यादा चीनी है इस साल की गन्ने की पेराई न भी हो चीनी खत्म नहीं होगी। जब शहरवालों को चीनी की कमी नहीं होगी, तो पेराई होने की क्या जरूरत है। यह भावना ऊपर के लोगों में बन गई है सब जगह। इसलिए गन्ने की मिलें ठीक से काम करें या न करें, इस तरफ कोई ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

*श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ने की नीति और समस्या के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। जनता पार्टी और जनता सरकार ने अपने घोषणा-पत्र के अनुसार प्रदेश के ८० प्रतिशत किसानों की समस्या के निदान के सम्बन्ध में काम करने का निश्चय किया है। यह किसानों की कैश क्राप है और इसका उनकी जिंदगी में बड़ा महत्व है। लेकिन आज तक हमारी भूतपूर्व सरकारों ने गन्ना नीति तय करने में किसी दृढ़ता का परिचय नहीं दिया। किस आधार पर गन्ने का मूल्य तय किया जाएगा यह अभी तक निश्चित न होने के कारण किसानों का बराबर दोहन और शोषण होता चला जा रहा है। इसको बन्द करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी गन्ना नीति को तय करें। हमारे अनेक किसान नेताओं ने गन्ना उत्पन्न करने वाले अनेक प्रदेशों में जाकर एक निष्कर्ष निकाला था कि गन्ने और चीनी के मूल्य में क्या अनुपात रहे। उन्होंने तय किया था कि यदि गन्ना मूल्य १६ रुपया क्वींटल रहे तो उसके हिसाब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम जी]--

से १६ गुना दाम से चीनी भी रखी जाएगी। अर्थात् जितने रुपये क्वींटल गन्ना, उतने ही आना सेर चीनी का मूल्य रखा जाए। उसके अनुसार सरकार को काम करना चाहिए और १ और १६ का अनुपात रखना चाहिए, जो वास्तविक बात है।

यही नहीं पूरे प्रदेश को एक गन्ना क्षेत्र के रूप में रखना चाहिए। अभी तक होता यह है कि पूरब में अलग दाम रहता है और पश्चिम में कुछ अलग अर्थात् कुछ अधिक रहता है। इसके लिए प्रमुख कारण यह बताया गया कि पश्चिम में गन्ने की रिकवरी अधिक है। लेकिन गत वर्ष पूर्वी प्रदेश के बस्ती जिले ने सबसे अधिक रिकवरी देकर यह सिद्ध कर दिया है कि इस तरह का यह सवाल हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए।

क्योंकि मिलों की इफीशियेंसी पर बहुत कुछ रिकवरी डिपेंड करती है। इस लिए जिन मिलों की मशीने अच्छी हैं वहां रिकवरी अच्छी होती है, जहां मशीनें अच्छी नहीं है वहां रिकवरी कम होती है। इसलिए शासन से मैं निवेदन करूंगा कि अपने प्रदेश में यह गन्ना नीति तय की जाय और दूसरे यह कि जिन मिलों में जितनी क्षमता है, उसके अनुसार यदि मिल गन्ने की पेराई नहीं करते तो उन के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। जो सहकारी चीनी मिलें हैं या जो चीनी मिलें सरकारी नियन्त्रण में हैं, या रिसीवर नियुक्त हैं, यदि उनमें क्षमता के अनुसार पेराई नहीं होती है तो चूंकि वहां सरकारी अधिकारी बैठते हैं इसलिए उनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही होनी चाहिए।

मेरे जिले के अन्दर सठियांव चीनी मिल है। वहां की दुर्दशा ६ साल भी अधिक है। वहां पर जो स्थिति है वहां के जो प्रबन्धक महोदय हैं, उनके अन्दर न सूझबूझ है और न काम करने की क्षमता है। सिर्फ वहां के किसानों के ऊपर एक कलंक बन कर बैठा दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको अविलम्ब हटाया जाय। नहीं तो किसानों की वह सहकारी मिल है, उसकी और अधिक दुर्दशा होगी। इसके पहले कि किसान बड़े पैमाने पर उनके विरुद्ध अपना आंदोलन छेड़ें और उस समय आपकी स्थिति काफी गम्भीर हो जाय, उस ओर आप ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता--

एक बात मेरी सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी ने एक आदेश दिया था, क्योंकि नियम के अन्तर्गत दो घंटे का समय दिया था, जिसके अनुसार सात बज कर पांच मिनट पर यह चर्चा समाप्त होना चाहिए, अभी माननीय देवबहादुर जी को भी समय कुछ चाहिए, माननीय मंत्री जी को कुछ समय चाहिए, आप लोग खड़े हो रहे हैं, नियम ५२ में अधिक से अधिक समय ढाई घंटे का हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष जी ने दो घंटे का समय दिया है, मैं आध घंटे का समय और बढ़ा देता हूं। लेकिन उसके मानी यह हुए कि फिर भी जितने लोग खड़े हो रहे हैं पूरे नहीं हो सकते, इस लिए मेरा सुझाव है कि इसके बाद आप अब पांच-पाच मिनट बोलें जिसमें देव बहादुर जी को पांच मिनट का समय मिले, माननीय मंत्री को भी समय मिल जाय और ७ बज कर ३५ मिनट तक निश्चित तौर पर, इस चर्चा को नियम ५२ के अनुसार हमें समाप्त करना ही होगा। जिस हद तक विवेक था सात बज कर ३५ मिनट तक, उतना समय मैंने दे दिया। पांच मिनट का समय मिलेगा। चार मिनट पर बत्ती जला दूंगा।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, सदन में आज हमारे प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है गन्ना किसानों की, उस पर चर्चा हो रही है। आज प्रदेश के दस करोड़ किसान गन्ने की कीमत के सवाल पर परेशान हैं। उसके सामने एक जटिल समस्या है कि हमारी सरकार गन्ना का रेट क्या तय करेगी। जैसा कि माननीय सदस्य भाई शतरुद्र प्रकाश ने काफी गम्भीरता से कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों की जो मांगे हैं, जो उनकी भावनाएं और आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ठीक से और मुनासिब दाम जो पिछले साल तय किया गया था। मैं समझता हूं कि हमारे किसानों पर किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे प्रदेश में गन्ने की जो समस्या है वह बहुत ही जटिल है।

हमारे यहां पर गन्ने के क्रय केन्द्रों की समस्या है। जो क्रय केन्द्र पहले सालों से चले आ रहे हैं उनको अभी तक चालू नहीं किया गया है। शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि फैजाबाद में, हैदरगंज और शाहगंज में गन्ने के कांटे लगाये जायें लेकिन आज तक नहीं लगाया गया है। इस कारण उस क्षेत्र के किसानों में असंतोष की भावना पैदा हो गयी है। इसी प्रकार से गन्ने की बकाया राशि की समस्या है। ३१ करोड़ रुपये की धनराशि मिल मालिकों के पास बकाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस राशि को किसानों को ब्याज जोड़ कर दिया जाना चाहिए।

(इस समय ६ बज कर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सरकार ने जो यह निश्चय किया है कि भविष्य में किसानों को पैसा बैंकों के द्वारा दिया जायेगा यह एक अच्छा प्रयास है और सराहनीय कदम है। कारखानों में जो चीजें बनती हैं उनकी कीमत बढ़ती जाती है और खेती की जो चीजें हैं उनकी कीमत गिरती जा रही है। गन्ने के दाम जो किसानों को मिलते हैं और जो चीनी का दाम है उसमें सन्तुलन होना चाहिए। डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि डयोढ़ा का फारमूला अपनाया जाना चाहिए। इससे गन्ना किसानों को कष्ट नहीं होगा। हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अधिक गन्ना पैदा होता है। अगर गन्ना किसानों को कष्ट होगा तो सरकार बदस्तूर कायम नहीं रह सकती है। इसलिए उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं :

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

मान्यवर कोरम नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई मतदान तो होना नहीं है । अब चूंकि एतराज कर दिया गया है इसलिए घन्टी बजे ।

(घन्टी बजायी गयी)

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और ५ मिनट तक घंटी बजने पर भी मजपूर्ति न होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि सदन में कोरम नहीं हो पा रहा है, अतः सदन स्थगित किया जाता है । अब हम १३ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ४ मिनट पर बुधवार, दिनांक १३ दिसम्बर, १९७८ के दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

८ दिसम्बर, १९७८

सत्यप्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

सूची अग्निकाण्ड ग्राम सेमरा, तप्पा नौगांवां, परगना सिघुवा जोबना, जिला देवरिया

क्रमांक	नाम काश्तकार	क्षति का मूल्यांकन	तादाद रु० जो दिया गया
१	२	३	४
१	श्री महातम पुत्र अछैबर	१,०००	५०
२	श्री जदुबंस पुत्र रामलोचन	५००	५०
३	श्री करता पुत्र अगेसर	५००	५०
४	श्री देवनारायन पुत्र जगेसर	५००	५०
५	श्री अमला पुत्र तीरबेनी	५००	५०
६	श्री बाना पुत्र बृजराज	५००	५०
७	श्री महातम पुत्र तीरबेनी	५००	५०
८	श्री मु० गुनराजी बेवा धुरहू	५००	५०
९	श्री दुर्जन पुत्र शिवसरन	५००	५०
१०	श्री रिखई पुत्र फेकन	५००	५०
११	श्री हसी पुत्री नरायन	५००	५०
१२	श्री राम उत्तम पुत्र तीरबेनी	५००	५०
१३	श्री प्रदेशी पुत्र सिठी	५००	५०
१४	श्री इसरमन पुत्र भोला	५००	५०
१५	श्री जंगली पुत्र सूर्यबली	५००	५०
१६	श्री हंसा पुत्र बेचन	५००	५०
१७	श्री बृक्षा पुत्र हंसा	२५०	५०
१८	श्री गनेश पुत्र गुनराज	५००	५०
१९	श्री देवसरन पुत्र भगेलू	५००	५०
२०	श्री जनार्दन पुत्र सूर्यवती	५००	५०
२१	श्री नन्द प्रसाद पुत्र ठोढ़ा	५००	५०
२२	श्री रमाकान्त पुत्र गजई	५००	५०

विधान सभा

१	२	३	४
२३	श्री रोहतम पुत्र फतीगंज	५००	५०
२४	श्री झगरू पुत्र जुमरानी	५००	५०
२५	श्री मु० बलीराजो बेवा मन्नू	५००	५०
२६	श्री बाकी पुत्र देवकी	५००	५०
२७	श्री इन्द्रासन पुत्र सरन	५००	५०
२८	श्री नैपाल पुत्र सम्पत	५००	५०
२९	श्री कालिका पुत्र सम्पत	५००	५०
३०	श्री वीर पुत्र जानकी	५००	५०
३१	श्री रामेश्वर पुत्र चानबली	५००	५०
३२	श्री डोमई पुत्र सुकई	५००	५०
३३	श्री भोला पुत्र नसीर	५००	५०
३४	श्री अवालत पुत्र अली	५००	५०
३५	श्री आल्हा पुत्र मुन्नर	१,०००	५०
३६	श्री पूजा पुत्र सूर्यबली	५००	५०
३७	श्री मेढई पुत्र शिव मंगल	५००	५०
३८	श्री चिनकू पुत्र जमुना	१,०००	५०
३९	श्री रामहरष पुत्र रामानन्द	५००	५०
४०	श्री जगदीश पुत्र रामानन्द	५००	५०
४१	श्री राधे श्याम पुत्र मोदी	५००	५०
४२	श्री कौशिल्या पुत्री बिन्ना	५००	५०
४३	श्री लक्ष्मन पुत्र रामजी	५००	५०
४४	श्री भिल्लू पुत्र विशेषर	५००	५०
४५	श्री पारस पुत्र जमुना	५००	५०
४६	श्री सुखू पुत्र जमुना	५००	५०
४७	श्री चिनुकू पुत्र जमुना	१,०००	५०
४८	श्री जोगा पुत्र राम लोचन	५००	५०
४९	श्री सर्वदेश्वर पुत्र रामलोचर	५००	५०

विधान सभा

१	२	३	४
५०	श्री बुन्दा पुत्र रामलोचन	५००	५०
५१	श्रीमती सावित्री जोजे मधुबन	५००	५०
५२	श्री बाबूराम पुत्र पलटन	५००	५०
५३	श्री मु० दुईजी बेवा मोदी	५००	५०
५४	श्री बेचू पुत्र शिवनन्दन	१,०००	५०
५५	श्री सीताराम पुत्र जानकी	५००	५०

विद्यान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६१ पर)

No. 1314/XXVI—781-58

From

Sri GOVIND NARAIN, I. C. S.,
Mukhya Sachiv,
Uttar Pradesh.

To

All Heads of Departments, Uttar Pradesh,
All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh,
All District Officers, Uttar Pradesh.
All District and Sessions Judges in Uttar Pradesh, and
All Principal Heads of Offices in Uttar Pradesh.

Dated Lucknow, September 17, 1958

Subject: *List of Backward Classes in Uttar Pradesh*

Sir,

I am directed to invite your attention to the General Administration Department G. O. no. 9497/III—15 (II)-55, dated September 6, 1955, with which two lists of Backward Classes were circulated—one, a list of 15 communities for purposes of giving preference in the matter of recruitment to the public services and the other, a bigger list of 59 communities, for purposes of granting educational and other facilities to these communities. After due consideration the Governor has now been pleased to amalgamate the two lists into one for a purposes viz., preferential treatment in recruitment to public services and grant of educational and other facilities. This combined list (appended herewith) replaces the two lists given as Annexures 'A' and 'B' in the aforementioned Government Order of September 6, 1955.

Yours faithfully,
GOVIND NARAIN,
Mukhya Sachiv.

No. 1314(i)/XXVI—781-58

Copy forwarded to all Departments of the Secretariat, for information and guidance.

By order.
IFTIKHAR HUSAIN,
Up Sachiv.

List of Backward Classes in Uttar Pradesh, referred to in G. O. no. 1314/XXVI—781-58, dated September 17, 1958, for purposes of considering their cases for recruitment to the public services and for other facilities provided by the State Government, e.g. grant of stipends and non-recurring assistance for books and grants for development of Agriculture, Cottage Industries, Housing, etc.

Hindus

1. Ahir.
2. Arakh.
3. Banjara.
4. Barhai.
5. Bari.
6. Beragi.
7. Bhar.
8. Bhotia.
9. Bhurji or Bharbhunja
10. Bind.
11. Chhippi.
12. Darzi.
13. Dhiver.
14. Gadariya.
15. Gosain.
16. Gujar.
17. Halwai.
18. Jogi.
19. Kachchi.
20. Kahar.
21. Kewat or Mallah.
22. Kisan.
23. Keori.
24. Kori (in Agra, Meerut and Rohilkhand Divisions).
25. Kumhar.*
26. Kurmi.
27. Lodh.
28. Lohar.
29. Lonia.
30. Mali.
31. Manihar.
32. Murao of Murai.
33. Nai.
34. Naik.
35. Sonar.
36. Tamoli.
37. Teli.

Muslims

1. Bhathiara.
2. Carpenter (Barhai).
3. Chikwa (Qassai).
4. Darzi.
5. Dhapali.
6. Faqir.
7. Gaddi.
8. Hajjam (Nai).
9. Jhoja.
10. Kasgar.
11. Kisan.
12. Kunjra.
13. Momin (Ansar).
14. Manihar.
15. Mirasi.
16. Muslim Kayastha.
17. Naddaf (Dhunia).
18. Naqqal.
19. Not.
20. Rangrez.
21. Sweeper.

P.S.—In Kumaun Division Marchchas, Nai and Backward Muslims will be considered as belonging to Backward Classes.